लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[तेरहवां सत्र / Thirteenth Session]

[खंड 52 में अंक 41 से 49 तक हैं / Vol. LII contains Nos. 41 to 49]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रूपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/ CONTENTS

अंक 49, शुक्रवार, मई 9, 1975/वैशाख 19, 1897 (शक)

No. 49, Friday, May 9, 1975/Vaisakha 19, 1897 (Saka)

विषय	SUBJECT	PAGE
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	**Oral Answers to Questions—**	
तारांकित प्रश्न सख्या 957, 961 से 963, 966 और 969	Starred Questions Nos. 957, 961 to 963, 966 and 969	1—14
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	**Writen Answers to Questions—**	
तारांकित प्रश्न सख्या 958 से 960, 964, 965, 967, 968 और 970 से 976	Starred Questions Nos. 958 to 960, 964 965, 967, 968 and 970 to 976 .	15—28
अतारांकित प्रश्न सख्या 9278 से 9477	Unstarred Questions Nos. 9278 to 9477 .	28-171
श्री जनेश्वर मिश्र, ससद् सदस्य के विरुद्ध सभा में एक कथित जाली पत्र पढ़ कर सुनाने के कारण, जो हिन्दलको के कर्मचारियों द्वारा लिखा बताया गया है, विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of privilege against Shri Janeshwar Misra M.P. for his having read out in the House an alleged forged letter said to have been written by employees of HINDALCO	171—74
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . . .	175—187
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	
कार्यवाही का सारांश	Minutes	187
प्राक्कलन समिति—	Estimates Committee	187
कार्यवाही सारांश	Minutes	187
अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये निदेशों में सशोधन	Amendment to Directions by the Speaker .	187
राज्य सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha . . .	188
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
दुर्गापुर स्टील प्लांट के महा प्रबन्धक के त्याग पत्र का समाचार	Reported resignation of General Manager of Durgapur Steel Plant . . .	188

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विशेषाधिकार समिति—	Committee of Privileges—	
15वां प्रतिवेदन	Fifteenth Report	196
याचिका समिति—	Committee on Petitions—	
22वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश	Twenty-second Report and Minutes .	196
रेल अभिसमय समिति—	Railway Convention Committee—	
7वां प्रतिवेदन	Seventh Report	197
सिख समुदाय की धार्मिक तथा धर्मार्थ संस्थाओं के बारे में वक्तव्य—	Statement *re.* Religious and Charitable Institutions of Sikh Community—	
श्री ओम मेहता	Shri Om Mehta	197-98
विशेषाधिकार समिति—	Committee of Privileges—	
प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय बढ़ाना	Extension of time for presentation of Report	198
मन्त्रिपरिषद् में अविश्वास प्रस्ताव— अनुमति दी गई ।	Motion of No-Confidence in the Council of Ministers—*Leave Granted* . .	199—203
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members' Bills and Resolution —	
56वां प्रतिवेदन	Fifty Sixth Report	204
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के लापता होने सम्बन्धी जांच आयोग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में संकल्प—	Resolution *re.* Report of Commission of Inquiry into Disappearance of Netaji Subhas Chandra Bose—	
श्री समर गुह	Shri Samar Guha . . .	205—208
श्री प्रिय रंजन दास मुंशी	Shri Priya Ranjan Das Munshi	208-209
श्री एस० पी० भट्टाचार्य	Shri S. P. Bhattacharyya . . .	209-210
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D. N. Tiwari	210
श्री झारखंडे राय	Shri Jharkhande Rai . . .	210-211
श्री राम सहाय पांडे	Shri R. S. Pandey . . .	211
श्री जगन्नाथ राव जोशी	Shri Jagannathrao Joshi . . .	211 212
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B. R. Shukla	212-213
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar . . .	213-214

मंत्रि परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव—जारी	Motion of No-Confidence in the Council of Ministers—*contd.*	
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu . . .	215—220
श्री प्रिय रंजन दासमुन्शी	Shri Priya Ranjan Das Munshi . .	220—223
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha . . .	224
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen	224—226
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee . . .	226—228
श्री एच० के० एल० भगत	Shri H. K. L. Bhagat . .	229—230
श्री ए० दुराईरासु	Shri A. Durairasu	231—232
श्री हरि किशोर सिंह	Shri Hari Kishore Singh . . .	232—233
श्री श्याम नन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra . .	233—235
श्री जगजीवन राम	Shri Jagjivan Ram	235—236
श्री फ्रैंक एन्थनी	Shri Frank Anthony	236—237
श्री जनेश्वर मिश्र	Shri Janeshwar Misra . . .	237—238
श्री शंकर दयाल सिंह	Shri Shankar Dayal Singh . . .	238—239
प्रो० मधु दंडवते	Prof. Madhu Dandavate . . .	239—240
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar . . .	240
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi . . .	240—243

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 9 मई, 1975/19 वैशाख, 1897 (शक)

Friday, May 9, 1975/Vaisakha 19, 1897 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

कलकत्ता में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम कलकत्ता द्वारा लाभान्वित उद्योग

+

*975. **श्री टुना उरांव :**

श्री शक्ति कुमार सरकार :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम, कलकत्ता द्वारा अब तक लाभान्वित उद्योगिकों के नाम क्या हैं तथा उन्हें यूनिटवार कितनी-कितनी धनराशि दी गई है ;

(ख) क्या इस समय अधिकांश यूनिट बन्द हो जाने की स्थिति में हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे यूनिटों के नाम क्या हैं ; और

(घ) यूनिटवार, ऐसी स्थिति के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क), (ख), (ग) और (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०-9731/75]

Shri Tuna Oraon: What is the amount of expenditure being incurred by the corporation on the units which are under closure or on the verge of closure from the percentage point of view?

श्री सुब्रह्मण्यम : मैं प्रश्न का दूसरा भाग नहीं समझ पाया हूं—किसका प्रतिशत ? जहां तक पहले भाग का सम्बन्ध है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि बन्द पड़े उद्योगों को फिर से खोलने के लिए कार्यवाही की जा रही है। कुछ विशेषज्ञ समितियां भी इस बारे में जांच कर रही हैं।

Shri Tuna Oraon: I wanted to know the time which the corporation will take over and run such units as are either under closure or on the verge of closure and in which it has more than 50 per cent shares.

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : इन मामलों में, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम उनको चलाने के प्रयोजनार्थ केवल सहायता देता है। यदि किसी फर्म को अपने हाथ में लेना होता है तो उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन कार्यवाही करनी पड़ेगी।

श्री शक्ति कुमार सरकार : विवरण से मालूम होता है कि जिन पार्टियों को ऋण मंजूर किये गये हैं उन्हें पूरी रकम नहीं मिली है और उन में से कुछ पार्टियों को किश्तों में राशि मिल रही है परिणामस्वरूप, सम्बन्धित उद्योग भारी हानि उठाते हैं। क्या मंत्री जी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऋण की राशि एक किश्त में दे दी जाये ताकि सम्बन्धित उद्योग अपने को जीवित रख सकें ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : यह बात प्रत्येक मामले की वस्तुस्थिति पर निर्भर करता है। कतिपय मामलों में समूची राशि एक किश्त में देनी पड़ेगी। समूची राशि प्रबन्धकों को दे देने के बजाय हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि उस राशि का समुचित उपयोग हो। वास्तव में, प्रबन्ध में अकुशलता के कारण उन्हें कठिनाइयां उठानी पड़ी हैं।

श्री बीनेन भट्टाचार्य : विवरण से पता चलता है कि सेन रैले कम्पनी बन्द होने वाली है। ऐसा मालूम होता है कि उस कम्पनी तथा उसके सहायक एककों को मंजूर धन राशियां नहीं दी गई हैं। एक ओर आप यह कह रहेहैं कि बाजार की कमी तथा धनाभाव के कारण इस कम्पनी के बन्द होने के आसार हैं। समाचार पत्रों में भी आ चुका है कि कम्पनी के प्रबन्धक उसे बन्द करने की सोच रहे हैं। दूसरी ओर आई० एफ० सी० ने इस कम्पनी की मदद करने के लिए जो राशि मंजूर करनी चाही, वह पूरी नहीं दी गई है ; उसका केवल एक अंश दिया गया है। यह एक अच्छा कारखाना है और उसकी मशीनें अच्छी हालत में हैं और यह कम्पनी साइकिलें बना रही है जिनकी काफी मांग है। इन साइकिलों का निर्यात भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में सरकार आई० एफ० सी० से कम से कम उस राशि को, जिसका आश्वासन दिया गया है, देने के लिए गम्भीरता से क्यों नहीं कह रही है ताकि केवल वित्तीय कारणों से ही कारखाना बन्द न करना पड़े ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : माननीय सदस्य इस बात से सहमत हैं कि सेन रैले के काम काज की हालत अच्छी नहीं है। सही बात तो यह है कि इस निगम का बहुत सा पैसा इस कारखाने में लग गया है और बैंकों से भी इस कम्पनी ने ऋण लिये हैं। मैं समझता हूं कि इस कम्पनी को कुल मिलाकर 4 करोड़ या 7 करोड़ रुपए दिये जा चुके हैं। इसके बाद भी वह मुसीबत में है। इसलिए, प्रबन्ध में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर लगती है। अतएव पूरा मामला जांचाधीन है। उसी जांच के आधार पर ही तथा

इस मूल्यांकन के आधार पर कि वर्तमान प्रबन्धकों को रहने दिया जाये अथवा बदल दिया जाये ताकि और ऋण दिया जा सके। कोशिश यही है कि वह बन्द न होने पाये।

श्री कृष्णराव पाटिल : एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने कहा है कि मंजूर ऋण की राशि का एक किश्त में देना या न देना हर मामले के गुणावगुणों पर निर्भर करता है। ऐसी र शि एक किश्त में दी जाये अथवा सात किश्तों में, इस बात का निर्णय करना क्या पूरी तरह अधिकारियों के स्वविवेक पर छोड़ दिया गया है अथवा उसके लिए सरकार द्वारा कोई मापदण्ड निर्धारित किया गया है जिसके अनुरूप वे निर्णय लेते हैं ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : हर मामले पर उद्योग के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए एक विशेषज्ञ द्वारा विचार किया जाता है और मूल्यांकन करने में लागत लेखापालों की भी सहायता ली जाती है। उस आधार पर वे कुल अपेक्षित राशि के सम्बन्ध में तथा उस राशि को उसे किस तरह दिया जाए इस बारे में निगम को सिफारिश करते हैं और उस आधार पर उन्हें राशि दी जाती है। जहां तक मार्गदर्शी सिद्धान्तों का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं सरकार के पास ये सिद्धान्त हैं। सारी कठिनाई यह है कि यह एक विशेष रुग्ण एकक है और हर रुग्ण एकक की बीमारी का इलाज अलग-अलग किस्म का होता है। इसलिए, मैं नहीं समझता कि इस सम्बन्ध में एक आम मार्गदर्शी सिद्धान्त हो सकता है किन्तु हमें निश्चित रूप से यह देखना होगा कि इन एककों की जांच करने के प्रयोजन के लिए समुचित विशेषज्ञता का उपयोग किया जाये तथा आवश्यक सिफारिशें की जायें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सेन रेले के बारे में मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा उसे ध्यान में रखते हुए तथा इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि यह परिवहन का एक सस्ता साधन है क्योंकि हमें पेट्रोल पर जो दिन प्रति दिन महँगा होता जा रहा है निर्भर नहीं रहना पड़ता, क्या सरकार इस फर्म में पैसा लगाते रहने के बजाय इसे अपने हाथ में लेने का विचार करेगी ताकि छोटे आदमियों के लिए साइकिलों के निर्माण में वृद्धि हो सके। भारतीय साइकिलों के लिए विदेशों में अच्छा निर्यात बाजार है। सरकार इस तरह क्यों नहीं सोचती

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : यह एक बहुत रचनात्मक सुझाव है। इस सारे मामले की जांच हो रही है और जब तक ये जांच परिणाम मालूम नहीं हो जाते, तब तक मैं निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि सरकार उसे अपने हाथ में लेगी या नहीं किन्तु माननीय सदस्यों को पता है कि जब हिन्द साइकिल कारखाना बन्द हुआ था तो हमने उसे अपने हाथ में ले लिया था जो आज बहुत अच्छी हालत में है और जल्दी ही मुनाफा कमाने लगेगा, उत्पादन पूरा होने लगेगा और मजदूर भी पूरी तरह नियोजित किया जायेगा। इसलिए, इस अनुभव के आधार पर, इस मामले पर भी विचार किया जा सकता है।

श्री धामनकर : इस प्रक्रिया का अनुसरण इन एककों को ऋण देने के लिए बैंकों द्वारा किया जाता है। किन्तु ऋण मंजूर होने से पहले इस प्रक्रिया में बहुत समय लगता है। कभी-कभी तो इसमें दो वर्ष से भी अधिक समय लग जाता है। क्या इस प्रक्रिया को सरल बनाया जायेगा ताकि ऋण जल्दी तथा कम समय में मिल सके ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : विलम्ब के बारे में मुझे कोई शिकायत नहीं मिली है । मैं निश्चित रूप से इस बारे में जांच करुगा । यदि शिकायतें होंगी , तो मैं, कम से कम उन्हें यथासंभव दूर करने की कोशिश करुगा ।

डा० रानेन सेन : क्या यह सच है कि इन सभी कम्पनियों और उपक्रमों में, जिन्हें ऋण दिये जा रहे हैं, आई० एफ० सी० आई० के प्रतिनिधि निदेशक मडल में हैं ? यदि हां तो कुछ कम्पनियां रुग्ण हालत में क्यों चल रही हैं और ऐसी स्थिति में भी उन्हें ऋण क्यों दिया जा रहा है ? आई० एफ० सी० आई० के प्रतिनिधि वस्तुत: क्या कर रहे हैं ? क्या वे इन कम्पनियों के कामकाज की जांच कर रहे हैं और उनकी स्थिति सुधारने की कोशिश भी कर रहे हैं ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : नि:सन्देह इस निगम के प्रतिनिधि बोर्ड में हैं । लेकिन बोर्ड की केवल सामयिकी बैठकें होती हैं और उसके बाद वे उसकी समीक्षा करते हैं जो हो चुका है । यह प्रबन्धक निदेशक तथा अन्य कायकारी निदेशकों पर निर्भर करता है जो इन सस्थाओं के दिन प्रति दिन के प्रबन्ध से सम्बन्धित काम कर रहे हैं । इसीलिए, कभी-कभी प्रबन्धकों को बदलना भी जरूरी हो जाता है । बहुत से मामलों में, कुछ कम्पनियों की हालत तो सुधर गई है और अब वे अच्छी स्थिति में काम कर रही हैं और कुछ कम्पनियों की हालात सुधर रही ह । किन्तु कुछ कम्पनियां ऐसी हैं जो खुद अपने संगठन में व्याप्त विभिन्न दोषों एव कमियों के बारे में बिलकुल ध्यान ही नहीं देती हैं । इसलिए, इस मामले में, जब तक हम प्रबन्धकों को, खासकर शीर्ष प्रबन्धकों को न बदलें, तब तक, शायद स्थिति में सुधार नहीं हो सकता । सेन रैले के साथ यह स्थिति है और उसकी जांच की जा रही है ।

रुपये का मूल्य

*961. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1949 को आधार वर्ष मान कर वर्ष 1964 और वर्ष 1974 में रुपये का क्रमश: मूल्य क्या था ; और

(ख) इसका मूल्य इस समय क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). अखील भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1949–100) के अनुसार रुपये का मूल्य 1964 में 65.8 पैसे 1974 में 27.1 पैसे और फरवरी 1975 में 25.3 पैसे (अब तक उपलब्ध आंकड़े) बैठता है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : अपनी मुद्रा की क्रय शक्ति बनाये रखना सरकार का प्राथमिक उत्तर-दायित्व है । रुपए का मूल्य 1949 में 100 पसे से घटकर 1974 में 27.6 पैसे और इस वर्ष फरवरी में 25.3 पैसे रहो गया । इसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि आज यह केवल 23 पैसे से भी कम हो गया है । इससे पता चलता है कि सरकार मुद्रा का मूल्य नहीं बनाए रख सकती है और अब तक किये गये उसके सभी वित्तीय उपाय निष्फल रहे हैं । क्या निरन्तर बढ़ती हुई मुद्रा स्फीति को ध्यान में रखते हुए धन की सप्लाई में वार्षिक वृद्धि की कोई कानूनी अधिकतम सीमा निर्धारित करने का सरकार का विचार है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : सभी स्तरों पर धन की सप्लाई सिमित करने के बारे में इस प्रश्न पर पूर्ण रूप से विचार किया गया है । एक कानून सीमा निर्धारित करने के कठोर कदम मात्र से समस्या हल नहीं होगी । विभिन्न अन्य उपाय करने होंगे । यह देखने से कि यह फरवरी 1975 में घटकर 25.3 पैसे रह गया स्थिति चिन्ताजनक लगती है परन्तु यदि आप इस बारे में विश्व के रुख देखें, विशेष रूप से विकासशील देशों में, तो पता चलेगा कि हमारी स्थिति उनके विकासशील देशों से बुरी नहीं है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : मंत्री महोदय के लिये यह सांत्वना की बात हो सकती है कि हमारी स्थिति अन्य विकासशील देशों से बुरी नहीं है परन्तु इस देश और इस सभा के लिये यह चिन्ता की बात है । जैसा कि आंकड़े बताते हैं, सरकार सबसे बड़ी नियोजक है और गत वर्ष उसने जून, जुलाई और सितम्बर में मंहगाई भत्ते में तीन वृद्धि की । इसमें से 50 प्रतिशत अनिवार्य जमा योजना के अधीन जमा हुआ । यह स्पष्ट है कि गत वर्ष जमा की गई 27 रुपए की प्रत्येक राशि हो महीनों में 25 रुपए रह गई । इसी प्रकार 1964 में पेंशन और भविष्य निधि की 65 रुपए की राशि आज धन के मूल्य के रूप में 25 रुपए मात्र या इससे भी कम हो गई । श्रमिकों की इस हानि को, विशेष रूप से पेंशन और भविष्य निधि में, किस प्रकार पूरा करने का सरकार का प्रस्ताव है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : अन्तिम रूप से स्थिति को उत्पादन शक्ति और उत्पादन बढ़ाकर ही सुधारा जा सकता है । जिसमें हम सबको सहयोग देना चाहिए । यदि प्रत्येक व्यक्ति काम करता है और वेतन अधिक चाहता है तो स्वाभाविक है कि रुपए का मूल्य घटता जायेगा । अतः मैं मानता हूं कि यह चिन्ता का विषय है । वास्तव में वर्तमान आर्थिक स्थिति यही है और यह एक चुनौती है । हमें विस्तार से विचार करना है कि इस प्रयोजन के लिये क्या कदम उठाये जायें और उनसे ही स्थिति में सुधार होगा ।

श्री विश्वनारायण शास्त्री : सरकार द्वारा मुद्रा-स्फीति विरोधी उपाय किये जाने पर भी रुपए का मूल्य तेजी से कम हो रहा है । क्या इस प्रकार इसके घटकर शून्य रह जाने की सम्भावना है ? इसे रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मुझे आशा है कि ऐसा नहीं होगा । मैं जानता हूं कि कुछ लोग इसे शून्य के स्तर पर ले जाना चाहते हैं लेकिन हमारा यह प्रयास होगा कि ऐसा न हो और रुपए का मूल्य बढ़े ।

श्री पी० वेंकटासुब्बाया : क्या वित्त मंत्री द्वारा गत बजट में कुछ वित्तीय उपायों की घोषणा किये जाने के बाद क्या यह पता लगाने के लिये कि रुपए के मूल्य सम्बन्धी उपायों का गत दो वर्षों में उसके मूल्य की तुलना में क्या प्रभाव हुआ है, समय-समय पर कोई मूल्यांकन किया जायेगा ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं सहमत हूं कि समय समय पर पुनर्विलोकन करना होगा और एक प्रकार से यह हो भी रहा है । वास्तव में, जैसा कि सदस्यों को मालूम ही है, सितम्बर से मूल्यों का रुख कम से कम स्थिर तो हो ही गया है । मूल्यों में कुछ कमी भी हुई है । थोक मूल्यों में कमी के बाद खुदरा मूल्यों पर भी प्रभाव पड़ा है । मार्च, अप्रैल में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भी इसका थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा और तब रुपए का मूल्य बढ़ जायेगा । यह निरन्तर प्रयास करना होगा ताकि हम रुपए का मूल्य न केवल स्थिर बल्कि बढ़ा सकें ।

श्री एस० वी० गिरि : मंत्री महोदय ने कहा कि रुपए का मूल्य फरवरी, 1975 में घटकर 25.3 पैसे रह गया। सरकार श्रमजीवी वर्ग और खेतिहर श्रमिकों को किस प्रकार प्रतिकर देगी दूसरी बात, क्या सरकार कर्मचारियों के वेतन और मजदूरी की रोकी गई राशि वापस करने पर विचार कर रही है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : दूसरा प्रश्न इससे उत्पन्न नहीं होता है। निर्वाह व्यय मूल्य सूचकांक के बढने पर महंगाई भत्ता स्वतः दिया जाता है। दुर्भाग्य से विशेष रूप से गत दो वर्षों में मूल्य सूचकाक बहुत अधिक बढ़ा है। इसीलिए हम स्थिति को स्थिर बनाने पर विचार कर रहे हैं। सौभाग्य से हम कुछ सीमा तक स्थिरता ला सके हैं। आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये बजट पर चर्चा के समय बताये गये सभी अन्य उपाय किये जायेंगे।

श्री शिवाजी राव एस० देशमुख : हमारे अधिकांश निर्वाचकगण निर्धारित आय वर्ग के नहीं हैं। जबकि वेतन पाने वाले लोगों को महंगाई भत्ते के रूप में कुछ प्रतिकर मिल जाता है क्या किसानों, बेरोजगार खेतिहर श्रमिकों और ग्रामीणों को महगाई भत्ता देने की कोई व्यवस्था है। क्या वित्त मंत्री यह कह सकते हैं कि कृषि उत्पादों की लागत 1949 से 1975 तक चौगुना नहीं बढ़ी है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : समाज के साधनों को ध्यान में रखते हुए केवल एक छोटे वर्ग को ही प्रतिकर दिया जा सकता है परन्तु यदि सम्पूर्ण समाज को प्रतिकर देने का प्रश्न है, तो मैं नहीं समझता कि इसके लिये क्या प्रक्रिया होगी। हमें इस प्रयोजन के लिये कोई अन्य वित्तीय रिजर्व खोज निकालना होगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सरकार के अनुसार रुपए के मूल्य में गिरावट से इस देश में किस वर्ग पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और उस वर्ग के लोगों के हितों के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम: स्वाभाविक है कि सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना निर्धनतम लोगों को करना पड़ रहा है अर्थात ऐसे लोग जो निर्वाह स्तर से भी नीचे स्तर पर जीवन गुजार रहे हैं। तथा उनकी क्रय शक्ति घटती जायेगी जबकि कुछ वर्गों के लोगों को कम से कम कुछ सीमा तक राहत दी जा सकती है। इसलिए हमें प्राथमिकता इस प्रकार निर्धारित करनी होंगी जिसे पहले निर्धन वर्गों का ध्यान रखा जाए। यदि हमारा दृष्टिकोण है और इसीलिए हम निर्धन वर्गों की अपेक्षा सम्पन्न लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे थोड़ा सा और अधिक त्याग करें ताकि निर्धन वर्गों को लाभ पहुच सके।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मंत्री महोदय ने रुपए के मूल्य में तीव्र गिरावट स्वीकार की है, क्या वे बतायेंगे कि क्या वे रुपए का अंकित मूल्य ही कम करने पर विचार करेंगे जैसा कि कुछ वर्ष पहले फ्रांस में किया गया था ताकि अधिक परिश्रमिक आदि की अन्य असंगतियों से बचा जा सके ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : अवमूल्यन दूसरे यूनिट के संदर्भ में होता है। उदाहरण के लिये विदेशी मुद्रा के संदर्भ में। इसमें मूल्य कम करने का प्रश्न नहीं है। जो मूल्य है सो है।

Shri Hukam Chand Kachwai: The production of coal, steel, cotton etc. in the country has considerably gone up and there is accumulation of huge stocks. Some factories had even to close down. May I know in this context the optimum level of production where the value of rupee may increase and at the same time industries may also not have to close down? Is it not a fact that the rupee value is going down as consequence of increase in currency in circulation and printing of more notes?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : सदस्य महोदय ने कहा कि क्या हम अधिक नोट छापेंगे ? वास्तव में हमारी अर्थ-व्यवस्था की यह एक बुराई है और इसीलिए हम मुद्रा की सप्लाई कम करना चाहते हैं और इसीलिए विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं। परन्तु दुर्भाग्य से विभिन्न दबाव हैं जिनसे मुद्रा की सप्लाई और बढ़ेगी। हमें यथासंभव इसे रोकना है।

प्रो० मधु दंडवते : श्री वीरेन्द्र सिंह राव के प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने सान्त्वना के रूप में कहा कि विश्व में अनेक देशों में मुद्रा का मूल्य कम हो रहा है और मूल्य बढ़ रहे हैं। इस पष्ठभूमि में उन्होंने अपने देश में जो कुछ हो रहा है, उसे उचित ठहराने का प्रयास किया। मैं इस पष्ठभूमि में जानना चाहता हूं कि क्या अनेक पूंजीवादी देशों में, जहां पर मूल्यों में काफी वृद्धि हुई है, मज़दूरी में तदनुसार वृद्धि मूल्यों में वृद्धि से कहीं अधिक रही है और इसके परिणाम-स्वरूप श्रमजीवी वर्ग को इतनी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता जितना कि उसे करना पड़ रहा है ? क्या इसको ध्यान में रखते हुए इस देश में एक समान राष्ट्रीय मज़दूरी नीति बनाई जायेगी ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : जहां तक एक राष्ट्रीय मज़दूरी नीति का सम्बन्ध है, इस पहलु के अतिरिक्त, यह आवश्यक है। हम इस पहलु पर विचार कर रहे हैं। परन्तु मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य सहमत होंगे कि यह इतना सरल मामला नहीं है कि एक दिन में निपटा दिया जाये। इसलिए हम इस पर विचार कर रहे हैं और इस बारे में एक प्रारम्भिक रिपोर्ट मिल गई है और उसका अध्ययन किया जा रहा है। हमें आशा करनी चाहिए कि हम शीघ्र ही एक राष्ट्रीय मज़दूरी नीति बना सकेंगे।

कलकत्ता हवाई अड्डे पर बोइंग 747 विमान के उतरने के लिए सुविधाएं

*962. **श्रीमती माया राय** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता हवाई अड्डा बोइंग 747 विमाननों के उतरने के लिये कब तक तैयार हो जायेगा;

(ख) इस सम्बन्ध में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या अनेक विदेशी विमान सेवा कम्पनियां, विशेष रूप से ब्रिटिश एयरवेज़, अपने बोइंग 747 विमान कलकत्ता हवाई अड्डा होकर उड़ाना चाहती हैं और वे चाहती हैं कि एयर इंडिया कलकत्ता हवाई अड्डे पर बोइंग 747 विमान के उतरने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराये ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). कलकत्ता विमान क्षेत्र का धावन-पथ बोइंग 747 विमानों को प्राप्त करने के लिए तैयार है। ऐसे विमानों को हैंडल करने के लिए अपेक्षित उपस्कर अभी कलकत्ता पर लगाने हैं। फिलहाल कोई भी विमान कम्पनी कलकत्ता के लिए बोइंग 747 विमानों का परिचालन नहीं कर रही है।

(ग) कलकत्ता के लिए बोइंग 747 विमान का परिचालन करने के निर्णय के बारे में किसी भी विदेशी विमान कम्पनी से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। परन्तु, अप्रैल, 1974 में, ब्रिटिश एयरवेज़ ने एयर इंडिया से पूछा था कि क्या उनका कलकत्ता विमान क्षेत्र को बोइंग 747 हैंडलिंग उपस्कर से सज्जित करने का कोई प्रस्ताव है। ब्रिटिश एयरवेज़ ने उल्लेख किया था कि यदि वे भविष्य की किसी तारीख को बोइंग 747 का परिचालन करने का निर्णय करें तो वे केवल यह पता लगाना चाहते हैं एयर इंडिया द्वारा कलकत्ता विमान क्षेत्र पर, हैंडलिंग उपस्कर लगाये जाने की संभाव्यता क्या है। एयर इंडिया ने ब्रिटिश एयरवेज़ को इस बात की पुष्टि कर दी थी कि ब्रिटिश एयरवेज़ की भावी योजनाओं का पता लगते ही वे बोइंग 747 को हैंडल करने के लिए कलकत्ता विमान क्षेत्र पर आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था करने के प्रश्न की जांच करेंगे।

श्रीमती माया राय : एक बड़ी राशि खर्च करके हमारे देश में यह एक सुन्दरतम अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया है। यदि उसका प्रचार नहीं किया जाता या अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं आरम्भ करने के लिये सही प्रोत्साहन नहीं दिये जाते, तो इस व्यय को किस प्रकार उचित ठहराया जा सकता है? इस बारे में सरकार ने वास्तव में क्या कार्यवाही की है?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : हम स्वयं बहुत इच्छुक हैं कि कलकत्ता हवाई अड्डे के लिये 747 विमान सेवाएं यथासंभव शीघ्र आरम्भ हों और सरकार ने अनेक कदम उठाये हैं, उनमें से एक यह है कि टर्मिनल इमारत का निर्माण पूरा हो गया है। परिचालन प्रयोजनों के लिये धावन पथ को चौड़ा और सुदृढ़ किया जा चुका है तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जा चुकी है। यह सच है कि यातायात नहीं बढ़ा है हालांकि हम ने कलकत्ता के लिये 747 विमानों की सेवाएं आरम्भ करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों को सहमत कराने के प्रयास किये हैं। इस दिशा में हमारे प्रयास जारी हैं। अंतर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों का कहना यह है कि कलकत्ता के लिये 747 विमानों की सेवाएं चलाना वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं है।

श्रीमती माया राय : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कलकत्ता के पूर्व में दक्षिण-पूर्व एशिया का विशाल महाद्वीप है, सरकार ने बम्बई में उच्चतम एयर इंडिया प्रशासन का विकेन्द्रीय करण करने के बारे में क्या किया है ताकि कलकत्ता से जाने-आने वाले यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिये वहां पर एक शाखा कार्यालय खोला जा सके? दूसरे, मंत्री महोदय को ध्यान में रखना चाहिए कि राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का बहुत योगदान है और इसलिए यह आवश्यक और न्यायोचित है कि हमें उस क्षेत्र में उसी अनुपात में सुविधाएं और धन मिले।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : जहां तक विभिन्न हवाई अड्डों पर कर्मचारियों की संख्या का प्रश्न है, यह किसी हवाई अड्डे पर यातायात और कार्यभार के आधार पर निर्धारित की जाती है। हम तो बहुत चाहते हैं कि कलकत्ता के लिये 747 विमान सेवाएं हों और कलकत्ता हवाई अड्डे का पूर्ण उपयोग हो। इस प्रयोजन के लिए हम ने एक होटल भी बनाया है।

परन्तु तथ्य यही है कि पूर्व से और पूर्व के लिए यातायात पर्याप्त नहीं है कि एयर इंडिया 747 सेवाएं चलाये और अन्य विमान कम्पनियां अभी इन्हें चलाने के लिए तैयार नहीं हैं। हम उन्हें सहमत कराने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मंत्री महोदय ने कहा कि कलकत्ता हवाई अड्डे पर 747 बोइंग विमान के उतरने के लिये धावन पथ तो तैयार है परन्तु आवश्यक उपकरण उपलब्ध नहीं हैं। भारत में अन्य हवाई अड्डों पर ही क्यों यह उपकरण उपलब्ध किया गया है और कलकत्ता हवाई अड्डे पर अब तक यह उपकरण क्यों नहीं लगाया गया? विलम्ब के क्या कारण हैं? क्या यह इस देश के पूर्वी क्षेत्र को सुविधाएं न देने की केन्द्रीय सरकार की नीति का अंश है? इसके लिए बम्बई और दिल्ली को पहले क्यों चुना गया और कलकत्ता क्यों नहीं पहले चुना गया? एयर इंडिया कलकत्ता के लिये 747 बोइंग विमान क्यों नहीं चला रहा है? आप कलकत्ता के लिये 747 विमान चलाने के लिये विदेशी विमान कम्पनियों को रज़ामन्द करने के पीछे क्यों पड़े हुए हैं?

श्री राज बहादुर : एयर इंडिया के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह कलकत्ता उसके पूर्व के देशों के बीच यातायात पर निर्भर करता है। कलकत्ता से और कलकत्ता के लिये यातायात को यथाशक्य बढ़ाने की हमारी निश्चित नीति है। उपकरण लगाने में कोई समस्या नहीं होगी। यह जानने के बाद कि कोई विशिष्ट विमान कम्पनी कलकत्ता के लिये एक 747 विमान सेवा चलाने के लिये तैयार है, हम उपकरण यथासंभव शीघ्र लगा सकते हैं। उपकरण की लागत लगभग 1 करोड़ रुपये है। कोई सेवा न हो और 1 करोड़ रुपये की लागत का उपकरण लगा देना एक बड़ी असंगति होगी। कलकत्ता और पूर्वी देशों के बीच पर्याप्त यातायात हो जाने पर एयर इंडिया निश्चय ही 747 विमान सेवाएं चलायेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री राज बहादुर ने बहुत ही भ्रम उत्पन्न करने वाला उत्तर दिया है कि चूंकि कलकत्ता के लिये भविष्य में बोइंग विमान सेवा आरम्भ हो सकती है, इसलिए अपने प्राथमिकता क्रमानुसार एक होटल का निर्माण आरम्भ कर दिया गया है। वे बतायें कि होटल पर कितनी लागत आयेगी। उन्होंने कहा कि यदि 747 विमान नहीं आते हैं तो वे नहीं चाहते कि 1 करोड़ रुपये की लागत का उपकरण बेकार पड़ा रहे परन्तु उन्हें 747 विमान न आने पर भी होटल के निर्माण पर कोई आपत्ति नहीं है। उस होटल में कौन ठहरेगा जब कोई 747 विमान सेवा नहीं है। क्या उसमें सप्ताहांत बिताने के लिये कलकत्ता जाने वाले लोग ठहरेंगे? यह किस प्रकार की प्राथमिकता है? यदि विमानों के उतरने के लिये अपेक्षित सुविधाएं न मिलने पर भी कोई विदेशी विमान कम्पनी आज कलकत्ता से अपनी 747 विमान सेवा चलाना चाहती है, तो क्या उन्हें और निरुत्साहित नहीं किया जायेगा?

श्री राज बहादुर : माननीय सदस्य बहुत बुद्धिमान हैं और मुझे विश्वास है कि वे उत्तर, जो भ्रमोत्पादक बिल्कुल नहीं है, अच्छी तरह समझ सकते हैं। होटल केवल 747 विमान सेवाओं के लिये ही नहीं हैं। होटल की सेवाएं विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों—एयर इंडिया (तीन सेवा), बी०ओ०ए०सी (पांच सेवा), एस०ए०एस० (एक सेवा), थाई इंटरनेशनल (पांच सेवा), आर०एन०एच०सी० (दो सेवा), बंगला देश (दो सेवा) और बर्मा एयरलाइन्स (दो सेवा)—को

उपलब्ध हैं और उपलब्ध रहेंगी। कलकत्ता के लिए विमान सेवाओं की कमी नहीं है। वास्तव में यातायात 1971 में 75,000 से बढ़कर 1973 में 206,000 हो गया है। यातायात बढ़ाने के लिए हम ने सभी संभव कदम उठाये हैं। 747 विमान सेवा आरम्भ करने के लिये पर्याप्त यातायात होना चाहिए; बाद में यह नहीं कहना चाहिए कि फालतू क्षमता है जो अप्रयुक्त है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : होटल पर आपका कितना खर्च होता है?

श्री राज बहादुर : मैं उत्तर दे चुका हूं कि मेरे पास इस समय इसके आंकड़े नहीं हैं।

असैनिक हवाई अड्डा, अहमदाबाद

*963. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अहमदाबाद स्थित असैनिक हवाई अड्डे का रन वे विमानों विशेषकर बड़े विमानों के सुचारू और कुशल रूप से उतरने तथा उड़ान भरने के लिये पूर्णतया सन्तोषजनक और अथवा सुरक्षित नहीं है ;

(ख) क्या उक्त हवाई पट्टी को उचित रूप से और शीघ्र मजबूत और पुनः समतल बनाने की आवश्यकता है ; और

(ग) यदि हां तो सरकार इस कार्य को कब आरम्भ करेगी और इसे कैसे पूरा किया जायेगा ;

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) अहमदाबाद के सिविल हवाई अड्डे का धावनपथ वर्तमान विमान परिचालनों के लिये सुरक्षित या सन्तोषजनक समझा जाता है ;

(ख) और (ग) : वर्तमान विमान परिचालनों के लिये मुख्य धावनपथ को और मजबूत करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि इस की धावन-उपयोगिता (राईडिंग क्वालिटीज़) में सुधार करने की आवश्यकता पर नागर विमानन विभाग में विचार किया जा रहा है।

श्री पी०जी० मावलंकर : अध्यक्ष महोदय उत्तर असन्तोषजनक और सच्चाई से दूर है। मैं जानना चाहता हूं कि उस धावन पथ को कौन सुरक्षित और सन्तोषजनक समझता है—मन्त्री महोदय या विभाग—क्योंकि मेरी जानकारी है कि विमान चलाने वाले कुछ चालकों ने शिकायत की है कि कभी-कभी उन्हें विमान उतारना विशेष रूप से खतरनाक और कठिन लगा। क्या विमान चालकों ने ऐसी शिकायत की है कि अहमदाबाद में धावनपथ असन्तोषजनक है इनपर विमान को झटके लगते हैं—विशेष रूप से उतरते समय—सड़क खराब है और इसलिए इसे सुदृढ़ करने और पुनः ठीक ठाक करने की ओर तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिये।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : भाग (ख) और (ग) के उत्तर के अन्तिम भाग में मैंने कहा है कि इसकी धावन उपयोगिता में सुधार करने की आवश्यकता पर विचार किया जा रहा है। यह सच है कि सडक पर झटके लगते हैं। पहले एक अवसर पर मैंने माननीय सदस्य को समझाने का प्रयास किया था कि नागर विमानन विभाग को इस समस्या की जानकारी है और वे इस ओर ध्यान दे रहे हैं और मैं समझता

हूं कि यह दोष शीघ्र दूर कर दिया जायेगा। लेकिन यह सच है कि धावनपथ विमानों के लिये बिलकुल ठीक है।

श्री पी०जी० मावलंकर : मेरे पहले अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने वही बताया जो उन्होंने मुझे एक समिति की बैठक में बताया था ; परन्तु आज—एक सप्ताह बाद—उत्तर है कि मामला विचाराधीन है। यदि कुछ कोई चीज करने का निर्णय किया गया था तो उसे क्रियान्वित करना चाहिए न कि उसपर पुनः विचार करें। यह विचार करना कब रुकेगा और क्रियान्विति आरम्भ होगी विशेष रूप से धावन उपयोगिता में सुधार करने के बारे में। चूंकि भाग (ख) और (ग) दोनों के उत्तर में उन्होंने "वर्तमान विमान चालन" शब्दों का प्रयोग किया है तो क्या वे बड़े विमानोंके लिये किसी अन्य हवाई अड्डे का विचार है। अहमदाबाद को भी एक पूर्णस्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डा बनाया जाना है विशेषरूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मानसून तथा अन्य कठिनाइयों के कारण अनेक विमान बम्बई में नहीं उतर सकते और उन्हें अहमदाबाद भेजना पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अहमदाबाद से गुजरात से अफ्रीका, लन्दन आदि के लिये काफी अन्तर्राष्ट्रीय यातायात होता है और इसे पूर्ण स्तर का अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाना है। सरकार इस स्थिति में धावन पथ को सुदृढ़ और लम्बा क्यों नहीं कर रही है?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : अदमदाबाद में विद्यमान सुविधाएं वहां पर इस समय आने-जाने वाले सभी प्रकार के विमानों के लिये पर्याप्त हैं। केवल 707 विमानों के लिये यह बम्बई का वैकल्पिक दवाई अड्डा है न कि 747 विमानों के लिये। इण्डियन एयर लाइन्स के रास्ते में इस समय जो भी विमान हैं उनके लिये वर्तमान धावनपथ और हवाई अड्डा सुविधायें पर्याप्त हैं। जहां तक धावन पथ की सड़क का सम्बन्ध है मैं कह चुका हूं कि नागर बिमानन महानिदेशक इसकी जांच कर रहे हैं प्राक्कलन तैयार किये जा रह हैं और यह दोष यथासम्भव शीघ्र दूर कर दिया जायेगा।

श्री सोमचंद सोलंकी : भूतपूर्व मन्त्री डा० कर्ण सिंह ने अहमदाबाद हवाई अड्डे की सम्पूर्ण इमारत का पुनर्निर्माण करने और मॉडल बदलने का वचन दिया था। यह एक गोदाम के समान है न कि हवाई अड्डे की इमारत की तरह वर्तमान मन्त्री महोदय ने भी कहा है कि इसका मॉडल बदला जायेगा इसका पुनर्निर्माण किया जायेगा। वर्तमान मन्त्री महोदय परामर्शदात्री समिति में केवल बात करते हैं और वचन देते हैं परन्तु वे कोई कोर्यवाही नहीं कर रहे हैं। इमारत की अनुमानित लागत कितनी है उसमें से कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है और क्या पूरी इमारत का मॉडल बदला जायेगा या विस्तारित भाग पर्याप्त है।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : हम उन्हें बता चुके हैं कि 35 लाख रुपए की अनुमानित लागत से एक नये स्थान पर पांचवीं योजना अवधि के दौरान एक नया टर्मिनल बनाने का विचार है जिसमें सम्बद्ध एपरन और टैक्सी मार्ग होगा और संसाधन की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए हम यथासम्भव शीघ्र इस कार्य को आरम्भ करेंगे। चूंकि इसमें कुछ समय लगेगा इसलिए हमने उपलब्ध क्षेत्रों के विस्तार सहित वर्तमान हवाई अड्डे के सुधार पर 6.5 लाख रुपए खर्च किये हैं। आगमन, प्रस्थान असबाब सुपुर्दगी प्रस्थान होल्डिंग आरक्षित कक्ष जलपान गृह आदि विभिन्न प्रयोजनों के लिये क्षेत्र 4031 वर्कफुट से बढ़ाकर 13,655 वर्गफुट कर दिया गया है। अन्तरिम अवधि के लिये हमने सभी सम्भव कर्य किया है।

निर्यात गृहों को संपूर्ति निर्यात परमिट लाइसेंसों का हस्तान्तरण

+

†966 श्री भारत सिंह चौहान
श्री लालजी भाई

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 26 मार्च से 31 मार्च 1974 के बीच सुपात्र निर्यात-गृहों को कितने संपूर्ति निर्यात परमिट लाइसेंसों का हस्तान्तरण किया गया ;

(ख) उन पार्टियों के नाम तथा पते क्या हैं जिनसे तथा जिनको उक्त सम्पूर्ती निर्यात परमिट लायसेंसों का हस्तान्तरण किया गया ; और

(ग) ऐसे प्रत्येक लाइसेंस का मूल्य क्या था

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) : जो जानकारी मांगीगई है वह तत्काल उपलब्ध नहीं है। साथ ही इस जानकारी को एकत्र करने में जो समय तथा श्रम अन्तर्ग्रस्त है वह उन परिणामों के अनुरूप नहीं होगा जिन्हें प्राप्त करने का उद्देश्य है।

Shri Bharat Singh Chowhan: Sir, my question was very simple and the notice of which was also given in time and according to rules. In case the hon. Minister does not give any information about it, it will certainly give rise to some doubt that there is something black at the botton. He should at least tell the names of those export houses which have been issued licences. If he finds difficulty in telling the names of such houses and requires notice and time to collect information for the purpose, then, of course, it is a matter of under surprise. The Government wants to conceal something. I want to know the names of such house and he should not hesitate to give this information as we are quite doubtful about it.

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जहां तक निर्यात गृहों के नामों का सम्बन्ध है उनके नाम देने में कोई कठिनाई नहीं है। लगभग 164 निर्यात गृह हैं जिन्हें 1974–75 में पात्रता–प्रमाण पत्र दिये गये हैं। यह जानकारी माननीय सदस्य के पास भेजी जा सकती थी। लेकिन प्रश्न यह पूछा गया है कि सुपात्र निर्यात गृहों को कितने संपूर्ति निर्यात लाइसेंस परमिट लाइसेंसों का हस्पांतरण किया गया। विभिन्न लाइसेंसिंग प्राधिकारी इन लाइसेंसों का हस्तांतरण करते हैं और उनकी संख्या काफी बड़ी है। जिस विशिष्ट अवधि के बारे में यह पूछा गया है वर्ष के अन्त में यह संख्या विशेषतौर से बहुत ज्यादा हो जाती है क्योंकि हर व्यक्ति उन लाइसेंसों को प्राप्त करने की कोशिश करता है प्राधिकारियों की ओर से उन लाइसेंसों का जिनकी तारीख खत्म हो रही है अन्तरण करने का अभियान भी चालू हो जाता है। सभी फाइलें देखनी पड़ेंगी। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य महसूस करेंगे कि ऐसा करने पर सामान्य काम को रोकना पड़ेगा।

Shri Hukam Chand Kachwai: Sir, the information asked for relates to a period of five days only i.e. 26th March to 31st March, 1974.

Shri Bharat Singh Chowhan: May I know the names of these countries which these licences cover in relation to export?

Mr. Speaker: When he says he does not possess information about transfer of these licences, how can he tell you the names of these countries which they cover?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यदि हम ऐसा सोचें तो उनका सम्बन्ध हर देश से है। यह जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है। जानकारी एकत्रित करने में जो कठिनाई है वह मैं आपको बता चुका हूं और मुझे आशा है माननीय सदस्य उसे महसूस करेंगे।

Shri Hukam Chand Kachwai: Sir, I fail to understand the inability of the Government which prevents them from giving this information, althongh it is a question of five days only. May I know whether it is not a fact that this information is not being given because some officers and Ministers are found involved in it. So the whole thing is being cancelled.

Mr. Speaker: He twist's everything in this direction and his observation is also confined to that only.

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : पहले तो मैं इस बात का खण्डन करना चाहता हूं सरकार कोई जानकारी इसलिए छिपा रही है कि उसमें कुछ गड़बड़ है। इस सम्बन्ध में वस्तुत: कठिनाई है। यह सवाल पांच दिन का नहीं है। क्योंकि भिन्न लाइसेंसिंग प्राधिकारियों की फाइलों को जो एक जगह नहीं हैं देखने में तथा उन्हें छांटने में काफी श्रम और समय लगता है।

Shri Hukam Chand Kachwai: Sir, I want your protection. We should at least be given an assurance that the requisite information would be made available by a certain period.

Mr. Speaker: The Minister will supply it when he is in a position to do so.

छिपे खजानों का पता लगाने के लिए धातु-सूचक यंत्र

†969. **श्री एम० एस० पुरती :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: —

(क) क्या आयकर अधिकारियों ने छिपे खजानों का पता लगाने को सरल बनाने हेतु अत्यन्त संवेदनशील धातु–सूचक यंत्रों का आयात करने का निर्णय किया है; और

(ख) : यदि हां, तो क्या ऐसे उपकरण देश में उपलब्ध नहीं हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) : जी नहीं।

(ख) : यह प्रश्न नहीं उठता है।

Shri M. S. Purty: May I know whether the Income Tax authorities have detected any hidden treasures during the last two years and if so, the devices they used to detect them?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : यह सच नहीं है कि हमारे देश में ऐसे संस्करित यंत्र नहीं हैं। वास्तव में हमारे पास राष्ट्रीय भूभौतिकीय संस्था में ये यंत्र हैं और जब कभी छिपे खजानों का पता लगाने की जरूरत पड़ती है हम उनसे इन्हें ले लेते हैं ।

Shri M. S. Purty: Sir, my question has not been answered clearly. I had asked the names of places where hidden treasures were found during the last two years.

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : प्रश्न धातु-सूचकों के आयात करने से सम्बन्धित है । लेकिन यदि माननीय सदस्य आय कर छापों के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो मैंने ऐसी जानकारी कई बार सदन को दी है और अब भी दे सकता हूं ।

Shri Bhagirath Bhanwar: The hon. Minister has stated that we have not such equipments. I want to know whether efforts will be made by the Government to find out hidden treasures which are at various places in the country and about which people are not prepared to give information, and if so, how?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मैं पहले ही जवाब दे चुका हूं कि आय कर विभाग के पास धातु-सूचक नहीं है किन्तु अन्य संस्थानों के पास वह उपलब्ध है जहां से हम उसे ले लेते हैं । वास्तव में एक जगह हमने उनसे वह उपस्कर (यंत्र) लिया और उसका उपयोग किया ।

श्री वयालार रवि : हाल ही में जयपुर के राजगृहों में कुछ छापे मारे गये थे और ऐसा बताया जाता है कि इन उपस्करों की सहायता से 50 करोड़ रुपये मूल्य के जवाहरात और सोना तथा अन्य चीजें बरामद की गई थीं । क्या सरकार इन संस्करित उपस्करों का और अधिक उपयोग करेगी और इस बात का पता लगायेगी कि ग्वालियर और जयपुर के कितने महाराजाओं तथा महारानियों के पास बिना लेखे जोखे के छिपे खजाने हैं ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : जब कभी हमें किसी महाराजा या महारानी या तत्हेतु किसी अन्य व्यक्ति के किसी छिपे खजाने के बारे में जानकारी मिलती है, तो हमें उस खजाने का पता लगाना होता है।..... **(अन्तर्बाधाएं)**

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं एक जानकारी चाहता हूं । हमारे पास उपलब्ध स्रोतों के अनुसार, इन छापों में प्राप्त कुल सोने तथा जवाहरातों का मूल्य 32 करोड़ रुपये है । इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी की जानकारी क्या है और जयपुर राजघराने से कितना सोना तथा जवाहरात बरामद हुए हैं ।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : इस प्रश्न का उत्तर हम इस सभा में कई बार दे चुके हैं । जयपुर राजगृह से हमें अब तक कुल 187 किलोग्राम सोना प्राप्त हुआ है और कुछ जवाहरात मिले हैं जिनका मूल्यांकन किया जा रहा है । अब तक हम जो मूल्यांकन कर सके हैं उस के अनुसार उसका मूल्य 1.84 करोड़ रुपये है । हाल के छापों में हमें दो चीजें मिली हैं एक हार और एक मरकत मणि जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपये है ।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न काल समाप्त हो गया है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

1 प्रतिशत उत्पादन शुल्क के बारे में लघु उद्योग संघ, बटाला के चेयरमैन से प्राप्त ज्ञापन

*958. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या वित्त मंत्री मह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग संघ, बटाला (पंजाब) के चेयरमैन, से उन वस्तुओं पर जो अन्यत्र उल्लिखित नहीं हैं, 1 प्रतिशत उत्पादन शुल्क लगाने के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस ज्ञापन पर क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) लघुक्षेत्र के उद्योगपतियों को राहत प्रदान करने के लिए कब तक निर्णय किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की मद 68 के अधीन उत्पादन शुल्क लगाने के बारे में अध्यक्ष, लघु उद्योग संघ बटाला से इस मंत्रालय में ऐसा कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता। लेकिन, टैरिफ की मद 68 के अधीन शुल्क लगाने के बारे में उक्त संघ से एक तार प्राप्त हुआ है तथा पंजाब को 27 संघों द्वारा जिनमें से लघु उद्योग संघ, बटाला भी एक है, भेजा गया एक संयुक्त ज्ञापन भी प्राप्त हुआ है। लेकिन उपर्युक्त दो अभ्यावेदनों में से कोई भी अभ्यावेदन उक्त संघ के अध्यक्ष द्वारा नहीं भेजा गया है ।

(ख) और (ग). सरकार ने संघ की प्रार्थनाओं पर सावधानीपूर्वक विचार किया है किन्तु वह समझती है कि इस छूट को जिसके बारे में संसद् में पहले ही घोषणा की जा चुकी, और अधिक उदार बनाने का पर्याप्त औचित्य नहीं है।

उड़ीसा में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं

*959. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उड़ीसा में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखायें काम कर रही हैं ;

(ख) इन बैंकों ने उड़ीसा में वित्तीय वर्ष 1972–73, 1973–74 तथा 1974–75 में कुल कितना-कितना पूंजी निवेश किया है ; और

(ग) उक्त अवधि में कृषि तथा उद्योगों को, पृथक पृथक ऋणों के रूप में उनके द्वारा कुल कितनी-कितनी धन-राशि दी गई ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क)से(ग). दिसम्बर, 1974 के अन्त तक, उड़ीसा में वाणिज्यिक बैंकों की 291 शाखायें थी। इन में से 275 शाखायें चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों की थी।

दिसम्बर, 1972 और दिसम्बर, 1973 के अन्त तक उडीसा में बैंक ऋणों के दिये जाने के विषय में उपलब्ध जानकारी अनुबन्ध में दी जा रही है ।

बैंक ऋण के साथ साथ, बैंक, राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में और राज्यों से सम्बद्ध निकायों के बाण्डों और ऋण-पत्रों (डिबेंचरों) में भी राशियों का निवेश करते हैं। उड़ीसा में सभी वाणिज्यिक बैंकों का ऐसी प्रतिभूतियों में विनिवेश, मार्च, 1973, के अन्त तक 38·29 करोड़ रुपये और मार्च 1974 के अन्त तक 46.89 करोड़ रुपये था । इस में से सरकारी क्षेत्र के बैंकों की राशि क्रमशः 34.40 करोड़ रुपये और 43.08 करोड़ रुपये थी ।

अनुबन्ध

उड़ीसा में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋणों की बकाया राशि

(करोड़ रुपयों में)

	दिसम्बर 1972	दिसम्बर 1973	जिनमें से सरकारी क्षेत्र के बैंक
(क) स्वीकृति के जिल के अनुसार			
(1) राष्ट्रीयकृत बैंक	17.85	23.50	
(2) भारतीय स्टेट बैंक	7.54	13.79	
(3) सरकारी क्षेत्र के बैंक	25.39	37.29	
(4) सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	29.06	40.50	
(ख) उपयोग के जिले के अनुसार			
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	43.53	55.93	
(जिनमें से सरकारी क्षेत्र के बैंक)	(उ०न०)	(51.55)	
(ग) उपयुक्त (ख) के क्षेत्रवार ब्यौरा			
(1) कृषि	1.65	3.36	(2.98)
(2) उद्योग	32.85	41.42	(37.83)
(3) व्यापार	4.50	6.62	(6.43)
(4) व्यक्तिगत ऋण	1.26	1.67	(1.65)
(5) अन्य सभी	3.27	2.86	(2.66)

* उड़ीसा में कुल बैंक ऋणों के सम्बन्ध में आंकड़े, स्वीकृति के जिले के अनुसार अर्थात् उड़ीसा में अवस्थित अलग अलग विभिन्न बैंक समूहों की शाखाओं द्वारा स्वीकृत किये गये ऋणों के बारे में उपलब्ध

हैं। दिसम्बर 1972 तक उड़ीसा में बैंक-ऋणों का क्षेत्रवार ब्यौरा केवल समगतः सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के विषय में और उपयोग के जिले के अनुसार अर्थात् मंजूर करने वाली शाखा के उस जिले में अवस्थित न होते हुए भी, उड़ीसा में वास्तविक रूप से उपयोग किये गये ऋणों के विषय में, उपलब्ध है। आंकड़ों के बीच का अन्तर, उड़ीसा से बाहर स्वीकृत किये गये, परन्तु उसी राज्य में उपयोग किये गये ऋणों का द्योतक है।

दिसम्बर 1974 के अन्त तक, उड़ीसा में वाणिज्यिक बैंकों की 291 शाखाय थीं। इनमें से 275 शाखायें चौदहों राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की थीं।

दिसम्बर 1972 और दिसम्बर 1973 के अन्त तक उड़ीसा में बैंक–ऋणों की गति के विषय में उपलब्ध सूचना अनुबन्ध में दी जा रही है।

बैंक-ऋण के साथ-साथ, बैंक, राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में और राज्यों से सम्बन्ध निकायों के बाण्डो और ऋण-पत्रों (डिबेन्चरों) में भी राशियों का निवेश करते हैं। उड़ीसा में सभी वाणिज्यिक बैंकों का ऐसी प्रतिभूतियों में निवेश, मार्च 1973 के अन्त तक 38.29 करोड़ रुपये और मार्च 1974 के अन्त तक 46.89 करोड़ रुपये था। इसमें से सरकारी क्षेत्र के बैंकों की राशि क्रमशः 34.40 करोड़ रुपये और 43.08 करोड़ रुपये थी।

Charges against senior officers of the Office of Accountant General, Allahabad

*960. **Shri Janeshwar Misra:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether the name of Shri Jerath, Accountant General, Allahabad is also among the senior officers of the Office of the Accountant General, Allahabad against whom charges of corruption were to be enquired into;

(b) if so, the broad outlines of the report of the enquiry conducted; and

(c) the action taken by Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee): (a) No Sir.

(b) and (c). Do not arise.

कलकत्ता में सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा तलाशी लेने पर राजनयिक डाक थैलों में पाई गई विदेशी घड़ियां

*964. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में सीमाशुल्क अधिकारियों ने पश्चिम जर्मनी और इटली से आये राजनयिक डाक थैलों की तलासी ली थी।

(ख) क्या इन डाक थैलों पर "औषधि" लिखा हुआ था जबकि उनमें 300 से अधिक विदेशी घड़ियां थीं ; और

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि "राजनयिक उन्मुक्ति प्राप्त व्यक्तियों" द्वारा किये जाने वाले आर्थिक अपराधों में वृद्धि हो रही है ; और यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख). जी, नहीं । कलकत्ता में सीमाशुल्क अधिकारियों ने हाल ही में प्रश्न में उल्लिखित देशों से आने वाला कोई राजनयिक डाक-थैला नहीं रोका । तथापि, राजनयिक कर्मचारियों के लिये भेजे गये निषिद्ध वस्तुओं के कुछ पैकेजों को कभी-कभी रोका गया है ।

(ग) इस धारणा को उचित ठहराने के लिये सरकार के पास कोई विशिष्ट सूचना नहीं है ।

कपड़ा उद्योग में उत्पादन सम्बन्धी अध्ययन दल का प्रतिवेदन

*965. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री कपड़ा उद्योग में उत्पादन सम्बन्धी अध्ययन दल के निष्कर्षों के बारे में 11 अप्रैल, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5973 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अध्ययन दल का प्रतिवेदन इस बीच प्राप्त हो चुका है ; यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और यदि नहीं, तो इस में विलम्ब होने के क्या कारण हैं तथा उक्त प्रतिवेदन को पेश करने के लिये कितनी अवधि निर्धारित की गई है ;

(ख) राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा संचालित तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के मिलों में जुलाई, 1974 के बाद कपड़े का उत्पादन क्रमशः कुल कितना कम उत्पादन तथा आनुपातिक कितना कम उत्पादन हुआ है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या उन कपड़ा मिलों का जिन्होंने जुलाई, 1974 से उत्पादन घटा दिया है, राष्ट्रीयकृत करने अथवा कम से कम उनका प्रबन्ध ग्रहण करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) अध्ययन दल ने अपनी पहली रिपोर्ट को संशोधित करने तथा अद्यतन बनाने का निर्णय किया है ताकि अप्रैल, 1975 के अन्त तक की स्थिति दर्शायी जा सके । अध्ययन दल का कार्य करीब-करीब समाप्त होने वाला है तथा रिपोर्ट के शीघ्र ही दिये जाने की सम्भावना है ।

(ख) जुलाई, 1974 से राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों में या प्राइवेट मिलों में सूती कपड़े के उत्पादन में कोई कमी नहीं आई है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

आयकर अपवंचन और तस्करी से निबटने केलिए आसूचना सैल

*967. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय कर अपवंचन और तस्करी से निबटने के लिए एक सम्पूर्ण आसूचना सेल स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख). सीमाशुल्क पक्ष में तो सीमाशुल्क कार्यालयों में चोरी छिपे माल के आयात निर्यात के बारे में गुप्त सूचना इकट्ठी करने और उस पर अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिये आसूचना एकक पहले ही मौजूद हैं। राजस्व गुप्त सूचना निदेशालय भी गुप्त-सूचना के समन्वय, विश्लेषण और परिचालन में सीमाशुल्क-प्राधिकारियों की सहायता करता है।

आय-कर पक्ष में, गुप्त सूचना एकक मूलत: बम्बई, दिल्ली, मद्रास और कलकत्ता में करवंचन के बड़े महत्वपूर्ण मामलों से निबटने के लिए स्थापित किये गये थे, परन्तु अब ऐसे एकक अन्य आयकर आयुक्तों के मुख्य कार्यालयों में स्थापित कर दिये गये हैं। अभी पिछले दिनों, विदेशी-मुद्रा परिरक्षण एवं तस्कर आयात निर्यात निवारण अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द तस्करों और उनके सहयोगियों आदि के मामलों से निपटने के लिए अहमदाबाद, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता तथा दिल्ली में विशेष एकक भी स्थापित किये गये हैं। इन एककों के कार्य का समन्वय, निरीक्षण (जांच) आय-कर निदेशालय में एक अनुभाग द्वारा किया जा रहा है।

मुद्रा-स्फीति रोकने सम्बन्धी उपायों का मूल्यों पर प्रभाव

*968. **श्री डी० डी० देसाई** :

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुद्रा-स्फ़ीति की वार्षिक दर में निरन्तर गिरावट आई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या जनवरी, 1975 से थोक मूल्यों के सूचकांक में गिरावट आ रही है ;

(ग) क्या सरकार मुद्रा-स्फ़ीति रोकने सम्बन्धी किन्हीं अन्य उपायों पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). थोक मूल्यों के सूचकांक में धीरे धीरे हुई कमी के परिणामस्वरूप, कीमतों के बढ़ने की सलाना दर 21 सितम्बर 1974 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान 31.9 प्रतिशत से कम होकर, 5 अप्रैल, 1975 को समाप्त हुए सप्ताह में 7 प्रतिशत रह गयी है। यद्यपि उसके अगले दो सप्ताहों में थोक मूल्यों के सूचकांक में मामूली सी वृद्धि हुई है, किन्तु मूल्यवृद्धि की वार्षिक दर और कम होकर 5.9 प्रतिशत हो गयी है।

(ग) और (घ). हालांकि अब तक किये गये उपायों के परिणामस्वरूप कीमतों को बढ़ाने वाली शक्तियां काफ़ी कमजोर हुई हैं लेकिन फ़िर भी सरकार स्थिति पर बराबर नज़र रखे हुए है और जब कभी जरूरी समझा जायगा, आगे कार्रवाई की जायगी। किन्तु इस समस्या का एकमेव स्थायी समाधान उत्पादन बढ़ाना है। 1975–76 के आयोजना परिव्यय में सरकारी क्षेत्र में तदनुरूप 23 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गयी है और अनाज तथा ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए अधिक रकमें निर्धारित की गयी हैं।

भारतीय राष्ट्रिकों की बंगलादेश के सीमावर्ती जिलों में गिरफ्तारी

*970. **श्री झारखंडे राय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भारतीय राष्ट्रिकों को बड़ी संख्या में 100 टका के विमुद्रीकृत नोट रखने के आरोप में बंगला देश के सीमावर्ती जिलों में गिरफ्तार किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख). इस संबंध में सरकार को कोई औपचारिक सूचना नहीं मिली है।

विदेशी कम्पनियों की साम्य पूंजी का अनुपात कम किया जाना

*971. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कितनी विदेशी कम्पनियां विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1973 के उपबन्धों के अनुसार अपनी साम्य पूंजी को 40 प्रतिशत तक ले आई हैं ;

(ख) जिन फर्मों ने अभी इस उपबन्ध का पालन नहीं किया है उन पर इस कानून को लागू करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ; और

(ग) क्या सरकार विदेशी कम्पनियों द्वारा अपनी साम्य पूंजी को घटाकर 40 प्रतिशत किये जाने के लिए कोई अन्तिम तारीख निश्चित करेगी ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग). विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29 में दिये गये निर्देशों के अनुसार, जिसकी एक प्रति लोक सभा पटल पर रखी जा चुकी है, भारत में कार्य कर रही विदेशी कम्पनियों की सभी शाखाओं को 40 प्रतिशत तक के गैर आवासी शेयरों वाली भारतीय कम्पनियों में बदलना होगा और भारत में निगमित कम्पनियों को, जिनके गैर आवासी शेयर 40 प्रतिशत से ऊपर हैं अपने गैर आवासी शेयरों को कम करके 40 प्रतिशत तक करना होगा। इनमें निम्नलिखित कम्पनियों के मामले शामिल नहीं हैं जिनमें भारतीय साझेदारी, कम्पनी के इक्विटी शेयर के 26 प्रतिशत से कम नहीं होगी :—

1. वे कम्पनियां जो 1973 की औद्योगिक लाइसेंस नीति के परिशिष्ट I के अन्तर्गत निर्माण कार्य करती हैं अथवा जिनके लिये उन्नत प्रौद्योगिकी आवश्यक है ; अथवा

2. वे कम्पनियां जो मुख्य रूप से निर्यात प्रधान हैं; अथवा

3. जिनके चाय बागान हैं ; अथवा

4. वे हवाई और जहाजी कम्पनियां जिनके आवेदनों पर पारस्परिकता के आधार पर निर्णय किया जाना है ।

इन कम्पनियों के नामों के बारे में, जिन्हें रिजर्व बैंक ने इन निर्देशों के अनुसरण में उनके गैर आवासी शेयरों को कम करके 40 प्रतिशत तक कर देने को कहा है, सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रखा जायगा ।

विदेशी कम्पनियों को जिस अवधि में गैर-आवासियों के शेयरों को कम करना होगा, वह आम-तौर पर, प्रत्येक मामले में उनके गुणावगुणों के आधार पर, एक वर्ष से दो वर्ष तक की होती है ।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत ऐसी कम्पनियों के विरुद्ध, जो बैंक द्वारा गैर आवासियों के शेयरों को कम करने के सम्बन्ध में लगायी गयी शर्तों का पालन नहीं करतीं, उचित कार्यवाही करने के लिए रिजर्व बैंक को पर्याप्त अधिकार प्राप्त हैं ।

आयकर अपवंचकों पर छापे

*972. **श्री एस० एम० बनर्जी : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर अपवंचकों पर मारे गए छापों सम्बन्धी नवीनतम तथ्य क्या हैं ;

(ख) इन छापों से सम्बन्धित राज्यवार आंकड़े क्या हैं तथा उन छापों के क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) कर अपवंचकों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु अब तक क्या कदम उठाये गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) वर्ष 1974–75 में आय-कर विभाग ने कर-अपवंचकों के विरुद्ध तलाशी और अभिग्रहण की कार्यवाही को तीव्रतर गति से चलाया । उक्त वित्तीय वर्ष में 2024 तलाशियां ली गयीं जिनमें 17 करोड़ रु० से अधिक मूल्य की परिसम्पत्तियां पकड़ी गयीं जबकि वित्तीय वर्ष 1973–74 में 538 तलाशियां ली गयी थीं जिनमें 4 करोड़ रु० से कुछ अधिक मूल्य की परिसम्पत्तियां पकड़ी गयी थीं । तलाशियों से सम्बन्धित आंकड़े राज्य-वार नहीं रखे जाते । वर्ष 1974–75 में ली गयी तलाशियों के सम्बन्ध में सूचना, जो आय-कर आयुक्तों के अधिकार-क्षेत्र के अनुसार है, सदन पटल पर रखे गये विवरण पत्र सं० I में दी गयी है ।

(ग) कर-अपवंचन का मुकाबला करने के लिए पिछले दिनों जो उपाय किये गये हैं, उनका विवरण सदन-पटल पर रखे गये विवरण सं० II में दिया गया है ।

विवरण–1

वर्ष 1974-75 में ली गयी तलाशियों की संख्या और पकड़ी गयी परिसम्पत्तियों का विवरण :

क्रम सं०	आय-कर आयुक्त का अधिकार क्षेत्र	वर्ष 1974-75 में ली गयी तलाशियों की संख्या	पकड़ी गयी परिसम्पत्तियों का मूल्य
		अप्रैल 1974 से मार्च 1975 तक	रुपये
1.	आन्ध्र प्रदेश	52	26,75,755
2.	असम	31	9,59,065
3.	बिहार	19	25,40,112
4.	बम्बई (सेंट्रल को मिलाकर)	258	3,72,55,953
5.	दिल्ली (सेंट्रल को मिलाकर)	60	1,71,64,669
6.	गुजरात	217	1,61,03,729
7.	जयपुर	34	71,91,961
8.	केरल	101	40,82,484
9.	कानपुर	241	98,42,117
10.	लखनऊ	81	1,34,14,953
11.	मध्य प्रदेश	87	7,86,413
12.	मद्रास (सेन्ट्रल को मिलाकर)	74	59,30,337
13.	मैसूर	55	57,25,423
14.	नागपुर	39	16,90,496
15.	उड़ीसा	13	11,16,196
16.	पूना	107	52,70,808
17.	पटियाला	326	1,04,16,783
18.	अमृतसर	89	1,05,45,668
19.	पश्चिम बंगाल	140	1,81,14,000
		2024	17,08,26,982

विवरण–2

कर-अपवंचन का मुकाबला करने के लिए हाल में किये गये उपाय

विधायी:

(i) जिन अचल सम्पत्तियों का अन्तरण के समय न्यून-मूल्यांकन किया गया है, उनके अभिग्रहण की व्यवस्था कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1972 के द्वारा की गयी है क्योंकि इस प्रकार के न्यून-मूल्यांकन से काले धन के अर्जन और चलन को सुविधा मिलती है। मार्च 1973 से जनवरी 1975 तक की अवधि में सम्पत्तियों के अभिग्रहण के लिए 7502 मामलों में नोटिस जारी किये गये थे। 110 मामलों के सम्बन्ध में अभिग्रहण आदेश जारी किये गये थे। इन सम्पत्तियों के सम्बन्ध में दर्शाया गया कुल प्रत्यक्ष प्रतिफल 114 लाख रु० और इनका अनुमानित कुल उचित बाज़ार मूल्य 228 लाख रु० है।

(ii) कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1972 के द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि किसी भी 'बेनामी' सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी अधिकार को लागू करने के लिए कोई भी मुकदमा किसी भी न्यायालय में उस समय तक नहीं चलाया जायगा जब तक कि उस सम्पत्ति के बारे में आयकर विभाग को बताया नहीं गया हो। उसी अधिनियम में न्यून-मूल्यांकन द्वारा कर-अपवंचन को रोकने के लिए, विभाग के मूल्यांकन-तंत्र को सुदृढ़ बनाने के उपाय भी किये गये हैं।

(iii) वित्त अधिनियम, 1973 में, कर प्रयोजनों के लिए कृषि-आय को गैर कृषि-आय के साथ अंशतः शामिल करने की व्यवस्था की गयी है जिसका नहीं होने से कर-अपवंचन का लाभदायक स्रोत बना रहा है। इस अधिनियम के द्वारा एक अन्य व्यवस्था की गयी थी जिससे बीमा कमीशन से कर की कटौती से सम्बन्धित उपबन्ध को अधिक व्यापक बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, सहकारी समितियों को कर-दाताओं की उस श्रेणी में शामिल किया गया है जिनको निर्माण कार्यों और मजदूरों के ठेकों के सम्बन्ध में ठेकेदारों को किये गये भुगतानों से स्रोत पर कर की कटौती करनी होती है।

(iv) वित्त अधिनियम, 1974 के द्वारा आय-कर की दरों में कमी करने से तथा आय-कर के लिए छूट की सीमा 5,000 रु० से बढ़ा कर 6,000 रु० करने से कर-अपवंचन में कमी होने की संभावना है।

(v) 18,000 रु० तक की आय वाले वेतन-भोगी कर-दाताओं द्वारा आय की विवरणियां दाखिल करना वैकल्पिक बनाया गया है। सरसरी तौर पर कर-निर्धारण योजना चालू की गयी है जिसके अन्तर्गत आय की विवरणियां, कर-निर्धारितियों को आय-कर कार्यालय में बुलाये बिना, उनके विश्वास पर स्वीकार की जाती हैं। इससे उपलब्ध जन-शक्ति का उपयोग अपेक्षाकृत बड़े मामलों में बेहतर जांच के लिए करने में सहायता मिलेगी।

प्रशासकीय

(i) प्रत्येक आय-कर आयुक्त के कार्यालय के साथ एक आसूचना एकक सम्बद्ध है। इनका कार्य निरीक्षण उपनिदेशक (आसूचना) तथा सहायक निरीक्षण निदेशक (आसूचना) द्वारा किया जाता है। आसूचना पक्ष का कार्य है : कर-अपवंचन के सम्बन्ध में गुप्त सूचना एकत्र करना, आय-कर

अधिनियम की धारा 132 के अधीन तलाशियां लेने के लिए मामलों की छानबीन करना और इस्तगासे के मामलों को तैयार करना । तलाशी के लिए प्राधिकरण जारी करने को सुविधाजनक बनाने के लिए बम्बई/कलकत्ता/दिल्ली/मद्रास और अहमदाबाद के वरिष्ठतम आयुक्तों को निरीक्षण निदेशक पदनामित किया गया है ।

(ii) बड़े औद्योगिक घरानों में से कुछ के मामलों की जांच करने के लिए निरीक्षण निदेशालय (जांच) में एक विशेष कक्ष स्थापित किया गया है । इस कक्ष द्वारा की गयी जांच के परिणामतः बिड़ला और बाजोरिया-जालान समूह के मामलों में आय-कर, धन-कर और दान-कर के बहुत से कर-निर्धारणों को फिर से चालू किया गया है । इस्तगासे की कार्यवाही भी की गयी है ।

(iii) कर-अपवंचन के स्पष्ट मामलों में आय का छिपाने के लिए बड़ी संख्या में इस्तगासे की कार्यवाही की गयी है । कैलेण्डर वर्ष 1973 और 1974 के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

कैलेण्डर वर्ष	इस्तगासे की कार्यवाही किये गये मामलों की संख्या
1973	38
1974	120

(iv) विस्तृत सर्वेक्षण का आदेश दिया गया है, विशेषतः नगर क्षेत्रों में नवनिर्मित सम्पत्तियों पेशेवर व्यक्तियों, ठेकेदारों और वेतन भोगी कर्मचारियों के सम्बन्ध में वर्ष 1972-73 और 1973-74 के दौरान प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार नये मामले निम्नानुसार हैं ।

	1972–73	1973–74
आय-कर	89,424	64,126
धन-कर	4,276	9,219

(v) आय-कर अधिनियम की धारा 133 ए के अधीन अचानक सर्वेक्षण के अधिकारों का उपयोग भी अधिक बार किया जा रहा है ।

(vi) आय को छिपाने पर दण्ड :

कर-निर्धारणों के दौरान आयकर विभाग ने आय को छिपाने के लिए बड़ी संख्या में दण्ड भी लगाये हैं। जिन अन्तिम वर्षों के आंकड़े उपलब्ध हैं उन वर्षों में जिन मामलों में दण्ड लगाये गये, उनकी संख्या और लगाये गये दण्ड की रकम इस प्रकार है :—

वर्ष	संख्या	लगाया गया दण्ड (लाख रु० में)
1971-72	18051	957
1972-73	12544	1219
1973-74	12407	1622

(vii) नये पुरस्कार नियमों को, जो कुछ मामलों में पिछले नियमों से अधिक उदार हैं, हाल में घोषित किया गया है और इसके परिणामस्वरूप यह आशा की जाती है कि कर-अपवंचन के सम्बन्ध में सूचना तेजी से एकत्र की जा सकेगी।

(viii) हाल के वर्षों में, आयकर विभाग द्वारा ली गई तलाशियों और माल पकड़ने की गति को बनाए रखा गया है जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ों से दिखाई पड़ेगा :—

वर्ष	तलाशियों की संख्या	पकड़ी गई परिसम्पत्तियों का मूल्य (लाख रु० में)
1970-71	195	140
1971-72	516	243
1972-73	532	454
1973-74	538	440
1974-75	2024	1708

ऊपर उल्लिखित पकड़ी गयी परिसम्पत्तियों का मूल्य ही विभाग द्वारा ली गई तलाशियों के परिणाम का एकमात्र सूचक नहीं है, क्योंकि आमतौर पर, इन तलाशियों में दोहरे बही खाते और अन्य दोषारोपणीय दस्तावेज भी पकड़े गये हैं, जिनसे काफी छिपाया गया धन और आय का पता चलता है।

तलाशियों के मामलों से आयकर विभाग हुण्डी जाल-चक्र, जाली फार्म जाल-चक्र, नकली वाउचर जाल-चक्र, वग पहेली जाल-चक्र, मालिकी फ्लैट जाल-चक्र और सीमा शुल्क निवासी परमिटों में जाल-चक्र जैसे अनेक जाल-चक्रों का पता लगा सका है ।

सेन्ट्रल गवर्नमेंट क्लर्कस यूनियन द्वारा भूख हड़ताल

*973. **श्री के० एम० मधुकर :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल गवर्नमेंट क्लर्कस यूनियन के प्रतिनिधि उद्योग भवन में काम कर रहे कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में 21 या 22 मार्च को भूख हड़ताल पर थे ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

विवरण

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

केन्द्रीय सरकार क्लर्क यूनियन (वाणिज्य मंत्रालय शाखा) ने अपनी निम्नलिखित मांगें मनवाने के लिए 21 मार्च, 1975 से दो दिन की भूख हड़ताल शुरू करने का नोटिस दिया था :—

(क) अन्वेषक के पद के भर्ती नियमों में न्यूनतम शैक्षिक अर्हता मैट्रिकुलेशन रखी जाये ;

(ख) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्धारित जोन में आने वाले अवर श्रेणी लिपिकों/उच्च श्रेणी लिपिकों का अगले उच्च ग्रेड में तत्काल पदोन्नत किया जाये ;

(ग) बढ़े हुए कार्यभार के अनुपात में मंत्रालय में उच्च श्रेणी लिपिकों/सहायकों के और पदों का सृजन किया जाये ;

(घ) अन्वेषक के पद पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों को यथोचित आरक्षण दिया जाये ; और

(ङ) अन्वेषक के ग्रेड में की गई अनियमित नियुक्तियां रद्द की जायें ।

2. 20–3–75 को हुई बैठक में वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों ने उपरोक्त विभिन्न मुद्दों से संबंधित स्थिति पर यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की और बातचीत से समाधान हो जाने पर वे प्रस्तावित भूख हड़ताल न करने के लिए सहमत हो गये ।

एकाधिकार कपास वसूली योजना के बारे में भारतीय कपास निगम के अध्यक्ष द्वारा की गई टिप्पणियां

*974. श्री भाऊराव हेब मानतकर :
श्री वसन्त साठे :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय कपास निगम के अध्यक्ष द्वारा की गई टिप्पणियों की ओर दिलाया गया है ; जिनमें उन्होंने महाराष्ट्र राज्य की एकाधिकार कपास वसूलो योजना की आलोचना की है ;

(ख) क्या ये टिप्पणियां सरकार की नीति पर आधारित हैं ;

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) तथा (ख) भारतीय रुई निगम के अध्यक्ष ने महाराष्ट्र सरकार की एकाधिकार कपास वसूली योजना की कोई आलोचना नहीं की है।

(ग) तथा (घ) प्रश्न नहीं उठते।

सरकारी, गैर सरकारी और संयुक्त क्षेत्र में राज्य सरकारों द्वारा पूंजी निवेश

*975. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपलब्ध निवेश योग्य संसाधनों की कमी को देखते हुए, केन्द्रीय सरकार ने लगभग सभी राज्य सरकारों को उनके द्वारा सरकारी गैर-सरकारी तथा संयुक्त क्षेत्र में भावी पूंजी निवेश के बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं ;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उस बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त-मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) सरकार गैर-सरकारी और संयुक्त क्षेत्रों में पूंजी लगाने के संबंध में राज्य सरकारों को कोई सामान्य निर्देश जारी नहीं किये गये हैं। योजना आयोग ने राज्य सरकारों को वर्ष 1975–76 की वार्षिक आयोजना तैयार करने के संबंध में परियोजनाएं और योजनाएं शामिल करने के लिए अपनायी जाने वाली प्राथमिकताओं के बारे में सूचित कर दिया था। यह सुझाव दिया गया था कि कृषि, बिजली, सिंचाई और अत्यन्त महत्वपूर्ण उद्योगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी परियोजनाओं को समय और लाभ के

आधार पर चुना जाना चाहिए। पूंजी इस बात को ध्यान में रखते हुए लगायी जानी चाहिए कि थोड़े से थोड़े समय में अधिक से अधिक लाभ सुनिश्चित हो सके और उन परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो जन साधारण के उपयोग में आने वाली आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करने के लिए बनायी गयी हों और जिनसे उद्योगों के काम आने वाली आवश्यक वस्तुओं की कमी दूर हो सके और निर्यात में वृद्धि हो सके।

Enquiry against Income Tax and Customs officers for possession of properties disproportionate to their incomes

*976. **Shri Jaganath Rao Joshi:**
Shri R. V. Bade:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether a secret or open enquiry is regularly conducted to detect the officers of Customs and Income Tax Departments who possess movable and immovable property disproportionate to their income;

(b) the criterion and procedure of such an enquiry;

(c) State-wise names of those officers who have been found possessing property disproportionate to their income during the last three years; and

(d) whether keeping this in view, a special campaign is proposed to be launched?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee): (a) and (b). Under the C.C.S. (Conduct) Rules, 1964, transactions in movable and immovable properties by the Government servants require previous sanction of, or a report to, the prescribed authority, under various specified conditions. The reports/applications for sanction regarding such transactions are carefully scrutinised and, if considered necessary, investigation is made either departmentally or through the C.B.I. In addition, a watch is kept on officers of doubtful integrity.

(c) The following officers were found to have been in possession of property disproportionate to their known sources of income, during the last 3 years:

S. No.	Name and designation.	Place/State where posted.
1.	Shri Harbhajan Singh, Income Tax Officer.	Delhi
2.	Shri S. L. Dalal, Income Tax Officer.	Gujarat

(d) The existing procedure is considered to be adequate and it is not proposed to launch a special campaign.

नर कंकालों का निर्यात

9278. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत विदेशों को नर कंकालों का निर्यात कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो कब से और गत तीन वर्षों में, वर्ष वार कितनी राशि की विदेशी मुद्रा किस-किस देश से अर्जित की गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) मानव ककाल संशोधित भारतीय व्यापार वर्गीकरण में अलग से वर्गीकृत नहीं हैं और इसलिगं इस मद के लिये कोई निर्यात आंकड़े अलग से तत्काल उपलब्ध नहीं हैं ।

कम्पनियों द्वारा जारी किये गये बोनस शेयर

9279. **श्री चौधरी राम प्रकाश** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत सी कम्पनियों ने पिछले एक वर्ष के दौरान बोनस शेयर जारी किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के शेयर जारी करने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 1974-75 के वित्त वर्ष में जिन कम्पनियों ने बोनस शेयर जारी किये हैं, उनके नाम संलग्न अनुबन्ध में दिये गये हैं । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०/9734/75]

Use of Hindi in Offices

9280. **Shri Shudakar Pandey:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether Officers of his Ministry while on inspection of the offices under them also ensure that all the work is carried out in Hindi in these offices according to Government's policy in this regard;

(b) the number of officers who carried out such inspection during the last year and the total number of offices inspected;

(c) the position, in general, as revealed in the inspections reports; and

(d) the steps taken to improve the position in the case of those offices where Hindi is not being used even now?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh): (a) Special teams have been inspecting the various offices under this Ministry to ensure that all the work is carried out in Hindi according to the Government's policy.

(b) Information for the year 1974 is as under:—

No. of officers who inspected.	No. of offices inspected during 1974.
4	4

(c) Most of these offices have yet to take concrete steps for implementation of Government policy regarding introduction of Hindi in Official use.

(d) The offices concerned have been advised to take necessary steps immediately to ensure implementation of the O.L. Act and instructions issued by the Government in this regard from time to time, particularly (1) use of Hindi for documents

mentioned in Section 3(3) of O.L. Act, (2) constitution of O.L. Implementation Committee, (3) appointment of Hindi Staff, (4) purchase of Hindi typewriters. (5) correspondence in Hindi with Hindi speaking States, (6) use of Hindi on sign-boards letterheads, etc., (7) imparting of training in Hindi to Officers and staff, (3) encouraging use of Hindi in noting and drafting, (9) issue of Manuals, Codes and publicity material, etc. in Hindi.

राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखाओं के कार्य

9281. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेट बैंक आफ इंडिया की कुल कितनी शाखाएं कार्य कर रही हैं ; और

(ख) निकट भविष्य में कितनी नई शाखाएं खोली जायेंगी तथा नई शाखाएं खोलने के लिए बैंक ने किन बातों को ध्यान में रखा है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) दिसम्बर, 1974 के अन्त में राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय स्टेट बैंक के 4 कार्यालय अवस्थित थे ।

(ख) बैंक शाखा-विस्तार का कार्य तीन-वर्षीय रोलिंग योजना के ढांचे के भीतर करते हैं । भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि राजस्थान के एक ग्रामीण क्षेत्र में शाखा खोलने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के पास 31 दिसम्बर, 1974 को एक लाइसेंस मौजूद था ।

नई शाखाएं खोलने के लिए बैंकों द्वारा जिन बातों का ध्यान रखा जाता है उनका सम्बन्ध बचत जुटाने और उत्पादक कार्यों के लिए ऋण देने की सम्भावनाओं, मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता, 'लीड' का उत्तरदायित्व, विद्यमान शाखा-जाल आदि जैसे पहलुओं से होता है ।

केन्द्रीय उत्पादनशुल्क डिवीजन

9282. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पादन शुल्क डिवीजन के क्षेत्राधिकार को छोटे यूनिटों में विभाजित करने का कोई प्रस्ताव है ताकि प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके और राजस्व की चोरी को रोका जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख). स्पष्टत: यह प्रश्न केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (स्वनिकासी कार्यविधि) समीक्षा समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों से उत्पन्न होने वाले इस आशय के प्रस्ताव के संदर्भ में है कि उत्पादन शुल्क लगने योग्य एककों पर नियंत्रण की प्रस्तावित नई पद्धति की अपेक्षाओं के अनुसार सहायक समाहर्ता तथा उसके कार्यालय

द्वारा किये जाने वाले कार्य की विभिन्न मदों के लिये कार्य-प्रतिमान तैयार किये जायं तथा यह कि इस प्रकार उत्पन्न होने वाले कार्यभार के आधार पर किसी प्रभाग के आकार का निर्धारण किया जाय। समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों का अध्ययन किया जा रहा है। इन सिफारिशों पर, जिनमें केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के और अधिक प्रभागों का निर्माण भी शामिल है, सरकार के निर्णय उपलब्ध होने में संभवतः कुछ और समय लगेगा।

आसाम में चाय उद्योग

9283. **श्री अरविंद एम० पटेल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में चाय उद्योग को अनेक संकटों का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां बहुत शीघ्र ही चाय उद्योग के बन्द होने की सम्भावना है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) जी, नहीं। वास्तव में असम में चाय का उत्पादन 1971 में 223.7 दस लाख किग्रा० से बढ़कर 1974 में 265.5 दस लाख किग्रा० हो गया। कलकत्ता नीलामियों में असम चाय की औसत वार्षिक कीमत भी 1972–73 में 6.87 रु० प्रति किग्रा० से बढ़कर 1974–75 (22–4–75 तक) में 11.30 रु० प्रति किग्रा० हो गई।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

Black money seized in Gujarat

9284. **Shri Ishwar Chaudhry:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the amount of black money seized in Gujarat during the last two years;

(b) the number of persons against whom action has been taken in this regard; and

(c) the number of persons prosecuted and the number of persons, out of them, punished during this period?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee): (a) and (b), Statistics in respect of search and seizure operations are not maintained Statewise. The number of search and seizure operations carried out by the Income-tax authorities in the Charges of the Commissioners of Income-tax,

Gujarat during the financial years 1973-74 and 1974-75 and the value of assets seized are as under:

	No. of search and seizure operations	Value of assets seized (Rs. in lakhs) approx.
1973-74	13	6
1974-75	217	161

(c) In the Charges of Commissioners of Income-tax, Gujarat, 22 prosecutions for tax evasion were launched in financial year 1973-74. These are pending in courts.

No prosecution for tax evasion was launched in financial year 1974-75.

उड़ीसा में स्वनियोजन के लिये ऋण

9285. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री अनादि चरण दास :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में व्यक्तियों ने स्वनियोजन के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण मांगे थे ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1973–74 तथा 1974–75 में बैंकों ने कितने धनराशि के ऋण दिये ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) और (ख). स्वयं अपन धन्धा करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों से सहायता मांगने वाले व्यक्ति आर्थिक कार्यकलाप के विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत, विशेष रूप से कृषि, छोटे पैमाने के उद्योग, परिवहन संचालक, खुदरा व्यापार और छोटे व्यापारी और व्यावसायिक तथा अन्य सेवाओं आदि जैसे वर्गों के अन्तर्गत आते हैं। उड़ीसा राज्य में इन वर्गों के ऋणकर्त्ताओं से सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बकाया अग्रिमों की राशि जून, 1972, जून, 1973 और जून, 1974 के अन्त में क्रमश: 6.9 करोड़ रुपये, 9.8 करोड़ रुपये और 14.9 करोड़ रुपये थी।

पी० एल० 480 समझौते के अन्तर्गत निर्यात

9286. **श्री एन० ई० होरो :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पी० एल० 480 समझौतों के अन्तर्गत निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का कुल वार्षिक उत्पादन कितना कितना है ;

(ख) देश में इन वस्तुओं की मांग कितनी है ; और

(ग) देश की मांग तथा निर्यात आवश्यकताएं पूरी करने के बारे में सरकार की नीति क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) से (ग). पी० एल० 480 करार के अन्तर्गत सं० रा० अमरीका को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की सूची को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । करार के अन्तर्गत निर्यात की जाने वाली मदों के बारे में किसी भी प्रकार का विनिश्चय, निर्यात के लिये उनकी उपलब्धता को ध्यान में रख कर लिया जाएगा ।

Advances loans given by Nationalised Banks in Madhya Pradesh

9287. **Shri G. C. Dixit**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the percentage of advance loans given by nationalised banks in Madhya Pradesh for agricultural sector; and

(b) the action taken by Government to provide maximum assistance to farmers?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi): (a) The percentage of outstanding agricultural advances (direct and indirect) given by the public sector banks in Madhya Pradesh to the total advances given by these banks as at the end of June 1973 was 14.7.

(b) Various steps have been taken by the public sector banks to assist the farmers, especially small farmers, in obtaining loans from them for various agricultural purposes. Government are keeping the performance of the public sector, banks in respect of priority sectors, including agriculture, under constant review and have been urging the banks to increase their coverage of the agricultural sector, especially their lending to small farmers. The Reserve Bank of India has also issued guidelines for financing agriculture to the commercial banks so that. at all levels the rationale, policies and procedure for agricultural loans are made clear. Steps that are being taken to remove the difficulties experienced by small farmers in obtaining loan from public sector banks are enumerated in the enclosed statement.

Statement

The following steps are being taken in order to remove the difficulties faced by small farmers in obtaining credit from the public sector banks:

(i) Public sector banks are actively associated with SFDA/MFAL agencies in different parts of the country.

(ii) Public sector banks are financing small, marginal farmers and agricultural labourers upto specified amount under various schemes without insisting upon mortgage of land. In fact emphasis has been laid on the banks moving away from security-oriented lending to productive and incremental income-oriented lending.

(iii) The State Bank of India Group as at the end of December 1974 have opened special agricultural development branches at 177 selected intensive centres in areas of special schemes.

(iv) The provisions of Credit Guarantee Scheme have been liberalised to cover short term credit from Rs. 1000 to Rs. 25,000 and term credit from Rs. 5,000 Rs. 10,000. Short term credit, converted into medium term credit on account of flood, drought etc., is covered upto Rs. 5000. The provisions cover all loans in the field of agriculture upto the specified ceilings.

(v) The banks have started taking group guarantees in case of loan granted to very small farmers/share croppers and no other security is asked for in such cases.

(vi) Differential interest rate scheme *inter alia* covers very small farmers. In addition, some of the public sector banks have introduced scheme of varying rate of interest according to the size of their holding. These schemes would also benefit small farmers.

(vii) Guidelines have also been issued by the Reserve Bank of India for financing small and potentially viable farmers.

(viii) Legal charges in regard to loan proposals from small and marginal farmers are met by the commercial banks themselves.

लद्दाख के हस्तशिल्प का विकास

9288. **श्री कुशक बाकुला** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शताब्दियों से चले आ रहे लद्दाख के हस्तशिल्प का विकास करने के लिये कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) :(क) तथा (ख). जम्मू तथा काश्मीर सरकार, लद्दाख के हस्तशिल्प के विकास के लिये निम्नांकित योजनाएं चला रही है :

(1) पश्मीना तथा शाल की बुनाई ।
(2) तिब्बती किस्म की कालीन बुनाई ।
(3) हाथ से चलने वाली मशीन द्वारा बुनाई ।
(4) नर्मदा बनाना ।

इन योजनाओं के अन्तर्गत इस समय 70 प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण ले रहे हैं । राज्य सरकार ने 1974–75 के दौरान 1.25 लाख रु० की राशि रखी थी और 1975–76 में उपरोक्त प्रशिक्षण योजनाओं के लिये 1.25 लाख रु० की व्यवस्था की है ।

गोआ के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखायें

9289. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखाओं की कुल संख्या क्या है ?

(ख) भविष्य में कितनी नई शाखायें खोली जायेंगी और बैंक द्वारा नई शाखाओं को खोलने के लिये किन बातों को ध्यान में रखा जाता है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) दिसम्बर, 1974 के अन्त तक, संघ राज्य क्षेत्र गोवा, दमन और दीव के ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय स्टेट बैंक के 10 कार्यालय अवस्थित थे।

(ख) भारतीय स्टेट बैंक सहित, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा तीन वर्षीय "रोलिंग" योजना के ढांचे के भीतर शाखा-विस्तार का कार्य करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 31 दिसम्बर, 1974 तक भारतीय स्टेट बैंक के पास गोवा के ग्रामीण क्षेत्र में एक कार्यालय खोलने के वास्ते लाइसेन्स मौजूद था। इसके अलावा गोवा को ग्रामीण क्षेत्रों में चार और कार्यालय खोलने के लिये भारतीय स्टेट बैंक के आवेदन-पत्र भारतीय रिजर्व बैंक के विचाराधीन हैं।

चालू वित्तीय वर्ष में भुगतान के लिये देय बैंक ऋण

9290. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में बैंकों के कुल ऋण, बैंकों की कुल जमाराशि तथा भुगतान के लिये देय बकाया बैंक ऋण की राशियों में कितनी वृद्धि हुई तथा प्रत्येक मामलों में वृद्धि का प्रतिशत क्या है।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) :

मार्च, 1973, 1974 और 1975 के अंतिम शुक्रवार को समग्रतः सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाएं और अग्रिम नीचे दिये जाते हैं :--

(राशि करोड़ रुपयों में)

	जमाएं	वर्ष में हुई वृद्धि	अग्रिम	वर्ष में हुई वृद्धि
1973	8643	—	6115	—
1974	10139	1496 (17.3)	7399	1284 (21.0)
1975*	11800	1661 (16.4)	8537	1138 (15.4)

(* अनन्तिम)

(कोष्ठक में दिये गये आंकड़े प्रतिशत वृद्धि के द्योतक हैं।)

वाणिज्यिक बैंक के अधिकतर ऋण उत्पादन और व्यापार की कार्यचालू पूंजी की आवश्यकताओं से सम्बन्धित हैं। सामान्य रूप से बैंकों द्वारा ये आवश्यकताएं नकद ऋण-सीमाएं मंजूर करके पूरी की जाती हैं। ऋणकर्त्ता मंजूर की गई सीमाओं के भीतर ऋण लेते हैं। अग्रिमों की बकाया राशि ऋणकर्त्ता की नकदी की आवश्यकताओं के अनुसार घटती बढ़ती है।

आसाम के स्टेट बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं में अधिकारी और कर्मचारी

9291. **श्री रोबिन ककोटी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आसाम में स्टेट बैंक की शाखाओं तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं में अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों की कुल संख्या क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : स्टेट बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों ने सूचित किया है कि 31 दिसम्बर, 1974 को असम में कार्यरत उनकी शाखाओं में कर्मचरियों की कुल संख्या इस प्रकार थी :—

	भारतीय स्टेट बैंक	राष्ट्रीयकृत बैंक
अधिकारीगण	251	373
लिपिकीय कर्मचारीवृन्द	928	997
अधीनस्थ कर्मचारीवृन्द	395	515

पांचवीं योजना के दौरान माल डिब्बों का निर्यात

9292. **श्री शंकर नारायण सिंह देव :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पांचवीं योजनावधि के दौरान माल डिब्बों के निर्यात की क्या सम्भावनाएं हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): पांचवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में 9.29 करोड़ रु० के माल डिब्बों का निर्यात हुआ और दूसरे वर्ष अर्थात् 1975–76 के दौरान 19 करोड़ रु० के निर्यात होने की आशा है। विश्व बाजारों में मंदी के बावजूद वृद्धि का रुख बनाए रखने की आशा है।

तस्करों की वस्तुओं का जब्त किया जाना

9293. **श्री डी० बी० चन्द्र गौड़ा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तस्करों को नजरबन्द करने के लिए आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम अध्यादेश जारी करने के बाद से, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और दमण में अलग अलग सीमाशुल्क अधिकारियों ने कुल कितने मूल्य का माल जब्त किया है ; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार इन सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा जब्त की गई वस्तुओं का कुल मूल्य कितना था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सभापटल पर रख दी जायगी ।

पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय के संगठन तथा प्रणाली संबंधी कार्य

9294. **श्री के० लक्कप्पा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय को वर्ष 1973–74 की रिपोर्ट के अध्याय दस में उल्लिखित संगठन तथा प्रणाली कार्यों के बारे में क्या प्रगति हुई है और निरीक्षण करने वाले अधिकारी का नाम क्या है तथा निरीक्षण किस प्रकार किया जाता है ; और

(ख) वर्ष 1974 में किन तिथियों को निरीक्षण किये गये तथा निरीक्षण प्रतिवेदनों की मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) 1974–75 के दौरान संगठन और पद्धति के और भी निरीक्षण किए गए थे। कार्य के शीघ्र निपटान की आवश्यकता पर बल देने के लिये कतिपय क्रिया-विधि आदेश जारी किए गए, एक महीने से ऊपर की अवधि के लिये निपटान न किए गए बहुत से मामलों पर निगरानी रखी गयी, तथा उचित अभिलेख व्यवस्था पर बल दिया गया ।

संगठन और पद्धति निरीक्षण कार्यालय पद्धति मैनुअल में निहित अनुदेशों के अनुसार अवर सचिव के समकक्ष पद वाले अधिकारियों द्वारा किए जाते हैं ।

(ख) वर्ष 1974 के दौरान, सितम्बर, 1974 तथा दिसम्बर 1974 के बीच 6 निरीक्षण किए गए । निरीक्षण रिपोर्टों में देखने में आयी कमियों (यदि कोई थीं) और अपेक्षित सुधारों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया ।

औद्योगिक क्षेत्रों में पूंजी निवेश का अनुपात

9295. **श्री गजाधर माझी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों के औद्योगिक क्षेत्रों में पूंजी निवेश के अनुपात के बारे में कोई मूल्यांकन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) और (ख): सरकार के पास उपलब्ध हाल के आंकड़ों के अनुसार, विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों में 1967, 1968 और 1969 में लगायी गयी पूंजी की जानकारी संलग्न विवरण में दी गयी है ।

विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों में लगायी गयी पूंजी का विवरण

(करोड़ रुपयों में)

क्षेत्र	1967	1968	1969
उत्तरी क्षेत्र	624.16 (6.9 प्रतिशत)	851.81 (8.5 प्रतिशत)	975.61 (9.0 प्रतिशत)
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	165.08 (1.8 प्रतिशत)	183.14 (1.8 प्रतिशत)	221.38 (2.0 प्रतिशत)
पूर्वी क्षेत्र	2818.31 (31.0 प्रतिशत)	2746.52 (27.4 प्रतिशत)	2884.84 (26.5 प्रतिशत)
मध्य क्षेत्र	1410.74 (15.6 प्रतिशत)	1548.72 (15.4 प्रतिशत)	1736.53 (16.0 प्रतिशत)
पश्चिमी क्षेत्र	2151.60 (23.7 प्रतिशत)	2545.87 (25.4 प्रतिशत)	2703.82 (24.8 प्रतिशत)
दक्षिण क्षेत्र	1901.68 (21.0 प्रतिशत)	2155.83 (21.5 प्रतिशत)	2360.66 (21.7 प्रतिशत)
जोड़	9071.57 (100.0 प्रतिशत)	10031.29 (100.0 प्रतिशत)	10882.84 (100.0 प्रतिशत)

प्रदर्शनी विभाग के अधिकारियों के खिलाफ केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

9296. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने गत वर्षों के दौरान प्रदर्शनी विभाग के किन्हीं अधिकारियों के खिलाफ जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अधिकारी कौन हैं और उनके विरुद्ध क्या आरोप लगाये गये हैं ; और

(ग) अब तक कितने अधिकारियों को दोषमुक्त किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां। अक्तूबर, 1935 में महात्मा गांधी द्वारा श्री जवाहरलाल नेहरू को लिखे गये मूल पत्र तथा उसकी फोटो कापी 1967 में मांट्रियल स्थित भारतीय मंडप से खो जाने के सम्बन्ध में सी० बी० आई० जांच कर रही है।

(ख) सी० बी० आई० जांच कर रहा है और उनकी रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के होटलों में पूंजी निवेश

9297. श्री के० मालन्ना :

श्री झारखंडे राय :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अन्तर्गत देश में सरकारी क्षेत्र के होटलों की संख्या क्या है तथा उसके राज्यवार आंकड़े क्या हैं तथा इन प्रत्येक होटलों, विशेषकर फाइव स्टार होटलों में, कितनी पूंजी विनियोजित की गई है ; और

(ख) उनमें से कितने होटलों ने वर्ष 1974-75 के दौरान लाभ अर्जित किया है तथा कितने होटलों में घाटा हुआ है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकारी उद्यम भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा परिचालित होटलों के राज्यवार आंकड़े दर्शाने वाला एक विवरण, जिसमें 31-3-1974 को प्रत्येक होटल की स्टार श्रेणी, स्थान तथा धनविनियोजन दिखाया गया है, संलग्न है ।

(ख) वर्ष 1974-75 के लिये भारत पर्यटन विकास निगम के हिसाब किताब को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

विवरण

भारत पर्यटन निगम द्वारा परिचलित होटलों के राज्यवार आंकड़े तथा 31-3-1974 को प्रत्येक होटल में विनियोजित धनराशि

क्रमांक	होटल का नाम	स्टार श्रेणी	स्थान	31-3-74 को विनियोजित धनराशि
1	2	3	4	5
				(लाख रुपयों में)
	भारत के संघ शासित क्षेत्र			
1.	अशोक होटल	5-स्टार	संघ शासित क्षेत्र, दिल्ली	505.34
2.	अकबर होटल	5-स्टार	,,	96.65
3.	जनपथ होटल	3-स्टार	,,	71.03
4.	लोधी होटल	2-स्टार	,,	37.43
5.	होटल रणजीत	2-स्टार	,,	37.43
6.	कुतुब होटल	4-स्टार	,,	16.26
	कर्णाटक			
7.	होटल अशोक	5-स्टार	बंगलोर	174.37
8.	ललित महल पैलेस होटल	3-स्टार	मैसूर	4.69
	महाराष्ट्र			
9.	औरंगाबाद होटल	2-स्टार	औरंगाबाद	17.34

1	2	3	4	5
	मध्य प्रदेश			
10.	खजुराहो होटल	2–स्टार	खजुराहो	33.45
	राजस्थान			
11.	लक्ष्मी बिलास पैलेस होटल	2–स्टार	उदयपुर	33.01
	केरल			
12.	कोवालम् ग्रोव	1–स्टार	कोवालम	42.40
	उत्तर प्रदेश			
13.	वाराणसी होटल . .	2–स्टार	वाराणसी	62.94
	योग		. .	1132.64

(i) क्रमांक (2), (6), (7), (8), (10), (11), (12) तथा (13) के होटलों का होटल वर्गीकरण समिति द्वारा अभी वर्गीकरण किया जाना है परन्तु वे कालम 3 के अन्तर्गत दिखायी गयी स्टार श्रेणी के स्तर की सुखसुविधाएं प्रदान करते हैं ।

(ii) 31–3–74 को विनियोजित धनराशि में, जिसे कालम (5) में दिखाया गया है, विस्तार स्कीमों के अन्तर्गत चालू निर्माण कार्यों की लागत शामिल नहीं है ।

समुद्री उत्पाद बिक्री दल का अमरीका का दौरा

9298. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक समुद्री उत्पाद बिक्री दल अमरीका भेजा है ; और

(ख) वर्ष 1974–75 के मुकाबले दिसम्बर, 1975 से मार्च, 1974 के बीच विदेशी मुद्रा अर्जित करने के मामले में इस दल की अमरीका यात्रा के क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) दिसम्बर 1974 से मार्च 1975 की अवधि के निर्यात आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं, अतः इस अवधि में 1973–74 की उसी अवधि की तुलना में अर्जित विदेशी मुद्रा की जानकारी इस समय नहीं दी जा सकती ।

रामपुर की बेगम पर करों की बकाया राशि

9299. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर अधिनियम, सम्पत्ति कर अधिनियम, व्यय कर अधिनियम, उपहार कर अधिनियम और सम्पदा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत रामपुर की बेगम पर करों की कितनी राशि बकाया है ;

(ख) करों की यह बकाया राशि किस अवधि से बकाया पड़ी है तथा इसको वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या रायपुर की बेगम के विरुद्ध वसूली/कुर्की की कोई कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) आयकर अधिनियम, व्यय-कर अधिनियम, दान-कर अधिनियम और सम्पदा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत मांग की कोई बकाया रामपुर की बेगम की तरफ नहीं है । रामपुर की बेगम की तरफ धन-कर अधिनियम के अधीन कुल 93,869 रु० का कर बकाया है । इन बकाया करों का ब्यौरा नीचे दिया गया है : —

कर निर्धारण वर्ष	मांग
1962–63 . . .	9931 रु०
1963–64 . . .	26248 रु०
1964–65 . . .	29102 रु० (इसमें 27 जुलाई, 1971 को धारा 15 ख के अधीन जारी की गई 6195 रु० की मांग शामिल है) ।
1965–66 . . .	28588 रु० (इसमें 27 जुलाई 1971 को धारा 15ख के अधीन जारी की गई 928 रु० की मांग शामिल है) ।

(ख) उपर्युक्त कर-निर्धारण वर्षों से सम्बन्धित धन-कर निर्धारण 28 फरवरी 1974 को किये गये थे । इन कर-निर्धारणों के विरुद्ध अपीलें, अपीलीय सहायक आयुक्त के सम्मुख दायर की गई थीं । अपीलीय सहायक आयुक्त (सेन्ट्रल रेंज II ने 6 मार्च 1975 को अपील पर आदेश जारी किये । उपर्युक्त बकाया मांग, अपीलीय सहायक आयुक्त के आदेश पर आंशिक अमल करने के बाद हैं ।

(ग) तथा (घ). उपर्युक्त सभी मांगों के सम्बन्ध में वसूली प्रमाण पत्र जारी कर दिये गये हैं । लेकिन, वसूली प्रमाण पत्र जारी होने के बाद धन-कर की कोई वसूली नहीं हुई है ।

उर्वरकों की खरीद

9300. **श्री श्यामनन्दन मिश्र** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1973 से दिसम्बर, 1974 के दौरान वर्ष यूरोपीय देशों से खरीदे गये उर्वरकों का ब्यौरा क्या है और क्या ये उर्वरक एफ० ओ० बी० अथवा सी० आई० एफ० के आधार पर खरीदे गये थे ;

(ख) इन उर्वरकों की मूल दरें क्या थीं और बाद में, किस्मवार इन उर्वरकों के मूल्यों में कितनी वृद्धि की गई ; और

(ग) उर्वरकों के मूल्यों में मूल्य वृद्धि सहित, भाड़े का अनुपात कितना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) पूर्व यूरोपीय देशों से सितम्बर, 1973 से दिसम्बर, 1974 तक उर्वरकों की खरीदों से संबंधित स्थिति संक्षेप में नीचे दी जाती है :—

सोवियत संघ : 200,000 मे० टन यूरिया, 75,000 मे० टन अमोनियम सल्फेट तथा 50,000 मे० टन म्यूरिएट आफ पोटाश खरीदे गये थे। ये लागत तथा भाड़ा संविदाएं थीं तथा संविदा की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं दी गई है। सपुर्दगियां लगभग पूरी हो गई हैं।

पोलैंड : 1,80,000 मे० टन यूरिया, 35,000 मे० टन केल्शियम अमोनियम नाइट्रेट तथा 30,000 मे० टन डाइअमोनियम फास्फेट खरीदा गया था। यह एफ० ओ० बी० संविदाएं थीं। यूरिया तथा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की संविदाओं में वृद्धि खंड शामिल था और इस खंड के अन्तर्गत पोलैंड के सप्लायरों ने यूरिया तथा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के सम्बन्ध में बढ़ोतरी की मांग की। बातचीत के बाद 1,43,000 मे० टन के सम्बन्ध में यूरिया की कीमत बढ़ा दी गई। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की कीमतें नहीं बढ़ाई गई थीं। इन संविदाओं के अन्तर्गत सपुर्दगियां पूरी हो गई हैं।

जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य : 2,00,000 मे० टन म्यूरेट आफ पोटाश खरीदा गया था। इसमें से 1,20,000 मे० टन की सप्लाई की संविदा एफ० ओ० बी० के आधार पर थी और शेष 80,000 मे० टन लागत तथा भाड़ा आधार पर थीं। अनुवर्ती बातचीत के बाद 1,30,000 मे० टन के संबध में कीमतों में वृद्धि कर दी गई। इस संविदा के अन्तर्गत सपुर्दगियां पूरी हो गई हैं।

बल्गारिया : इस अवधि के दौरान 46,000 मे० टन यूरिया के लिये संविदा की गई थी। यह एफ० ओ० बी० के आधार पर थी। कीमतों में कोई अनुवर्ती वृद्धि नहीं की गई। इस संविदा के अन्तर्गत सपुर्दगियां पूरी हो गई हैं। किन्तु इस अवधि के दौरान (सितम्बर, 1973 से दिसम्बर, 1974) जनवरी, 1973 में की गई संविदा के अन्तर्गत लगभग 82,000 मे० टन यूरिया के संबंध में कीमतें बातचीत के बाद बढ़ा दी गई थीं। यह संविदा लागत भाड़ा आधार पर थी।

रुमानिया : इस अवधि के दौरान 290,000 मे० टन कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और 50,000 मे० टन यूरिया की खरीद के लिये संविदा की गई। ये सेविदायें लागत भाड़ा आधार पर हैं। कीमत में कोई वृद्धि नहीं की गई है। 1974 में पहले की गई संविदाओं के अन्तर्गत सुपुर्दगियां की जा चुकी हैं। और 1975 में निर्धारित सुपुर्दगियां की जा रही हैं।

तथापि इस अवधि के दौरान 1,70,000 मे० टन कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की और 18,000 मे० टन यूरिया की शेष सप्लाई के लिये तीन संविदाओं के अन्तर्गत जो अगस्त और दिसम्बर, 72 में की गई थीं, कीमतें फ़िर से तय की गईं और कीमत में वृद्धि की अनुमति दी गई। उन संविदाओं के अन्तर्गत सुपुर्दगियां इस बीच पूरी की जा चुकी हैं।

चूंकि ये संविदाएं खनिज तथा धातु व्यापार निगम और इन देशों के निर्यातक उपक्रमों के बीच वाणिज्यिक संविदाएं हैं अतः इनके ब्यौरे प्रकट नहीं किये जाते ।

रामपुर के नवाब की मूल्यवान वस्तुएं

9301. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **वित्त** मंत्री रामपुर के नवाब की मूल्यवान वस्तुओं के बारे में 23 जुलाई 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5735 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब सरकार का विचार कर की बकाया राशि की वसूली और धन कर का मूल्यांकन करने हेतु भूतपूर्व रामपुर के नवाब और बेगम के कुलागत रत्नाभूषणों का मूल्य निर्धारित करने का है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) दिल्ली उच्च न्यायालय ने 24 मई, 1972 को अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी की थी जिसमें सय्यद मुर्तजा अली खान बहादुर, रामपुर की बेगम अथवा उनके एजेन्टों को, न्यायालय का अगला आदेश होने तक, विवादग्रस्त सम्पत्ति को, जिसमें कुलागत रत्नाभूषण भी शामिल है, किसी भी ढंग से, चाहे वह कुछ भी हो, निपटाने अथवा स्वतंत्र हस्तान्तरित करने अथवा स्थान से हटाने के लिये रोका गया था । स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा जिन लाकरों में रत्न-आभूषण रखे गये हैं, उनको रत्नाभूषणों का मूल्यांकन करने हेतु खोलने की अनुमति प्राप्त करने के लिये आय-कर विभाग की ओर से एक विविध याचिका प्रस्तुत की गई है । रत्न-आभूषणों के मूल्यांकन का मामला आगे नहीं चलाया जा सका क्योंकि विभाग द्वारा मांगा गया स्पष्टीकरण अभी उपलब्ध नहीं हुआ है ।

(ख) : भाग (क) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता है ।

समाज के निर्धन वर्ग के व्यक्तियों को ऋण देने के बारे में सरकार की निति

9302. **श्री ए च० के० एल० भगत** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाज के निर्धन वर्ग के व्यक्तियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण उपलब्ध करने के बारे में सरकार की क्या नीति है ;

(ख) किन श्रेणियों के व्यक्तियों को ऐसे ऋण दिये जाते हैं और वे किन शर्तों पर दिये जाते हैं ; और

(ग) संसद के पिछले सत्र के बाद से राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिल्ली में ऐसे ऋणों के रूप में कितनी धनराशि दी गई ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) राष्ट्रीयकरण के समय से सरकार और रिजर्व बैंक की यह नीति रही है कि समाज के आर्थिक दृष्टि से अपेक्षाकृत निर्बल वर्गों के उत्पादन संबंधी प्रयासों के वास्ते अधिकाधिक ऋण देने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित किया जाय । बैंक बराबर

समाज के इन वर्गों का पता लगाते और अपनी विशिष्ट योजनाओं के अधीन रियायती और उदार शर्तों पर वित्तीय सहायता देते आ रहे हैं ; जून, 1972 से विभेदी ब्याजदर योजना भी चालू है ।

(ख) सरकारी क्षेत्रों में नीचे लिखे वर्गों में आने वाले ऋणकर्ताओं को सहायता देने के लिए पृथक योजनायें बनाये हैं :—

1. कृषि
2. छोटे पैमाने के उद्योग
3. छोटे परिवहन परिचालक
4. खुदरा व्यापार
5. छोटे कारोबार
6. छोटे कृषक
7. व्यावसायिक और स्वयं नियोजित व्यक्ति, और
8. शिक्षा

इन योजनाओं के अन्तर्गत, प्रत्येक मामले की योग्यता का ध्यान रखकर आवश्यकता के आधार पर सहायता प्रदान की जाती है । सामान्यतः न्यूनतर मार्जिनों, ब्याज की न्यूनतर दरों, वापसी की अधिक लम्बी अवधि आदि पर ऋण दिये जाते हैं । विभेदी व्याज दर योजना में निर्धारित आय तथा अन्य शर्तों को निम्नलिखित क्षेत्र पूरा करें तो वे इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता पाने के पात्र होते हैं ।

(1) बहुत छोटे पैमाने पर खेती करने वाली अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जन-जातियां तथा अन्य

(2) स्वयं, वन उत्पादों को इकट्ठा करने अथवा उनका प्रयोग करने ; घास इकट्ठी करने तथा बेचने वाले व्यक्ति

(3) कुटीर और ग्रामीण उद्योगों तथा शहरी क्षेत्रों में व्यवसाय के क्षेत्र में मर्यादित पैमाने पर अपने हाथों से काम करने वाले व्यक्ति

(4) उच्च शिक्षा पाने के इच्छुक निर्धन विद्यार्थी, जिन्हें छात्र-वृत्ति नहीं मिली है

(5) लाभकारी धन्धों में लगे शारीरिक दृष्टि से अपंग व्यक्तियों तथा ऐसे व्यक्तियों से सम्बद्ध संस्थान

(6) ऐसे अनाथालय और महिला सदन जहां बिक्री-योग्य सामान बनता है ।

विभेदी ब्याजदर योजना फ़िलहाल पिछड़े हुए जिलों और ऐसे जिलों में लागू है जो लघु-कृषक-विकास-अभिकरण (एस० एफ़० डी० ए०) और सीमान्तक-कृषक और खेतीहर मजदूर विकास

अभिकरण (एम० एफ़० एल० ए०) योजनाओं से आवृत्त है। जहां तक संघ शासित क्षेत्र दिल्ली का सम्बन्ध है, यह योजना इस संघशासित क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में ही लागू है।

(ग): सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिल्ली में उपर्युक्त वर्ग के ऋणकर्ताओं को दिए गए अग्रिमों और जून, 1974 के अन्तिम शुक्रवार को बकाया राशियों के बारे में यथासुलभ अद्यतन सूचना नीचे दी गयी है। :—

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को मंजूर किये गये ऋणों की जून, 1974 के अन्त में बकाया राशियां :—

	(लाख रुपयों में)	
	खातों की संख्या	अधिशेष
1. छोटे पैमाने के उद्योग	4701	3740
2. छोटे परिवहन परिचालक	2640	384
3. खुदरा व्यापार	2968	263
4. छोटे व्यापार . . .	1241	61
5. व्यावसायिक और स्वयं नियोजित व्यक्ति	1325	49
6. कृषि	3710	342
7. शिक्षा . . .	485	19
8. विभेदी याजदर	368	4

कुवैत के एक आर्थिक दल द्वारा यात्रा

9303: **श्री आर० वी०स्वामीनाथन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुवैत के एक आर्थिक दल ने अप्रैल, 1975 में भारत की यात्रा की थी ;

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था ;

(ग) किन विषयों पर चर्चा की गई और क्या क्या निष्कर्ष निकले ; और

(घ) क्या दोनों देशों के बीच कोई करार हुआ ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) कुवैत फ़ण्ड के महानिदेशक के नेतृत्व में मार्च-अप्रैल, 1975 में कुवैत के एक प्रतिनिधि मंडल ने अरब आर्थिक विकास के लिए भारत का दौरा किया था।

(ख) से (घ) यह दौरा प्रारम्भिक सर्वेक्षण के मिशन के रूप में था जो आर्थिक सहयोग और परियोजनागत सहायता के लिए क्षेत्रों का पता लगाने के उद्देश्य से किया गया था। चूंकि बातचीत जानकारी के रूप में थी इसलिए कोई औपचारिक फ़ैसला नहीं किया गया।

विदशी करेन्सी के गिरोह में पंजाब के वित मंत्री का कथित हाथ

9304. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :**
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पंजाब के वित्त मंत्री श्री उमराव सिंह का विदेशी करैन्सी के गिरोह में कथित हाथ होने के उस समाचार की ओर दिलाया गया है जो जालंधर से प्रकाशित होने वाले पंजाब के दैनिक समाचार-पत्र "लोक लहर" में प्रकाशित हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस मामले की कोई जांच की थी ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) . अब तक की गयी जांच से यह प्रकट नहीं हुआ है कि श्री उमराव सिंह का विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन से कोई सम्बन्ध है ।

लाइसेंस जारी किये जाना

9305. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपने उत्पादन का 20 प्रतिशत आयात करने वाले औद्योगिक एककों को नई आटोमैटिक लाइसेंस नीति को ध्यान में रख कर अनुपूरक आयात लाइसेंस दिये जायेंगे ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) क्या उक्त नई नीति में प्रक्रिया सम्बधी विलम्ब दूर करने की कोई बात है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) . जी हां । जिन औद्योगिक एककों ने 1974–75 के दौरान अथवा कलेंडर वर्ष 1974 के दौरान अपने उत्पादन का 20 प्रतिशत अथवा उससे अधिक का निर्यात किया था और जिनके अन्तिम उत्पाद पंजीकृत निर्यातकों के लिये आयात नीति के अतर्गत आते हैं, वे कच्चे माल तथा संघटकों के आयात के लिये 1975 76 के दौरान अनुपूरक लाइसेंसों के लिये पात्र हैं ।

(ग) जी हां ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कार्यकरण

9306. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**
श्री हरी सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 मार्च, 1975 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में "व्हाट ऐल्स पब्लिक सेक्टर यूनिट्स"; शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) :(क) और (ख) जी हां। इस लेख में सरकारी क्षेत्र के कार्य निष्पादन में अवरोध उपत्न्न करने वाली विभिन्न बातें तथा उन्हें सुलझाने के आवश्यक उपाय बताए गए हैं। सरकार, सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों की निरन्तर समीक्षा करती रहती है और अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) मशीनों के बन्द रहने का समय कम करने के लिए संयंत्रों का बेहतर अनुरक्षण ;

(2) बेहतर सामग्री प्रबन्ध ;

(3) बिजली और महत्वपूर्ण सामग्री तथा कल-पुर्जो की सप्लाई में सुधार ;

(4) बेहतर औद्योगिक सम्बन्ध ;

(5) अभिप्रेरणा में सुधार ;

(6) जहां मांग कम है वहां विपणन कार्य को बढ़ाना तथा निर्यात अभियान शुरू करना।

जयपुर उद्योग लिमिटेड की और अनिवार्य जमा की बकाया राशि

9307. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आलोक उद्योग ग्रुप के जयपुर उद्योग लिमिटेड ने अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत 3.29 लाख रुपये की राशि जमा नहीं कराई है ;

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) प्रबन्धकों द्वारा यह राशि जमा न कराये जाने के लिए उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) . प्रश्न का संबंध संभवतः अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 से है। जयपुर उद्योग लिमिटेड सवाई माधोपुर के प्रबन्धकों द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत नामजद प्राधिकारी (प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान, जयपुर) को जो रकम कम भेजी गयी वह 3.88 लाख रुपये पायी गयी थी। यह राशि

6 जुलाई, 1974 से 5 फरवरी, 1975 तक की अवधि की थी, जिसके लिए अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनी के कर्मचारियों की उपलब्धियों में से अतिरिक्त वेतन और अतिरिक्त महंगाई भत्ते की राशि की कटौती जमा कराने के लिए की गयी थी। सरकार द्वारा उठाये गये कड़े और दण्डात्मक कदमों के कारण, कम्पनी के प्रबन्धकों ने 25 अप्रैल, 1975 से, उक्त अवधि के लिए कर्मचारियों के अतिरिक्त महंगाई भत्ते और अतिरिक्त वेतन में से काटी गयी सारी रकम प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को भेज दी है। लेकिन कम्पनी को अपने कर्मचारियों की फरवरी और मार्च, 1975 के महीनों की उपलब्धियों में से जिनकी अदायगी क्रमशः मार्च और अप्रैल, 1975 में की गयी थी, अतिरिक्त वेतन खाते और अतिरिक्त महंगाई भत्ते के खाते में जमा कराने के लिए काटी गयी 2,72,778 रुपये की रकम प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त के पास अभी भेजनी है।

(ग) निम्नलिखित कदम उठाये गये थे :—

(1) सवाई माधोपुर के कलक्टर से 26 फरवरी, 1975 को भू-राजस्व की बकाया रकम के रूप में इस राशि की वसूली करने के लिए कहा गया था।

(2) सरकार ने 15 अप्रैल, 1975 को, इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने पर, इस कम्पनी और कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक तथा अन्य सम्बद्ध अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने की मंजूरी दी। तदनुसार, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान, जयपुर ने 3 मई, 1975 को सवाई माधोपुर के जुडिशिल मैजिस्ट्रेट के न्यायालय में फौजदारी मुकदमा दायर किया है।

कर्नाटक के पत्तनों से लौह अयस्क का निर्यात

9308. **श्री वी० रंगनाथ शिनाय** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक के पत्तनों से वर्ष 1974–75 में प्रत्येक पत्तन से लौह अयस्क का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया ;

(ख) कर्नाटक के वैल्लारी जिले से देश में भिन्न भिन्न पत्तनों के माध्यम से वर्ष 1974–75 में, पत्तनवार, लौह अयस्क का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया ; और

(ग) क्या केवल कर्नाटक के पत्तनों के माध्यम से ही वैल्लारी जिले से लौह अयस्क का निर्यात करना सम्भव नहीं है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) 1974–75 के दौरान कर्नाटक स्थित पत्तनों से लौह अयस्क की निम्नोक्त मात्राएं निर्यात की गई :—

करवार	4.49 लाख म० टन
बेलीकरी . . .	0.40 लाख म० टन
योग . . .	4.89 लाख म० टन

(ख) 1974–75 के दौरान वैल्लारी जिले के लौह अयस्क की निम्नोक्त मात्राएं अन्य पत्तनों से निर्यात की गई :

मद्रास	22.47 लाख म० टन
मर्मुगाओ	4.04 लाख म० टन
काकीनादी	1.88 लाख म० टन
कुड्डालोर	1.16 लाख म० टन
योग	29.55 लाख मे० टन

(ग) जी नहीं। कर्नाटक में अपर्याप्त पत्तन सुविधाएं तथा रेल/सड़क से माल लाने-ले जाने की कठिनाइयां।

कैटरपिलर समुद्री इंजनों का आयात

9309. **श्री वयालार रवि** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बहुराष्ट्रीय कम्पनी यूनियन कार्बाइड को, मछली पकड़ने वाली नौकाओं को काम में लाने के लिये कैटरपिलर समुद्री इंजन का आयात करने की अनुमति दी है जब कि देश में इस वस्तु का उत्पादन करने की काफी क्षमता है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). मै० यूनियन कार्बाइड इंडिया लि० ने मै० मेजागान डाक लि०, बम्बई को छः ट्रालरों के निर्माण के लिये आदेश दिये थे। शिपयार्ड ने 836 बी० एच० पी० के केटरपिलर समुद्री डीजल इंजन के आयात के लिये डी० जी० टी० डी० को स्वदेशी दृष्टिकोण से क्लीयरेंस देने के लिये लिखा था। फर्म ने अपने पत्र में बताया कि उन्होंने उपकरण के लिये इंडियन एक्सपोर्ट सर्विस बुलेटिन में विज्ञापन दिया था और उसके उत्तर में स्वदेशी मशीनरी विनिर्माताओं से कोई आफर प्राप्त नहीं हुए थे। तदनुसार सरकार द्वारा आयात के लिये क्लीयरेंस दे दी गई थी।

कोयम्बतूर में जाली परिवहन दस्तावेजों का व्यापार करने वाले व्यक्ति

9310. **श्री एस० ए० मुहम्मतम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयम्बतूर के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों ने कुछ ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जो जाली परिवहन दस्तावेजों का व्यापार करते हैं जिससे केन्द्रीय सरकार को कई लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सम्बद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां ।

(ख) (i) अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या . . 8

(ii) अन्तर्ग्रस्त तम्बाकू की मात्रा . . 50,289 किलोग्राम

(iii) इस्तेमाल किये गये तथा बरामद किए गए जाली टी०पी०एल० की संख्या . 23

(iv) बरामद किये गये जाली टी० पी० एल० की संख्या जो इस्तेमाल नहीं किये गये . 153

(ग) उपर्युक्त आठ व्यक्तियों में से दो गिरफ्तार किये गये और बाद में जमानत पर छोड़े गये । दो अन्य व्यक्तियों ने मजिस्ट्रेटों के समक्ष आत्मसमर्पण किया और उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया । आगे जांच पड़ताल चल रही है ।

बैंक आफ बड़ौदा के रीजनल मैनेजर के निवास पर छापा

9311. **श्री श्री मधु दंडवते : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोक सभा में वित्त मंत्री से 11 अप्रैल, 1975 को ऐसा वक्तव्य देने की मांग की गई थी कि वह यह बताएं कि क्या किसी एजेन्सी द्वारा बैंक आफ बड़ौदा के रीजनल मैनेजर, बम्बई , श्री के० सी० चोकसी के निवास पर कोई छापा मारा गया था, जिसमें बहुत अधिक धनराशि और बहुमूल्य पदार्थ पकड़े गये ;

(ख) क्या सभा में यह मामला उठाने वाले सदस्य ने उन स्रोतों का भी उल्लेख किया था जिनके द्वारा उक्त छापे के समाचारों की पुष्टि की गई थी ;

(ग) क्या उक्त छापे के बारे में कोई जांच की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो जांच के परिणाम क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) की गई पूछताछ से पता चला है कि बंबई स्थित बैंक आफ बड़ौदा के क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री के० सी० चोकसी के निवास स्थान पर केन्द्रीय सरकार के किसी जांच-अभिकरण द्वारा को छापा नहीं मारा गया है ।

Complaints against direct or and officers Sunita Chit Fund Ltd.

9312. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether any complaints against the Director and other officers of the Sunita Chit Fund Private Limited, Jawahar Marg, Indore and against this company itself have been made with the Registrar of Companies, Gwalior and the Reserve Bank of India, Non-Banking Companies Deposit Section;

(b) if so, the action taken so far by Government thereon and the outcome thereof; and

(c) the main points raised in the complaints and when the complaints were made?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi): (a) to (c). Presumably, the Hon'ble Member has in mind Sunita Chit and Finance Pvt., Ltd., with its Registered Office at 284, Jowhar Marg, Indore.

The Reserve Bank has reported that it had received a complaint in October, 1973 alleging that the aforesaid company and its Managing Director had refused to refund the amounts due to the members and also to grant loans to them. The Reserve Bank had earlier come to know from a brochure issued by the company that it was conducting prize chit business. As it was felt by the Reserve Bank that the business conducted by the company was in the nature of lottery, the Reserve Bank took up the matter with the Government of Madhya Pradesh and was advised by that Government that the question of enacting suitable legislation for regulating the activities of chit funds was under their consideration. The Reserve Bank has added that as the company had not submitted to it, despite reminders, the prescribed returns, the Reserve Bank propose to issue a show cause notice to the company.

The Reserve Bank has further reported that another complaint was received by it in March, 1975 alleging that when the complaint went to the company in August, 1974, an official of the company expressed his inability to repay the amounts due to him and he was advised to come again in October, 1974. The complainant had further alleged that the lawyer's notice issued to the company was returned by the Post Office with the remark "office closed". The Reserve Bank has added that it is referring the matter to the Government of Madhya Pradesh and the Registrar of Companies, Madhya Pradesh, Gwalior, and is also waiting to the four banks, with which the company is purported to have dealings, with a view to ascertaining the present state of affairs of the company.

As transactions of subscriptions to chit schemes are in the nature of contracts between the company conducting the schemes and the individual subscribers, the affected parties have to pursue the normal remedies open to them in cases of breach of contract.

As regards the complaints made to the Registrar of Companies, Madhya Pradesh, Gwalior, against the company, the requisite information is being ascertained from the Registrar and will be laid on the Table of the House.

तस्कर विरोधी अभियान

9313. श्री समर गुह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तस्कर विरोधी अभियान जारी है ;

(ख) यदि हां, तो पकड़े गये माल, मुद्रा और अन्य बहुमूल्य सामग्री का अद्यतन ब्यौरा क्या है और इस अभियान के दौरान 30 अप्रैल, 1975 तक कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ;

(ग) क्या भूतपूर्व राजाओं के गुप्त खजानों से सोना तथा जेवरात बरामद हुआ है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) तस्करों के विरुद्ध दायर किये गये मुकदमों के अद्यतन आंकड़े क्या हैं और तस्करी की गतिविधियों के सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ;

(च) क्या तस्करी का माल बरामद करने सम्बन्धी किसी विधेयक को सरकार ने अन्तिम रूप दिया है ; और

(छ) यदि नहीं, तो पकड़ी गई सम्पत्ति की वर्तमान स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रखी जायेगी ।

(ग) और (घ) आय-कर प्राधिकारियों द्वारा पिछले कुछ समय से जयपुर के भूतपूर्व राज-घरानों के महलों/ठिकानों की तलाशियां ली जा रही हैं, जिनमें सोना, जवाहरात और गहने तथा अन्य वस्तुएं पकड़ी गयी हैं । इनका ब्योरा संलग्न विवरण-पत्र में दिया गया है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 9733/75**]

अन्य भूतपूर्व शासकों के गुप्त खजानों से यदि कोई अभिग्रहण किये गये होंगे तो उनके सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ङ) सूचना एकत्र की जा रही है जो सदन-पटल पर रखी जायेगी ।

(च) और (छ) सीमा शुल्क अधिनियम में, तस्करी की वस्तुओं के अभिग्रहण और उनको जब्त करने की व्यवस्था विद्यमान है । अभिग्रहण के बाद, तस्करी की वस्तुएं सीमा शुल्क प्राधिकारियों के नियंत्रण में रहती हैं और जब्त करने पर उन वस्तुओं का स्वामित्व केन्द्रीय सरकार में निहित होता है ।

अतिरिक्त रोजगार कार्यक्रमों के लिये स्वीकृत ऋण

9314. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 1972–73 और 1973–74 वर्षों के दौरान "अतिरिक्त रोजगार कार्यक्रम" के लिये कितनी राशि के ऋण मंजूर किये और दिये ;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान बड़े व्यापारिक गृहों विशेष रूप से टाटा समूह, बिड़ला समूह और गोयनका समूह को कितनी राशि के ऋण मंजूर किये और दिये ;

(ग) क्या सरकार की अब बैंक ऋण द्वारा लघु एककों के गठन को प्रोत्साहित न करने की कोई नीति है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

(क) सम्भवत: माननीय सदस्य "पांच लाख रोजगार कार्यक्रम" के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा बनाये गये योजनाओं के वास्ते राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण सहायता देने में हुई प्रगति का उल्लेख कर रहे हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों (अर्थात् 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों और भारतीय स्टेट बैंक समूह के बैंकों) द्वारा दिये गये अग्रिमों की बकाया राशि सितम्बर, 1974 के अन्त में 1383 लाख रुपये थी।

(ख) बैंक सामान्यत: ऋण-सीमाओं के रूप में ऋण मंजूर करते हैं जिनके भीतर ऋणकर्ता पैसा ले सकते हैं। इस प्रकार लिये गये पैसे की मात्रा, ऋणकर्ता की आवश्यकताओं के अनुसार, समय समय पर अलग अलग होती है। आंकड़े इकट्ठे करने की वर्तमान प्रणाली में सरकारी क्षेत्र के बैंक, किसी एक समय पर, बैंकों के बकाया अग्रिमों सम्बन्धी आंकड़े एकत्र करने, के लिए सूचना देते हैं। 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा, एकाधिकार जांच आयोग की रिपोर्ट में उल्लिखित 75 बड़े औद्योगिक घरानों के औद्योगिक प्रतिष्ठानों को दिये गये ऐसे अग्रिमों की बकाया राशि दिसम्बर, 1972 के अन्त में 551 करोड़ रुपये और दिसम्बर, 1973 के अन्त में 582 करोड़ रुपये थी।

14 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा टाटा, बिरला और गोयनका समूहों को दिये गये अग्रिमों की दिसम्बर, 1973 के अन्त में बकाया राशि नीचे दी जाती है :—

कछ चुने हुए घरानों से 14 राष्ट्रीयकृत बकों के दिसम्बर, 1973 के अंत में बकाया अग्रिम

घरानों का नाम	करोड़ रुपयों में
टाटा समूह	60.13
बिरला समूह .	87.41
गोयनका समूह	10.69

(ग) और (घ) 1974–75 के व्यस्त मौसम के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 29 अक्टूबर, 1974 को जो ऋण नीति की घोषणा की गई थी उसमें छोटे पैमाने के उद्योगों सहित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को अधिकाधिक बैंक ऋण देने पर जोर दिया गया है। कुछ हद तक ऐसी चयनात्मकता आरम्भ की गई है कि 10 लाख और उससे कम ऋण सीमाएं रखने वाले छोटे पैमाने के औद्योगिक एककों को ऋण के मामले में तरजीह मिलेगी।

"कोर" क्षेत्र तथा वेज गुड्स उद्योगों के काम आने वाली वस्तुएं बनाने वाले छोटे पैमाने के औद्योगिक एककों को कम आवश्यक वस्तुएं बनाने वाले एककों की तुलना में तरजीह दी जायेगी।

Appointment of Managers in S.T.C.

9315. **Shri Hemendra Singh Banera:**

Shri Jagannathrao Joshi:

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the names of the persons appointed to the post of Manager in each Branch of State Trading Corporation in the country during the last one year indicating the dates since when each of them has been appointed;

(b) the number of Managers among them who were not appointed on the basis of open selection as also the number of those still working on probation; and

(c) the particulars of qualifications, experience, pay and allowances and other facilities in resepct of such officers?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh): (a) The information is given in the statement at Annexure I. [Placed in the Library, See No. LT-9734/75].

(b) All the Managers were appointed on the basis of open selection and all of them are still on probation, as they are yet to complete the normal period of one year of probation.

(c) The information is given in the statement at Annexure II.

साहू जैन उद्योग समूह के अन्तर्गत सीमेंट कारखानों द्वारा उत्पादन शुल्क का अपवंचन

9316. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि साहु जैन उद्योग समूह के कुछ सीमेंट कारखानों में दो दरवाजों की व्यवस्था है और उत्पादन-शुल्क अधिकारी इस बात की जानबूझ कर उपेक्षा करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र सदन-पटल पर रख दी जायेगी ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में वेतनमान

9317. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों के पुराने वेतन-मानों और अब वहां लागू वेतन-मानों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) वे वेतनमान कितना अलग अलग समूहों के अन्तर्गत आते हैं और प्रत्येक अवस्था पर कार्य और उत्तरदायित्व किस प्रकार का है ;

(ग) क्या ये सभी सरकारी क्षेत्र के एककों पर एक समान रूप से लागू होते हैं और यदि नहीं, तो उनमें क्या अन्तर है ;

(घ) क्या ये पुनरीक्षित वेतनमान नियत करते समय गैर-सरकारी उद्योगों में लगभग उन्हीं स्तरों पर दिया जाने वाला वेतन ध्यान में रखा जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस उद्देश्य से अन्य क्या सिद्धांत अपनाये जाते हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार की कम्पनियां पहले सामान्यत: केन्द्रीय सरकार के वेतनमानों का अनुसरण कर रही थीं। किन्तु बाद में उनमें से अधिकांश ने अपनी विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी स्वयं की वेतन नीतियां निर्धारित कर ली हैं। अब कई प्रकार के वेतनमान हैं जो केन्द्रीय सरकार की 125 से भी अधिक कम्पनियों में उनकी अपनी निजी आवश्यकता के अनुसार लागू हैं। इन वेतनमानों में संशोधन सरकार के वेतन-मानों की भांति मोटे तौर पर महंगाई वेतन को मूल वेतन में मिलाकर किया गया है।

(ग) से (ङ) : सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों में वेतन स्तरों का निर्धारण सामान्यत: औद्योगिक एवं प्रादेशिक आधार पर द्विपक्षीय बातचीत और अधिनिर्णय के द्वारा किया जाता है। अत: उनमें पूरी तरह एकरूपता नहीं आ सकती। अभी हाल ही के वर्षों में वेतनमानों में संशोधन करते समय सरकार ने तुलनात्मक वेतन स्तरों की असमानताओं और असंगतियों को दूर करने का प्रयास किया है। सरकार ने कुछ समय से अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने वाले मुद्रास्फीति के दबावों पर भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखा है।

सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों में निदेशक, प्रबंध निदेशक तथा अध्यक्ष के स्तर के पदों पर नियुक्तियां सरकार द्वारा की जाती हैं अत: इन पदों के वेतनमान भी सरकार द्वारा ही निश्चित किए जाते हैं। इन पदों पर लागू होने वाले चार वेतन मान हैं :—

अनुसूची "क"	3500–125–4000 रु०
अनुसूची "ख"	3000–125–3500 रु०
अनुसूची "ग"	2500–100–3000 रु०
अनुसूची "घ"	2000–100–2500 रु०

इन पदों के लिए वेतनमान का निर्धारण प्रत्येक पद की जिम्मेदारियों का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करके किया जाता है। ये मूल्यांकन कर × सम्बद्ध मापदंड जिसमें पूंजी निवेश, कुल बिक्री, रोजगार, प्रौद्योगिकी, संगठनात्मक समस्याएं आदि शामिल हैं, के आधार पर किया जाता है। सरकार ने यह स्वीकार नहीं किया है कि जो पारिश्रमिक निजी क्षेत्र में मिलता है वह इन पदों के वेतनमानों पर भी लागू हो। अनुसूची 'क' के वेतनमान को छोड़ कर इन में से कोई भी वेतनमान संशोधित नहीं किया गया है।

भारतीय रुई निगम में अनुसूचित जातीय/अनुसूचित जनजातीय कर्मचारी

9318. **श्री एस० एस० कस्तूरे** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रूई निगम में सेवाओं के विभिन्न वर्गों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कुल कितने कर्मचारी हैं ;

(ख) क्या विभिन्न वर्गों में सेवाओं में इन समुदायों की नियत अनिवार्य प्रतिशतता को देखते हुए इसमें अनुसूचित जातीय तथा अनुसूचित जनजातीय कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सेवाओं के विभिन्न वर्गों में इस समुदाय के लोगों की संख्या बढ़ाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) 53

(ख) श्रेणी 1 तथा श्रेणी 2 के अलावा सभी वर्गों के सम्बन्ध में प्रतिशतता पर्याप्त है।

(ग) इस समय निगम संगठनात्मक कर्मचारियों सहित सभी ऊपरी व्यय में कटौती करने का विचार कर रहा है। तथापि कर्मचारियों की कटौती तथा पुन : विस्तार की प्रक्रिया को लागू करते समय आरक्षण की अपेक्षित प्रतिशतता को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जायेगा।

अखिल भारतीय राजकीय सहकारी बैंकों द्वारा छोटे तथा सीमान्त कृषकों के लिये ब्याज की कम दरें लागू करने का सुझाव

9319. **श्री भान सिंह भौरा** :क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय राजकीय सहकारी बैंक फेडरेशन ने लघु और सीमांत कृषकों के लिये ब्याज की कम दरें लागू करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) : सरकार को, अभी तक अखिल भारतीय राज्य सहकारी बैंक परिसंघ से छोटे और सीमांत (मार्जिनल) किसानों के वास्ते ब्याज की कम-देर लागू करने के लिये कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। यह सूचित किया गया है कि संघ ने अपने बोर्ड की बैठक में इस मामले पर विचार किया है और अपने सदस्य बैंकों से यह अनुरोध किया है कि वे सहकारी क्षेत्र में विभेदी-ब्याज दरें लागू करने के लिये आवश्यक विवरण तैयार करें।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

धनी देशों से निर्धन देशों को संसाधनों के हस्तांतरण की योजना

9320. **श्री धनशाह प्रधान** :क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटेड नेशनल कानफ्रेंस आन ट्रेड एंड डेवलपमेंट (अंकटाड) ने प्राथमिक वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय रूप से रखे जाने वाले रक्षित भंडारों की स्थापना करके धनी देशों से निर्धन देशों को संसाधन हस्तांतरण की योजना आरम्भ की थी ;

(ख) क्या सरकार ने समूची योजना का अध्ययन किया है, यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यूनाइटेड नेशनल कांन्फ्रेंस आन ट्रेड एंड डेवेलपमेंट द्वारा आरम्भ की गई योजना से भारत में इन वस्तुओं के मूल्य किस सीमा तक सुदृढ़ तथा स्थायी होंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) अप्रैल–मई, 1974 में हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा के छठें विशेष सत्र में स्वीकार किये गये कार्यवाही के कार्यक्रम में विकासशील देशों के निर्यात हित की विविध वस्तुओं के लिए समग्रतः समेकित कार्यक्रम को आवश्यक बताया और इस क्षेत्र में अंकटाड के कार्यों को सुदृढ़ बनाने के लिए विशिष्ट सिफ़ारिशें की। इसके जवाब में अंकटाड सचिवालय ने वस्तुओं से संबंधित समेकित कार्यक्रम पर अध्ययन तैयार किये। कीमत स्थिर करने के लिए समीकरण भंडार व्यवस्था समेकित कार्यक्रम का एक मुख्य तत्व होगा।

फरवरी, 1975 में हुए अंकटाड की वस्तु समिति के आठवें सत्र में यह मंजूर किया गया कि अंकटाड अन्य बातों के साथ साथ स्टाक व्यवस्थाओं आदि के वित्त पोषण की शर्तों, तकनीकों और संभाव्य सौदों का सुझाव देते हुए समेकित कार्यक्रम के संघटकों और विस्तृत उपबंधों को और आगे सुसम्पादित करेगा।

भारत सरकार ने सिद्धांत रूप से अंकटाड के अभिक्रम का समर्थन किया है और अपनी निर्यात योग्य वस्तुओं के सम्बद्ध में समतापूर्ण तथा उचित व्यवहार प्राप्त करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही करेगा। लेकिन इस अवस्था में इन प्रस्तावों से कोई विशिष्ट निष्कर्ष अभी नहीं निकाला जा सकता।

तम्बाकू कम्पनियों की आस्तियां

9321. श्री शशि भूषण : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन टोबेकों कम्पनी लिमिटेड, बजीर सुल्तान टोबेको कम्पनी लिमिटेड और गौडफ्र फिलिप्स इंडिया लिमिटेड की प्रदत्त पूंजी का ढांचा क्या है ;

(ख) प्रमुख विदेशी अंशधारी कौन कौन हैं और उनके कितने कितने शेयर हैं ;

(ग) वर्ष 1957, 1965 और 1974 में अधिकांश विदेशी स्वामित्व वाली तीन कम्पनियों की कुल आस्तियां मूल लागत पर कितनी थी और क्या विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम अथवा अन्य अधिनियम के अन्तर्गत सरकार ने उक्त वृद्धि की अनुमति दी थी, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

विवरण

1. इंडियन टोबेको कम्पनी लिमिटेड :—

शेयर पूंजी :—10–10 रुपये के सामान्य शेयरों में 18,95,00,000 रूपये की सामान्य पूंजी। प्रमुख विदेशी शेयर होल्डरों और उनकी शेयर पूंजी की सूचना नीचे दी गयी गयी है :—

(i) टोबेको मेन्युफैक्चरर्स (इंडिया) लिमिटेड, यू०के०	8,27,74,610 रु०
(ii) टोबेको इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड यू०के०	2,64,72,160 रु०
(iii) रोथमैन्स इंटरनेशनल लिमिटेड, यू०के०	43,06,480 रु०
जोड़	11,35,52,250 रु०

2. वजीर सुल्तान टोबेको कम्पनी लिमिटेड :

शेयर पूंजी : 10-10 रुपये के सामान्य शेयरों में 377 लाख रुपये की सामान्य पूंजी, जिसमें 7 अप्रैल, 1975 को विवरण-पत्र द्वारा भारतीयों को जारी किये गये 177 लाख रुपये के शेयर भी शामिल हैं। जिसमें से इस समय केवल 50 प्रतिशत पूंजी मांगीगयी है, प्रमुख विदेशी शेयर होल्डरो और उनकी शेयर पूंजी की सूचना नीचे दी गयी है :—

	रु०
(i) रेले इन्वेस्टमेंट कंपनी लि०, यू०के०	88,38,920
(ii) टोबेको मेन्यूफैक्चरर्स (इंडिया) लि०, यू०के०	31,22,420
(iii) टोबेको इन्वेस्टमेंट्स लि०, यू०के०	9,98,600
() रो मैन्स इंटरनेशनल लि०, यू०के०	1,62,460
जोड़	1,31,22,400

3. ग्राडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड:

शेयर पूंजी : 10-10 रुपये के सामान्य शेयरों में 68,34,900 रुपये की पूंजी और 100-100 रुपये के तरजीही शेयरों में 30,00,000 रुपये की पूंजी को मिला कर कुल 98,34,900 रुपये की पूंजी अधिकांश शेयर फिलिप्स मारिस इंटरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका के पास हैं जिसकी सामान्य शेयर पूंजी 55,49,240 रुपये है ।

कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण के लिये विश्व बैंक द्वारा ऋण

9322. **श्री सोमनाथ चैटर्जी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण की परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक ने कोई ऋण मंजूर किया है, और ये ऋण किन शर्तों पर मंजूर किया गया है ;

(ख) क्या कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण को ऋण की राशि उपलब्ध कराई जा रही है ; और

(ग) क्या उक्त ऋण की राशि के किसी भाग का प्रयोग सी० एम० डी० ए० परियोजनाओं के स्थान पर अन्य परियोजनाओं के लिए किया जा रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्): (क) भारत ने कलकत्ता में कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण की परियोजनाओं के लिए 350 लाख डालर (लगभग 26 करोड़ रुपये) के ऋण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ एक करार किया है। इस ऋण पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।

लेकिन $\frac{3}{4}$ प्रतिशत का सेवा प्रभार लगता है । यह ऋण 10 वर्ष की रियायती अवधि सहित 50 वर्षों में चुकाया जाता है ।

(ख) और (ग) . यह राशि, केन्द्र से राज्यों को अन्तरित की जाने वाली रकमों की सामान्य प्रक्रिया के एक भाग के रूप में राज्य सरकार को उपलब्ध की जानी है ।

श्रेणी II के आयकार अधिकारियों की पदोन्नति

9323. **श्री एस० ए० कादर :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे वेतन आयोग ने श्रेणी II के आयकर अधिकारियों को श्रेणी एक में पदोन्नत करने की सिफारिश पर बल दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसे कब क्रियान्वित किया गया था और कितने अधिकारियों को उक्त लाभ दिया गया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): (क) तृतीय केन्द्रीय वेतन आयोग ने ऐसी कोई सिफारिश नहीं की है कि द्वितीय श्रेणी के आयकर अधिकारियों को प्रथम श्रेणी में तरक्की देने पर, ऐसे पदोन्नत अधिकारियों और श्रेणी–I में सीधी भरती से आये आयकर अधिकारियों के बीच पारस्परिक वरिष्ठता निर्धारित करने के प्रयोजन से पदोन्नत अधिकारियों को वेटेज (weightage) दिया जाय ।

(ख) और (ग) : ये प्रश्न नहीं उठते ।

सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा गुजरात में छापे

9324. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमाशुल्क अधिकारियों ने इस वर्ष के प्रारंभ में निषिद्ध वस्तुओं का पता लगाने के लिए गुजरात में कितने छापे मारे ;

(ख) क्या कुछ बड़े व्यापारियों को, जिनके गुजरात में बड़े-बड़े औद्योगिक गृह हैं ; प्रशासन में उनके प्रभाव के कारण नहीं छुआ गया है ; और

(ग) राज्य में वर्ष 1975 में छापे जारी रखने के संबंध में क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) (क) सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा गुजरात में जनवरी, 1975, फरवरी, 1975 और मार्च, 1975 के महीनों में कुल मिलाकर क्रमश : 32, 52 और 84 छापे मारे गये ।

(ख) सीमाशुल्क अधिकारी कानून द्वारा यथा प्राधिकृत तलाशियां लेते हैं और किसी भी मामले को, जहां तलाशी लेना उचित रहा हो, इसलिए नहीं छोडा जाता कि जिन व्यक्तियों की तलाशी ली जानी है वे प्रभावशाली हैं ;

(ग) निवारक और गुप्त सूचना कर्मचारी बढ़ा दिए गए हैं, और पुरस्कार प्रदान कर सूचकों को विश्वसनीय सूचना देने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है । इस प्रकार प्राप्त सूचनाओं के आधार पर जब कभी आवश्यक होगा, छापे मारे जायेंगे ।

कालीन के अस्तर पर उत्पादन शुल्क

9325. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात उत्पादन विभाग के सचिव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने सरकार से कालीन के अस्तर पर उत्पादन शुल्क समाप्त करने की सिफारिश की है जिससे अमरीका और कनाडा की मंडियों में भारतीय पटसन उत्पाद प्रतिस्पर्धा कर सकें ।

(ख) क्या उपर्युक्त प्रतिनिधिमंडल, जो तथ्यों का पता लगाने गया था, इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि मूल कालीन अस्तर के मामले में भारत तेजी से अपनी धारणा खो रहा है दूसरे कालीन अस्तर के मामले में यह अपनी खोई हुई स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है, यदि मूल्य प्रतिस्पर्धात्मक हों ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). फरवरी, 1975 में सचिव (निर्यात उत्पादन) की अध्यक्षता में सं० रा० अमरीकी तथा कनाडा को गये पटसन प्रतिनिधिमंडल ने सिफारिश की थी कि पटसन कालीन अस्तर को इसके संश्लिष्ट स्थानापन्न के साथ प्रतियोगी बनाने के लिये तत्काल कदम उठाये जायें ताकि उत्तरी अमरीकी बाजारों में पटसन निर्यातों के भाग को बनाया रखा जा सके ।

(ग) सरकार ने तब से उसके बाद प्राइमरी तथा सेकेण्डरी कालीन अस्तर पर निर्यात शुल्क हटा दिया है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रत्याभूतियों के बिना दिये गये ऋण

9326. **श्रीशरद यादव** : (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राष्ट्रीयकृत बैंकों में वरिष्ठ बैंक अधिकारियों ने आवश्यक प्रत्याभूति प्राप्त किये बिना अथवा झूठे एवं फर्जी नामों पर ऋण दे रखे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ऋण नीति और इसके द्वारा इस विषय में समय-समय पर जारी किये गये निदेशों/मार्ग दर्शक सिद्धांतों के ढांचे के भीतर, वरिष्ठ अधिकारियों सहित, राष्ट्रीयकृत बैंक के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा ; उन्हें प्रत्यायोजित (डेलीगेटेड) अधिकारों के अनुसार ही ऋण मंजूर किये जाते हैं । ऋण मंजर करते समय, ऋणकर्त्ता की पहचान, यदि कोई गारंटी ली जानी हो उस गारंटी आदि सहित

प्रक्रिया सम्बन्धी तथा अन्य आवश्यकताओं के सम्बन्ध में बैंक द्वारा निर्धारित निदेशों का भी पालन किया जाता है । जब ऋण मंजूर करने वाले अधिकारियों द्वारा निर्धारित निदेशों की अनुचित उपेक्षा, अथवा ऋणकर्त्ता द्वारा जालसाजी करने या गलत जमानत दिये जाने आदि की घटनायें प्रकाश में आती हैं तो सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध बैंक द्वारा समुचित कार्रवाई की जाती है ।

वेस्टर्न इलैक्ट्रोनिक (प्राइवेट) लिमिटेड ओखला, दिल्ली

9327 **श्री अटल बिहारी वाजपेयी:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970 से वैस्टर्न इलेक्ट्रोनिक लिमिटेड, 244 ओखला इंडस्ट्रियल, दिल्ली के पक्ष में दिये गये आयात लाइसेंसों / अधिकार पत्रों और निर्मुक्त आदेशों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) वास्तव में उक्त लाइसेंसों पर कितने मदों का आयात किया गया तथा उनकी कीमत कितनी है ;

(ग) फर्म के अंतिम-उत्पादों के नाम क्या हैं और उन्हें कितनी मात्रा के लिये लाइसेंस दिये गये ;

(घ) उक्त अवधि में फर्म द्वारा बनाये गये अंतिम उत्पादों के निर्यात का ब्यौरा क्या है ;

(ङ) निर्यात संवर्धन योजनाओं के माध्यम से प्राप्त आयात अधिकारों का ब्यौरा क्या है ; और

(च) भारत के बाहर उन फर्मों के नाम और पते क्या हैं जिनसे उन्हे निर्यात के लिये क्रयादेश प्राप्त हुए और उनका वार्षिक मूल्य कितना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) आयात लाइसेंसों/रिलीज आर्डरों का ब्यौरा आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित वीकली बुलेटिन्स ऑफ इंडस्ट्रीयल, लाइसेंसिस, इम्पोर्ट लाइसेंसिस एंड एक्सपोर्ट लाइसेंसिस में प्रकाशित किया जाता है । इस फर्म को जारी किए गए प्राधिकार पत्र के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) वास्तविक आयातों के बारे में जानकारी फर्मवार नहीं रखी जाती है ।

(ग) मैसर्स वेस्टर्न इलैक्ट्रानिक्स प्राइवेट लि०, ओखला औद्योगिक एस्टेट, नई दिल्ली इलैक्ट्रानिक्स उद्योग में आने वाले अंतिम उत्पादों को तैयार करने के लिए 1974–75 के दौरान वास्तविक प्रयोक्ता लाइसेंस प्राप्त किया है । आयात लाइसेंस मूल्य के रूप में जारी किए जाते हैं, मात्राओं के रूप में नहीं ।

(घ) निर्यातों का ब्यौरा फर्मवार नहीं रखा जाता है ।

(ङ) आयात लाइसेंसों तथा रिलीज आर्डरों का ब्यौरा आयात-निर्यात के मुख्य नियंत्रक, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित वीकली बुलेटिन आफ इंडस्ट्रीयल लाइसेंसिस, इम्पोर्ट लाइसेंसिस एंड एक्पोर्ट लाइसेंसिस में प्रकाशित किया जाता है ।

(च) निर्यातों का ब्यौरा फर्मवार नहीं रखा जाता है ।

जीवन बीमा निगम द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र में धन लगाना

9328. **श्री डी० पी० जदेजा :**

श्री एन० आर० बेकारिया : श्री एन० आर० वेकारिया : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम के गैर सरकारी क्षेत्र में धन लगाने में कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी और उसके क्या कारण है ; और

(ग) धन बाजार पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) :(क) जी नहीं । पिछले तीन सालों के दौरान गैर-सरकारी निगमित क्षेत्र में भारत के जीवन बीमा निगम के कुल सकल निवेश नीचे दिये अनुसार थे :—

वर्ष	गैर-सरकारी क्षेत्र	(करोड़ रुपयों में) कुल सकल निवेश	(2) का (3) से प्रतिशत–अनुपात
1	2	3	4
1972–73	13.59	369.97	3.67
1973–74	19.85	378.73	5.24
1974–75 (अनन्तिम)	32.69	452.63	7.22

(ख) तथा (ग) : ये प्रश्न नहीं उठते ।

Arrears of overdrafts outstanding against States

9329. **Shri Shankar Dayal Singh:**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the amount of arrears outstanding against various States as on 31st March, 1975 on account of overdrafts made by them;

(b) whether Centre had issued any directions to the States in regard to recovery of the amount of overdrafts; and

(c) if so, the main points thereof?

The Minister of Finance (Shri C. Subramaniam): (a) The total of the unadjusted overdrafts of States as on 31st March, 1975 was Rs. 106.96 crores.

(b) and (c). The Centre proposes to hold consultations with the State Governments regarding their financial position and resources for the Plan in 1975-76 in the light of their closing balances for the years 1974-75 and other relevant factors.

बीमा सम्बन्धी झूठे दावों में वृद्धि

9330. **श्री मधु लिमये :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में सामान्य बीमा कारोबार के राष्ट्रीयकरण के बाद, बीमा सम्बन्धी झूठे दावों में तेजी से वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केवल मोटरगाड़ियों सम्बन्धी ऐसे दावों की राशि ही करोड़ों रुपयों में हैं ;

(ग) क्या इन झूठे दावों की कोई जांच की गई है ;

(घ) क्या इस जालसाजी के लिए उत्तरदायी अधिकारियों और कर्मचारियों पर मुकदमें चलाये गये हैं और उन्हे दंडित किया गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो जांच न करने और दोषी पाये गये लोगों को दंडित न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ङ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और उपलब्ध होते ही सदन-पटल पर रख दी जायगी ।

पटसन उद्योग को ऋण सुविधायें

9331. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन उद्योग ने अतिरिक्त ऋण सुविधायें तथा निर्यात शुल्कों में और कमी करने का अनुरोध किया है ;

(ख) क्या सरकार ने उसके अनुरोध को स्वीकार करने का निर्णय किया है और यदि हां, तो किस सीमा तक तथा किन आधारों पर ; और

(ग) क्या सरकार ने मिलों के उत्पादन में कमी करने की बात भी मान ली है जिसके फलस्वरूप श्रमिकों की छंटनी । जबरन छुट्टी होगी ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ;

(ख) समग्र स्थिति पर विचार करने के पश्चात् प्राइमरी तथा सेकेण्डरी कालीन अस्तर पर से निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया गया है । भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण के प्रयोजनों के लिए तैयार माल के स्टाक की सीमा को बढ़ा दिया है ।

(ग) जी नहीं ।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड

9332. **श्री सरजू पांडे :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में अनेक ऐसे विदेशी प्रभुत्व वाली कम्पनियां हैं जो हमारी अर्थ–व्यवस्था के कम प्राद्योगिकी वाले और अधिक लाभ देने वाले आम खपत की वस्तुओं की क्षेत्र में कार्यरत है ;

(ख) क्या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के संचालन को प्रशासित करने वाले मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन निर्धारित ऐसी कम्पनियों की सी० ओ० बी० समय-सीमा काफी पहले समाप्त हो गई थी

(ग) क्या हिन्दुस्तान लीवर लि० जिसमें 85 प्रतिशत यूनीलीवर की होल्डिंग है और जो डालडा, लाइफबाय, लक्स, रैक्सोना और सर्फ जैसी आम खपत की वस्तुओं का उत्पादन करती है, ऐसी एक कम्पनी है ;

(घ) क्या हिन्दुस्तान लीवर लि० शार्प एज लि० का भी प्रबंध संभालती है और उसका नियंत्रण करती है, जो आम खपत की एक अन्य वस्तु–इरस्मिक ब्लैडों का उत्पादन करती है और यदि हां, तो इतने अधिक विदेशी हितों को रखने के लिए हिन्दूस्तान लीवर लिमिटेड को अनुमति देने के क्या कारण है ; और

(ङ) हिन्दूस्तान लीवर लिमिटेड का कब तक पूर्ण भारतीयकरण किये जाने की संभावना है ।

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) से (ङ) : बिदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 की धारा 29 के अन्तर्गत भारत से काम कर रही विदेशी कम्पनियों की सभी शाखाओं और ऐसी भारतीय कम्पनियों को, जिनमें गैर-आवासियों के 40 प्रतिशत से अधिक शेयर हैं, अपने मौजूदा कारोबार को जारी रखने के लिये 31 अगस्त 1974 तक भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति लेना जरूरी था । इनमें से कुछ कम्पनियां उपभोक्ता वस्तुएं तैयार करती है । हिन्दुस्तान लीवर लि० ऐसी ही कंपनी है और इसके शार्पएज लिमिटेड में कुछ इक्विटी शेयर है । हिन्दूस्तान लीवर लिमिटेड ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 की धारा 29 के अन्तर्गत आवेदनपत्र दिया है जिसकी बिदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 की धारा 29 के अन्तर्गत जारी किये गये निर्देशों के अनुसार जांच की जा रही है ।

जूट इन्टरनेशनल की स्थापना करना

9333. **श्री बनमालो बाबू** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास परियोजना अध्ययन ने जूट इंटरनेशनल की स्थापना करने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावित निकाय के संविधान का मसौदा क्या है और उसके मुख्य भागीदार देशों के क्या नाम हैं ;

(ग) इस निकाय का मुख्यालय कहां होगा ; और

(घ) प्रस्तावित जूट इंटरनेशनल के मुख्य कृत्य तथा उद्देश्य क्या होंगे ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार की गई परियोजना के सम्बन्ध में डैस्क समीक्षा पर भाग लेने वाली सरकारें विचार कर रही है ? भारत के अलावा बंगलादेश और नेपाल ने जूट इंटर-नेशनल में भाग लेने के लिए अपनी इच्छा प्रकट की है ।

(ग) इसका मुख्यालय भारत में रखने की प्रस्थापना है ।

(घ) प्रस्तावित जूट इंटरनेशनल का मुख्य कार्य तथा उद्देश्य पटसन माल से अनुसंधान विकास और संवर्धन में अतर्राष्ट्रीय सहयोग है ।

जूट के निर्यात के बारे में बंगलादेश के साथ बातचीत

9334. **श्री राम हैंडऊ** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वफर स्टाक कार्यों के माध्यम से जूट के निर्यात, कच्चे जूट के मूल्य तथा जूट का सामान बनाने के बारे में भारत और बंगलादेश के बीच हाल ही में कोई बातचीत हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) अनौपचारिक वार्त्ताओं के दौरान भारत और बंगलादेश इस बात पर सहमत हो गये हैं कि पटसन के समीकरण भंडार संचालनों की वित्त पोषण योजना के ब्यौरों के विषय में अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निधि से पता लगाया जाये ।

औरंगाबाद में कोर्न-मीट फैक्टरी

9335. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रुक बौंड इंडिया को औरंगाबाद में 4.5 करोड़ रुपये की लागत से कोर्न-मीट फैक्टरी स्थापित करने के लिये कोई आशय पत्र जारी किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त फैक्टरी के सम्पूर्ण उत्पादन का निर्यात किया जायेगा ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) विविधिकरण तथा निर्यात आय के नाम पर विदेशी एकाधिकार–फर्म को विस्तार करने की अनुमति क्यों दी जा रही है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां । मैसर्स ब्रुक बांड इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता को कोर्न–मीट तथा अन्य उपोत्पाद तैयार करने के लिए महाराष्ट्र राज्य के एक पिछड़े जिले में एक नया उपक्रम स्थापित करने के लिए एक आशय पत्र दिया गया है । संयंत्र की लागत अनुमानत : 404 लाख रु० है ।

(ख) जी हां। संपूर्ण उत्पादन का 10 वर्षों के अवधि के लिए निर्यात किया जाना है जिसे सरकार के स्वविवेक पर और पांच वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है।

(ग) मैसर्स ब्रुक बांड इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता को, मुख्य उत्पादन के रूप में 10,740 मैट्रिक टन कोर्न मीट तथा निस्सारण, सोप स्टाफ मीडियम, बोन मील, चर्बी तथा अर्ध–तैयार और तैयार चमड़े जैसे अन्य उपोत्पाद तैयार करने के लिए आशय पत्र, सं० 955 (74) दिनांक 26 अक्तूबर, 1974 जारी किया जा चुका है।

(घ) इस प्रस्थापना पर सम्बन्धित विभिन्न विभागों (तकनीकी विकास के महानिदेशक, लघु उद्योग के विकास आयुक्त तथा कृषि विभाग) द्वारा विचार किया गया था और उसे एकाधिकार तथा निर्बन्धकारी व्यापारिक व्यवहार दृष्टिकोण से भी स्वीकार्य पाया गया। यह आकर्षक प्रतीत हुआ कि संपूर्ण–उत्पादन निर्यात किया जाए जिससे भारी मात्रा में निर्बल विदेशी मुद्रा की आय हो। आवेदनकर्त्ता विदेशों में इक्विटी की 75 प्रतिशत से घटा कर 60 प्रतिशत करने के लिए भी सहमत हो गया है।

भारत पर्यटन विकास निगम के मुख्यालय प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों तथा अधिकारियों के वेतनमान

9336. **श्री रानेन सेन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के मुख्यालय प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों तथा अधिकारियों को सामान्य सेवा शर्तों, अवकाश तथा छुट्टियों, वेतन-मानों तथा भत्तों, वेतन निर्धारण सूत्र तथा अनुषंगी लाभों का निर्धारण उन्हीं नियमों के अधीन होता है जिनके अधीन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियां तथा अधिकारियों का होता है ;

(ख) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम के मुख्यालय प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन-मान तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पुनरीक्षित किये जा चुके हैं तथा अदायगियां की जा चुकी हैं ; और

(ग) यदि हां, तो भारत पर्यटन विकास निगम के मुख्यालय प्रतिष्ठानों के उन अधिकारियों के वेतन मानों का पुनरीक्षण न करने के क्या कारण हैं जिनकी सामान्य सेवा शर्तें भी केन्द्रीय सरकारी अधिकारियों पर लागू नियमों के अनुसार निर्धारित होती हैं, और जो वही वेतन-मान पा रहे हैं जो अधिकांश केन्द्रीय सरकारी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को मिलते हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सामान्यतया भारत पर्यटन विकास निगम के मुख्यालय के कर्मचारियों तथा अधिकारियों की सेवा शर्तें, छुट्टियां तथा अवकाश, वेतनमान, वेतन निर्धारण फार्मूला, मंहगाई भत्ता और नगर भत्ता केन्द्र सरकार के कर्मचारियों तथा अधिकारियों के समान ही हैं। तथापि, जैसाकि अन्य सरकारी उद्यमों में है।

विश्व की विमान सेवा कम्पनियों द्वारा अपनाई जा रही अस्वस्थ व्यापार प्रक्रियाओं का एयर इंडिया पर प्रभाव

9337. **श्री एम० कतायुत** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व की विमान सेवा कम्पनियों में अस्वस्थ व्यापार प्रक्रियायें अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप एयर इंडिया की व्यापार-क्षमता पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में सरकार चिन्तित है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) (क) और (ख) : यद्यपि किसी विशेष विमान कम्पनी के विरुद्ध कोई निश्चित तथा ठोस प्रमाण नहीं हैं, यह विश्वास करने के कारण हैं कि कतिपय अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियां आई० ए० टी० ए० किरायों में कटौती करती हैं तथा भ्रष्टाचार में लगी हुई हैं।

(ग) और (घ) : सरकार ऐसे भ्रष्टाचार के बारे में चिन्तित है परन्तु एयर इंडिया का व्यापार संभाव्यताओं पर इसके प्रभावों का मूल्यांकन करना कठिन है। इससे निपटने के लिए हाल में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(i) भारत/यू० के०, भारत/यू० एस० ए० के बीच विशेष छूट किराए तथा भारत फ्रांस व भारत/स्विट्जरलैंड के बीच विशेष युवा किराए चालू करना।

(ii) कायुयान नियमों में एक नियम का समावेश करके विमान कम्पनियों के लिए यह अनिवार्य करना कि वे अपने टैरिफ अनुमोदन के लिए नागर विमानन के महानिदेशक के पास दायर करें।

(iii) यह सहमति हुई है कि भ्रष्टाचार का पता लगाने की दृष्टि से "टैस्ट" टिकटों को खरीद करने के लिए आई० ए० टी० ए० के क्रियान्वयन अधिकारियों (कम्प्लाएंस आफिसर्स) को विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएं।

M.M.T.C's Agreement with Soviet Union for Export of Mica

9338. **Shri Ramavatar Shastri**: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether the recent agreement between M.M.T.C. and U.S.S.R regarding export of mica has helped to overcome the crisis or recession in mica trade; and

(b) if so, the broad features in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh): (a) There was no crisis or recession in mica trade Exports of processed

mica in 1974-75 were of the order of Rs. 16.5 crores. Contracts concluded by the Mica Trading Corporation this year with U.S.S.R. and other countries will assist mica industry in maintaining their normal level of production and exports.

(b) The Mica Trading Corporation had already supplied orders valued at Rs. 16.4 crores for supply of processed mica as on 1st March, 1975.

रबड़ की चीजें बनाने वालों को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर देशीय रबड़ की सप्लाई

9339. **श्री बरके जार्ज :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रबड़ की चीजों का निर्माण करने वालों को निर्यात-उत्पादन के लिये अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर देशीय रबड़ की सप्लाई करने की कोई योजना आरम्भ करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) : रबड़ की चीजों का निर्माण करने वालों ने सरकार को एक अभ्यावेदन दिया है कि निर्यात उत्पादन के प्रयोजन हेतु उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर प्राकृतिक रबड़ सप्लाई किया जाये। सरकार सम्बन्धित रबड़ अंश तथा लागत पहलुओं पर विचार कर रही है ताकि यह हिसाब लगाया जा सके कि उन्हें राहत देना आवश्यक है या नहीं और यदि है तो कितनी मात्रा तक आवश्यक है।

Export of Sugar

9340. **Shri Shrikrishna Agarwal:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether sugar was exported through an international cartel before 1974 as a result of which it was fetching very low prices;

(b) whether sugar is being exported by State Trading Corporation through a Swiss Company after 1974 resulting in substantial increase in its price and if so, the facts thereof;

(c) whether the said international cartel is making efforts to see that sugar is not exported through the Swiss company; and

(d) if so, the action being taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh): (a) No, Sir.

(b) Apart from sales to Governmental agencies in Iran, Sri Lanka, Maldives and Qatar, the STC has been selling sugar to the highest bidders amongst international buyers, the Swiss Company being one of them. Prices during 1974-75 ruled high due to international demand and supply conditions.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Opening of Branch of National Bank in the Area of Rani Railway Station, Pali District

9341. **Shri M. C. Daga:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether there is any branch of any nationalised bank in the area of Rani railway station, Pali district to provide loan and other facilities to small industrialists of Rani Industrial Estate; and

(b) if not, whether Government propose to open a branch there and if so, when?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi): (a) and (b): Reserve Bank of India has reported that while there is no branch of a public sector bank at Rani in District Pali (Rajasthan), a branch of a private sector bank—Bank of Rajasthan Limited—located at this centre is currently catering to the banking needs of the area.

Commercial banks, including the public sector banks, undertake branch expansion within the framework of three-year rolling plans, after assessing the availability of infrastructure facilities as also the potential of the centre to sustain a bank office. The Reserve Bank has reported that currently there is no application with it from any public sector bank to open a bank office at Rani.

साबरीमाला का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

9342. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान साबरीमाला (केरल) का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास करने हेतु क्या-क्या योजनाएं तैयार की गई हैं ; और

(ख) इन योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) : तीर्थ स्थानों पर सुविधाओं का विकास करना मूलरूप से राज्य सरकारों का दायित्व है। पांचवीं योजना के प्रारम्भ में साबरीमाला में आवास तथा अन्य सुविधाओं का विकास करने के लिये राज्यीय क्षेत्र मे व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया गया है।

स्टेट बैंक आफ इंडिया के अधिकारियों के मंहगाई भत्ते में वृद्धि

9343. **श्री बालकृष्ण वेंकन्ना नायक:**
श्री शशि भूषण :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहबाद बैंक के अधिकारियों को पिछले दस दिनों के भीतर उनके महंगाई भत्ते में वृद्धि की मंजूरी दी गई है ;

(ख) क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया के अधिकारियों द्वारा आन्दोलन और 4 अप्रैल, 1975 को सांकेतिक हड़ताल किये जाने के बावजूद उन्हें उक्त रियायत नहीं दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) : इलाहाबाद बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने अपने 'आफीसर्स-स्टाफ' के महंगाई भत्ते में 1–2–1975 से प्रभावी एक वृद्धि, सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों पर ऐसे विषयों में लागू पद्धति के अनुसार, सरकार को समुचित मंजूरी लिये बिना ही अप्रैल, 1975 में मंजूर कर दी है। सरकार इस मामले की जांच कर रही है।

लाख (शैलक) का निर्यात

9344. **श्री नरेन्द्र सिंह :**

श्री ईश्वर चौधरी :

श्री आर० वी० वड़े : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाख का प्रति 75 किलोग्राम के लिये न्यूनतम निर्यात मूल्य लगभग 1844 रुपये निर्धारित किया गया है जबकि विश्व बाजार में चालू मूल्य उससे बहुत कम है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में और 1974 तथा 1975 के पहले तीन महीनों के प्रत्येक महीने में कितनी लाख (क्विंटलों में) का निर्यात किया गया ; और

(ग) क्या निर्यात में भारी गिरावट आई है और यदि हां, तो कितनी और उसके क्या कारण हैं तथा इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) भारत सरकार ने न्यूतनम (न कि अधिकतम) निर्यात कीमत नियत की थी। चमड़े की चालू अन्तर्राष्ट्रीय कीमत समय समय पर बदलती रहती है और सरकार द्वारा नियत न्यूनतम निर्यात कीमत में तदनुसार समायोजन कर दिया जाता है ?

(ख) वर्ष 1972–73, 1973–74 तथा 1974–75 में भारत के चमड़े के निर्यात क्रमश: 75636, 56077 तथा 70000 क्विंटल हुए। वर्ष 1974 तथा 1975 के पहले तीन महीनों में क्रमश: 13539 तथा 9520 क्विंटल के निर्यात हुए। 1975 के आंकड़े अनन्तिम हैं।

(ग) पिछले दो दशकों में निर्यातों में गिरावट का मुख्य कारण अपेक्षाकृत सस्ते संश्लिष्ट माल से बढ़ती हुई प्रतियोगिता है। उद्योग तथा निर्यातों के हित में चमड़े की मांग बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने गत वर्ष नियत की गई कीमतों की तुलना में न्यूनतम निर्यात कीमतों में मशीन निर्मित ग्रेडों के मामलों में 15 प्रतिशत और हस्तनिर्मित ग्रेडों के मामलों में 22 प्रतिशत कमी कर दी है।

लाख (शैलक) के निर्यात म कमी

9345. **श्री ज्ञानश्वर प्रसाद यादव :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालामऊ (बिहार) जिले के बालुमाट, महुआ, डांड और चियांकी गांवों के आदिवासियों को इन दिनों लाख (कच्ची लाख शैलक) के लिए लगभग 1.50 रुपया प्रति किलोग्राम मिल रहा है जबकि उन्हें गत वर्ष लगभग 11 रुपए मिला करते थे ;

(ख) क्या सरकार द्वारा प्रति 75 किलोग्राम के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य 1844 रुपए निर्धारित किए जाने के कारण, जबकि अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य इससे बहुत कम है, लाख के निर्यात में भारी कमी होने के कारण ऐसा हुआ है ;

(ग) क्या इस कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लाख का उत्पादन करने वाले लगभग 400 कुटीर उद्योगों में काम करने वाले लगभग 25,000 गरीब कर्मचारी भी बेरोजगार हो गए हैं ; और

(घ) इस बारे में पूरे तथ्य क्या हैं और क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) :(क) यह ठीक है कि स्टिक लाख की कीमतों में गत वर्ष की तुलना में बड़ी तीव्रता से गिरावट आई है।

(ख) जी नहीं। गिरावट अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन के साथ साथ मंदी तथा सस्ते संश्लिष्टों से बढ़ती हुई प्रतियोगिता के कारण विश्व बाजार में मांग की कमी के कारण है।

(ग) तथा (घ) निर्यातों में कमी से उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उपचार सम्बन्धी उपाय के रूप में सरकार ने अभी हाल ही में चपड़े की न्यूनतम निर्यात कीमतें गत वर्ष में निर्धारित कीमतों की तुलना में मशीन के बने ग्रेड के सम्बन्ध में 15 प्रतिशत तथा हस्तनिर्मित ग्रेड के सम्बन्ध में 22 प्रतिशत घटा दी हैं जिससे उद्योग तथा निर्यातों के दीर्घकालिक हित में चपड़े की मांग को प्रोत्साहन मिले।

भारतीय व्यापार मेले तथा प्रदर्शिनियों परिषद द्वारा किये जाने वाले व्यय को पूरा करने के लिये राजसहायता

9346. **श्री आर० एन० वर्मन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक देश में कितने व्यापार मेलों में भाग लिया ;

(ख) भारतीय व्यापार मेले तथा प्रदर्शनियां परिषद् द्वारा किए जाने वाले व्यय को पूरा करने के लिए सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक मेले में कुल कितनी राज-सहायता दी ; और

(ग) परिषद के कौन कौन से और किन-किन पदनाम वाले अधिकारियों के विरुद्ध गत तीन वर्षों में कदाचारों अथवा दुराचारों की जांच की गई अथवा उनके विरुद्ध जांच सरकार के विचाराधीन है एवं प्रत्येक अधिकारी के विरुद्ध क्या-क्या आरोप लगाये गए हैं।

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के प्रदर्शनी तथा वाणिज्यक प्रचार निदेशालय और व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों की भारतीय परिषद्, बम्बई ने गत तीन वर्षों में 55 आयोजनों में विदेशों में मेलों में भाग लेने/

दर्शनियां करने की व्यवस्था की (विवरण संलग्न है)।
ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–9735/75]

(ख) व्यापार मेलों में भाग लेने की व्यवस्था करने के खर्च की पूर्ति के लिए उपदान के रूप में गत तीन वर्षों में सरकार ने व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों की भारतीय परिषद को 34.81 लाख रु० की राशि दी है। (विवरण संलग्न है)। **[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए** संख्या एल० टी०–9735/75]।

(ग) सरकार ने कदाचारों या दुराचारों के लिए परिषद के किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई जांच नहीं कराई है और न कोई जांच लम्बित है।

जीवन बीमा निगम द्वारा समर्पण मूल्य

9347. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा द्वारा निधारित किया जाने वाला समर्पण मूल्य पालिसी होल्डरों के लिए बहुत कम होता है ; और

(ख) अन्य देशों की तुलना में उन्हें इतना कम रखे जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) जी नहीं। जीवन बीमा निगम ने एक विस्तृत अध्ययन करने के बाद तथा राष्ट्रीयकरण के पूर्व प्राइवेट बीमा कम्पनियों द्वारा दिये जा रहे समर्पण मूल्यों को भी ध्यान में रखते हुए समर्पण मूल्य निर्धारित किये थे। ये मूल्य कुछ मामूली परिवर्तनों के साथ अब तक कायम रहे, हालांकि, जीवन बीमा निगम के अनुसार, बाजार में प्रचलित ब्याज की ऊंची दरों के कारण परिसम्पत्ति-मूल्यों में गिरावट आने से वर्तममान आर्थिक परिस्थितियों में समर्पण मूल्यों में कटौती करना उचित हो सकता है।

(ख) चूंकि विभिन्न देशों में विद्यमान परिस्थितियां एक जैसी नहीं हैं इसलिये समर्पण मूल्यों की सम्यक् रूप से तुलना नहीं की जा सकती।

औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम द्वारा संकटग्रस्त एककों को दी गई धनराशि

9348. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) वर्ष 1973 और 1974 में विभिन्न एककों को, एककवार, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम द्वारा कितनी धनराशि दी गई ;

(ख) इन संकटग्रस्त एककों में से कितने एकक इस अवधि में समर्थ हो गये हैं, कितने एकक अब भी घाटे पर चल रहे हैं और उनमें से कितने स्थाई रूप से बन्द कर दिये गये हैं ; और

(ग) उन एककों के नाम क्या हैं जिनको अग्रेतर ऋण नहीं दिये जा रहे हैं और उनके अग्रतर ऋण न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम द्वारा पिछले दो वर्षों (जनवरी-दिसम्बर, 1973 और जनवरी-दिसम्बर, 1974) के दौरान 66 विभिन्न औद्योगिक एककों को राज्य-वार और एकक-वार दी गई राशि निम्न प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

क्रम सं0	एकक का नाम	भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम द्वारा वितरित की गई पुनर्निर्माण सहायता	
		1973 के दौरान (जनवरी-दिसम्बर)	1974 के दौरान (जनवरी-दिसम्बर)
1	2	3	4
पश्चिमी बंगाल			
1	सरकार डेरी एण्ड फार्म (प्रा०) लि०	—	—
2	यूनाइटेड सिरियल्स प्रोडक्ट्स लि०	5.34	3.46
3	बंगोदय काटन मिल्स लि०	16.65	1.37
4	मयूराक्षी काटन मिल्स लि०	—	—
5	श्री दुर्गा काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स	5.00	—
6	मोहिनी मिल्स लि०	—	—
7	यंग इण्डिया काटन मिल्स	0.70	—
8	श्री अन्नपूर्णा पेपर एण्ड पल्प (काटेज) इन्डस्ट्री	—	—
9	प्रीति पेपर बोर्ड मिल्स (प्रा०) लि०	0.12	—
10	सतीश पेपर बोर्ड मिल्स लि०	5.40	1.30
11	श्री कृष्ण रबर वर्क्स लि०	1.68	1.78
12	इण्डिया रबर मैन्यूफैक्चर्स लि०	19.31	26.80
13	सी० एस० आई० केमिकल्स इण्डस्ट्री (प्रा०) लि०	—	—
14	आर० के० केमिकल इण्डस्ट्रीज (प्रा०) लि०	0.67	—
15	बंगाल केमिकल एण्ड फारमैस्युटिकल वर्क्स लि०	15.00	25.00
16	डा० बोस लैबोरेट्रीज (प्रा०) लि०	—	0.60
17	के० एम० केमिकल्स (प्रा०) लि०	—	1.10

1	2	3	4
18	नेशनल आयरन एण्ड स्टील क० लि० .	—	15.12
19	एसोसिएटिड एसवी इण्डस्ट्रीज (प्रा०) लि० .	0.59	0.14
20	अल्यूमूनियम मैन्यूफैक्चरिंग कं० लि० . .	9.05	36.18
21	मैकिन्तोष वर्न लि० . . .	12.80	(—) 4.30*
22	सरोज आइरन एण्ड स्टील कं० (प्रा०) लि०	0.34	0.94
23	अन्नपूर्णा मैटल वर्क्स (प्रा०) लि० . .	3.31	1.36
24	आटो मोटिव एन्टरप्राइजिज लि० . .	4.13	3.54
25	कर्न्टनर्स एण्ड क्लोजर्स लि०	38.38	9.62
26	बनर्जी चक्रवर्ती एण्ड कं० लि० .	—	5.13
27	दी ओरियन्टल मैटल इन्डस्ट्रीज (प्रा०) लि०	5.00	26.18
28	सिटी स्टोर्स सप्लाई एण्ड कं० (प्रा)० लि०	—	2.27
29	इण्डिया मशीनरी कं० लि० . .	5.21	—
30	कलकत्ता फैन वर्कर्स (प्रा)० लि० .	0.20	—
31	पावर इक्विपमैंट्स (प्रा०) लि० . .	—	8.05
32	तड़ित एप्लायंसिज एण्ड इक्विपमैंट्स (प्रा०) लि०	2.64	2.00
33	मोटर एण्ड मशीनरी मैन्युफैक्चर्स लि० .	8.01	4.15
34	जी० टी० आर० कं० (प्रा०) लि०	1.75	0.50
35	पांड इण्डस्ट्रीज लि० . .	5.62	16.94
36	देशप्रिय आटो वर्क्स . .	0.31	0.24
37	व्हीलर साइकिल इण्डस्ट्रीज (प्रा०) लि० .	0.56	2.59
38	इण्डो जापानीज इण्डस्ट्रीज लि० . .	1.33	—
39	सेन रैले लि० . . .	18.00	55.08
40	सेन एण्ड पंडित इण्डस्ट्रीज लि० . .	8.75	14.50
41	एन्सिलरी इण्डस्ट्रीज (क्रैक्स) लि० . .	1.61	1.10
42	एन्सिलरी इण्डस्ट्रीज (लग्स) प्रा० लि० .	1.25	4.38
43	एन्सिलरी इण्डस्ट्रीज (फोर्जिंग्स) प्रा० लि० .	0.90	4.22
44	हुगली डाकिंग एण्ड पोर्ट इंजीनियरिंग कं० लि०	108.08	62.61
45	इण्डियन स्टैण्डर्ड वैगन कं० लि० .	20.00	38.00
46	वर्न एण्ड कं० लि० . . .	30.00	228.00
47	इक्विटेवल कोल कं० लि० . .	—	(—) 6.52**
48	गुप्तूज पेन्सिल इण्डस्ट्रीज (प्रा०) लि०	—	—
49	न्यू इण्डियन ग्लास वर्क्स कलकत्ता (प्रा०) लि० .	2.51	1.39
50	बंगाल पाटरीज लि० . . .	2.80	19.08
51	डी० एस० ग्लास कन्टेनर्स (मैन्युफैक्चरिंग) एन्टर-प्राइजिज (प्रा०) लि० . . .	1.57	0.61

1	2	3	4
52	इंण्डिया स्टीम लाण्ड्री . . .	2.91	0.99
53	रिपब्लिक इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि०	1.00	1.14
54	पूर्वन प्रा० लि० .	—	1.27
55	एलाइड केमिकल्स इण्डस्ट्रीज .	—	0.30
56	राजवंध स्पेशल कास्टिंग्स एण्ड इंण्डस्ट्रीज .	—	1.55
57	भारत इलैक्ट्रिकल्स इण्डस्ट्रीज लि० .	—	9.51
58	श्री सरस्वती प्रेस लि०	—	3.53
59	नेशनल टैनरी कं० लि०	—	15.00
बिहार			
1	आथर बटलर एण्ड कं० (मुजफ्फरपुर) लि० .	—	2.50
2	ब्रिटेनिया इन्जीनियरिंग कं० लि० (मोकामा यूनिट)	—	13.11
दिल्ली			
1	गणेश फ्लोर मिल्स लि० .	56.75	35.00
महाराष्ट्र			
1	कपूर इंजीनियरिंग लि०	39.00	38.00
2	हिन्द साइकिल लि० .	—	67.40
आंध्र प्रदेश			
1	ससलर मैलियेबिल्स (प्रा०) लि०	4.32	4.70
पंजाब			
	अमृतसर शुगर मिल्स कं० लि० . .	—	33.50

टिप्पणी : वितरण में पिछले वर्षों की स्वीकृति के वितरण भी शामिल हैं।

*मैकिन्तोष वर्न लि० के मामले में 1974 (जनवरी/दिसम्बर) के आंकड़े ऋणात्मक (—) हैं क्योंकि गारंटी का एक भाग कर्ज में बदल दिया गया था।

**इक्विटेबल कोल कम्पनी लि० के मामले में 1974 (जनवरी/दिसम्बर) के आंकड़े ऋणात्मक (—) हैं क्योंकि पहले दी गई गारन्टी का पूरी तरह उपयोग नहीं हो पाया था और क्योंकि गारन्टी का उपयोग में लाया गया हिस्सा राष्ट्रीयकरण के समय ऋण में परिवर्तित कर दिया गया था।

(ख) : 66 ऋण/बन्द पड़े एककों में से जिन्हें निगम द्वारा, उपर्युक्त वर्णित रूप में, पुनर्निर्माण सहायता प्रदान की गई थी, वर्ष 1973–74 (जुलाई/जून) के दौरान 14 एककों ने नकद लाभ दिखाया है जबकि बाकी एककों के अभी घाटा पूरा करने की स्थिति तक पहुंचना बाकी है। अभी तक सहायता प्राप्त एककों में से कोई भी स्थायी रूप से बन्द नहीं हुआ है।

(ग) : निगम ने सूचित किया है कि इसके द्वारा सहायता प्राप्त एककों में से अभी तक किसी भी एकक ने सक्षम कार्याचालन के लिये आवश्यक समझे गये अतिरिक्त पुनर्निर्माण-ऋणों को लेने से इन्कार नहीं किया है।

भारतीय होटल निगम को हुई हानि

9349. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय होटल निगम को एक करोड़ रुपये के वार्षिक व्यापार के बावजूद घाटा हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष कितना घाटा हुआ और इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) (ख). 1973-74 के दौरान भारतीय होटल निगम को 17 लाख रुपयों की हानि हुई जबकि उसकी कुल आय 1.47 करोड़ रुपये थी। वर्ष 1974-75 में भी उतना ही, अर्थात्, 1.43 करोड़ रुपये की आय के विरुद्ध लगभग 17 लाख रुपये की हानि का अनुमान लगाया गया है । हानि के कुछ कारण निम्न प्रकार हैं :—

(i) 1973-74 के दौरान इंडियन एयरलाइन्स में लगभग चार मास की तालाबन्दी, जिसके परिणामस्वरूप भारत होटल निगम की दिल्ली एवं बम्बई स्थित उड़ान पाकशालाओं से भोजन का उठाया जाना काफी कम हो गया ;

(ii) 1974-75 के दौरान एयर इंडिया के विमानचालकों की लगभग तीन मास की हड़ताल, जिसके परिणामस्वरूप भारत होटल निगम की दिल्ली एवं बम्बई स्थित उड़ान पाकशालाओं से भोजन का उठाया जाना काफी कम हो गया ;

(iii) 1974-75 के दौरान, इंडियन एयरलाइंस ने अपनी उड़ानों पर भोजन सेवा में काफी कमी कर दी तथा उन्होंने एयर-इंडिया से चार्टर पर लिये विमानों पर थोड़ी सी मात्रा में भोजन उठाने के सिवाये भारत होटल निगम की दिल्ली स्थित उड़ान पाकशाला से कोई भोजन नहीं उठाया ;

(iv) व्यापार में कमी हो जाने के बावजूद भी भारत होटल निगम ने अच्छे औद्योगिक सम्बन्ध बनाये रखने के लिये किसी कर्मचारी की छंटनी नहीं की।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को ऋण

9350. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों, विशेषकर स्टेट बैंक आफ इंडिया ने हाल ही में देश में लघु उद्योगों और किसानों को ऋण देना बन्द कर दिया है ;

(ख) क्या बैंकों को इस आशय के कोई निदेश दिये गये हैं :

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो बैंक लघु उद्योगों और किसानों की सहायता क्यों नहीं करते ; और

(घ) क्या सरकार का विचार बिना किसी बाधा के लघु उद्योगों को ऋण देने के सम्बन्ध में समस्त देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों को स्पष्ट निदेश जारी करने का है।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख). जी नहीं।

(ग) और (घ). सरकार और रिजर्व बैंक दोनों ही छोटे पैमाने के उद्योगों और कृषि के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा धन दिये जाने को बहुत महत्व देते हैं। बैंकों को मार्गदर्शक आदेश जारी किये गये हैं ताकि इन क्षेत्रों को ऋण सरलता से तथा अधिक मात्रा में देना सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रकार 29 अक्तूबर, 1974 को व्यस्त मौसम की ऋण नीति की घोषणा करते समय, रिजर्व बैंक ने बैंकों को अनुदेश दिये थे कि कृषि-वस्तुओं के वितरण के लिए आवश्यक ऋणों सहित कृषि-ऋण आवश्यकताओं पर उन्हें यथासम्भव अधिकतम ध्यान देते रहना चाहिए। छोटे पैमाने के उद्योगों के सम्बन्ध में बैंकों को सलाह दी गई थी कि इस क्षेत्र को प्राथमिकता देने की नीति को लागू करने में उसे इस प्रकार सुधारा जाय कि 10 लाख रु० और उससे कम की ऋण सीमाओं वाले एककों को विशेषरूप से प्राथमिकता मिल सके। बैंकों को यह भी सलाह दी गयी थी कि ऋणकर्त्ताओं की आवश्यकताओं को एकक के न केवल आकार के अनुसार किन्तु जिस प्रकार का उत्पादन करने में वह एकक लगा हुआ है उसके अनुसार निर्धारित करके बैंक निधियों के दुर्लभ साधनों का लाभ दिया जाना चाहिए तथा कम आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले छोटे पैमाने के एककों के बजाय 'कोर' सेक्टर और वेज गुड्स उद्योग के काम आने वाली वस्तुओं का उत्पादन करने वाले छोटे पैमाने के औद्योगिक एककों को तरजीह दी जानी चाहिए।

कृषि और छोटे पैमाने के उद्योग को प्राथमिकता देने की नीति के मोटे ढांचे के भीतर समय-समय पर उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, ऋण-उपायों मे उपयुक्त हेरफेर किये जाते हैं।

यूनाईटेड कमर्शियल बैंक, रोहडु शिमला द्वारा प्रतिभूतियां

9351. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में रोहडु स्थित अपनी शाखा में यूनाइटिड कमर्शियल बैंक ऋण की राशि से दुगुने मूल्य की भूमि गिरवी रखता है, औद्योगिक ऋण मंजूर करने के लिये मशीनरी गिरवी रखने के साथ-साथ व्यक्तिगत प्रतिभूतियां लेता है ;

(ख) क्या यह प्रक्रिया नगरीय क्षेत्रों में उद्योगों के लिये ऋण देने के लिये अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से भिन्न है जहां केवल इसी भूमि को गिरवी रखा जाता है और मशीनरी को गिरवी रखा जाता है जहां उद्योग स्थापित किया जाता हो ; और

(ग) यदि हां, तो इस अन्तर के कारण और औचित्य क्या हैं।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) यूनाइटेड कमर्शियल बैंक ने सूचित किया है कि रोहरु शाखा सहित इसकी किसी भी ग्रामीण शाखा को ऐसे कोई आदेश नहीं दिये गये हैं जिनमें यह कहा गया हो कि औद्योगिक ऋण देते समय बैंक व्यक्तिगत गारन्टी और मशीनों को रहन रखने के साथ साथ सदैव उस ऋण की राशि के दुगुने मूल्य की भूमि गिरवी रखने पर भी जोर दें।

(ख) बैंक ने यह भी सूचित किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, औद्योगिक ऋण देने में और शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक ऋण देने में कोई भेद भाव नहीं बरता जाता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हरियाणा राज्य द्वारा केन्द्रीय सरकार को देय ऋण

9352. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा राज्य पर केन्द्रीय सरकार का 52 करोड़ रुपये का ऋण बकाया है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार को देय अन्य राज्यों पर ऋण की बकाया राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है जिस में 31–3–1974 को हरियाणा सहित राज्य सरकारों के नाम बकाया केन्द्रीय ऋणों की रकमों का ब्यौरा दिया गया है :—

विवरण

1973–74 के अन्त में राज्यों के नाम बकाया ऋण (अनन्तिम) :—

(लाख रुपयों में)

	राज्य	बकाया ऋण की रकम
1	आन्ध्र प्रदेश	6,91,80
2	असम	3,81,58
3	बिहार	7,20,33
4	गुजरात	3,50,92
5	हरियाणा	2,10,83
6	हिमाचल प्रदेश	1,40,85
7	जम्मू और कश्मीर	3,30,15
8	कर्नाटक	4,51,55
9	केरल	3,66,58
10	मध्य प्रदेश	4,16,78
11	महाराष्ट्र	6,85,25
12	मणिपुर	43,60

	राज्य	बकाया ऋण की रकम
13	मेघालय	19,00
14	नागालैंड	25,38
15	उड़ीसा	5,13,04
16	पंजाब	2,47,95
17	राजस्थान	7,69,62
18	तमिलनाडु	4,26,83
19	त्रिपुरा	33,98
20	उत्तर प्रदेश	9,03,33
21	पश्चिम बंगाल	8,87,94
	जोड़	85,69,79

होटलों के निर्माण के लिए लाइसेन्स जारी किया जाना

9353. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार, गैर-सरकारी क्षेत्र में होटलों के निर्माण के लिए कुल कितने लाइसेंस जारी किये गये और प्रत्येक लाइसेंस के अनुसार कुल कितने कमरों की क्षमता उत्पन्न की गई और उनका निर्माण किन-किन स्थानों पर किया गया ;

(ख) इन होटलों के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) कितने मामलों में निर्माण कार्य कतई शुरू नहीं किया गया है और क्या इस बारे में सरकार का विचार नये लाइसेंस जारी करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) पर्यटन विभाग विशेष रूप से विदेशी पर्यटकों के लिये उपयोगिता की दृष्टि से होटल परियोजनाओं का अनुमोदन करता है । विभाग की वर्तमान अनुमोदित सूची में वर्ष 1972, 1973 व 1974 के दौरान 58 होटल परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया था निजी क्षेत्र में अनुमोदित होटल परियोजनाओं के बारे में, विभिन्न स्थानों पर कुल कमरों के निर्माण विषयक सूचना सहित, वर्षवार ब्यौरा संलग्न है ।

(ख) और (ग) . होटल परियोजना का अनुमोदन करते समय निर्माताओं से परियोजना के निर्माण के बारे में तिमाही रिपोर्ट भिजवाने को कहा जाता है । उन्हें इस संबंध में समय-समय पर अनुस्मारक भी भेजे जाते हैं । तथापि, ऐसा होने पर भी, सभी होटल परियोजनाओं के निर्माण के बारे में किसी एक तारीख की अद्यतन स्थिति की सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है अतः कुछ मामलों में परि-

योजनाओं का निर्माण कार्य अंतिम चरण में हो सकता है, और कुछ का निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ भी नहीं हुआ होगा। पर्यटन विभाग द्वारा होटल परियोजना को प्रदत्त अनुमोदन तभी वापिस लिया जाता है जब यह बिलकुल स्पष्ट हो जाये कि इसके क्रियान्वयन के अब कोई आसार नहीं है :

पर्यटन विभाग द्वारा वर्ष 1972, 1973 व 1974 के दौरान अनुमोदित होटलों की कुल संख्या ।

	स्थान	परियोजनाओं की संख्या	कमरे
1972	आगरा	1	200
	भुवनेश्वर	1	29
	बम्बई	2	290
	दिल्ली	3	614
	गोहाटी	1	21
	गोआ	1	120
	हैदराबाद	2	188
	खामम	1	28
	खजुराहो	1	40
	कुल्लु-मनाली	1	24
	मद्रास	2	181
	पटना	2	148
	तिरूपति	1	40
	विशाखापत्तनम्	1	97
1973	बम्बई	1	64
	गोआ	2	157
	हरिहर	1	24
	हैदराबाद	2	273
	खामम	1	26
	मद्रास	5	377
	सिल्चर	1	23
	वाराणसी	2	163
1974	आगरा	1	85
	अहमदाबाद	1	50
	इलाहाबाद	1	60
	औरंगाबाद	1	29
	बम्बई	2	84

स्थान	परियोजनाओं की संख्या	कमरे
कोयम्बटूर	1	73
देहरादून	1	25
दिल्ली	1	70
गन्टुर	1	36
हैदराबाद	3	259
जोधपुर	1	80
लखनऊ	1	36
मद्रास	3	129
ऊटकमांड	1	25
पटना	1	62
तिरूचिरापल्ली	1	32
वाराणसी	1	54
वारंगल	1	34

जूतों का निर्यात

9354. श्री हरि किशोर सिंह: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973–74 और 1974–75 के दौरान विभिन्न देशों को देश-बार कितनी कीमत के जूतों का निर्यात किया गया ;

(ख) क्या जूतों की और अधिक निर्यात सम्भाव्यता के बारे में कोई अन्दाजा लगाया गया है ;

(ग) क्या जूता उद्योग ने यह अभ्यावेदन दिया है कि जूता मशीनरी के आयात पर उत्पादन शुल्क लगा दिये जाने के कारण उक्त उद्योग के आधुनिकीकरण और मशीनीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) 1973–74 तथा 1974–75 (अप्रैल-नवम्बर) में चमड़े के जूतों के भारत के देशवार निर्यात दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०9736/75].

(ख) तथा (ग): जी हां ।

( ) मामला विचाराधीन है ।

होस्टल और रेस्टोरेन्ट

9355. **श्री छत्रपति अम्बेश** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों के नाम क्या हैं, जहां उनके विभाग ने होस्टल और रेस्टोरेन्ट चालू किये हैं ; और

(ख) खाने और रहने के लिये प्रतिदिन ली जाने वाली राशि की वर्तमान दरें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क). और (ख). उन स्थानों के नाम, जहां केन्द्रीय पर्यटन विभाग/भारत पर्यटन विकास निगम ने यात्री लाज पर्यटक बंगले / युवा हास्टल और रेस्टोरेन्ट खोले हैं, संलग्न सूची में दिये गये ह । इस सूची में इनमें ली जाने वाली दरें भी दिखाई गई है ।

विवरण

केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा खोले गये यात्री लाजों, पर्यटक बंगलों, युवा होस्टलों एवं रेस्टोरेन्टों की सूची

I. यात्री लाज (भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा खोले गये ।)

	दर (भोजन एवं आवास)		
	एकल आवास	युग्म आवास	अतिरिक्त शय्या (रुपयों में)
1. मदुराई	70	120	50
2. भुवनेश्वर 3. कुल्लू 4. मनाली	65	115	50
5. बोधगया 6. तंजापुर 7. बीजापुर 8. कांचीपुरम 9. त्रिचरापल्ली 10. कुशीनगर	60	110	50
11. कोणार्क 12. सांची 13. माण्डू 14. भरतपुर	55	105	50

II पर्यटक बंगले (राज्य सरकार द्वारा परिचालित)

	दर प्रतिदिन (केवल आवास)		
	एकल आवास	युग्म आवास	शयन-शाला
			(रुपयों में)
1. जैसलमेर	11	16(दो के लिये)	4 प्रति व्यक्ति
	भोजन-खर्च बिल के अनुसार		

III युवा होस्टल

	दर प्रति दिन (केवल किराया)		
	एकल आवास	युग्म आवास	शयन-शाला
			(रुपयों में)
1. जयपुर			
(भारतीय युवा होस्टल संगठन द्वारा परिचालित)			
गैर सदस्य	11	22	6
		(दो के लिये)	प्रति व्यक्ति
सदस्य	6	12	4
		(दो के लिए)	प्रति व्यक्ति
	भोजन-खर्च बिल के अनुसार		
2. पंचकुला	4. रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन		
(राज्य सरकार द्वारा परिचालित)			
	भोजन-खर्च बिल के अनुसार		

IV रेस्टोरेन्ट

(क) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा परिचालित

1. ताज रेस्टोरेन्ट, आगरा
2. अजन्ता रेस्टोरेन्ट, अजन्ता
3. कुतुब रेस्टोरेन्ट, दिल्ली
4. एलिफ़ण्टा रेस्टोरेन्ट, एलिफ़ण्टा केवज़
5. एलौरा रेस्टोरेन्ट, एलौरा
6. महाबलीपुरम् रेस्टोरेन्ट , महाबलीपुरम्
7. कोसी रेस्टोरेन्ट, कोसी कलां ;
8. सागर रेस्टोरेन्ट, भाखड़ा बांध ।

प्रभार-खर्च बिल के अनुसार

(ख) राज्य सरकारों द्वारा परिचालित

1. ट्रेवलर्ज रेस्टोरेन्ट, हाम्पी
2. ट्रेवलर्ज रेस्टोरेन्ट, सूरजकुण्ड

प्रभार–खर्च बिल के अनुसार

नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि०, कलकत्ता की रूबी, नारविच यूनियन और रायल एक्सचेन्ज/गार्जियन एककों द्वारा भुगतान किये गये दावे

9356. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि० कलकत्ता की रूबी, नारविच यूनियन और रायल एक्सचेन्ज गार्जियन एककों द्वारा वर्ष 1973 और 1974 में कितनी धनराशि दावों के रूप में अदा की ; और

(ख) क्या नरविच यूनियन, रायल एक्सचेन्ज गार्जियन और रूबी द्वारा दावों का निपटान करने में की गई कथित अनियमितताओं के बारे में पूरी जांच की गई थी, जिनका प्रिन्सीपल आफ़ीसर इस समय नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि०, कलकत्ता का अध्यक्ष एवं प्रबंध-निदेशक है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) . रूबी जनरल, नारविच यूनियन और रायल एक्सचेंज/गार्जियन एकको द्वारा 1973 और 1974 में अदा किये सकल दावे इस प्रकार थे :—

	1973	1974 (अन्तिम)
	रु०	रु०
(1) रूबी जनरल	2,35,11,660	2,62,80,903
(2) नारविंच यूनियन	82,44,004	94,37,062
(3) रायल एक्सचेंज/गार्जियन	1,03,87,055	1,39,02,075

यह रकमें सकल आधार पर है और इनके अन्तर्गत पुनर्बीमा वसूलियों की कोई गणना नहीं की जाती ।

(ख) किसी विशिष्ट दावे के निपटान में कोई अनियमितताएं सरकार की जानकारी में नहीं आई है । अतः किसी प्रकार की जांच पड़ताल का प्रश्न पैदा नहीं होता ।

Business of L.I.C.

9357. **Dr. Laxminarayan Pandeya**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether the Life Insurance Corporation business has gone down this year considerably as compared to that of the last year; and

(b) the business figures for the last two years?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi): (a) the total new business of the Corporation for the year 1974-75 stood at Rs. 3,113·34 crores as against Rs. 2,586.33 crores in the year 1973-74, reflecting a rise of 20.6 per cent. There has however, been a fall to the extent of 7.9 per cent in the business under individual assurances.

(b)	From 1-4-1973 to 31-3-1974	From 1-4-1974 to 31-3-1975
Individual Assurances	1924·19	1772·27
Group Assurances	662·14	1341·07
Total Assurances	2586·33	3113·34

नीदरलैंड के साथ संयुक्त उद्यम

9358. **श्री भागीरथ भंवर :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में संयुक्त उद्यम स्थापित करने में भारत और नीदरलैंड ने बड़ी रूचि दिखाई है और नीदरलैंड को भारतीय माल के निर्यात में वृद्धि करने की सम्भावना की व्यापक रूप से जांच की है ; और

(ख) यदि हां, तो संयुक्त उद्यम की मुख्य बातें क्या है

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). 25 फ़रवरी, 1975 से 4 मार्च, 1975 तक नई दिल्ली में हुई भारत -डच संयुक्त समिति की बैठक के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि पशु नसल सुधार कार्यक्रम, चारा, आटा, मांस उत्पाद, शलजम तथा मकई का उत्पादन गोभी, सफ़ेद बन्द गोभी प्याज के बीच, खुम्दियां, इलैक्ट्रनिक्स आदि में संयुक्त उद्यम सहयोग के संबंध में विचार विमर्श हुआ । प्रस्थापनाओं पर संबंध संगठनों विभागों द्वारा विचार दिया जायगा/किया जा रहा है ।

जब्त की गई वस्तुओं के खरीददार

9359. **श्री हरी सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जो जब्त की गई वस्तुओं के अधिक संख्या में खरीददार नहीं मिलती; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) तथा (ख). जी, नहीं। जब्त किये गये माल के लिये पर्याप्त संख्या में खरीददार ढूंढने में सरकार को कोई कठिनाई नहीं हुई है । फिर भी,

निपटान की गति को और तेज करने की दृष्टि से सरकार ने हाल ही में क्षेत्रीय कार्यालयों के लिये कुछ नये अनुदेश जारी किये है।

गत तीन वर्षों में सूखा और बाढ़ पीडित राज्यों को केन्द्रीय सहायता

9360. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों को गत तीन वर्षो में राज्यवार और वर्षवार सूखा, बाढ़ों तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण अनुदान, राजसहायता और ऋण के रूप में अलग-अलग कितनी वित्तीय सहायता दी गई ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने कुछ राज्यों में कुछ परियोजनाओं की भी मंजूरी दी है जिससे सूखे और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय रोजगार की व्यवस्था की जा सके;

(ग) यदि हां, तो इन राज्यों और परियोजनाओं के नाम क्या है और उनके लिये अनुमानतः कितनी धनराशि की मंजूरी दी गई थी; और

(घ) क्या इनमें से किसी वर्ष में वित्तीय सहायता संबंधी किसी राज्य के दावों की उपेक्षा की गई है अथवा उन्हें पूरा नहीं किया गया है और इन राज्यों से कितनी वास्तविक सहायता का अनुरोध किया था ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) : सूचना संलग्न विवरण 1 में दी गयी है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी०–9737/75]

(ख) और (ग) . केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत बाढ़ सूखा में सहायता कार्यों के लिए 1974–75 में निम्नलिखित अतिरिक्त निर्धारण किये गये थे :

(करोड़ रुपये)

असम : ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंन्त्रण कार्य	2.00
गुजरात : सूखे की आशंका वाले क्षेत्रों से संबंधित कार्यक्रम	4.25

(घ) : सहायता संबंधी खर्च की आवश्यकताएं केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त दलों की सिफारिशों तथा राज्य सरकारों द्वारा बताये गये खर्च के ब्यारे के आधार पर आंकी जाती है। 1974–75 से केन्द्रीय सहायता की नीति का आधार छठे वित्त आयोग की सिफारिश रहा है। राज्य सरकारों की आवश्यकता समय समय पर अलग अलग होती है। गत तीन वर्षो में राज्यों द्वारा बताए गये खर्चा राज्यों द्वारा मांगी गयी सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण दो में दिया गया है

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एंल टी–9737/37]

संस्थानों में अनुसंधान के लिये पी० एल० 480 का प्रयोग

9361. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संस्थानों में अनुसन्धान के लिए पी० एल० 480 का प्रयोग करने की अनुमति दी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अनुमति का संक्षिप्त सार क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) और (ख) पी० एल० 480 और अन्य निधियों के बारे में फरवरी, 1974 में किये गये करार के अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी सभी पी० एल० 480 रुपया राशियां सरकार को अनुदान के रूप में दे दी । अब उसके पास केवल पी० एल० 480 राशियों से भिन्न वे रुपया राशियां हैं जो उसे भारत द्वारा रुपये में देय विकास ऋणों की वापसी से प्राप्त हुई है।

2. सरकार इस बात पर सहमत हो गयी कि पी० एल० 480 से भिन्न इन राशियों का इस्तेमाल और कामों के साथ साथ कृषि, विज्ञान, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यों के लिये किया जा सकता है । केवल उच्च प्राथमिकता वाली उन योजनाओं को, जो राष्ट्रीय आवश्यकताओं की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण हों, इन अनुदानों से शुरू किये जाने पर विचार किया जाता है और चलाया जाता है ।

सूखा-ग्रस्त राज्यों को केन्द्रीय अनुदान और उनका उपयोग

9362. **श्री शक्ति कुमार सरकार** :

श्री टुना उराव :क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971–74 के बीच केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों को बाढ़ तूफान और सूखा राहत के लिए 243.72 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में दिये थे ?

(ख) यदि हां, तो राज्यों को, राज्यवार, इन निधियों का किस प्रकार नियतन और वितरण किया गया ;

(ग) क्या अनेक राज्यों ने इस अनुदान का उपयोग नहीं किया ; और

(घ) यदि हां, तो राज्यों द्वारा अनुदान का उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) :(क) और (ख) : एक विवरण संलग्न है जिसमें देवी विपदाओं के कारण सहायता कार्यों पर खर्च के लिए राज्य सरकारों को 1974–75 के दौरान दिये गये अनुदानों का ब्यौरा दिया गया है।

(ग) और (घ), : यह सहायता संबद्ध राज्यों द्वारा सूचित उन वर्षों में किये जाने वाले अनुमानित खर्चे के आधार पर दी गयी है और इसमें खर्च के परीक्षित आंकड़ों के आधार पर जो राज्य सरकारों के महालेखाकारों से अभी तक प्राप्त होने हैं, घट-बढ़ की जा सकती है।

विवरण

दैवी विपदाओं के कारण राहत कार्यों पर खर्च के लिए राज्य सरकारों को 1971–74 में दिये गये अनुदान

(करोड़ रुपयों में)

	राज्य	1971–72	1972–73	1973–74	जोड़ 1971–74
1	आन्ध्र प्रदेश . .	4.00	11.00	13.67	28.67
2	असम . .	0.05	0.61	0.25	0.91
3	बिहार . .	4.00	4.00	1.00	9.00
4	गुजरात . .	0.40	3.97	22.75	27.12
5	हिमाचल प्रदेश . .	0.06	—	—	0.06
6	जम्मू और कश्मीर	0.75	—	0.15	0.90
7	कर्नाटक . .	—	2.00	11.20	13.20
8	केरल . .	0.24	0.11	0.15	0.50
9	मध्य प्रदेश . .	—	—	3.47	3.47
10	महाराष्ट्र . .	6.50	41.11	67.09	114.70
11	मणिपुर . .	—	—	—	—
12	नागालैंड . .	—	0.03	—	0.03
13	उड़ीसा . .	3.00	3.72	1.05	7.77
14	राजस्थान . .	—	4.62	13.00	17.62
15	तमिलनाडु . .	—	0.87	—	0.87
16	त्रिपुरा , .	—	0.25	—	0.25
17	उत्तर प्रदेश . .	—	3.77	8.50	12.27
18	पश्चिम बंगाल . .	3.00	3.38	—	6.38
	जोड़ . .	22.00	79.44	142.28	243.72

टिप्पणी : ये रकमें वित्तीय वर्ष के दौरान दी गयी सहायता से सम्बन्धित है और इनमें पिछले वर्ष (वर्षों) की सहायता की बकाया रकमें शामिल हैं।

"फूड फार पीस" कार्यक्रम के अन्तर्गत अमरीका से गेहूं का आयात

9363. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका भारत को "फूड फार पीस" कार्यक्रम के अन्तर्गत 1280 लाख डालर के मूल्य का 8,00,000 टन गेहूं भेजने पर सहमत हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो समझौते की शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) : जी, हां। अमरीकी कृषि व्यापार विकास और सहायता अधिनियम के टाइटल 1 के अन्तर्गत 8,00,000 मेट्रिक टन गेहूं/गेहूं के आटे के आयात के लिए भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के बीच 20 मार्च, 1975 को एक करार पर हस्ताक्षर किये गये थे। इस वस्तु का जहांज पर्यन्त निःशुल्क निर्यात मूल्य 1280 लाख डालर होगा। भारत द्वारा इस रकम के पांच प्रतिशत (64 लाख डालर) की अदायगी नकद की जायगी और शेष (1216 लाख डालर) ऋण के रूप में होगी जो 10 वर्ष की छूट की अवधि सहित 40 वर्ष की अवधि में डालरों में चुकायी जायगी। इस ऋण पर ब्याज की दर पहले 10 वर्षों में 2 प्रतिशत वार्षिक और शेष 30 वर्षों में 3 प्रतिशत वार्षिक होगी।

इस करार की एक प्रति संसद के पुस्तकालय में रख दी गयी है।

वर्ष 1974-75 में सोवियत संघ को निर्यात किया गया मूंगफली का तेल

9364. **श्री हुक्म चन्द कछवाय** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974–75 में सोवियत संघ को मूंगफली के तेल का निर्यात किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका मूल्य कितना है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आसाम मैच कम्पनी लिमिटेड

9365 **श्री अनादि चरण दास** :

श्री पुरूषोत्तम काकोडकर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम मैच कम्पनी लि० की प्रदत्त पूंजी में लगभग 70 प्रतिशत विदेशी शेयरहोल्डरों की पूंजी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशी शैयर होल्डिंग का भारतीयकरण करने के लिए कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी शैयरहोल्डरों को लाभांश के रूप में कितनी धनराशि भेजी गई ; और

(घ) भारतीय शैयरहोल्डरों को कुल लाभांश की कितने प्रतिशत राशि दी गई ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत सरकार असम मैच कम्पनी का वैस्टर्न इंडिया मैच कम्पनी लि० में विलय करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है । विलय के बाद, धारक कम्पनी को, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29 की व्यवस्था के सिलसिले में जारी किये गये निर्देशों के अनुरूप अपनी विदेशी शैयरधारिता कम करनी होगी ।

(ग) कम्पनी द्वारा गत तीन वर्षों में बाहर भेजी गयी लाभांश की रकम का ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	लाभांश की बाहर भेजी गयी रकम
1971	2.08 लाख रुपये
1972	0.95 लाख रुपये
1973	0.70 लाख रुपये

(घ) भारतीय शयरधारियों को दिये गये कुल लाभांश का प्रतिशत उनके शेयरों के अनुपात में था ।

दिल्ली पाठ्यपुस्तक ब्यूरो की लेखा परीक्षा

9366 श्री एन० ई० होरो : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पाठ्यपुस्तक ब्यूरो की लेखा-परीक्षा नियन्त्रक तथा लेखापरीक्षक या उसके द्वारा नियुक्त व्यावसायिक लेखा-परीक्षकों द्वारा नहीं की जाती और यदि हां, तो उक्त ब्यूरो के निदेशक बोर्ड ने किन कारणों से ब्यूरो को नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक के लेखा परीक्षा सम्बन्धी नियंत्रण से बाहर रखा है ;

(ख) क्या दिल्ली प्रशासन द्वारा नामित किसी स्वतन्त्र प्राधिकरण द्वारा दिल्ली पाठ्य-पुस्तक ब्यूरो की स्थापना के बाद से कभी भी उसकी प्रशासनिक लेखा-परीक्षा की गई है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों के बारे में ब्यूरो द्वारा छुट्टी वेतन और छुट्टी वेतन का अंशदान दिया जाता है और यदि हां, तो छुट्टी वेतन की अदायगी किस अधिकार के अन्तर्गत की जाती है जब कि ब्यूरो छुट्टी-वेतन अंशदान की अदायगी करने के लिए बाध्य है ; और

(घ) क्या लेखा प्रभारी चार्टर्ड लेखाकार ने ऐसी अनियमित अदायगी के प्रति आपत्ति प्रकट की है और यदि हां, तो इस पर दिल्ली प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणाव कुमार मुखर्जी) : (क) दिल्ली पाठ्यपुस्तक ब्यूरो, संस्थाएं पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत संस्था है और इसलिए नियमित निकाय है जिसका स्वयं का अपना विधान है। इसलिए यह नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के लेखा-परीक्षा नियंत्रण के अधीन नहीं है। ऐसे नियंत्रण से इसे अलग रखने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता ।

(ख) सविधिक निगमित निकाय होने के कारण, दिल्ली प्रशासन द्वारा इस प्रयोजन के लिए किसी स्वतन्त्र प्राधिकरण के नामित किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रतिनियुक्ति की शर्तों के अनुसार, ब्यूरो द्वारा उधारदायी प्राधिकरण को छुट्टी वेतन अंशदान देय होता है। जब छुट्टी वेतन ब्यूरो द्वारा अदा किया जाता है तो छुट्टी वेतन के अंशदान में समायोजनीय होता है।

(घ) लेखा-परीक्षा ने ऐसी अदायगियों के बारे में आपत्ति की, लेकिन इस कारण से कोई अतिरिक्त अदायगी नहीं की गई है । लेखा-परीक्षा कार्यालय से ब्यौरे प्राप्त न होने के कारण ब्यूरो ने छुट्टी वेतन अंशदान की पूर्णतः अदायगी नहीं की है। इसलिए, इसके द्वारा छुट्टी वेतन की अदायगी कालांतर में समायोजित की जानी है।

तदर्थ लाइसेंस मंजूर किया जाना

9367. श्री सतपाल कपूर :

श्री भालजी भाई रावजीभाई परमार :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975-76 के लिये आयात व्यापार नियंत्रण नीति में यह बताया गया है कि वर्ष 1971-72 से 1974-75 तक 92.99 करोड़ रुपये के तदर्थ लाइसेंस मंजूर किये गये थे ।

(ख) ऐसे तदर्थ लाइसेंस मंजूर करने के लिए क्या मापदंण्ड तथा नीति अपनाई गई है ; और

(ग) क्या तदर्थ आयात लाइसेंस मंजूर करने से पूर्व यह बात सुनिश्चित करायी गयी थी कि ये फर्में निर्यात के माध्यम से शुद्ध 20 प्रतिशत राशि विदेशी मुद्रा में अर्जित करेंगी। ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) वर्ष 1971-72 से 1974-75 के दौरान 97.99 करोड़ रुपये मूल्य के तदर्थ लाइसेंस प्रदान किये गये थे ।

(ख) ऐसे लाइसेंस सम्बद्ध प्रायोजित प्राधिकारियों की सिफारिशों पर प्रत्येक अलग अलग मामले में गुणावगुण के आधार पर तथा जहां आयात नीति में कोई व्यवस्था नहीं है वहां विदेशी मुद्रा की उपलब्धता की शर्त के अधीन अथवा अन्य अत्यावश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए ऐसी वस्तुओं के आयात के लिए प्रदान किये जाते हैं, जैसे कि :—

(1) मोटर गाड़ियों के हिस्से

(2) ट्रैक्टरों के फालतू हिस्से

(3) जीवन रक्षक औषधियां

(4) मिट्टी हटाने की मशीनों के फालतू हिस्से

(5) बिना कार्यक्रम के चलने वाले चालकों तथा फ्लाइंग क्लबों आदि को सप्लाई करने के लिये हवाई जहाजों के फालतू हिस्से ।

(ग) जी नहीं । आयात नीति के अन्तर्गत तदर्थ लाइसेंसों के जारी करने के लिये ऐसी शर्त लगाना आवश्यक नहीं है ।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 28 का लागू किया जाना

9368. श्री सतपाल कपूर :
श्री भालजी भाई रावजीभाई परमार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 28(1)(क), (ख), (ग) को लागू करने में कोई कठिनाई है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ख) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनसे कहा गया है कि वे उन वस्तुओं का व्यापार न करें जो उनके द्वारा नहीं बनाई जाती हैं ; और

(ग) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 28 का धीमी गति से क्रियान्वयन होने के कारण अनुमानत: कितनी हानि होने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : जैसा कि लोक सभा के 21 फरवरी, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 720 के उत्तर में बताया गया था, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 28 के प्रशासन के लिए कुछ कार्यकारी मार्गदर्शक सिद्धान्त तय किये गये हैं । इनका सम्बन्ध 40 प्रतिशत से अधिक की विदेशी शेयरधारिता वाली भारतीय कम्पनियों और विदेशी निगमित कम्पनियों को बिक्री, खरीद, जहाजरानी, माल छुड़ाने और माल भेजने के एजेण्ट

आदि के रूप में काम करने और गैर-तकनीकी अथवा प्रबन्ध सलाहकारों के रूप में नियुक्ति स्वीकार करने की अनुमति देने से है। जहां तक विदेशी ब्रांड-नामों के इस्तेमाल का सम्बन्ध है, इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में यह परिकल्पना की गयी है कि भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं और कुछ जीवन-रक्षक औषधियों के लिए इन ब्रांड नामों के इस्तेमाल की अनुमति दी जा सकती है अन्य सभी मामलों पर मुख्यत: प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी मुद्रा की निकासी की दृष्टि से और इसके अलावा व्यापक लोक हित को ध्यान में रखते हुए इन व्यापार चिन्हों (ट्रेडमार्क्स) के इस्तेमाल की वांछनीयता की दृष्टि से विचार किया जायगा।

(ख) रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने यह बताया है कि अब तक उसने, क्लोराइड इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता का ही एक आवेदन रद्द किया है जो "एक्साइड" ब्रांड नाम के अन्तर्गत, जो क्लोराइड इंडिया का ब्रांड नाम है, ड्राई सैल बैटरियां सप्लाई करने के लिए पंजाब आनन्द बैटरीज लिमिटेड, पंजाब के साथ एजेंसी प्रबन्ध करने के लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 28(1)(क) के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त करने के लिए दिया गया था।

(ग) इन आवेदनपत्रों पर मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार, जितनी जल्दी संभव है, विचार किया जा रहा है और इस समय विदेशी मुद्रा के किसी नुकसान का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विकास कार्यों पर लगी रोक से पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों को मुक्त रखना

9369. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वित्तीय संकट के कारण केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों में विकास कार्यों पर लगी रोक से, देश के पर्वतीय तथा पिछड़े क्षेत्रों को, जो बहुत ही अधिक अविकसित हैं और जो आमतौर पर आधारभूत साधनों तथा अन्य सुविधाओं के अभाव में, गैर सरकारी उद्यमियों को आकर्षित नहीं करते हैं, मुक्त रखने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत किये जा रहे विकास कार्यों पर किसी भी समय रोक नहीं लगाई गई थी।

2. मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के लिये अगस्त, 1973 में आर्थिक उपायों के रूप में गैर लोक-महत्व के भवनों के निर्माण पर अस्थायी तौर से रोक लगा दी गई थी जिसके अन्तर्गत केवल वही भवन आते थे जिनका निर्माण कार्य प्लिन्थ लेवल से ऊपर नहीं हो पाया था। यह रोक केवल उन्हीं कार्यों पर लगाई गई जो केन्द्रीय सरकार के क्षेत्राधिकार में आते थे। यह रोक अब भी जारी है।

3. इस रोक आदेश में गुणों के आधार पर विशेष मामलों में छूट देने की व्यवस्था भी की गई है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा इस नीति का अनुसरण किया जा रहा है कि समय समय पर उनके पास पर्वतीय क्षेत्रों के गैर लोक-महत्व सम्बन्धी निर्माण-कार्यों, विशेषकर पिछड़े तथा अधिक अविकसित क्षेत्रों से, जब भी उनके पास कोई अनुरोध प्राप्त होता रहा है तभी वह इस रोक में ढील दे देते रहे हैं।उदाहरणार्थ अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, में

केन्द्रीय सरकार की मुख्य गैर लोक महत्व की परियोजनाओं को इस रोक से मुक्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त देश के पर्वतीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में अनेक निजी निर्माण कार्यों को भी समय समय पर इस रोक से मुक्त कर दिया जाता रहा है।

4. इसके साथ ही पिछड़े या अधिक अविकसित क्षेत्रों की योजना स्कीमों के अन्तर्गत आने वाली उन निर्माण परियोजनाओं को भी इस रोक से छूट दे दी गई है जिनके पास निर्माण कार्य के लिये उपयुक्त बजट व्यवस्था उपलब्ध है।

प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों से आय

9370. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **वित** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष 1972-73, 1973-74 और 1974-75 के अन्त तक वसूल किए गए प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष करों का कुल राजस्व से क्रमशः क्या अनुपात है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : प्रत्यक्ष करों (आय कर, निगम कर, धन कर, दान-कर तथा सम्पादा-शुल्क) और अप्रत्यक्ष करों (सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क) से हुए राजस्व के बीच अनुपात वित्तीय वर्ष 1972-73, 1973-74 तथा 1974-75 के लिए क्रमशः लगभग 1 अनुपात 2.60, 1 अनुपात 2.65 और 1 अनुपात 2.95 है। वर्ष 1974-75 के लिए अनुपात, संशोधित बजट अनुमानों के आधार पर निकाला गया है।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को पर्वतीय क्षेत्र प्रतिपूर्ति भत्ते का भुगतान करने के लिए स्थानों का चयन करने हेतु अपनाये गये मानदंड

9371. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को पर्वतीय क्षेत्र प्रतिपूर्ति भत्ते का भुगतान करने के लिए स्थानों का चयन करने हेतु क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं ;

(ख) न्यूनतम और अधिकतम सीमा सहित वेतन के विभिन्न क्रमों में कर्मचारियों को यह भत्ता किन दरों पर दिया जाता है ;

(ग) ऐसे स्थानों की, राज्यवार, संख्या और नाम क्या हैं जो इस भत्ते की मंजूरी के लिए हकदार हैं ; और

(घ) वित्तीय वर्ष 1974–75 के दौरान केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को पर्वतीय क्षेत्र प्रतिपूर्ति कुल कितनी धनराशि दी गयी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) पर्वतीय स्थान प्रतिपूर्ति भत्ते की स्वीकृति के प्रयोजन के लिए पर्वतीय स्थानों को उनकी ऊंचाई के संदर्भ में वर्गीकृत किया गया है ।

(ख) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को देय पर्वतीय स्थान प्रतिपूर्ति भत्ते की प्रवर्तमान दरें निम्न प्रकार हैं :—

स्थान	प्रतिमाह वेतन	पर्वतीय स्थान प्रतिपूर्ति भत्ते की दरें
(i) 1500 मीटर अथवा उससे अधिक ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय स्थान	250 रु० से कम	वेतन का 6.5 प्रतिशत किन्तु कम से कम 12 रु० प्रति माह ।
	250 रु० तथा उससे अधिक	वेतन का 6 प्रतिशत किन्तु कम से कम 16.20 रु० और अधिक से अधिक 75 रु० प्रति माह ।
(ii) 1000 मीटर अथवा उससे अधिक किन्तु 1500 मीटर से कम की ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय स्थान	330 रु० से कम	वेतन का 5 प्रतिशत
	300 रु० तथा उससे अधिक	वेतन का 4.5 प्रतिशत किन्तु कम से कम 16.45 रुपये और अधिक से अधिक 50 रु० प्रति माह ।

(ग) और (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

Hindi work in the Ministry of Finance

9372. **Shri Sudhakar Pandey**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether officers of his Ministry, while on inspection of the offices under them, also ensure that all the work in these offices is carried out in Hindi according to Government's policy in this regard;

(b) the number of officers who carried out such inspections during the last year and the number of offices inspected;

(c) the position, in general, as revealed in the inspection reports; and

(d) the steps taken to improve the position in the case of the offices where Hindi is not being used even now?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee): (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

राजस्थान में पर्यटक केन्द्रों का विकास

9373. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यात्रियों तथा विदेशी पर्यटकों को वर्ष 1974–75 से सुविधा प्रदान करने हेतु पर्यटक केन्द्रों के विकास के लिये राजस्थान को कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : क्योंकि देशीय पर्यटकों द्वारा प्रभ्रमण किए जाने वाले तीर्थ स्थलों का विकास करना मूलत: राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है, इन स्थानों पर सुविधाओं की व्यवस्था राज्यीय क्षेत्र में की जानी होगी। केन्द्रीय क्षेत्र में, सुविधाओं की व्यवस्था उन केन्द्रों पर की जा रही है जो अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को पहले से आकृष्ट कर रहे हैं अथवा आकृष्ट करने की क्षमता रखते हैं। अत: 1974–75 में, पर्यटन विभाग द्वारा भरतपुर में एक वन लाज, जयपुर, में एक स्वागत केन्द्र-व-मोटल तथा जैसलमेर में एक पर्यटन बंगले के निर्माण पर 10.75 लाख रुपए की राशि खर्च की गयी।

आयकर इन्सपैक्टरों की विभागीय परीक्षा

9374. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974 में आयकर इंस्पैक्टरों की विभागीय परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की प्रतिशत वर्ष 1973, 1972 और 1971 के दौरान घोषित परिणामों की तुलना में कम है

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या वर्ष 1974 के आयकर इंस्पैक्टरों की परीक्षा में कुछ अंक कम कर दिये गये हैं जबकि आयुक्तों के अन्तर्गत क्षेत्रों के उम्मीदवारों को अनुग्रह अंक दिये गये हैं ;

(घ) क्या उम्मीदवारों की परीक्षा भवन में विभिन्न कर-निर्धारण वर्षों के लिए निर्धारित प्रश्नों के सम्बन्ध में रेडी रेकनर तथा नियम पुस्तिका सप्लाई की गयी थी ;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा उम्मीदवारों की शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(च) क्या परीक्षा के आरम्भ होने तक, जिसके लिए प्रश्न निर्धारित किये गए थे, कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं थी।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखार्जी) : (क) जी, नहीं हां।

(ख)	1974 . .	10.8 प्रतिशत
	1973	20.1 प्रतिशत
	1972 . . .	14.4 प्रतिशत
	1971	40.3 प्रतिशत

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च). विभाग ने रेडी रेकनर का प्रकाशन बन्द कर दिया है। इसकी बजाय आय-कर नियम पुस्तिका, उम्मीदवारों को उपलब्ध की जाती है। इस पुस्तिका में वित्त अधिनियम शामिल रहता है जिसमें कर की दरें समाविष्ट होती हैं। वर्ष 1974 की परीक्षा में आय-कर कानून-II के प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्नों के उत्तर वित्त अधियिम, 1974 के संदर्भ में दिये जाने थे। केवल एक केन्द्र से रिपोर्ट प्राप्त हुई थी कि आय-कर नियम पुस्तिका की अद्यतन प्रतियां, जिनमें वित्त अधिनियम, 1974 शामिल था, उपयुक्त संख्या में उपलब्ध नहीं थीं। इसलिये परीक्षा हाल में घोषणा की गई थी कि उम्मीदवार, वित्त अधिनियम, 1973 अथवा वित्त अधिनियम, 1974, जो भी उन्हें दिया गया था, उसके अनुसार कर का हिसाब लगाने के लिये स्वतन्त्र हैं। उम्मीदवारों को उस वित्त अधिनियम के सम्बन्ध में बताना आवश्यक था जिसके अनुसार कर का हिसाब लगाया गया था दोनों में से प्रत्येक मामले में समान अंक देने के लिये उस केन्द्र के आदेश दिये गये थे।

उडीसा की यात्रा करने वाले पर्यटक

9375. श्री पो० गंगादेव : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान कितने पर्यटकों ने उड़ीसा की यात्रा की थी ; और

(ख) उसके परिणाम स्वरुप कितनी आय प्राप्त हुई।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) पर्यटन विभाग आने वाले विदेशी पर्यटकों का रिकार्ड अखिल भारतीय आधार पर रखता है न कि राज्यवार आधार पर। स्वदेशी पर्यटकों के आवागमन सम्बन्धी आंकड़े पर्यटन विभाग द्वारा एकत्रित नहीं किये जाते हैं।

1974 के दौरान भारत आने वाले अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या 423, 161 थी।

(ख) पर्यटकों से होने वाली आय की गणना स्थानवार आधार पर नहीं की जाती है क्योंकि पर्यटकों द्वारा किसी केन्द्र विशेष पर किये गये व्यय की कोई सूचना उपलब्ध नहीं होती है।

उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखाओं का कार्यकरण

9376. **श्री पो० गंगादेव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही स्टेट बैंक आफ इण्डिया की शाखाओं की कुल संख्या क्या है ; और

(ख) भविष्य में खोली जाने वाली नई शाखाओं की संख्या क्या है और बैंक द्वारा नई शाखाओं को खोलने के लिये किन बातों को ध्यान में रखा जाता है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सूशीला रोहतगी) : (क) और (ख). दिसम्बर, 1974 तक उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय स्टेट बैंक के 65 कार्यालय थे।

बैंकों द्वारा शाखा विस्तार का कार्य तीन वर्षीय रोलिंग योजनाओं के ढांचे के भीतर किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलने के लिए 31 दिसम्बर, 1974 को भारतीय स्टेट बैंक के पास 18 लाईसेंस अभिदान पत्र थे। रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि इसके अतिरिक्त, 1975 में उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के 19 आवेदन पत्रों पर रिजर्व बैंक विचार कर रहा है।

नई शाखाएं खोलने के लिए बैंकों द्वारा जिन बातों का ध्यान रखा जाता है उनका सम्बन्ध बचत जुटाने और उत्पादक कार्यों के लिए ऋण देने की सम्भावनाओं, मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता, 'लीड' का उत्तरदायित्व, विद्यमान शाखा-जाल आदि जैसे पहलुओं से होता है।

नियंत्रित कपड़े के संबंध में मूल्य नीति

9377. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय किया है कि नियंत्रित कपड़े की पांचों किस्मों तथा धोतियों, साड़ियों, शर्टिंग, जीन और लट्ठे में से प्रत्येक का अनुपात कुल उत्पादन का 20 प्रतिशत निश्चित किया जाये और वह जनता को उपलब्ध किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इन कपड़ों के बारे में मूल्य नीति क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). सरकार द्वारा कोई ऐसा विनिश्चय नहीं किया गया है। तथापि 1 जनवरी, 1975 से मिलों के लिए अपने कुल नियंत्रित कपड़ा उत्पादन का कम से कम 20 प्रतिशत धोतियों तथा साड़ियों के रूप में उत्पादन करना आवश्यक है।

(ग) नियंत्रित कपड़े की कीमतें शुरू शूरू में 1964 में निविष्टों की लागत तथा प्रोसेसिंग प्रभारों एवं ऊपरी खर्चों के आधार पर निर्धारित की गई थीं। सम्बद्ध समाजिक-आर्थिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय समय पर कीमतों में वृद्धि की अनुमति दी गई थी।

जयपुर महल पर मारे गए छापों के दौरान प्राप्त बहुमूल्य सामान

9378. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय राजस्व आसूचना विभाग के जयपुर महल में श्रीमती गायत्री देवी के अध्ययन कक्ष की एक तिजोरी से 20 करोड़ से अधिक मूल्य के बहुमूल्य रत्न तथा आभूषणों को जब्त किया था ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने बहुमूल्य सामग्रियों की जमाखोरी करने तथा नियमों के उल्लंघन के कारण श्रीमती गायत्री देवी तथा परिवार के अन्य सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख). जयपुर के मोती डूंगरी महल में ली गई तलाशी और माल पकड़ने की कार्यवाही के दौरान आयकर प्राधिकारियों को श्रीमती गायत्री देवी के व्यक्तिगत कार्यालय-कक्ष में पुस्तक-कैस के पीछे छिपाई गई एक तिजौरी मिली। उस तिजोरी में, अन्य चीजों के साथ-साथ तलाशी दल को पन्ने का एक गले का हार मिला जिसमें पन्ने के 70 से अधिक नग और लटकन के रूप में तीन अन्य बड़े पन्ने जड़े हैं। उसमें इससे मेल खाती हुई कान की फुल्लियां भी थीं। विभिन्न वस्तुओं का मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ग) उपर्युक्त तिजौरी में मिली वस्तुओं के सम्बन्ध में, आयकर अधियिनम 1961 की धारा 132(3) के अधीन निषेधादेश जारी कर दिये गये हैं। जांच-पड़ताल चल रही है। कानून के अनुसार यथा आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

Tourism Projects in Madhya Pradesh

9379. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) the salient features of the Central Tourism Projects started in Madhya Pradesh at present;

(b) the projectwise total amount sanctioned for these projects, till date; and

(c) the time by which these projects will be completed?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh): (a) to (c). Statement of details of Central Tourism Projects under execution in Madhya Pradesh at present.

Serial No.	Name of the Scheme	Salient features	Amount sanctioned as on 1-5-1975	Expected completion
1	2	3	4	5
			(Rupees in lakhs)	
1	Youth Hostel Bhopal .	. 44 bed accommodation in dormitories with two rooms for leaders of youth groups; lobby, dining room, kitchen with self-cooking facilities also, lounge, reading room, left luggage and wash-room, facilities, residential accommodation for the Warden.	3·25	Building complete, expected to be commissioned shortly.
2	Water Supply Scheme, Khajuraho .	To supply filtered water to Khajuraho township which caters primarily to the requirements of visitors, domestic as well as overseas.	7·46	End of 1975.
3	Water supply at Kanha National Park .	To meet the requirements of tourist traffic, domestic as well as foreign. The Department is contributing Rs. 1·00 lakh only towards the scheme which is financed by the State Government.	1·00	During the current financial year.

Recommendations made by Sivaraman Committee

9380. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether Sivaraman Committee Report on Handloom Industry has caused great resentment in the powerloom industry; and

(b) whether a representation has also been made to Government in this regard on behalf of the powerloom industry and if so, the main points made therein?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir. The main points made by the powerloom industry are:

(i) equation of powerloom sector with the mill sector and the proposals to levy higher excise duties on powerloom sector are not justified;

(ii) recommendations of the Powerloom Enquiry Committee (1964) should also be taken into consideration while taking decisions on the recommendations in the Report;

(iii) employment potential is more in powerloom sector than in handloom sector;

(iv) rehabilitation of handlooms should be done through conversion of them into powerlooms;

(v) powerlooms do not compete with the handlooms; and

(vi) another committee may be appointed to enquire into the problems of powerloom sector.

मध्य प्रदेश में काले धन का पता लगना

9381. **श्री गंगा चरण दीक्षित** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर और सीमाशुल्क विभागों ने हाल ही में मध्य प्रदेश में कुछ अवैध सौदों का पता लगाया है ;

(ख) क्या उनके द्वारा इन छापों में काले धन की बड़ी मात्रा जब्त की गई है ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तथ्य क्या हैं ; और

(घ) सरकार ने अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (घ). मध्यप्रदेश के आयकर आयुक्तों के अधिकार-क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 1974–75 में आयकर प्राधिकारियों ने 87 मामलों में तलाशी लेने और माल पकड़ने की कार्यवाही की और इनके परिणामस्वरूप लगभग 7 लाख 86 हजार रु० मूल्य की परिसम्पत्तियां पकड़ी गयीं। सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के अनुसार यथा आवश्यक कार्यवाही की जायगी जिसमें, जहां भी आवश्यक हो, दण्ड लगाने तथा इस्तगासे की कार्यवाही भी शामिल है।

सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा माल का पता लगाने, पकड़ने आदि के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रखी जाएगी।

कोका-कोला निर्यात निगम द्वारा आयात

9382. **श्री शाशि भूषण :**
श्री सोमचन्द सोलकी :
क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनियों द्वारा आयात किये जाने वाले सभी तत्व जिनके स्वामी विदेशी हैं, सीमाशुल्क विभाग की स्वीकृति के लिए उल्लिखित है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और किन-किन फर्मों की इस मामले में छूट दी गई है ; और

(ग) क्या कोका कोला निर्यात निगम के बारे में आयातित वस्तुओं की वास्तविक विशिष्टताओं से सीमाशुल्क अधिकारी परिचित हैं, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सीमाशुल्क विभाग द्वारा इन वस्तुओं को किस प्रकार लाने की अनुमति दी जाती हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) :
(क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

'भारतीय पर्यटक विकास निगम की श्रंखला में एक नया होटल' शीर्षक से प्रकाशित समाचार

9383. **श्री माऊसाहेब धामनकर : क्या पर्यटक और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 अप्रैल, 1975 के "इकानामिक टाइम्स" में भारत पर्यटन विकास निगम की श्रृंखलायें 'एक और नया होटल' (यट एन अदर होटल इन आई० टी० डी० सी० चेन) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस तथ्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) जी हां (ख) और (ग) रिपोर्ट में निम्नलिखित अशुद्धियां हैं:—

(1) भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक ने कहा था कि जनपथ होटल के निकट बनाये जाने वाले प्रस्तावित होटल के 3–4 वर्ष में पूरा हो जाने की सम्भावना है न कि 2 वर्ष में।

(2) जहां तक 1974–75 के लिये निगम के लाभ का सम्बन्ध है उसने बताया था कि अशोक होटल द्वारा लगभग 45 लाख रुपये अर्जित किये जाने की सम्भावना है तथा निगम का कुल मिलाकर लाभ उतना ही होने की आशा है जितना कि पिछले वर्ष (38.16 लाख रूपये) हुआ था।

(3) शुल्क मुक्त दुकानों के बारे में उसने कहा था कि कुछ भाग, प्रमुख भाग नहीं, भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा ले लिया गया था।

गोआ की यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या

9384. **श्री पुरूषोतम काकोडकर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में कितने पर्यटकों ने गोआ की यात्रा की; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितनी धनराशि की आय हुई ?

पर्यटन और नागर विमान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) पर्यटन विभाग ने आने वाले विदेशी पर्यटकों का रिकार्ड अखिल भारतीय आधार पर रखता है न कि राज्यवार आधार पर। स्वदेशी पर्यटकों के आवागमन सम्बन्धी आंकड़े पर्यटन विभाग द्वारा एकत्रित नहीं किये जाते हैं।

1974 के दौरान भारत आने वाले अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या 423,161 थी।

1972–73 के दौरान किये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार सर्वेक्षण की अवधि के दौरान कुल अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों में से 4.79 प्रतिशत ने गोवा की यात्रा की।

(ख) पर्यटकों से होने वाली आय की गणना स्थानवार आधार पर नहीं की जाती हैं क्योंकि पर्यटकों द्वारा किसी केन्द्र विशेष पर किये गये व्यय की कोई सूचना उपलब्ध नहीं होती है।

गोआ में तीर्थ स्थानों का विकास

9385. **श्री पुरूषोतम काकोडकर** : **क्या पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1974–75 के दौरान तीर्थयात्रियों तथा विदेशी पर्यटकों को सुविधाएं देने हेतु तीर्थ स्थानों का विकास करने के लिए गोआ को कुल कितनी राशि आवंटित की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : क्योंकि अन्तर्देशीय पर्यटकों द्वारा भ्रमण किए जाने वाले तीर्थ-स्थानों का विकास करना मूलतः राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है, इन स्थानों पर सुविधाओं की व्यवस्था राज्यीय क्षेत्र में की जानी होगी। केन्द्रीय क्षेत्र में, सुविधाओं की व्यवस्था उन केन्द्रों पर की जा रही है जो अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को पहले से आकृष्ट कर रहे हैं अथवा आकृष्ट करने की क्षमता रखते हैं। अतः, 1974–75 में, पाणजी में एक युवा होस्टल को पूरा करने के लिये 0.98 लाख रुपए की राशि खर्च की गयी। इसके अतिरिक्त, मैसर्स माबरेस्ट होटल्स

(प्रा०) लिमिटेड को पाणजी में उसके 63 कमरों वाले होटल को पूरा करने के लिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के माध्यम से 20.00 लाख रुपए का एक ऋण दिया गया ।

क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने के लिए नई योजनाएं बनाने के लिए जीवन बीमा निगम को निदेश

9386. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जीवन बीमा निगम को अपने पूंजी विनियोजन में क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने के हेतु योजना आयोग की अनुमति से नई योजनाएं बनाने के लिए कहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं तथा निगम ने गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष वार, बिहार में कुल कितनी पूंजी विनियोजित की है तथा यह कुल पूंजी निवेश का कितना प्रतिशत है;

(ग) बिहार में किन परियोजनाओं में पूंजी विनियोजित की गयी है; और

(घ) आगामी वर्ष के दौरान कितनी पूंजी विनियोजित की जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां । नवम्बर, 1974 में जीवन बीमा निगम से कहा गया था कि जिन राज्यों में निगम के निवेशों का प्राप्त हुई प्रीमियम की रकम से अनुपात अखिल भारतीय औसत की तुलना में कम है उनकी स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए और इस प्रयोजन के लिये निगम को योजना आयोग की स्वीकृति से ऐसी नयी योजनायें तैयार करने की सम्भावनाओं का पता लगाना चाहिए जो उन राज्यों की आवश्यकताओं तथा संस्थागत क्षमताओं के अनुरूप हों और यदि ऐसा नहीं हो सके तो इस प्रकार के राज्य की बाजार से ऋण लेने की व्यवस्था को इस तरह से नियोजित किया जाना चाहिए कि उसमें जीवन बीमा निगम का हिस्सा अपेक्षाकृत अधिक हो ।

(ख) उपर्यूक्त मामला जीवन बीमा निगम के विचाराधीन है । अभी उक्त निर्णय के प्रभाव का मूल्यांकन करना, जल्दबाजी होगा । तथापि, 31-3-1975 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के दौरान जीवन बीमा निगम द्वारा बिहार राज्य में किये गये सकल निवेशों का ब्यौरा अनुबन्ध 'क' में दिया गया है । (ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०--9738/75)

(ग) सूचना अनुबन्ध 'ख' में दी गई है । (ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०--9738/75)

(घ) अगले वर्ष से सम्बन्धित बजट--निर्धारणों को अगले वित्तीय वर्ष के आरम्भ में तैयार किया जायेगा ।

हस्त निर्मित कपड़ो का निर्यात

9387. **श्री टुना उरांव** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, हस्त निर्मित कपड़ों के निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसी अवधि में आयात का ब्यौरा क्या है; और

(ग) हस्त निर्मित कपड़ों का निर्यात-बाजार बढ़ाने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) (क) विगत तीन वर्षों के दौरान रेयन तथा संश्लिष्ट वस्त्रों के निर्यात निम्नोक्त प्रकार रहे :

(लाख रु० में)

वस्तु	1972–73	1973–74	1974–75 अप्रैल, 1974 फरवरी, 1975 अनुमानित
फिलामेंट रेयन फैब्रिक्स .	558.68	1716.50	933.85
स्पन रेयन फैब्रिक्स . . .	21.39	350.36	155.35
नायलन फैब्रिक्स	339.14	633.06	673.79
पोलिस्टर तथा पोलिस्टर ब्लैंडिड फैब्रिक्स .	38.91	42.19	60.50
मिश्रित फैब्रिक्स . . .	3.34	49.91	87.27
परिधान तथा सिले-सिलाए कपड़े .	39.00	90.00	71.30
हौजरी तथा निटवियर .	8.00	30.00	41.96
टायर कार्ड तथा विविध मदें .	83.00	412.00	96.37
	1091.46	3324.02	2120.37

(ख) मानव निर्मित वस्त्रों के आयात पर रोक है।

(ग) (1) निर्यात उत्पादन में प्रयोग होने वाले आयातित कच्चे माल की प्रतिपूर्ति तथा शुल्क वापसी जैसे सामान्य निर्यात संवर्धन उपायों के अलावा, निर्यातकों को रियायती कीमत पर विस्कोस फिलामेंट धागा सप्लाई किया जाता है।

(2) मानव निर्मित वस्त्रों पर नकद सहायता 1–4–1974 तक कई वर्षों तक दी गई थी।

(3) नायलन वस्त्रों तथा परिधानों के निर्यात के आधार पर जिन्हें कतिपय न्यूनतम एफ० ओ० बी० कीमतें मिल रही हैं, मूल्य के रूप में यार्न की समग्र प्रतिपूर्ति कतिपय शर्तों के अध्यधीन पोलिस्टर फिलामेंट यार्न में परिवर्तित की जा सकती है।

(4) रेशम तथा रेयन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् ने बहुत से उपाय किए हैं जैसे अध्ययन-सह बिक्री दल योजना, विदेशों में व्यापार मेलों में भाग लेना तथा मानव निर्मित वस्त्रों के निर्यात बढ़ाने के लिए बाजार सर्वेक्षण।

सिल्क एण्ड आर्ट सिल्क रिसर्च एसोसिएशन से ज्ञापन

9388. **श्री टुना उरांव** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिल्क एण्ड आर्ट सिल्क रिसर्च एसोसिएशन से कच्चे माल से लेकर तैयार माल तक तैयार करने के प्रत्येक चरण पर भारी टैक्स लगाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसने मानव निर्मित रेशे का मूल्य दुगना कर दिया है; और

(ख) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) (क) सिल्क एण्ड आर्ट सिल्क रिसर्च एसोसिएशन से कोई हस्ताक्षरित अभ्यावेदन इस मन्त्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है; लेकिन उस एसोसिएशन द्वारा 16 अप्रैल, 1975 को नई दिल्ली में आयोजित एक विचार-गोष्ठी के सम्बन्ध में सिल्क एण्ड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन की ओर से वित्त मन्त्रालय के विभिन्न अधिकारियों को हस्त-निर्मित वस्त्रों की आर्थिक व्यवस्था पर कुछ इश्तहार बांट गये थे।

(ख) इन इश्तहारों में उठाये गये प्रश्न पहले ही मन्त्रालय के विचाराधीन थे और मूल बजट प्रस्तावों में कुछ संशोधनों की घोषणा लोक सभा में 30 अप्रैल, 1975 को पहले ही की जा चुकी है।

पंजाब के दौरे पर आये पर्यटको की संख्या

9389. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में पंजाब में कुल कितने पर्यटक आये ;

(ख) क्या सरकार ने पर्यटकों से अर्जित की गयी आय के कुछ भाग को वहां के पर्यटन स्थलों पर ही व्यय किया; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) पर्यटन विभाग भारत को आने वाले विदेशी पर्यटकों का रिकार्ड अखिल भारतीय आधार पर रखता है न कि राज्यवार आधार पर। देशीय पर्यटकों के भ्रमण के बारे में आंकड़ों का संकलन पर्यटन विभाग द्वारा नहीं किया जाता है।

पिछले दो वर्षों के दौरान आने वाले अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

वर्ष	आने वाले अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक
1973	409,895
1974	423,161

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार के नियन्त्रणाधीन स्मारकों से प्राप्त होने वाले प्रवेश-शुल्क के कुछ मामलों को छोड़ कर केन्द्र सरकार पर्यटन स्थलों की यात्रा करने वाले पर्यटकों से कोई सीधा राजस्व अर्जित नहीं करती है ।

पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखायें

9390. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेट बैंक आफ़ इण्डिया की कुल कितनी शाखायें कार्य कर रही हैं;

(ख) भविष्य में खोली जाने वाली नई शाखाओं की संख्या क्या है; और

(ग) नई शाखाओं को खोलने के लिए किन बातों को ध्यान में रखा जाता है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुशीला रोहतगी) : (क) दिसम्बर, 1974 के अन्त तक पंजाब के ग्रामीण केन्द्रों में भारतीय स्टेट बैंक के 54 कार्यालय अवस्थित थे ।

(ख) बैंक शाखा विस्तार का कार्य तीन वर्षीय "रोलिंग" योजनाओं के ढांचे के भीतर करते हैं । भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के पास 31 मार्च, 1974 को 8 लाइसेंस/आवंटन पत्र थे । रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि इसके अतिरिक्त सन् 1975 में पंजाब के ग्रामीण क्षत्रों में शाखाएं खोलने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के 4 आवेदन पत्र रिजर्व बैंक के विचाराधीन हैं ।

(ग) नई शाखाएं खोलने के लिए बैंकों द्वारा जिन बातों का ध्यान रखा जाता है उनका सम्बन्ध बचत जुटाने और उत्पादक कार्यों के लिए ऋण देने की सम्भावनाओं, मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता, "लीड" का उत्तरदायित्व, विद्यमान शाखा-जाल आदि जैसे पहलुओं से होता है ।

पंजाब के हथकरघा और सूत उद्योगों की समस्या

9391. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में हथकरघा, सूत तथा अन्य उद्योगों को, प्रतिवर्ष देश के लिए बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं, किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) इन उद्योगों को अपनी कठिनाइयां दूर करने में सहायता देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) पंजाब में हथकरघा यार्न तथा वस्त्र उद्योगों द्वारा अनुभव की जाने वाली कोई भी विशिष्ट समस्या केन्द्रीय सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा उद्योगों तथा पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम को दी गयी धन राशि

9392. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने विभिन्न उद्योगों तथा पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम को गत दो वर्षों के दौरान कुल कितनी-कितनी धनराशि दी है ; और

(ख) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए ऋण प्राप्त करने हेतु पंजाब से किये गए आवेदन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास अनिर्णीत पड़े हैं और उन पर कब तक निर्णय कर लिए जाने की सम्भावना है ।

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) : सम्भवतः पंजाब में अवस्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा दी गई वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में सूचना मांगी गयी है । आप ने दो लेखा-वर्षों 1973–74 (जुलाई-जून) और वर्ष 1974–75 में आने वाली जुलाई 1974 से मार्च 1975 तक की अवधि के दौरान, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने, पंजाब में विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों को नीचे लिखे अनुसार कुल वित्तीय सहायता स्वीकृत की :—

(लाख रु० में)

वर्ष	स्वीकृत वित्तीय सहायता
1973–74	(जुलाई-जून) 320.00
1974–75	(जुलाई-मार्च) 951.00

विकास बैंक पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम सहित जैसे राजकीय औद्योगिक विकास निगमों को कोई वित्तीय सहायता नहीं प्रदान करता है । अलबत्ता, इन निगमों द्वारा प्रवर्तित/प्रोत्साहित औद्योगिक एककों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा सहायता प्रदान की जाती हैं ।

उपर्युक्त वित्तीय सहायता में से, पंजाब राजकीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा प्रोत्साहित एक औद्योगिक प्रतिष्ठान को स्वीकृत की गयी प्रत्यक्ष-वित्तीय-सहायता निम्न प्रकार थी :—

(लाख रु० में)

वर्ष	स्वीकृत वित्तीय सहायता
1973–74	(जुलाई-जून) शून्य
1974–75	(जुलाई-मार्च) 62.00

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी जा रही है।

विवरण

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास, अनिवादित पड़े हुए पंजाब राज्य के औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रत्यक्ष वित्तीय-सहायता के आवेदन-पत्रों का विवरण (30–4–1975 की स्थिति)

(लाख रु० में)

क्रम सं०	एकक का नाम तथा स्थिति	परियोजना लागत	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से मांगी गयी सहायता	वर्तमान स्थिति
*1	पंजाब स्टेट कोआपरेटिव सप्लाई एण्ड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड होशियारपुर, पंजाब	519	336*	भारतीय औदयोगिक वित्त निगम एक एक मार्गदर्शक (लीड) संस्था के रूप में इस प्रस्ताव का जांच कर रहा है।
2	पंजाब टायर्स लिमिटेड रोपड़, पंजाब	2852	638	कम्पनी रुपयों को रुपया-ऋण के रूप में 1264 लाख रुपय विदेशी मुद्रा ऋण के रूप में 638 लाख रुपये और हामीदारी सहायता के रूप में 567 लाख रूपये की आवश्यकता है। छः राज्यों की टायर परियोजनाओं के प्रस्तावों पर 17–3–75 को इंटर इंस्टीटंयूशनल मीटिंग

* पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा प्रोत्साहित।

1	2	3	4	5
				आई० आई० एम० (अन्तर-संस्थागत बैठक) में उस समय बहस हुई थी जब यह महसूस किया गया था कि परियोजना लागत में सम्भावी वृद्धि और बाजार की अनिश्चयात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन आवेदन पत्रों की जांच करने के विषय में निर्णय से पहले संस्थाओं को सबसे पहले यह अध्ययन करना चाहिए कि ये एकक आर्थिक रूप से सक्षम भी होंगे या नहीं ।
3	मुप्तालोन लिमिटेड* होशियारपुर	1371	345	कम्पनी ने 115 लाख रुपये के तरजीही शेयरों की हामीदारी के रूप में वित्तीय सहायता मांगी है । 561 ल.ख रुपये के सावधि ऋण और 345 लाख रुपये के विदेशी मुद्रा ऋण में अन्य वित्तीय संस्थाओं की भागीदारी के साथ साथ कम्पनी के 68.25 लाख रुपये का अंशदान सामान्य (इक्विटी) शेयरों के रूप में है । इस मामले पर अन्तर-संस्थागत बैठक में 26-8-1974 को बहस हुई थी यह अनुभव किया गया कि गुजरात राज्य फर्टीलाइज़र कम्पनी लिमिटेड से कैपरलैक्टम की उपलब्धि कठिन हो सकती है और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम इस परियोजना के लिये आपेक्षित सारी विदेशी मुद्रा आवश्यकता को पूरा कर पाने

* निर्धारित पिछड़े हुए क्षेत्रों में अवस्थित ।

1	2	3	4	5
				में असमर्थ है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, जो एक मार्ग दर्शक (लीड) संस्था है, ने संस्थाओं के इन विचारों से इस कम्पनी को अवगत करा दिया है।
4	स्टेपन कैमिकल्स लिमिटेड, राजपुरा, पटियाला, पंजाब	530	303	औद्योगिक वित्त निगम मार्गदर्शक (लीड) संस्था के रूप में हाल ही में इस कम्पनी से प्राप्त विवरणात्मक सूचना की जांच कर रहा है।

विदर्भ में उद्योगपतियों और फर्मों के विरुद्ध आय कर की बकाया राशि

9393. **श्री राम हेडाऊ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ क्षेत्र में उन उद्योगपतियों और फर्मों के नाम क्या हैं जिन पर बहुत समय से आय कर की भारी राशि बकाया है ;

(ख) इस क्षेत्र में उन पहले पंद्रह फर्मों और उद्योगपतियों के नाम क्या हैं जिनके पास अनेक वर्षों से आयकर की बकाया राशि है ; और

(ग) आयकर की बकाया राशि वसूल करने में विलम्ब के क्या कारण हैं तथा भविष्य में उनकी शीघ्र वसूली के लिए क्या उपाय सुझाए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत, कर-निर्धारितियों का वर्गीकरण उनकी हैसियत के अनुसार किया जाता है, उदाहरणार्थ व्यष्टि, हिन्दू अविभाजित परिवार, कम्पनी, फर्म आदि। उद्योगपतियों का पृथक वर्गीकरण नहीं किया जाता है। अतः महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ क्षेत्र के उद्योगपतियों के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है। यदि माननीय सदस्य किसी खास निर्धारिती/निर्धारितियों के बारे में सूचना चाहें, तो उसे एकत्र करके पेश किया जा सकता है।

महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ क्षेत्र में जिन फर्मों का कर-निर्धारण किया गया और जिनमें से प्रत्येक की ओर 31 मार्च, 1975 को 10 लाख रु० से अधिक का आयकर बकाया था, उनके नाम अनुबंध 'क' में दिये गये हैं [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी–9739/75**]

(ख) ऐसे प्रथम 15 कर-निर्धारितियों के नाम उनकी हैसियत का विचार किये बिना, जिनकी तरफ 31 मार्च, 1975 को निगम-कर सहित शुद्ध आयकर की अधिकतम रकम बकाया थीं अनुबंध 'ख' में दिये गये हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी–9739/75]

(ग) जिन मुख्य तथ्यों के कारण, साधारणतः बकाया आयकर की घटौती/वसूली में बाधा आती है, उनमें से कुछ निम्नानुसार हैं :—

(i) परिमापनाधीन कम्पनियों की तरफ रकमे बकाया हैं।

(ii) रकमें अपीलों में विवादग्रस्त है, हालांकि वे स्थगन आदेश अथवा किस्तों के अन्तर्गत नहीं आई हैं।

(iii) परिसम्पत्तियों का अभिग्रहण कर लिया गया है, लेकिन उनके बेचने में कठिनाइयां हैं।

बकाया मांग को वसूल करने के लिए आयकर अधिनियम 1961 में दिये गये उपाय एसे किये गये है और किये जा रहे हैं जो प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को देखते हुए उपयुक्त हों।

हथकरघा कपड़े का निर्यात

9394. श्री राम हेडाऊ : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से हथकरघा कपड़े का आयात करने वाले देशों के नाम क्या हैं और गत दो वर्षों में इन देशों में से प्रत्येक देश द्वारा आयात किये गये कपड़े का मूल्य क्या है ; और

(ख) नये बाजारों का पता लगाने, निर्यात की मात्र बढ़ाने तथा कपड़े के डिजाइन व किस्म में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) 1972–73, 1973–74 तथा साथ ही वर्ष 1974–75 का अप्रैल-नवम्बर 1974 की अवधि के लिए विभिन्न देशों द्वारा आयात किये गये हथकरघा कपड़े के मूल्य दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०–9740/75]

(ख) हथकरघा उत्पादों का निर्यात लगातार बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे :—

1. कोलोन (प० जर्मनी) कोपनहेयन (डेन्मार्क) पेरिस (फांस) आदि में हुए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों तथ प्रदर्शनियों जैसे मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना ;

2. विदेशी जर्नलों तथा आवधिक पत्रिकाओं में नियमित रूप से विज्ञापन देना ;

3. अध्ययन करने, पता लगाने तथा बाजार बनाने के लिए प्रतिनिधिमंडलों तथा अध्ययन दलों का भेजा जाना ;

4. बाजार आसूचना तथा उचित कीमतों पर कच्चे माल की सप्लाई के रूप में निर्यातकों को सहायाता देना ;

5. विदेशों से जहां भी सम्भव हो, टैरिफ रियायतें प्राप्त करने तथा उनका लाभ उठाने के लिए प्रयत्न करना;

6. कतिपय देशों को निर्यातों के लिए अपेक्षित निरीक्षण पद्धति तथा प्रमाणीकरण की प्रक्रिया का आवश्यक सरलीकरण ;

7. नये डिजाइन तैयार करने तथा हथकरघा माल के उत्पादन में तकनीकी सुधार लाने के लिए हथकरघा बुनकरों को सहायता देने हेतु अधिक बुनकर सहायता केन्द्र स्थापित करना ; तथा

8. अखिल भारतीय हथकरघा फैब्रिक्स विपणन कोआपरेटिव सोसाइटी लि० तथा हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम द्वारा विदेशों में कार्यालय खोले जाना ।

विमान सेवाओं के बारे में सऊदी अरब के साथ समझौता

9395. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार और सऊदी अरब के बीच, विमान सेवाओं को एक दूसरे के देश तथा दोनो के सीमाओं से आगे चलाने के बारे में, समझौते का अनुसमर्थन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) : जी, हां । क़रार में भारत तथा सऊदी अरब का नामित विमान कम्पनियों द्वारा एक दूसरे के भूभाग के लिए/से होते हुए प्रति सप्ताह दो सेवाएं परिचालित करने की व्यवस्था है ।

लोदी और रणजीत होटलों के कर्मचारियों के लिए वार्षिक बोनस

9396. **श्री के० लकप्पा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोदी, रणजीत और जनपथ होटलों के कर्मचारियों को समान सेवा शर्तों, वेतनों, सुविधाओं तथा समान वरीयता सूची का लाभ प्राप्त है ;

(ख) यदि हां, तो लोदी और रणजीत होटलों के कर्मचारियों को वर्ष 1973-74 के लिए वार्षिक बोनस की वही दर यथा 15 प्रतिशत न देने के क्या कारण है जो जनपथ होटल के कर्मचारियों को स्वीकृत की गई हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस विषमता को दूर करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) लोदी, रणजीत तथा जनपथ होटलों के कर्मचारियों की सेवा शर्तें परिलब्धियों तथा सुविधायें एक समान है। परन्तु सुपरवाइज़री लेवल के नीचे के कामगरों की वरीयता यूनिटवार होती है।

(ख) और (ग) . बोनस के भुगतान के नियमन के लिये मापदंड यूनिट की लाभप्रदता है न कि सेवा शर्तों में एकरूपता। जनपथ होटल, जिसे 1973–74 के दौरान 8.85 लाख रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था, के कर्मचारियों को 15% की दर से बोनस दिया गया था। रणजीत एवं लोदी होटल, जिन्हें उसी वर्ष के दौरान क्रमश 11.96 लाख रुपये तथा 4.71 लाख रुपये की हानि हुई थी, के कर्मचारियों को बोनस 8–1/3% की दर से दिया गया था। सरकार इसको भेदभाव नहीं मानती है।

भारतीय पायलट गिल्ड के सदस्यों के विरुद्ध दायर किए गए मामले

9397. **श्री के० लकप्पा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय पायलट गिल्ड के अध्यक्ष तथा कुछ अन्य सदस्यों के विरुद्ध मुकदमें दायर किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन न्यायालयों में ये मामले दायर किये गये हैं ;

(ग) पायलट गिल्ड के नेताओं के विरुद्ध मुकदमे दायर करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार उन मुकदमों को वापिस लेने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) अतिरिक्त मुख्य मैट्रोपालिटन मैजिस्ट्रेट, 32वीं कोर्ट, बम्बई की अदालत में।

(ग) उन पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत किये गये अपराधों के लिये अभियोग चलाया गया है।

(घ) इन मामलों को वापिस लेने के लिये इंडियन पाइलट्स गिल्ड की ओर से श्रम मंत्री को एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

विदेशों को भारतीय फिल्मों की तस्करी

9398. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **वित्त** मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि फिल्म उद्योग में कुछ ऊंची चोटी के व्यक्ति बहुत से देशों को भारतीय फिल्मों की तस्करी करते हैं ;

(ख) क्या भारत सरकार ने इस बारे में कोई जांच कराई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री प्रणव कुमार मुखर्जी)** : (क) सरकार को ऐसी कोई विशिष्ट सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि भारतीय फिल्म उद्योग के चोटी के कुछ व्यक्ति विदेशों को भारतीय फिल्मों का भारी मात्रा में तस्कर निर्यात करते है ।

(ख) और (ग) . ऊपर (क) को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भर्ती नियम और सेवा शर्तें

9399. श्री जी० वाई० कृष्णन :
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम क्या हैं जिन्होंने अभी तक भर्ती सेवा शर्तें और अपने कर्मचारियों के लिये पदोन्नति के बारे में नियम नहीं बनाये हैं ; और

(ख) सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम द्वारा इन नियमों को न बनाये जाने के क्या कारण हैं और प्रत्येक उपक्रम द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री प्रणव कुमार मुखर्जी)** : (क) और (ख). सरकारी क्षेत्र के अधिकांश उपक्रमों ने भर्ती सेवा-शर्तों और पदोन्नति के सम्बन्ध में अपने नियम बना लिये हैं और शेष उपक्रमों ने या तो केन्द्रीय सरकार के नियम या अपने जैसे अन्य उपक्रमो के नियम अपना लिये हैं, उपलब्ध सूचना के अनुसार 118 उद्यमों में से केवल 31 उद्यमों ने केन्द्रीय सरकार या अन्य अपने जैसे उद्यमों के नियम अपनाये है । इन उद्यमों के बारे में ब्यौरे वार सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है । [ग्रन्थालय में रखा गया।देखिए संख्या एल० टी–9741/75]

सरकारी क्षेत्र के संगठनों का 'कंसर्शियम'

9400. श्री वरके जार्ज : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के ऐसे संगठनों के लिये एक 'कंसर्शियम' की स्थापना करने का है जो नागरिक कार्यों में लगे हुए हैं और तेल समृद्ध देशों में निर्माण कार्य प्राप्त करना चाहते हैं ;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र की कुछ निर्माण कम्पनियों ने उन देशों में कुछ निर्माण कार्य आरम्भ कर रखें हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या है और कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क): (ख) और (ग). ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया है । किन्तु सरकारी क्षेत्र की कम्पनियां मध्यपूर्व के देशों में सिविल

निर्माण कार्यों के ठेकों के लिए बोली देती रही है तथा बातचीत करती रही है। हिन्दुस्तान स्टील वर्कस कंसट्रक्शन लिमिटेड, राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी लिमिटेड और हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्ट्री लिमिटेड के साथ इन्जीनियरी प्रोजेक्ट इण्डिया लिमिटेड इन देशों में कारोबार के लिए प्रयत्नशील रहा है। उन्होंने विशेष रूप से निम्नलिखित दो प्रमुख परियोजनाओं के लिए निविदाएं प्रस्तुत की है।

परियोजना नाम	अनुमानित लागत	भाग लेने वाली कम्पनियां
शिपयार्ड परियोजना (बसरा)	60 करोड़ रु०	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम और राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम।
सूखी गोदी परियोजना (बहराईन)	200 करोड़ रु०	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम और रिचर्डसन एण्ड क्रूडास।

कच्चे पटसन के लिए सांविधिक न्यूनतम मूल्य को बढ़ाना

9401. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने कृषि मंत्रालय से कच्चे पटसन का सांविधिक न्यूनतम मूल्य बढ़ाने के लिये अनुरोध किया है क्योंकि कृषि मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित मूल्य अपर्याप्त है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). कृषि मूल्य आयोग ने 1975-76 के मौसम के लिए पटसन की मूल्य नीति के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और सरकार सिफारिशों पर विचार कर रही है।

कच्चा पटसन उद्योग की आर्थिक स्थिति

9402. **श्री मधु दंडवते** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऋण प्रतिबन्ध के कारण भारतीय पटसन निगम द्वारा बड़े पैमाने पर की जाने वाला खरीद में गंभीर रूप से बाधा पड़ने और पटसन के मूल्यों में भारी गिरावट के कारण कच्चा पटसन उद्योग की आर्थिक स्थिति संकटमय है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संकट को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). चालू पटसन मौसम में भारतीय पटसन निगम के खरीद कार्य में फसल की कमी तथा ऋण पर लगी

पाबन्दियों के कारण कटौती करनी पड़ी । कच्चे पटसन की कीमतें सरकार द्वारा विहित न्यूनतम स्तर से काफी हद तक अधिक रही हैं । आगामी मौसम में भारतीय पटसन निगम द्वारा खरीदे जाने वाले कच्चे पटसन की मात्रा में बढ़ौतरी करने के लिए उपाय किये जा रहे हैं ।

नाइलोन कपड़ा उद्योग के लिये नाइलोन धागे का उपलब्ध न होना

9403. **श्री के० मालवा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष नाइलोन धागे की भारी कमी के परिणामस्वरूप नाइलोन कपड़ा उद्योग को कठिनाई हो रही है ;

(ख) यदि हां तो नाइलोन धागे की अनुमानतः कुल कितनी आवश्यकता है और देश के ही संसाधनों से यह कितनी मात्रा में उपलब्ध होता है ; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में नाइलोन धागे का आयात किया जायेगा और उसके लिए कितनी विदेशी मुद्रा आवंटित की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) . नायलोन के धागे की अनुमानित आवश्यकता लगभग 16,000 मी० टन थी जबकि स्वदेशी उत्पादन 11,350 मी० टन था । जबकि वर्ष 1974-75 के दौरान उत्पादन अधिकांशतः उतना ही है, बाजार की मंदी की स्थिति के कारण नायलोन यार्न की कोई गंभीर कमी नहीं है । सामान्य बाजार स्थिति होने पर नायलोन यार्न की अनुमानित आवश्यकता नायलोन यार्न की कुल स्वदेशी क्षमता अर्थात् 18,210 मी० टन के लगभग बराबर होगी ।

(ग) घरेलू खपत के लिए चालू वर्ष के दौरान नायलोन यार्न आयात करने की कोई प्रस्थापना नहीं है । तथापि, नायलोन यार्न के आयात की अनुमति पंजीकृत निर्यातकों के लिये आयात नीति के अन्तर्गत दी जायेगी तथा इस प्रयोजन के लिये विदेशी मुद्रा का कोई अलग से आबंटन नहीं किया गया है ।

भारत और ईराक के बीच व्यापारिक समझौते

9404. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और ईराक के बीच हुआ व्यापारिक समझौता भारत के लिये लाभप्रद रहा है ;

(ख) ईराक के साथ अब तक कितने व्यापारिक समझौते किये गए हैं और उनके अन्तर्गत कौन-कौन सी वस्तुएं लाई गई है ; और

(ग) क्या ईराक को किये जाने वाले भारत के निर्यात में वृद्धि हो रही है और यदि हां, तो ऐसी वस्तुओं के नाम क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) भारत और ईराक के बीच केवल एक व्यापार करार विद्यमान है और चल रहा है । यह करार 24 सितम्बर, 1971 को नई दिल्ली में सम्पन्न किया गया था । इस करार के अन्तर्गत आने वाली मदें संलग्न सूची क तथा ख में दी गई हैं [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 9742/75] । फिर भी इस करार में उन वस्तुओं के व्यापार का अपवर्जन नहीं है जिनका इन सूचियों में उल्लेख नहीं है ।

(ग) जी हां । मुख्य मदें, जिनके निर्यात में 1973/74 में वृद्धि हुई है, ये हैं : चाय, लोहा तथा इस्पात, मशीनें तथा परिवहन उपकरण, विनीअर तथा प्लाईवुड बोर्ड, काफी, धातुनिर्मित वस्तुएं रबड़ की वस्तुएं, मसाले, रासायनिक तत्व तथा यौगिक, सूती माल, लौह अयस्क तथा सान्द्रण आदि ।

आसाम में लक्षिमपुर जिले में प्रति बैंक कार्यालय जनसंख्या

9405. **श्री टुना उरांव :**
श्री शक्ति कुमार सरकार :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के लक्षिमपुर जिले में प्रति बैंक कार्यालय जनसंख्या समूचे देश की 30,000 प्रति बैंक कार्यालय जनसंख्या की तुलना में 142,000 हैं ;

(ख) यदि हां, तो जुलाई, 1972 में और इस समय पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में राज्यों को, जिलावार, प्रति बैंक कार्यालय जनसंख्या का ब्यौरा क्या है और इन राज्यों में बैंकवार और जिला-वार शाखा कार्यालयों के नाम क्या हैं ; और

(ग) उनके मंत्रालय ने इन ग्रामीण जिलों को जनसंख्या तथा बैंक कार्यालयों, राज्य-वार, जिला-वार और बैंकवार के राष्ट्रीय औसत तक लाने के लिय किस प्रकार के और क्या उपाय आरम्भ किये है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) . पूर्वी और उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में 31 दिसम्बर, 1972 और 31 दिसम्बर, 1974 को वाणिज्यिक बैंकों के कार्यालयों की संख्या और प्रति बैंक जनसंख्या-औसत के विषय में राज्य-वार आंकड़े अनुबन्ध में दिये जा रहे हैं । [ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०– 9743/75] । केन्द्र-वार, बैंक-वार तथा जिले-वार शाखाओं के विषय में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों को, विशेषरूप से सम्बद्ध 'लीड' बैंकों को, यह सलाह दी है कि शाखा विस्तार की तीन-वर्षीय "रोलिंग योजना" बनाते समय, उन्हें यह सुनिश्चित

कर लेना चाहिए कि बैंकरहित, कम बैंक वाले ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में, विशेषत: उन जिलों में, जिनका जून 1974, के अन्त तक प्रति बैंक शाखा जनसंख्या औसत 75,000 से अधिक है बैंक कार्यालय स्थापित करने में उचित प्राथमिकता दी जाये ।

वैमानिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास सम्बन्धी पुनर्विलोकन समिति का गठन

9406. **श्री भगतराम राजाराम मनहर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एरोनाटिकल सोसाइटी आफ़ इण्डिया ने वैमानिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास में अपने योगदान का मूल्यांकन करने के लिये और इसकी प्रगति के लिये उपायों की सिफारिश करने हेतु एक पुनर्विलोकन समिति का गठन किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिये विदेशी तकनीकी जानकारी की आवश्यकता होगी ; और

(ग) क्या इसका काम परमाणु ऊर्जा आयोग, इलेक्ट्रानिक आयोग तथा अन्तरिक्ष आयोग के समानान्तर चलेगा, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) एरोनाटिकल सोसाइटी आफ इंडिया, जो कि सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत एक स्वायलशासी निकाय है, की परिषद् ने सोसायटी के कुछ सदस्यों की एक पुनर्विलोकन समिति का गठन किया है। समिति के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार हैं :--

(i) सोसायटी के उद्देश्यों और लक्ष्यों का पुनरालोकन यह देखने के लिये कि क्या भारत में वैमानिक गतिविधियों के विकास के लिये सोसायटी द्वारा उपयोगी भूमिक अदा करने के लिये ये उद्देश्य एवं लक्ष्य यथेष्ट हैं ।

(ii) क्या सोसायटी की विगत गतिविधियों द्वारा इसके उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की पूर्ति हुई थी ।

(iii) ऐसे परिवर्तनों के बारे में सिफारिश करना जो वैमानिक गतिविधियों में सोसायटी की भूमिका के सुधार एवं परिवर्तन के लिये वांछनीय हों ।

(ख) और (ग). एरोनाटिकल सोसाइटी आफ इंडिया ने सूचित किया है कि किसी विदेशी तकनीकी जानकारी की आवश्यकता नहीं होगी और उनका काम परमाणु ऊर्जा आयोग, इलेक्ट्रानिक्स आयोग तथा अन्तरिक्ष आयोग के समानान्तर नहीं चलेगा ।

न्यायालयों द्वारा रिहा किये गये तस्कर

9407. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**
श्री एम० एम० जोजफ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विभिन्न न्यायालयों के आदेशों के अधीन रिहा किये गये तस्करों के नाम राज्यवार क्या हैं ; और

(ख) इस बारे में सरकार का आगे और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) 6-5-1975 तक की उपलब्ध सूचना के अनुसार, विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1974 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नज़रबन्द किये गये तथा भारत में विभिन्न न्यायालयों के आदेशों के अन्तर्गत रिहा किये गये तस्करों के राज्यवार नाम इस प्रकार हैं :—

क्र० सं०	नाम	न्यायालय जिसके दवारा रिहा किया गया
1.	श्री चम्पालाल पुजांजी शाह	दिल्ली उच्च न्यायालय
2.	श्री नैनमल पुंजाजी शाह	—यथोपरि—
3.	श्री यूसुफ अब्दुल्ला पटेल	—यथोपरि—
4.	श्री सुकुर नारन टिण्डल उर्फ बखिया	—यथोपरि—
5.	श्री एस० एम० ए० सिद्दीक	—यथोपरि—

(ख) दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार द्वारा दायर की गई अपीलें सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिये स्वीकार कर ली है ।

दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों पर स्थागन आदेशों से संबंधित दरख्वास्तों पर सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि क्रम सं० 1, 2, 3, और 5 में उल्लिखित व्यक्तियों में से प्रत्येक को हर रोज़ उस पुलिस थाने में उपस्थित होना चाहिए जिसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत वह रहता हो । क्रम सं० 4 में उल्लिखित व्यक्ति, जो नर्सिंग होम में है, तब तक अस्पताल नहीं छोड़ सकता जब तक उसे डाक्टर द्वारा ऐसा करने के लिये स्वस्थता प्रमाण-पत्र नहीं दिया जाता और तभी वह आगे आदेश प्राप्त करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन करेगा ।

जर्मन जनवादी गणराज्य के साथ व्यापार में वृद्धि

9408. श्री वीरेन्द्र सिंह राव :
श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष में जर्मन जनवादी गणतन्त्र के साथ व्यापार बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं और उनका क्या परिणाम निकला है ; और

(ख) इस संबंध में भविष्य में किये जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) वर्ष 1974 के लिए भारत-जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य व्यापार संलेख में, जिस पर नवम्बर, 1973 में हस्ताक्षर किये गये थे, 8240 करोड़ रुपये के कुल व्यापार कारोबार की व्यवस्था है। जुलाई, 1974 में जब जर्मनी लोकतंत्रीय गणराज्य का एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल इस देश की यात्रा पर आया था, व्यापार संलेख के कार्यान्वयन की मध्यावधि समीक्षा की गई थी। इस समीक्षा और आवधिक अनुवर्ती कार्यवाही के फलस्वरूप 1974 के दौरान जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य के साथ भारत के व्यापार में पिछले वर्षों की तुलना में काफी वृद्धि हुई। यद्यपि पूरे वर्ष के लिए व्यापार आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी आशा है कि 1973 के व्यापार कारोबार की तुलना में 1974 के व्यापार कारोबार में लगभग 55 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

(ख) अगले माह आर्थिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग के लिए भारत-जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य के संयुक्त आयोग के प्रथम अधिवेशन के अवसर पर 1975 के लिए भारत-जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य व्यापार योजना के कार्यान्वयन की मध्यावधि समीक्षा करने का विचार है। इस संयुक्त आयोग के अन्तर्गत स्थापित व्यापार आदान-प्रदान से संबंधित कार्यकारी दल दोनों देशों के बीच व्यापार आदान-प्रदान का और विस्तार तथा विविधीकरण करने के लिए मार्गोपायों का पता लगायेगा।

रूसी सहायता से सरकारी क्षेत्र की परियोजनायें

9409. श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र की उन परियोजनाओं के क्या नाम हैं जो रूसी सहायता से कार्यान्वित की गई अथवा की जा रही हैं ; और

(ख) ये परियोजनायें किन किन तारीखों को पूरी हुई अथवा पूरी हो जायेंगी ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

करों की बकाया राशि

9410. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार करों की बकाया राशि को वसूल करने के लिये सतत ठोस कार्यवाही कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण ब्यौरा क्या है ;

(ग) गत वर्ष 1972, 1973 और 1974 के लिये कर अधिकारियों द्वारा व्यक्तियों अथवा कम्पनियों की निर्धारित देय राशियों तथा विवादग्रस्त और उस पर न्यायिक पुनर्विलोकन के अन्तर्गत बकाया, दोनों श्रेणियों की राशियों का पृथक-पृथक ब्यौरे सहित करों की कुल कितनी राशि बकाया है ; और

(घ) इसी अवधि में उक्त बढाया राशि में से कितनी राशि वसूल की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां ।

(ख) अपेक्षित सूचना अनुबन्ध में दी गयी है ।

(ग) वित्तीय वर्ष 1971–72, 1972–73 और 1973–74 के अन्त में सभी कर-निर्धारितियों की तरफ, चाहे उन की हैसियत कोई भी हो, आय कर की सकल मांग और शुद्ध बकाया की रकम निम्नानुसार थी :—

वित्तीय वर्ष	सकल मांग	शुद्ध बकाया
	(रकम करोड़ रुपयों में)	
1971–72 . . .	805.37	438.60
1972–73	790.02	483.10
1973–74	815.60	471.13

31 मार्च 1972, 31 मार्च 1973 और 31 मार्च 1974 की स्थिति के अनुसार सकल मांग की जो रकमें विवादग्रस्त थीं और जिन पर न्यायालय द्वारा बाद में विचार किया गया, वे नीचे दी गयी हैं:

निम्नलिखित तारीखों की स्थिति के अनुसार	विवादग्रस्त रकम (करोड़ रुपयों में)
31–3–72	163.31
31–3–73	199.93
31–3–74	184.37

(घ) 31 मार्च 1972, 31 मार्च 1973 और 31 मार्च 1974 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्षों के दौरान बकाया मांग में से जो नकद वसूली हुई/कमी आई वह नीचे दिये अनुसार है :—

निम्नलिखित तारीखों को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष	मांग की बकाया में से जो रकम नकद वसूली हुई/कमी आयी (करोड़ रुपयों में)
31-3-72	303.64
31-3-73	324.18
31-3-74	329.05

विवरण

(1) वित्तीय वर्ष 1974-75 के लिए तथा उस वर्ष से बोर्ड ने आय कर आयुक्तों के साथ परामर्श कर के एक कार्यवाही योजना तैयार की है जिस में महत्वपूर्ण फल-प्रदायी क्षेत्रों के लिए लक्ष्य निर्धारित किये हैं। मांग की बकाया में 45 प्रतिशत की कमी लाने का लक्ष्य है जो पूर्ववर्ती वर्षों के वास्तविक निष्पादन से अधिक है ।

(2) बोर्ड ने करों के संग्रह और वसूली के क्षेत्र में असाधारण कार्य के लिए क्षेत्रीय और अखिल भारतीय आधार पर नकद पुरस्कार देने की एक योजना चालू की है । आयकर अधिकारी (संग्रह) और कर वसूली अधिकारी तथा उन के कर्मचारी इन पुरस्कारों को प्राप्त कर सकते हैं ।

(3) वांचू समिति की सिफारिश के अनुसरण में, प्रत्येक आय-कर आयुक्त के अधीन आय-कर अधिकारियों की संख्या घटा कर लगभग 40 कर दी है । बकाया के जिन मामलों में एक लाख रुपये से दस लाख रुपये के बीच की रकम अन्तर्ग्रस्त होती है उन मामलों पर आय-कर आयुक्त को स्वयं नज़र रखनी पड़ती है ।

(4) बोर्ड द्वारा किये गये निरीक्षणों के परिणामतः बड़े, अधिकार-क्षेत्रों में प्रत्येक आय-कर आयुक्त को उस के अधिकार क्षेत्र के चोटी के मामलों के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के लिए व्यक्तिगत रूपसे जिम्मेदार ठहराया गया है । इसी प्रकार, निरीक्षक सहायक आयुक्त को, उसकी रेंज के शीर्षस्थ मामलों के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है ।

(5) वर्ष 1966 से पूर्व, बकाया कर की वसूली से संबंधित कार्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा किया जाता था । वर्ष 1966 से इस कार्य को केन्द्रीय सरकार ने क्रमबद्ध ढंग से ले लिया है और पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को छोड़ कर, देश भर में बकाया की वसूली के कार्य का दायित्व विभागीय अधिकारियों को सौंपा गया है ।

(6) विवादग्रस्त करों में कमी। वसूली सुनिश्चित करने के लिए अपीलों के शीघ्र निपटान का अभियान चलाया गया था ।

(7) करों की बकाया में कमी लाने के लिए तथा उन के इकट्ठा होते रहने को रोकने के लिए वांचू समिति ने जो बहुत सी सिफारिशें की थीं, वे कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 1973 में शामिल कर ली गयी हैं जो अब संसद के समक्ष विचाराधीन हैं ।

इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा की गई मितव्ययिता

9411. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयर लाइन्स ने अप्रैल, 1974 से मार्च, 1975 तक कोई मितव्ययिता की है ;

(ख) यदि हां, तो यह मितव्ययिता किन क्षेत्रों में की गई और शुद्ध बचत कितनी हुई है ;

(ग) क्या इस प्रकार की मितव्ययिता का इण्डियन एयरलाइन्स की कार्यकुशलता और प्रसिद्धि पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ा है ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त खराबियों, अथवा कमियों को किस प्रकार दूर किया जाता है ?

पर्यटन और नागर विमान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) निम्न रूप में बचत की गयी थी --

(i) समयोपरि भत्तों में कटौती करके ;

(ii) शिफ्ट प्रणाली को तर्कसंगत बना करके ;

(iii) कर्मीदल रात्रि विश्रामों में कटौती कर के ;

(iv) प्रचार, मुद्रण एवं स्टेशनरी, टेलिफोन, टेलेक्स आदि पर व्यय को कम कर के,

(v) कुछ अलाभप्रद सेवाओं में कमी कर के ;

(vii) कर्मचारियों तथा विमानों के उपयोग को बढ़ा कर ;

(vii) नई भर्ती पर नियंत्रण कर के। इन बचतों ने वित्त वर्ष 1974-75 के लिये 16.5 करोड़ रुपये की प्रत्याशित हानि को लगभग 81 लाख रुपये के लाभ में बदल दिया ।

(ग) और (घ): कार्पोरेशन की उत्पादकता एवं कार्यकुशलता में सुधार हुआ है ।

विमानों पर परोसे गये जलपान की क्वालिटी के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। परोसे जाने वाले जलपान में विविधता लाकर इस बारे में सुधार करने के लिए पहले ही कदम उठाये जा चुके हैं ।

गोआ कार्बन लिमिटिड के निदेशकों के विरुद्ध तस्करी के आरोप

9412. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ कार्बन लि० के किसी निदेशक को तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है ;

(ख) क्या उन के यहां कोई छापे मारे गये थे ;

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन के परिणामस्वरूप क्या क्या दस्तावेज और वस्तुएं बरामद हुई ;

(घ) उन में से प्रत्येक की और गत तीन वर्षों में विभिन्न करों की, जसे कि आयकर, धन कर, उत्पादन शुल्क, निगमकर क. कुल कितनी राशि बकाया है ; और

(ङ) बकाया करों को वसूल करने के लिए किये गये प्रयत्नों का ब्यौरा क्या है तथा इस मामले में आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ङ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रखी जायगी ।

गोयनका ग्रुप आफ न्यूज पेपर्स को राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिया गया ऋण

9413. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'इण्डियन एक्सप्रेस' और 'आन्ध्र प्रभा ग्रुप आफ पेपर्स ' सहित गोयनका ग्रुप आफ न्यूज पेपर्स को राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं दवारा ऋण की कुल कितनी राशि दी गई ; और

(ख) उन की कुल देयता और वास्तविक आस्तियां क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क): बैंकों में प्रचलित परम्परागत प्रथाओं और चलन तथा बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों के विशिष्ट घटकों (कान्स्टीटयूएंटस) के बारे में अथवा उनसे संबंधित कार्यकलापों के बारे में सूचना प्रकट नहीं की जाती है । अतएव, राष्ट्रीयकृत बैंकों दवारा "गोयनका ग्रुप आफ न्यूज पेपर्स" को दिए गए अग्रिमों के विषय में सूचना देना संभव नही है ।

सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों द्वारा यदि "गोयनका ग्रुप आफ न्यूज पेपर्स" को कोई अग्रिम दिये गये हों तो उनके बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और यथासुलभ सूचना सभापटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) गोयनका ग्रुप की ऐसी कम्पनियों, जो एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यवहार अधिनियम की धारा 20(क) के अन्तर्गत उपक्रमों के रूप में पंजीकृत हैं तथा समाचार पत्र उदयोग में संलग्न हैं, की परिसम्पत्तियों ऋणों और अन्य देनदारियों के बारे में सूचना नीचे दी गयी है :—

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	तुलन पत्र की तारीख	परिसम्पत्ति	ऋण	वर्तमान देनदारियां एवम प्रावधान
1.	आन्ध्र प्रभा (प्रा०) लि०, विजयवाड़ा	30–4–74	1.75	0.51	1.39
2.	एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (प्रा०) लि०, मद्रास	31–3–74	3.92	1.31	3.29
3.	इण्डियन एक्सप्रेस (मदुराई) (प्रा०) लि०, मदुराई	30–4–74	3.15	2.74	1.51
4.	इण्डियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (बम्बई) (प्रा०) लि०, बम्बई	30–4–74	10.42	3.84	5.13

दावों के बदले में पार्टियों को लाइसेंस अधिकारो-पत्र और सीमा शुल्क निकासी परमिट देना

9414. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पार्टियों के नाम और पते क्या हैं जिनको बर्मा में कुछ रकमें रह जाने सम्बन्धी दावों के बदले में वहां के वस्तुओं का आयात करने के लिये जनवरी, 1971 से जनवरी, 1974 तक सीमा शुल्क निकासी परमिट/अधिकार-पत्र/आयात लाइसेंस दिये गये हैं ;

(ख) ऐसे प्रत्येक लाइसेंस का मूल्य क्या है, किन वस्तुओं का आयात किया जा सकता है और सीमा शुल्क निकासी परमिट/अधिकार-पत्र/आयात लाइसेंस देने से संबंधित अन्य ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन पार्टियों के नाम क्या हैं जिनकी लाइसेंस दिये जाने से पूर्व उनके उपरोक्त दावों का रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से सत्यापन कराया गया था और कितनी राशि का सत्यापन किया गया था ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). 13 लाख रु० मूल्य के नायलन यानी पोलिस्टर फिलामेंट यार्न के आयात के लिए बर्मा से स्वदेश वापिस आए सुभकरन दुर्गादित्त के पक्ष में प्राधिकार-पत्र सहित राज्य व्यापार निगम को एक सीमा-शुल्क निकासी परिमिट, दिनांक 23–4–1971 जारी किया गया था जिसके बारे में पार्टी ने दावा किया था कि वह उन्हें एक जापानी फर्म द्वारा देय था ।

(ग) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा इस मामले की विस्तार में जांच की गई थी। सीमा-शुल्क निकासी परमिट दिनांक 23–4–71 जारी करने से पूर्व विदेश मंत्रालय से भी परामर्श किया गया था ।

स्कूटर इण्डिया लिमिटेड में पूंजी लगाने पर धन कर से छूट

9415. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूटर इण्डिया लिमिटेड ने सरकार से कम्पनी के शेयरों में पूंजी लगाने पर धन कर से छूट देने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और सरकार ने इस पर क्या निर्णय किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख). जी, हां। मैसर्स स्कूटर्स इंडिया लि० ने निवेदन किया है कि उसके औद्योगिक एकक को, जो व्यापारिक इस्तेमाल ने लिए तीन पहिए वाले स्कूटर भी बताते हैं , प्राथमिकता प्राप्त उद्योग के रूप में माना जाना चाहिए और उसमें लगाई गई पूंजी पर धन-कर से छूट मिलनी चाहिए जिसकी वित्त विधेयक, 1975 के खण्ड 27(क) (iv) में व्यवस्था किए जाने का प्रस्ताव है। उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि स्कूटर उद्योग को प्राथमिकता प्राप्त उद्योग के रूप में आयकर अधिनियम, 1961 की नौवी अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए ।

मैसर्स स्कूटर्स इंडिया लि० द्वारा अभ्यावेदन में रखे गये तथ्यों से ऐसा लगता है कि कम्पनी द्वारा प्रारम्भ में जारी की गई इक्विटी शेयर पूंजी के जो शेयर है, उन पर प्रस्तावित कर रिआयत प्राप्त नहीं हो सकेगी । उक्त नौवी अनुसूची में दी गई प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की सूची में स्कूटर उद्योग को शामिल करने का भी फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

हांग कांग को भारत की वस्तुओं का निर्यात

9416. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हांगकांग का भारत की कुल कितने मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया गया ;

(ख) क्या इस निर्यात की बहुत अधिक वस्तुओं का चीन और ताईवान को निर्यात किया जाता है और यदि हां, तो क्या इसके लिये समझौते की शर्तों के अन्तर्गत अनुमति है ; और

(ग) क्या सरकार ने हांगकांग के साथ व्यापार की अग्रसर सम्भावनाओं का अध्ययन किया है और यदि हां, तो इसके लिये क्या योजना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) 1971–72, 1972–73 तथा 1973–74 के दौरान हांगकांग की भारत के निर्यातों का मूल्य क्रमश : 15.79 करोड़ रु०, 20.14 करोड़ रु० तथा 36.73 करोड़ रुपये था ।

(ख) भारत तथा हांगकांग के बीच कोई व्यापार करार नहीं है । हांगकांग एक प्रमुख व्यापारिक केन्द्र है और यह बताना सम्भव नहीं है कि भारतीय माल किस सीमा तक अन्य देशों को पुनर्निर्यात किया जाता है ।

(ग) हांगकांग के साथ व्यापार बढ़ाने की सम्भावनाओं का निरन्तर पुनर्विलोकन किया जाता है । जब भी आवश्यक होता है बिक्री/अध्ययन दल प्रायोजित किये जाते हैं । निकट भविष्य में एक पूर्णत : भारतीय प्रदर्शनी करने की योजना बनाई जा रही है ।

विदेशी सहयोग करार

3417. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर से दिसम्बर, 1974 की तिमाही तथा जनवरी से मार्च, 1975 तक की तिमाही में भारत सरकार ने कितने विदेशी सहयोग करार अनुमोदित किये ; और

(ख) करारों का देश-वार ब्यौरा क्या है और उनमें विदेशी मुद्रा का अंश क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) अक्तूबर–दिसम्बर 1974 की तिमाही में और जनवरी–मार्च 1975 की तिमाही में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विदेशी सहयोग के प्रस्तावों की कुल संख्या निम्न प्रकार थी :

	अनुमोदित विदेशी सहयोग के प्रस्तावों की कुल संख्या	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या जिनमें विदेशी पूंजी निवेश का अंश है
अक्तूबर–दिसम्बर 74	73	14
जनवरी–मार्च 75	53	8

(ख) इन मामलों का तिमाही विवरण संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है जिसमें भारतीय पार्टी का नाम, विदेशी सहयोगी पार्टी का नाम निर्माण की जाने वाली मदों का ब्यौरा और यह दिया गया है कि क्या प्रस्ताव में विदेशी पूंजी लगाये जाने की बात है या नहीं ।

इस समय यह बताना कठिन है कि इन प्रस्तावों के परिणामस्वरूप लाभांशों और रायल्टी आदि के रूप में कितनी विदेशी मुद्रा बाहर जायगी । इस बात का पता प्रस्तावों को अमल में लाए जाने और कारखानों में वाणिज्यिक दृष्टि से उत्पादन शुरू होने के बाद ही चल सकेगा ।

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर भारत में "क्रैश फायर टेंडर"

9418. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर कितने क्रेश फायर टेंडर लगे हुये हैं ;

(ख) उन्हे कहां से खरीदा गया तथा उन पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई थी ; और

(ग) क्या उनके लिये विश्व-व्यापी टेंडर मांगे गये थे और क्या बताये गये विशिष्ट विवरण बोइंग 707 विमानों और जम्बू जेट विमानों में आग को बुझाने में सक्षम हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) चौबीस । चारों अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में से प्रत्येक पर छः–छः ।

(ख) इन 24 क्रैश फायर टेंडरों में से, 16 व्हील टाइप के हैं तथा ये 1957 से 1969 तक की अवधि के दौरान भिन्न भिन्न समयों पर यू०के०, चैकोस्लोवाकिया तथा जापान से खरीदे गए थे और इन पर व्यय हुआ विदेशी मुद्रा का कुल अंश लगभग 27.67 रुपए था । शेष 8 क्रैश फायर टेंडर

ट्रैक टाईप के हैं जो कैनेडियन लाइन आफ क्रेडिट के अन्तर्गत कानडा से प्राप्त किए गए थे । इन पर व्यय हुआ विदेशी मुद्रा का अंश लगभग 78.40 लाख रुपए था और ये 1973 व 1974 में प्राप्त हुए थे ।

(ग) 20 नये व्हील टाइप क्रैश फायर टेंडर प्राप्त करने के शिए भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान-पत्तन प्राधिकरण ने विश्व व्यापी टेंडर मांगे थे । जिन नए क्रैश फायर टेंडरों की प्राप्ति के लिए कार्य-वाही प्रगति पर है, उनके लिये स्वीकार की गयी स्पीसिफिकेशन्स (विशिष्टियां) बोइंग 707 तथा जेटों में लगी आग को बुझाने के लिए पर्याप्त समझी जाती हैं ।

विलास की गैर-आवश्यक वस्तुएं बनाने के लिए मदों के आयात पर रोक लगाना

9419. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या विलास की गैर-आवश्यक वस्तुयें बनाने के लिये मदों के आयात पर रोक लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : 1975–76 के लिए आयात नीति पहले से ही गैर चुने हुए उद्योगों के लिए प्रतिबंधक है । इस वर्ग में आने वाले एककों को गत वर्ष में आयातित निविष्टों की वास्तविक खपत अथवा पहले आयात लाइसेंसों के मूल्य, जो भी कम हो, के आधार पर कच्चे तथा संघटकों के लिए वास्तविक प्रयोक्ता लाइसेंस प्रदान किये जायेंगे । कतिपय मदों के आयात पर और आगे प्रतिबंध लगा दिया गया है ।

मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड को त्रिची स्थित युनिटों की बिक्री

9420. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तन लीवर लिमिटेड से त्रिची स्थित अपनी बनस्पति की उत्पादक यूनिट मैसर्स पैरूमल ऐजेंसी लिमिटेड को बेच दी हैं ;

(ख) क्या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनी को कोई सम्पत्ति बेचने से पूर्व रिजर्व बैंक आफ इंडिया की अनुमति लेनी होती है और यदि हां, तो क्या ऐसा कोई आवेदन पत्र दिया गया है ;

(ग) क्या हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड ने 1972 में त्रिची कारखाने सहित अपनी आफ सम्पत्ति का पुनर्मुल्यांकन किया था ;

(घ) क्या हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड को इसे बेचने की अनुमति देते समय रिजर्व बैंक इंडिया नें उनकी त्रिची स्थित यूनिट के पुन: आंके गये मूल्य को ध्यान में रखा था ; और

(ङ) क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने 70 लाख रुपया बिक्री मूल्य को न्यायोचित समझा है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) इससे रिजर्व बैंक आफ इंडिया को अपने त्रिची-स्थित बनास्पती उत्पादन एकक के लिए मैसर्स पेरूमल एजेंसीज लिमिटेड को बेचने के बारे में एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है ।

(ख) जी, हां।

(ग) रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने सूचित नहीं किया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि हिन्दुस्तान लीवर ने 1972 में त्रिची कारखाने सहित अपनी सम्पत्ति का फिर से मूल्यांकन किया था।

(घ) रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने कम्पनी के बिक्री एकक को बेचने की अनुमति दिये जाने के अनुरोध क , सबसे हाल की मूल्यांकन रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए जांच क है।

(ङ) जी, हां।

भारत पर्यटन विकास निगम में पृथक हिन्दी सैल की स्थापना

9421. **श्री के० एस० मधुकर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के लगभग सभी विभागों/यूनिटों में अभी भी काम केवल अंग्रेजी में ही किया जाता है;

(ख) क्या भारत पर्यटन विकास निगम में हिन्दी में किये गये पत्र-व्यवहार का भी उत्तर अंग्रेजी में दिया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो भारत पर्यटन विकास निगम के कार्यकरण में प्राथमिकता के आधार पर हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने हेतु एक पृथक् हिन्दी "सैल" की स्थापना करने में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है और जैसा कि अन्य सरकारी विभागों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) और (ख) जी हां, भारत पर्यटन विकास निगम के विभिन्न विभागों एवं यूनिटों के कार्यचालन में मुख्य रूप से अंग्रेजी का ही प्रयोग हो रहा है। निगम एक अखिल भारतीय संगठन है, जिसका संचालन वाणिज्यिक दृष्टिकोण से किया जाता है, तथा इसकी सुविधाओं का मुख्य उद्देश्य विदेशी पर्यटकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। तथापि, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये अंग्रेजी के अलावा हिन्दी का प्रयोग भी चालू किया जा चुका है:—

(1) वार्षिक रिपोर्टें;

(2) प्रचार साहित्य;

(3) हिन्दी भाषी क्षेत्रों में जारी किये गये विज्ञापन एवं टेंडर नोटिस।

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम ने अपने कार्यसंचालन में हिन्दी के क्रमिक प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिये एक हिन्दी कक्ष की स्थापना का निर्णय कर लिया है, तथा निगम में भारत सरकार

की राजभाषा विषयक नीतियों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये एक समिति का गठन पहले ही किया जा चुका है ।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की चाय के लिये बेहतर मूल्य

9422. **श्री भाऊ साहेब धामनकर :**
श्री बसंत साठे :
क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चाय के बेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिये अन्य चाय उत्पादक देशों के सहयोग से कोई ठोस कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिये क्या भावी कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). जून, 1974 में खाद्य कृषि संगठन की बैठक में सम्मिलित हुए चाय निर्यातकों का उपदल सम्पन्न हुई द्विपक्षीय बातचीत के अतिरिक्त बहु-आगामी दृष्टिकोण पर गहराई से विचार करने के लिए सहमत हो गया जिसमें न्यूनतम निर्यात कीमत व्यवस्था, विपणन का समन्यव तथा विनियमन विश्वव्यापी संवर्धन, उत्पादक देशों में नीलामियां सुदृढ़ बनाना और बाजार आसूचना सेवा की व्यवस्थाएं शामिल हैं । तथापि अप्रैल, 1975 में रोम में सप्त राष्ट्रीय कार्यकारी पार्टी की बैठक में इन मुद्दों पर मतैक्य नहीं हो सका क्योंकि और आगे अध्ययन करना आवश्यक समझा गया ।

अनधिकृत विद्युतचालित करघे

9423. **श्री भाऊ साहेब धामनकर :**
श्री वसन्त साठे :
क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार अनधिकृत विद्युत्चालित करघों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) अनधिकृत विद्यत्चालित करघों की संख्या में वृद्धि को रोकने तथा जिनका पता लग गया है उनको नियमित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) इस समस्या के बारे में सरकार की क्या नीति है; और

(घ) क्या सरकार को प्रभावकारी ढंग से हल करने के लिये कोई विशेष उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) से (घ). देश में अनधिकृत शक्तिचालित करघों का कोई विश्वसनीय प्राक्कलन उपलब्ध नहीं है ।

2. सरकार की नीति, अनधिकृत शक्तिचालित करघों की वृद्धि के विरुद्ध है इसके बावजूद भी यह पाया जाता है कि अनधिकृत शक्तिचालित करघे स्थापित किये ही जाते हैं। सभी तथ्यों पर विचार कर लेने के बाद सरकार ने 1966 में, उन सभी अनधिकृत शक्तिचालित करघों को जो 28 फरवरी 1966 से पहले विद्यमान थे वस्त्र आयुक्त, बम्बई द्वारा विनियमित परमिट जारी करके उन्हें विनियमित करने का विनिश्चय किया था । सरकार ने अन्य किसी अनधिकृत करघे को विनियमित न करने का विनिश्चय किया है और एसे करघों की वृद्धि को निरुत्साहित करने के लिए निम्नोक्त कदम उठाए हैं :—

1. चालू वर्ष के दौरान शक्तिचालित करघा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन शुल्क लेवी संशोधन करके उसे बढ़ा दिया गया है ताकि मिल क्षेत्र के मुकाबले हथकरघा क्षेत्र को लागू होने वाली दरों के बीच बड़े अंतर को कुछ सीमा तक कम किया जा सके ।

2. अनधिकृत शक्तिचालित करघों पर प्रति करघा प्रति वर्ष 400 रु० की दंड मिश्रित लेवी भी लागू की गई है ।

3. केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अभिकरण में ये अनुदेश दिए जा चुके हैं कि वह किसी ऐसे शक्तिचालित करघे को एल—4 लाइसेंस जारी न करे जिसके पास वस्त्र आयुक्त से प्राप्त वैध परमिट न हो ।

समुद्री उत्पाद निर्यात उद्योग में एकाधिकार गृहों का प्रवेश

9424. **श्री वयालार रवि** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन कुछ एकाधिकार गृहों को एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग द्वारा इन शर्तों पर समुद्री उत्पाद निर्यात उद्योग में प्रवेश की अनुमति दी गई थी कि वे केवल उनके द्वारा ही पकड़ी गई मछलियों का ही अभिकरण करेंगे, वे परिकरण सुविधाओं को किराये पर ले रहे हैं, कच्चा माल खरीद रहे हैं तथा इस उद्योग के लघु उद्यमकर्त्ताओं के साथ स्पर्धा कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन एकाधिकार गृहों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है जिन्होंने एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग के निदेशों का उल्लंघन किया है जिससे लघु उद्यमकर्ता मजबूरन इस उद्योग को छोड़ रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) तथा (ख). सरकार समुद्रीउत्पाद उद्योगों में प्रोसेसिंग प्रतिष्ठान स्थापित करने के लिए बड़े औद्योगिक गृहों को दिये गये औद्योगिक लाइसेंसों की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में आरोपों की और इस बात का मूल्यांकन करने के लिए जांच कर रही है कि इन प्रोसेसिंग एककों की स्थापना से छोटे प्रोसेसरों के हितों पर किस सीमा तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

तम्बाकू उत्पादनशुल्क टैरिफ विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन

9425. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नियुक्त तम्बाकू उत्पादन शुल्क टैरिफ विशेषज्ञ समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) केन्द्रीय उत्पादनशुल्क बोर्ड द्वारा समिति की सिफारिशों को कब क्रियान्वित करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क), (ख) तथा (ग) . जी हां, । यह रिपोर्ट सरकार को केवल 1 मई, 1975 को ही पेश की गई थी और अभी इसका अध्ययन किया जाना है ।

सोना रखने की अधिकतम सीमा

9426. **श्री जी० बाई० कृष्णन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसी व्यक्ति या परिवार द्वारा सोना रखने की अधिकतम सीमा को कम करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख). स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम के विद्यमान उपबंधों के अनुसार निजी कब्जे में शुद्ध सोना रखने की बिल्कुल मनाही है । सोने की वस्तुएं और गहने रखने की कोई उच्चतम सीमा नहीं है परन्तु प्रति परिवार 50 ग्राम से अधिक सोने की वस्तुएं अथवा 4000 ग्राम से अधिक के गहने रखने पर उनकी घोषणा करनी होती है सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं किया है कि इन सीमाओं को कम किया जाये ।

इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया में विमान परिचारिकाओं के लिये रोजगार की शर्तें

9427. **श्री मधु दंडवते** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया में विमान परिचारिकाओं को एक वचन देना पड़ता है कि यदि वे विवाह करेंगी तो उन्हे अपनी नौकरी से त्याग-पत्र देना होगा ;

(ख) क्या यह सच है कि विदेशों में अनेक विमान कम्पनियों में इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है ; और

(ग) क्या इस अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष में महिलाओं के साथ किये जाने वाले इस भेदभाव को समाप्त कर दिया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) . सेवा शर्तों के अनुसार एक विमान परिचारिका 30 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने अथवा शादी कर लेने पर, जो भी पहले हो, एयरइंडिया/इंडियन एयरलाइंस की सेवा से निवृत्त हो जायेगी । तथापि, प्रबंधकवर्ग किसी भी अविवाहित विमान परिचारिका को 40 वर्ष की आयु तक सेवा में रख सकता है ।

(ख) : ऐसा ज्ञात हुआ है कि विदेशों में कुछ विमान कम्पनियों ने इस विषय में अपने नियम बदल दिये हैं तथा वे विमान परिचारिकाओं को शादी की अनुमति दे देती हैं ।

(ग) इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, अतः प्रश्न नहीं उठता ।

एयर इण्डिया एम्पलाईर्स गिल्ड की सदस्य संख्या की जांच

9428. **श्री मधू दण्डवते** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया एम्पलाईर्ज गिल्ड को मान्यता देने के सम्बन्ध में निर्णय करने के उद्देश्य से इस गिल्ड की सदस्य-संख्या की जांच करने की कार्यवाही आरंभ करने में असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ख) जांच करने की कार्यवाह कब तक पूरी हो जायेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुलेन्द्र पाल सिंह) : (क) . एयर–इंडिया कर्मचारी गिल्ड की सदस्यता का जांच कार्य प्रारभ करने में कोई असाधारण देरी नहीं हुई है । गिल्ड ने एयर-इंडिया के तकनीकी एवं गैर–तकनीकी दोनों वर्गों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया है । इस समय गैर-तकनीकी वर्गों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व एयर कारपोरेशन्स एम्पलाईर्ज यूनियन तथा तकनीकी वर्गो का प्रतिनिधित्व इंडियन एयरक्राफ़्ट टेक्नीशियन्स एसोसिएशन द्वारा किया जाता है । ए० सी०ई०यू० की मान्यता 28 मार्च, 1975 तक थी अतः एयर–इंडिया कर्मचारी गिल्ड की सदस्यता की जांच से सम्बन्धित औपचारिकताएं पहले प्रारंभ नहीं की जा सकीं । गिल्ड की सदस्य संख्या की जांच करने का कार्य अब प्रारंभ किया जा चुका है ।

(ख) चूंकि जांच कार्य कई चरणों में होना है, जिस में यूनियनों द्वारा अपनी सदस्य संख्या का रिकार्ड आदि प्रस्तुत करने में तत्परता एवं सहयोग भी शामिल है, अतः यह बता सकना कठिन है कि जांच कार्य वस्तुत : कब पूरा हो पाएगा ।

Sunita Chit Fund Private Limited

9429. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the present membership of the Sunita Chit Fund Private Limited, Jawahar Marg Indore and the amount of money they have collected so far as also the terms and conditions governing the refund of the amount; and

(b) whether the above chit fund had been running certain Prize Scheme and if so, the particulars thereof, the number of its members benefited thereby so far

and the prospective Schemes proposed to be launched by the Chit Fund for the benefit of its members?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi): (a) and (b). Presumably, the Hon'ble Member has in mind Sunita Chit and Finance Private Limited with its Registered Office at 284, Jawhar Marg, Indore. The Reserve Bank has reported that from a brochure issued by the company and from a complaint received by it in March, 1975 against the company, it appears that the company is running three schemes which are in the nature of prize chits and/or lucky draws. As the Reserve Bank felt that the business conducted by the company was in the nature of lottery, the Reserve Bank had taken up the matter with the Government of Madhya Pradesh and the Government of Madhya Pradesh have advised the Reserve Bank that the question of enacting suitable legislation for regulating the activities of chit funds is under their consideration.

The Reserve Bank has further reported that the company has not so far submitted to it either the prescribed returns or its balance-sheet. Information regarding the amount collected by way of deposits by the company and the terms and conditions governing the refund of the amount is therefore not available with the Reserve Bank. The Reserve Bank has added that it proposes to issue a show cause notice to the company.

Under the provisions of the Miscellaneous Non-Banking Companies (Reserve Bank) Directions, 1973, prior permission of the Reserve Bank is not required to be obtained for conducting schemes of the type reported to be conducted by the company. Information regarding the prospective schemes proposed to be launched by the company is, therefore, not available, with the Reserve Bank.

Cases pending with the Collector of Customs Excise Department, Nagpur

9430. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4369 on the 21st March, 1975 regarding cases pending with the Collector, Customs and Excise Department, Nagpur, and state:

(a) the number of cases of Madhya Pradesh and Vidarbha disposed of by Customs and Excise Office, Nagpur in 1972-73, 1973-74, and the names of the persons and firms as also the cities to which the disposed of cases pertained;

(b) the dates on which the cases were detected and the nature of charges levelled in these cases; and

(c) the number of cases, out of them, disposed of by the local offices and the number of the cases referred to Nagpur Office?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee): (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

भारतीय पटसन निगम द्वारा पटसन की खरीद

9431. **श्री समर गुह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष पटसन उत्पादकों को हुई आर्थिक कठिनाई से बचने के लिये भारतीय पटसन निगम द्वारा पटसन की खरीद के लिये भारत सरकार ने कोई नयी नीति बनाई है ;

(ख) क्या कच्चे पटसन के निर्धारित समर्थन मूल्य पर कच्चे पटसन की सीधी खरीद के लिये भारतीय पटसन निगम को आवश्यक वित्तीय सहायता दी जायेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या गत वर्ष कच्चे पटसन की मजबूरन बिक्री से पटसन उत्पादकों को हुई वित्तीय हानि का कोई अनुमान लगाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी हुई हानि सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) . भारतीय पटसन निगम को यथेष्ट साधन प्रदान करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं ताकि वह अगले सत्र में अपना खरीद कार्य सफ़लतापूर्वक कर सके ।

(ग) कोई ठोस निर्धारण करना संभव नहीं हो सका है !

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

बहु-रंगे नोट छापना

9432. **श्री समर गुह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बहुरंगी करेंसी नोट छापने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इस प्रकार के रंग बिरंगे नोट लाटरी टिकट जैसे लगते हैं ;

(ग) क्या उक्त करेंसी नोटों की जालसाजी सुगम होगी ;

(घ) विभिन्न मूल्यों के करेंसी नोटों के कितने प्रिंट निकाले गये हैं ;

(ङ) क्या इन्हे परीक्षण के रूप में छापा गया है अथवा स्थायी रूप से ;

(च) क्या इन बहुरंगे नोटों को आगे छापने से पूर्व सार्वजनिक प्रतिक्रियाएं पता की जाऐंगी ; और

(छ) क्या भारतीय करेंसी नोटों स्थायी डिजाइन के बारे में अंतिम निर्णय सार्वजनिक प्रतिक्रियाएं जानने के बाद किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क). और (ग) . नोटों के नये डिजाइन तैयार किये गये हैं जिनमें कई नये गोपनीय तत्व और रंग हैं ताकि जाली नोट बनाये जाने को रोका जा सके ।

(ख) जी, नहीं ।

(घ) 5–रुपये, 10–रुपये और 20–रुपये के मूल्यों के नये डिजाइनों वाले नोट जारी कर दिये गये ह । नये डिज.इनों वाले 50–रुपये और 100–रुपये के मूल्य के नोटों को शीघ्र ही जारी करने का प्रस्ताव है ।

(ङ) से (छ) नये डिजाइनों में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है ।

सौ टके के नोट का चलन बन्द करने में भारत और बंगलादेश के वित्तीय लेन देन पर प्रभाव

9433. **श्री समर गुह :**
श्री शंकर राव सावंत :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि : (क) क्या सौ टके के नोट का चलन बंद कर देने से भारत और बंगला देश के बीच वित्तीय लेन–देन पर कोई प्रभाव हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). बंगला देश की सरकार द्वारा 100–टका मूल्य के नोटों के विमुद्रीकरण को उस देश का आन्तरिक मामला समझा जाना चाहिए जिसकी दोनों देशों के बीच होने वाले अधिकृत वितिय लेन देनों पर कोई प्रभाव पड़ने की आशंका नहीं है ।

Arrears of Income Tax in Bihar

9434. **Shri Ishwar Chaudhry:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the amount of Income-tax outstanding in Bihar at present;

(b) the amount of Income-tax realised during the last two years; and

(c) The action proposed to be taken to realise the Income-tax arrears?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee): (a) The latest figures of arrears of Income-tax (including Corporation-tax) are available as on 31st December 1974. The amount of gross demand and net arrears of Income-tax (including Corporation-tax) outstanding as on that date in the Charges of Commissioners of Income-tax, Bihar I & II, is as follows:—

Gross demand	Net arrears
	(Amount in crores of Rs.)
16.07	14.43

(b) The total amount of Income-tax (including Corporation-tax) realised in the Charges of Commissioners of Income-tax, Bihar I & II, during the last two financial years is as under:—

Financial Years	Net collection of Incom-tax (Amount in crores of Rs.)
1973-74	15.68
1974-75	18.99 (Provisional)

(c) Such of the steps provided in the Income-tax Act, 1961 as are appropriate to the circumstances of each case have been and are being taken for effecting recovery of outstanding demand.

Amount granted to States by IDBI

9435. **Shri Ishwar Chaudhry:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state the amount of assistance given by the Industrial Development Bank of India to industrial concerns located in specified backward areas of each State during 1974-75?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi): The accounting year of the Industrial Development Bank of India is from July—June. The required information in respect of the period July 1974 to March 1975 falling within its accounting year 1974-75 is given in the attached Statement.

Statement

(Rs. in lakhs)

State	Financial Assistance Sanctioned		
	At Normal Terms	At Concessional Terms	Total
1	2	3	4
1. Andhra Pradesh	89	250	339
2. Assam	75	48	123
3. Bihar	53	52	105
4. Gujarat	263	297	560
5. Haryana	20	104	124
6. Himachal Pradesh	37	62	99

1	2	3	4
7. Jammu & Kashmir	61	61	122
8. Karnataka	868	350	1218
9. Kerala	98	142	240
10. Madhya Pradesh	106	442	548
11. Mahrashtra	281	79	360
12. Manipur	:	1	1
13. Meghalaya		14	14
14. Nagaland	..	1	1
15. Orissa	1	76	77
16. Punjab	52	249	301
17. Rajasthan	169	307	476
18. Tamil Nadu	634	305	939
19. Tripura	..	..	..
20. Uttar Pradesh	35	474	509
21. West Bengal	279	112	391
22. Union Territories	883	166	1049
TOTAL	4004	3592	7596

Loans advanced by Nationalised Banks to Small Farmers and Industrialists in Bihar

9436. **Shri Ishwar Chaudhry:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state the amount of loans advanced by the nationalised banks to small farmers and industrialists separately in Bihar State, district-wise, during the last one year?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi): A statement is enclosed. (*Placed in the Library. See* No. LT-9744/75).

माल डिब्बों का निर्यात

9437. **श्री शक्ति कुमार सरकार :**
श्री शंकर नारायण सिंहदेव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, कितने तथा कितने मूल्य के माल डिब्बों का निर्यात किया गया तथा निर्यातकर्त्ता फ़र्मों के यूनिटवार, नाम क्या हैं तथा उन देशों के नाम क्या हैं जिन्हे माल डिब्बे निर्यात किये गये ;

(ख) उद्योग के पास उक्त अवधि में, प्रत्येक वर्ष तथा प्रत्येक देश के, यूनिटवार कितने-कितने निर्यात क्रयादेश निलम्बित रहे ;

(ग) क्या कुछ समाजवादी देश भी वर्तमान मूल्य देने के इच्छुक नहीं हैं ;

(घ) यदि हां, तो शेष रहे क्रयादेशों के मूल्यों का ब्यौरा क्या है तथा वर्तमान मूल्य क्या है ;

(ङ) यूनिटवार शेष क्रयादेश पूरे करने के लिये कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(च) निर्यात क्रयादेशों का माल ठीक तारीख तथा समय पर भेजने के बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) वर्ष 1972–73 से 1974–75 के दौरान माल डिब्बों के निर्यात निम्नांक्त प्रकार रहे हैं :—

1972–73— कलकत्ता के मैसर्स, जैसप, मैसर्स टैक्साको तथा बम्बई के मैसर्स के० टी० स्टील द्वारा 3.36 करोड़ रु० मुल्य के 534 माल डिब्बे पोलैंड, हंगरी, ईरान तथा पूर्व अफ्रीका को निर्यात किए गए थे ।

1973–74— कलकत्ता के मै० जैसप तथा बम्बई के मै० के०टी० स्टील द्वारा 4.47 करोड़ रु० मूल्य के 664 माल डिब्बे पोलैंड तथा ईरान को निर्यात किए गए ।

1974–75— कलकत्ता के मैसर्स वर्न, मैसर्स आई०एस०डब्ल्यू०, मैसर्स बैथवेट तथा मैसर्स जैपस द्वारा 4.59 करोड़ रु० मूल्य के 344 माल डिब्बें युगोस्लाविया को निर्यात किए गए । इसके अतिरिक्त अर्थ निर्मित अवस्था में 624 माल डिब्बों का निर्यात किया गया जिनकी सुपुर्दगी विदेशों में जोड़कर की जानी थी ।

(ख) प्रत्येक तीन वर्षों के 31 मार्च को लम्बित क्रयादेशों की स्थिति निम्नोक्त है :—

31–8–73: मैसर्स वर्न, मैसर्स आई० एस० डब्ल्यू०, मैसर्स जैसप, मैसर्स ब्रैथवेट, मैसर्स टैक्समाको तथा मैसर्स के०टी० स्टील के पास पोलैंड, ईरान युगोस्लविया तथा पु० अफ्रीका को सप्लाई के लिए 4550 माल डिब्बों के क्रयादेश थे ।

31–3–74: मैं० वर्न०, मै० आई० एस० डव्ल्यू, मै० जैसप०, मै० ब्रैथवेट, मै० टैक्समाको, मै० के० टी० स्टील तथा भरतपुर के मै० सिमको के पास ईरान, युगोस्लाविया, पू० अफ्रीका तथा मलयेशिया को सप्लाई करने के लिए 3996 माल डिब्बों के क्रयादेश थे ।

31–3–75: मै० वर्न०, मै० आई० एस० डव्ल्यू०, मै० ब्रेयवेट, मै० जैसप, मे० टैक्समाको, मै० के०टी० स्टील तथा मै० सिमको के पास ईरान, युगोस्लावियस, पू० अफ्रीका, मलयेशिया तथा बंगलादेश को सप्लाई करने के लिए 1852 माल डिब्बों के क्रयादेश थे ।

(ग) तथा (घ) . कीमतें क्रेताओं तथा सप्लायरों के मध्य आपसी सहमति से तय की जाती हैं। युगोस्लाविया के संविदा के मामले में पुनः बातचीत के बाद अधिक कीमतें प्राप्त की गई थीं। ईरान के साथ इसी प्रकार की बातचीत चल रही है।

(ङ) युगोस्लाविया, मलयेशियाई तथा पू० अफ्रीकी देशों के लंबित क्रया देश के लिये सप्लाइयों को चालू वर्ष में पूरा करने का कार्यक्रम हैं। बंगलादेश के क्रयादेश को इस वर्ष आंशिक रूप से पूरा करने का कार्यक्रम है। ईरान को 186 माल डिब्बों की शेष मात्रा की सप्लाई कीमत के संबंध में चल रही बातचीत के परिणामों पर निर्भर करेंगी।

(च) लंबित संविदाओं के आधार पर सप्लाईयों में प्रगति के बारे में निगरानी करने के लिए बराबर मानिटरिंग किया जा रहा है। विनिर्माणकर्त्ता भी अपनी आंतरिक जांच करते हैं।

राज्यों में परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक से सहायता

9438. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत के पूर्वी एवं पूर्वोत्तर प्रदेश राज्यों के लिये गत तीन वर्षों की अवधि में विश्व बैंक से, राज्य-वार, परियोजना-वार तथा तिथि-वार, प्राप्त ऋणों एवं अनुदानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विश्व बैंक त्रिपुरा की कागज मिल परियोजना के लिये धन देने को सहमत हुआ था;

(ग) विश्व-बैंक अध्ययन दल ने राज्यवार किन-किन परियोजनाओं का दौरा किया; और

(घ) प्रत्येक परियोजना की इस समय क्या स्थिति है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें पूर्वी और उत्तर-पूर्वी अंचल के राज्यों को उन परियोजनाओं का ब्यौरा दिया गया है जिन्हें 30 अप्रैल, 1975 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों में विश्व बैंक ग्रुप की सहायता प्राप्त हुई है।

(ख) विश्व बैंक ग्रुप को ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है।

(ग) और (घ). विश्व बैंक के अधिकारियों के एक दल ने अन्य राज्यों के साथ साथ बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का दौरा किया था ताकि वे इन राज्यों को बड़ी और माध्यम दज की सिंचाई परियोजनाओं के क्षेत्रों के विकास की संभावनाओं की जांच कर सकें। परियोजनाओं का पता लगाने से सम्बद्ध एक और पूर्व-मूल्यांकन मिशन ने बिहार पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह के साथ साथ अन्य राज्यों के वन क्षेत्रों की संभावित परियोजनाओं का पता लगाने के लिए अक्तूबर/नवम्बर, 1974 में भारत

का दौरा किया था, अभी इस विषय पर बातचीत चल रही है कि अन्ततः इन परियोजनाओं के अन्तर्गत कौन-कौन से क्षेत्र लिए जायेंगे । ऐसी स्थिति में इस समय प्रस्तावों का विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया जा सकता ।

30 अप्रैल, 1975 को समाप्त हुए तीन वर्षों में पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राज्यों में विश्व बैंक समूह द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं का ब्यौरा

विवरण

परियोजना का नाम	करार की तारीख	ऋण की कुल रकम (लाख डालरों में)	परियोजना का ब्यौरा
बिहार कृषि परियोजना (294 आई० एन०)	29-3-1972	140.00	बिहार में कृषि मंण्डियों का विकास
शिक्षा परियोजना (342 आई० एन०)	10-11-1972	120.00	बिहार और असम में कृषि विश्वविद्यालयों में कृषि संबंधी शिक्षा के लिए सहायता
111 बिजली पारेषण परियोजना (377 आई एन०)	9-5-1973	850.00	असम, केरल, मध्य प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा, तमिलनाडु और दिल्ली आदि राज्यों में बिजली बनाने और भेजने के लिए सहायता
बिहार कृषि परियोजना (440 आई० एन०)	29-11-1973	320.00	बिहार में कृषि विकास
कलकत्ता शहरी विकास परियोजना (427 आई० एन०)	12-9-1973	350.00	कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण को सहायता
पश्चिम बंगाल कृषि विकास परियोजना	28-4-1975	340.00	पश्चिम बंगाल में कृषि विकास

S.T.C. Branches Abroad

9439. **Shri Hemendra Singh Banera:**
Shri Jagannathrao Joshi:

Will the **Minister of Commerce** be pleased to states:

(a) the places abroad where S.T.C. branches have been opened indicating the dates on which each of them has been opened and the expenditure incurred on each of them during 1974-75;

(b) whether any enquiry is being conducted against the person appointed to the post of Manager of the S.T.C. Branch in Sri Lanka and if so, the broad details thereof; and

(c) whether the Manager appointed in place of the person referred to in part (b) above was also called back from Sri Lanka after sometime and if so, the reasons therefor,

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh): (a) A statement is attached.

(b) and (c). On allegation of malpractices and accumulation of assets disproportionate to known sources of income, investigations are in progress against an officer who was in Sri Lanka in the year 1973. His successor who joined the Colombo office on 20th March, 1975 is also being proceeded against departmentally as a result of certain complaints against him in respect of which investigations have been completed.

Statement

Details of STC's Foreign Offices

Branches at	Date of Opening	Expenditure during 1974-75 (Provisional) (In lakhs)
America		
Buenos Aires	28-7-73	2·74
New York	7-9-71	5·67
West Europe		
London	28-9-70	5·12
Frankfurt	1-8-70	4·77
Paris	15-5-71	5·41
East Europe		
Moscow	3-4-65	6·17
East Berlin	16-2-67	2·26

Belgrade	4-9-70	2·78
Budapest	10-1-66	2·15
Prague	10-8-63	2·00
Africa		
Nairobi	9-10-66	2·20
Lagos	9-8-67	4·46
Dar-es-Salaam	18-7-72	0·82
West Asia		
Beirut	6·5-67	2.43
Kuwait	28-5-74	2·73
South East Asia and Far East		
Singapore	25-8-70	3·68
Hong-Kong	21-3-71	0·79
Sydney	30-9-70	4·79
Dacca	14-3-73	0·77
Colombo	5-7-69	1·23

Goods lying uncleared with S.T.C.

9440. **Shri Hemendra Singh Banera:** Will the **Minister of Commerce** be pleased to state:

(a) the country-wise imported goods lying uncleared with State Trading Corporation for more than one month indicating the names of such goods and the dates since when they have been lying uncleared and the reasons therefor;

(b) the basis on which requirements of goods are assessed before these are imported; and

(c) the scheme under consideration for distribution of such goods?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh): (a) A statement giving the required information is attached.

The reasons for accumulation of stocks are slow lifting by users due to credit squeeze, reduction in demand for end-products like plastics, reduction in the prices of certain indigenous raw materials, fall in international prices as compared to the last purchase price and increased and cheaper availability of indigenous supplies.

(b) The basis for assessing demands are as follows:—

Oils and Fats: The quantity to be imported is determined and indicated by the Ministry of Agriculture.

Chemicals: Total demand and supply positions, and import plans are decided in the Import Advisory Committees consisting of representatives of concerned industries, DGTD, Office of the Commissioner of Small Scale Industries, indigenous manufacturers of the items and STC.

Drugs & Pharmaceuticals: Demand is assessed at Inter-Ministerial meetings held in the Ministry of Petroleum and Chemicals where representatives of Drug Controller of India, DGTD are also present.

Textiles: Allocations are released every six months by the Office of Textile Commissioner and the value of R.O.s for individual exporters depends upon their export performance. Imports are arranged by STC on the basis of purchase requirements given by the end users and within the limits of their entitlement.

IRMAC: Imports are arranged in consultation with the Actual users concerned. There is a Standing Committee with a wide membership from the Industry and Government Departments for suggesting basis for operational guidelines.

General Products (Newsprint): The demand is assessed and determined by the Registrar of Newspapers and the purchases are finalised by the Newsprint Purchase Committee consisting of representatives of various Ministeries of Government of India, IENS, India Languages Newspapers Association, besides the Directors concerned of STC.

(c) The following measures have been taken to ensure liquidation of stocks:—

(i) The licensing authority has made it compulsory for release order holders to register their orders within a given period with the STC with a view to ensuring prompt lifting of the allotted material by them.

(ii) Accumulated stocks are taken into account while placing future imports.

(iii) Shipments are being rescheduled, wherever possible, and allottees are being assisted to avail of the Bill Marketing Scheme under which the allottees can lift the stocks immediately against bills of exchange which will be negotiable upto 90 days from the date of lifting.

(iv) Reduction in prices of some of the chemicals have been made with the approval of the Pricing Committee of the CCI&E.

(v) The newspapers which have failed to lift the stocks imported for them, are being called upon to lift them before further imports could be arranged for them.

The stocks except that carried as normal inventories are expected to be liquidated during the course of this year.

Statement

Details of the commodities lying with STC for more than one month as on 31-3-1975.

Commodities	1-2 months	2-3 months	3-6 months	6-12 months	over-12 months	Total Value (Rs. Crores)	Country of origin
Oils & Fats .	4·39		7·75	2·12		19·41	USA, Malaysia, Sumatra, Canada.
Chemicals .	1·97	0·27	2·60	8·77	0·11	13·72	Poland, West Germany, Italy, U.K., USA, Japan, France, GDR. Bulgaria, Rumania, Yugoslavia, Belgium, Ceylon, Sudan.
Drugs & Pharms.	1·06	0·46	1·46	0·32		3·30	USA, Italy, W. Germany, Hungary, USSR, Switzerland, Czechoclovakia, Poland, U. K., France, Belgium, Japan Spain, Yugoslavia.
Textiles			..	2·39	2·39	2·39	Australia, Argentina, W. Germany, Japan, U.K. USA.
General Products	5·15		2·25			7·40	Canada, USSR, Bangladesh, Finland, Czechoslovakia.
Total (including others)	12·80	1·03	14·06	13·61	0·11	46·75	

रामपुर के स्वर्गीय नवाब के कुलागत आभूषण

9441. **श्री एस० ए० मुहगनन्तम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन आरापों की जांच कर ली गई है कि रामपुर के स्वर्गीय नवाब के नई दिल्ली स्थित स्टैट बैंक आफ इंडिया के वलंगों में पड़े कुलागत आभूषणों को उनकी मृत्यु के बाद कभी बदला गया, बेचा गया अथवा उनमें कोई फेर बदल की गई थी;

(ख) यदि उन्हें बदला गया, फेरबदल किया गया था तो क्या सम्बन्धित सरकारी अधिकारियों और स्टैट बैंक आफ इंडिया नई दिल्ली के अधिकारियों के विरूद्ध कोई अनुवर्ती कार्यवाही आरम्भ की गई; और

(ग) क्या कर वसूली अधिकारी द्वारा उक्त कुलागत आभूषणों की कुर्की का कार्य अभी भी जारी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) कर के प्रयोजनों के लिए रामपुर समूह के मामलों में जांच पड़ताल अभी पूरी नहीं हुई है । बैंक के वाल्टों में पड़े आभूषणों के बारे में उच्च न्यायालय ने निषेधाज्ञा जारी की है । निषेधाज्ञा अभी भी प्रभावी है । इस बात को दृष्टि में रखते हुए कोई आगे प्रगति नहीं हुई है ;

(ख) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता है ।

(ग) कुलागत आभूषण अभी भी कुर्की में है ।

साहू जैन और गोयन्का उद्योग समह को जारी किये गये लाइसेंस

9442 **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1974–75 में साहू जैन और गोयन्का उद्योग समूह को कितने आयात लाइसेंस जारी किये गये; और

(ख) उपर्युक्त फर्मों को जारी किये गये लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) फर्मवार आयात लाइसेंसिंग आंकड़े नहीं रखे जाते हैं तथापि जारी किए गए सभी आयात लाइसेंसों के ब्यौरे अर्थात फर्म का नाम और पता, आयात लाइसेंस का मूल्य आयात लाइसेंस की सं० तथा दिनांक, आयात की मद आदि "वीकली बुलेटिन आफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिस, इम्पोर्ट लाइसेंसिंग एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसिस" में प्रकाशित किए जाते हैं जिसकी प्रतियां संसद पुतस्कालय में नियमित रूप से उपलब्ध करादी जाती है ।

निर्यातक क्लब

9443. **श्री एस० आर० दामोणी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चाय तथा इलायची उत्पादक देशों को इक्ट्ठा करने के लिये निर्यातक क्लब बनाये जा रहे हैं;

(ख) इस बारे में भारत द्वारा किये गये प्रयासों का ब्यौरा क्या है और इस प्रकार से कौन-कौन से देश आपस में इक्ट्ठे हो रहे हैं; और

(ग) इससे क्या आपसी लाभ होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) : चाय के सम्बन्ध में एक औपचारिक निर्यात विनियमन योजना, जिसमें 15 मुख्य चाय निर्यात

करने वाले देशों के लिए कोटा व्यवस्था अन्तग्रस्त है, पहले ही 1 जनवरी, 1970 से चल रही है ।

इलायची समुदाय बनाने के लिए गोआटेमाला, तंजानिया तथा श्रीलंका सरकारों के साथ कार्यकारी पार्टी गठित करने के प्रयास किये जा रहे हैं जिनको इस के सम्बन्ध में लिखा गया है ।

(ग) सभी के लिए बेहतर निर्यात कीमत प्राप्त करना तथा इस प्रकार निर्यात करने वाले देशों के लिए अपेक्षाकृत अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करना सम्भव होगा ।

पर्यटन विभाग तथा भारतीय होटल निगम में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

9444. **श्री अर्जुन श्रीपत कस्तूरे :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पर्यटन विभाग तथा भारतीय होटल निगम में सेवा की विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों में इंजीनियरिंग की निर्धारित निर्दिष्ट प्रतिशतता को ध्यान में रखते हुए उक्त विभागों में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं तो सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों में इन जातियों के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) पर्यटन विभाग तथा होटल कारपोरेशन आफ इंडिया की सेवा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की कुल संख्या निम्न प्रकार है :—

पर्यटन विभाग		होटल कारपोरेशन आफ इंडिया	
अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
60	13	290	3

(ख) और (ग) पर्यटन विभाग तथा होटल कारपोरेशन आफ इंडिया दोनों ही में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित रिक्तियों की पूर्ति करने में उपयुक्त योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण कमी रही है । पर्यटन विभाग अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जातियों से संबंधित उम्मीदवारों द्वारा रिक्तियों की पूर्ति

करने के लिए सरकारी आदेशों के अनुसार अपेक्षित छूट दे रहा है । होटल कारपोरेशन आफ इंडिया भी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व में सुधार करने के लिए विशेष कदम उठा रहा है ।

पश्चिम एशिया और आस्ट्रेलिया से पर्यटक

9445. श्री सी० के० चन्दापन : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पश्चिम एशिया और आस्ट्रेलिया से पर्यटक क्षमता का उचित रूप से पता लगा रहे है और यदि हां तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या कुवैत में एक वर्ष से अधिक समय से खोले जाने वाले पर्यटक कार्यालय वहां अभी तक नहीं खोला गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुवैत से लगभग 30,000 व्यक्ति प्रतिवर्ष लेबनान, दक्षिण फ्रांस और ब्रिटेन के लिये रवाना हो जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो भारत में उक्त पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (घ) पर्यटन विभाग को आस्ट्रेलिया तथा पश्चिम एशिया के देशों से भारत आने वाले पर्यटकों की संभाव्यताओं की जानकारी है । आस्ट्रेलिया में 1956 में एक पर्यटक कार्यालय की स्थापना की गयी थी । आस्ट्रेलिया से भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या कार्यालय खोलने के समय केवल 4000 थी, अब 1974 में वह बढ कर 15000 हो गयी है । पर्यटन विभाग आस्ट्रेलिया में अपने पर्यटन प्रोत्साही प्रयत्नों में तीव्रता ला रहा है । पश्चिम एशिया की स्थिति अब अधिक अच्छी है ।

पंजाब तथा हरियाणा के रुई उत्पादकों द्वारा रूई के कम मूल्य के कारण उसके स्टाक को रोक लिया जाना

9446. श्री भान सिंह भौरा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब तथा हरियाणा के रूई उत्पादक रूई का कम मूल्य होने के कारण अपने स्टाक रोकने के लिए बाध्य हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और वर्तमान मूल्य क्या है;

(ग) क्या पंजाब तथा हरियाणा सरकारों ने केन्द्रीय सरकार और भारतीय रूई निगम से सहायता मांगी है ;

(घ) क्या पंजाब के फिरोजपुर, फरीदकोट तथा भटिंडा जैसे रूई सम्पन्न क्षेत्रों ने 12 लाख गांठ रेशे वाली रूई का उत्पादन किया परन्तु इसमें से केवल आधी रूई बेची गई है; और

(ङ) रूई के मूल्यों के बारे में सरकार की नीति क्या है तथा भारतीय रूई निगम जमाखोरों से रूई किस प्रकार प्राप्त करेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता । पंजाब तथा हरियाणा में उगने वाली विभिन्न प्रकार की 320 एफ किस्म की वर्तमान कीमत उसकी क्वालिटी आदि के अनुसार 225 रु० से लेकर 319 रु० प्रति क्विंटल कपास के बीच है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) 1974-75 के दौरान पंजाब में रूई का प्राक्कलित उत्पादन लगभग 9 लाख गांठें रहा और प्राक्कलित रूई फसल का तकरीबन 90 प्रतिशत मार्च 1975 के अन्त तक बिक गया था ।

(ङ) भारतीय रूई निगम की खरीद नीति, प्रचलित बाजार दरों पर रुई खरीदना है ।

सिगरेट उत्पादक कम्पनियों का भारतीयकरण

9447. **श्री शशि भूषण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 25 प्रतिशत से अधिक विदेशी पूंजी वाली सब सिगरेट निर्माण करने वाली कम्पनियों की शतप्रतिशत अंश पूंजी का भारतीयकरण करने का है;

(ख) क्या ट्रेडमार्क अथवा साख के लिये जारी किये शैयर जोखिम इक्विटी नहीं है; अतः उन्हें बिना भुगतान के समाप्त किया जा सकता है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) . जिन भारतीय कम्पनियों में 40 प्रतिशत से अधिक शेयर विदेशी शेयर हैं और जो सिगरेट तैयार करती हैं उन कम्पनियों की शेयर पूंजी के भारतीयकरण के प्रश्न पर, भारत सरकार द्वारा विदेशी विनियमन अधिनियम 1973 की धारा 29 के प्रशासन के लिए जारी किये गये निदेशों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जायेगा । इन निर्देशों की एक प्रति 20 दिसम्बर 1973 को लोक सभा पटल पर रख दी गयी थी ।

इंडियन लीफ टोबैको डेवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड द्वारा निर्यात

9448. **श्री शशि भूषण** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंडियन लीफ टोबैको डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड द्वारा गत तीन वर्षों में कितने मूल्य का और कितना तम्बाकू खरीदा गया, स्थानीय बिक्रियां क्या थीं और कितना निर्यात किया गया;

(ख) सिगरेट कम्पनियों ने 1971 से 1974 के दौरान इंडिया लीफ टोबैको डेवलपमेंट कम्पनी से कितनी मात्रा में सिगरेट तम्बाकू खरीदा और निर्यात की क्या स्थिति रही;

(ग) क्या आई० टी० सी०, आई० एल० टी० डी० अथवा वी० एस० टी० से आई० एल० टी० डी० के पुनर्गठन के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) अब जबकि तम्बाकू बोर्ड का गठन होने जा रहा है तो क्या सरकार का विचार तम्बाकू निर्यात के शतप्रतिशत व्यापार का भारतीयकरण करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) : इस प्रकार के आंकड़े फर्मवार अथवा कम्पनीवार नहीं रखे जाते हैं । पिछले चार वर्षों के दौरान भारत के अनिर्मित तम्बाकू तथा सिगरेटों के कुल निर्यात इस प्रकार थे :—

वर्ष	अनिर्मित तम्बाकू		सिगरेट	
	मात्रा (लाख कि०ग्रा० में)	मूल्य (करोड़ रु० में)	मात्रा (लाख कि०ग्रा० में)	मूल्य (करोड़ रु० में)
1971	553.9	40.23	13.9	2.18
1972	796.5	57.51	10.2	1.33
1973	830.8	61.87	6.5	1.09
1974 (नवम्बर 1974 तक)	786.7	80.76	2.4	0.41

(ग) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) को एक आवेदन-पत्र आई० टी० सी० लि० से उनकी अपनी ओर से तथा स्थानीय बोर्ड, इंडियन लीफ टोबैको डैवलपमेंट कं० लि०, आई० एल० टी० डी० की ओर से आर्य एल० टी० डी० के भारतीय व्यापार की आई० टी० सी० लि० को बिक्री के लिए अनुमति के संबंध में प्राप्त हुआ है । प्रस्थापना

31 मार्च, 1973 को मूल्य के आधार पर आई० एल० टी० डी० के भारतीय व्यापार को आई० टी० सी० के अपने हाथ में लेने से संबंधित है ।

(घ) जी नहीं । इस समय ऐसी कोई प्रस्थापना विशेषरूप से तम्बाकू बोर्ड की स्थापना के संदर्भ में, सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

राज्यों को सूखे से राहत

9449. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन्** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक राज्यों द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद को उसके निर्णय में परिवर्तन के बारे में दिये गये अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय विकास परिषद से राज्यों को सूखे से राहत देने सम्बन्धी निर्णय पर पुनः विचार करने को कहा है;

(ख) उन्होंने यह उल्लेख किया है कि सब राज्यों को सूखा से राहत के लिये केन्द्रीय सहायता के वर्तमान ढांचे में परिवर्तन राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा ही किया जाना चाहिये;

(ग) यदि हां, तो क्या अनेक राज्यों के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय विकास निगम के विचार पता कर लिये गये हैं; और

(घ) इस मामले में क्या अन्तिम निर्णय लिया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) यह सवाल पैदा हीं नहीं होता ।

ऋण नियन्त्रण के परिणामस्वरूप भारतीय अर्थ व्यवस्था में सुधार

9450. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन्** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऋण नियंत्रण के परिणामस्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है;

(ख) ऋण से नियंत्रण कब तक हटाये जाने की आशा है; और

(ग) क्या इस ऋण नियंत्रण से औद्योगिक उत्पादन तथा विस्तार की गति भी धीमी हो गई है ।

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम : (क) अन्य बातों के साथ साथ, नियंत्रित ऋण विस्तार के परिणामस्वरूप मुद्रापूर्ति में वृद्धि की दर में कमी हुई है, 31 मार्च, 1974 और 28 मार्च, 1975 के बीच की अवधि में मुद्रा-पूर्ति में 626 करोड़ रुपये अथवा 5.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इसकी तुलना में 1973–74 की इसी अवधि में 1446 करोड़ रुपये या 15.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इससे अर्थ-व्यवस्था में मांग के दबाव में कमी हुई है और इस प्रकार सितम्बर, 1974 के बाद कीमतों में स्थिरता लाने में सहायता मिली है ;

(ख) ऋण स्थिति के संबंध में रिजर्व बैंक आफ इंडिया और सरकार बहुत सावधान रहती है और जब स्थिति के अनुसार जरूरी होता है तब मौजूदा नीतियों में परिवर्तन किये जाते हैं। चूंकि अर्थ-व्यवस्था में अभी काफी असन्तुलन व्याप्त है इसलिए इस समय ऋण नीति में सामान्य ढील देना उचित नहीं समझा गया है ।

(ग) जी, नहीं। नियंत्रित ऋण विस्तार की नीति के बावजूद इस बात की संभावना है कि 1974–75 में औद्योगिक वृद्धि की दर 1973–74 की तुलना में काफी अधिक होगी ।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा पटसन मिलों के लिये बैंक ऋण उदार बनाना

9451. **श्री के० मालव्या :**
श्री एच० एन० मुखर्जी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने पटसन मिलों के लिये बैंक ऋण पर्याप्त रूप से उदार बनाने की घोषणा की है, क्योंकि पटसन मिलों की इस समय निर्यात मांग में तीव्र गिरावट के कारण तैयार माल के जमा हो जाने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) ऋण के प्रयोजन के लिए तैयार माल के सम्बन्ध मे माल सूची के स्तर की सीमा को बढ़ाकर 6 सप्ताह के उत्पादन के स्थान पर 9 सप्ताह का उत्पादन कर दिया गया है ।

कुछ आयातित रसायनों का राज्यों में वितरण

9452. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निम्नलिखित आयातित पदार्थों के वितरण की प्रक्रिया विभिन्न राज्यों में क्या है ;

(एक) प्लैटिनम (दो) पैलेडियम (तीन) कोबाल्ट (चार) मरकरी (पांच) फास्फोरस रैड (छ) फ़ास्फोरस व्हाइटयालो;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में विभिन्न श्रेणी तथा बड़े, मध्यम तथा लघु पैमाने के उद्योगों को कितनी मात्रा में ऐसे पदार्थों का अब तक आवंटन किया गया है; और

(ग) लघु तथा कुटीर उद्योगों को कितने प्रतिशत ऐसे पदार्थों का आवंटन किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) विभिन्न राज्यों में वास्तविक प्रयोक्ताओं को इन वस्तुओं का आवंटन, लाइसेंस देने वाले प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए रिलीज आर्डरों के आधार पर किया जाता है ।

(ख) तथा (ग) आवंटन न तो राज्यवार किए जाते हैं और न ही आवंटन लघु, मध्यम अथवा घरेलू उद्योगों को अलग से किए जाते हैं ।

श्रेणी i और श्रेणी ii के आयकर अधिकारियों के कर्त्तव्य और कार्य

9453. श्री एस० ए० कादर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रेणी एक और श्रेणी दो के आयकर अधिकारियों के कर्तव्य और कार्य समान हैं अथवा उनमें कोई भिन्नता है;

(ख) यदि हां, तो वे किस प्रकार भिन्न हैं;

(ग) यदि समान हैं, तो विभिन्न वेतनमानों वाली दो श्रेणियां बनाये रखने का क्या औचित्य है और पदोन्नति किस प्रकार की जाती है; और

(घ) क्या श्रेणी दो को समाप्त करने के प्रस्ताव है और यदि हां, तो ऐसा कब किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) श्रेणी i के आयकर अधिकारी इस लिए होते हैं कि उनको प्रायः अधिक महत्वपूर्ण वार्ड और मामले दिये जायें, परन्तु उनकी परिवीक्षा और प्रशिक्षण की अवधि में उन्हें अपेक्षाकृत कम महत्व के कार्य दिये जाते हैं, जिससे वे उच्चतर कार्य के लिए दक्षता प्राप्त कर सकें । श्रेणी—ii के आय कर अधिकारी सामान्यतः कम महत्वपूर्ण वार्ड और मामले देने के लिए होते हैं ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) आय कर अधिकारियों की श्रेणी—ii की समाप्त करने का कोई इरादा नहीं है ।

गोआ में धन कर देने वाली पार्टियां

9454. **श्री एस० ए० कादर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गोवा संघ राज्य क्षेत्र में उन पार्टियों के नाम क्या हैं, जिन पर 10 लाख या इससे अधिक की राशि पर धनकर लगा है; और

(ख) उनमें से कितने मामले श्रेणी दो के आयकर अधिकारियों द्वारा निपटाये गये ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रखी जायेगी ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता

9455. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** :
श्री वसंत साठे :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ मंहगाई भत्ते के वर्तमान फार्मूले के भविष्य के बारे में हाल ही में बातचीत की थी;

(ख) क्या इस मामले में कोई फैसला हुआ था;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ कब तक बातचीत करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) : कर्मचारी पक्ष की मांगें सरकार के विचाराधीन हैं ।

निर्यात के लिये औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना

9456. **श्री राजदेव सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा हाल में घोषित की गई आयात नीति में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि तथा इस उत्पादन की विदेशों में निर्यात करने की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है;

(ख) क्या इस नई आयात नीति का आंतरिक उपभोक्ता उद्योगों पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) क्या लघु उद्योग क्षेत्र के उद्योगों विशेषकर आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों अथवा प्रदेशों के उद्योगों को आधुनिक बनाने के लिए अधिक सुविधाएं दी जाती हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) जी, हां ।

एयर इंडिया की विदेशों को केवल मात्र माल ढोने वाली बोइंग 707 उड़ानें

9457. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया ने इस मास से यूरोप, ब्रिटेन, अमरीका, जापान तथा खाड़ी के देशों को पहली बार केवल माल ढोने वाली तीन बोइंग 707 उड़ानें प्रारम्भ की हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या वायुयान द्वारा निर्यात को और आगे बढ़ाने के लिए एयर इंडिया ने इन्टरनेशनल एयर ट्रासपोर्ट एसोसियेशन के माध्यम से विशेष माल दरें, अर्थात फलों एंव सब्जियों, मांस, सिले-सिलाये कपड़ों, अफीम, औषधियों और बिजली के सामान के लिये अलग-अलग दरें लागू की हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) 2 अप्रैल, 1975 से एयर इंडिया ने यूरोप, यू० के० तथा जापान के लिये तीन 13 पैलेट कार्गो बोइंग 707 उड़ानें प्रारम्भ की हैं । परन्तु ये सेवाएं यू० एस० ए० अथवा खाड़ी के देशों के लिये परिचालित नहीं होती हैं ।

(ख) जी, हां, आई० ए० टी० ए० द्वारा जिन्सों के लिए निर्धारित विशेष दरों के आधार पर इन मदों पर सामान्य आम-माल दरों पर 50% से 70% तक की छूट दी गयी है ।

शक्तिचालित करघा मिलों में अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा

9458. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ शक्तिचालित करघा मिलें एक जैसी किस्म के कपड़े बना कर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा कर रही हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार शक्तिचालित करघों की अस्वथ प्रतिस्पर्धा से हथकरघों को बचाने के लिये कदम उठाने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) : इस संबंध में ऐसे समाचार हैं । हथकरघा उद्योग संबंधी उच्च अधिकार प्राप्त अध्ययन दल ने भी शक्तिचालित करघा क्षेत्र द्वारा की जानी वाली ऐसी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा की ओर ध्यान आकर्षित किया है । अध्ययन दल ने शक्तिचालित करघा क्षेत्र द्वारा की जाने वाली अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा से हथकरघा उद्योग की रक्षा करने के लिए अनेक सिफारिशें भी की है । इन सिफारिशों पर सरकार ने अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया है ?

विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा बैंकों के माध्यम से स्वदेश धन भेजने में वृद्धि

9459. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की तस्कर-विरोधी कार्यवाहियों के पश्चात विदेशों से बैंकों के माध्यम से धन स्वदेश भेजने में पर्याप्त वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तस्कर विरोधी कार्यवाहियों के पूर्व तथा पश्चात भारत में धन के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में देश-वार आंकड़े क्या हैं;

(ग) तस्करों के विरुद्ध अब क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) तस्करों के विरुद्ध व्यापक विधान कब प्रस्तुत किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत में आने वाले धन के देश-वार विस्तृत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) तस्करों व विदेशी मुद्रा का गैर-कानूनी धन्धा करने वालों को निवारक नजरबन्दी के अलावा जो क्षेत्र तस्करी आदि की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और जहां इसके केन्द्र हैं तथा जो सड़कें इन केन्द्रों को आपस में मिलाती हैं वहां पर तस्करी को रोकने के उद्देश्य से जांच करने की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाये गये हैं । पश्चिमी तट पर कई केन्द्रों के आपस में जोड़ने वाली बेतार संचार व्यवस्था की स्थापना भी की गयी है । इस प्रयोजन के लिए, क्षेत्रीय कार्यालयों में अतिरिक्त कर्मचारियों और उपकरणों की व्यवस्था भी की गयी है । इसके अलावा प्रशासनिक उपाय भी किये गये हैं जैसे अपेक्षाकृत और अधिक संख्या में कार्यकुशल अधिकारियों को तैनात करना । कई और अन्य प्रशासनिक और विधायी उपायों पर विचार किया जा रहा है ।

(घ) इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

आयकर का अपवंचन

9460. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर अधिकारियों ने वर्ष 1972 से अब तक एक लाख रुपया तथा इससे अधिक राशि आयकर के अपवंचन के कितने मामलों का पता लगाया है ;

(ख) इन मामलों में कुल कितनी आय छिपाई गई थी और अब तक कुल कितनी धनराशि वसूल की जा सकी है ; और

(ग) क्या इस आय का पता लगाने वाले व्यक्तियों को उनका पूरा इनाम दे दिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख): करापवंचन के मामलों के संबंध में आंकड़े धन संबंधी सीमाओं के अनुसार अलग से नहीं रखे जाते हैं।

वित्तीय वर्ष 1972–73 में और उसके अनुवर्ती दो वर्षों में आयकर प्राधिकारियों द्वारा ली गई तलाशियों की संख्या और उनमें पकड़ी गई परिसम्पत्तियों का मूल्य नीचे दिये अनुसार है :

वित्तीय वर्ष	ली गई तलाशियों की संख्या	पकड़ी गई परिसम्पत्तियों का लगभग मूल्य
		(लाख रुपयों में)
1972–73	532	454
1973–74	538	440
1974–75	2024	1708

जिन मामलों में आय छिपाने के कारण दण्ड लगाये गये उन की संख्या तथा उनमें ग्रस्त अप्रकट आय नीचे दिये अनुसार है :—

वित्तीय वर्ष	मामलों की संख्या	छिपाई गई लगभग आय
		(लाख रुपयों में)
1972–73	12,544	2548
1973–74	12,407	2365
1974–75	आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। दण्ड की वसूली के सम्बंध में आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं।	

(ग) इस संबंध में निर्धारित नियमों के अनुसार पुरस्कार देय होते हैं। किसी भी मामले में देय पूरे पुरस्कार का निश्चय और भुगतान तब ही हो सकता है जब उस अतिरिक्त कर की वस्तुत: वसूली हो चुकी हो, जो दी गई सूचना पर प्रत्यक्षत: निर्भर हो। फिर भी इस बीच अन्तरिम पुरस्कार दिये जाते हैं।

वर्ष 1972–73 और 1973–74 में दिये गये पुरस्कारों की कुल रकम, जिसमें अन्तरिम और अन्तिम पुरस्कार शामिल हैं नीचे दिये अनुसार है :—

वित्तीय वर्ष	दिये गये पुरस्कार
	(लाख रुपयों में)
	लगभग
1972–73	5.0
1973–74	3.8
1974–75	आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

बम्बई के एक परिवहन ठेकेदार के विरुद्ध आयकर की बकाया राशि

9461. **श्री शरद यादव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के परिवहन ठेकेदार श्री बाबासाहेब मोरे के विरूद्ध आयकर की राशि बकाया है ;

(ख) क्या श्री बाबासाहेब मोरे ने, एक राष्ट्रीयकृत बैंक, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया से भारी राशि का ऋण लेकर हाल ही में एम्बेसडर कारों का एक बड़ा बेड़ा खरीदा था ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, नहीं । 31 मार्च, 1975 की स्थिति के अनुसार श्री मोरे की तरफ आय कर की बकाया मांग कुछ नहीं थी।

(ख) तथा (ग) : मैसर्स मोरे एण्टरप्राइजेज के नाम से अपने पुराने व्यापार के अतिरिक्त श्री बाबा साहेब मोरे के कर-निर्धारण वर्ष 1974–75 के संगत लेखा-वर्ष में "इण्टरनेशनल मोरे ट्रैवल्स" के नाम से एक नई कम्पनी शुरू की थी। कर-निर्धारण वर्ष 1974–75 के संगत लेखा-वर्ष के लिये इस कम्पनी के तुलन-पत्र में, मूल्य-ह्रास की कटौती करने से पूर्ण, मोटर ... का मूल्य 49,931/–रु० बताया गया है । निर्धारिती ने मोटरों-कारों को रेहन रखकर सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया से 30,369।–रु० का ऋण लिया है ।

मैसर्स शिव चरण दुर्गादास, बम्बई को सी०जी०सी० / अधिकार पत्र की मंजरी

9462. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :
श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स शिव चरण दुर्गादास, बम्बई को बर्मा में फसी दावों की अपनी धनराशि

पर पौलिस्टर फिलमेंट के आयात करने के सी० सी० पी०/ अधिकार पत्र और आयात लाइसेंस दिये गये थे, यदि हां, तो तत्संबंधी का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सी०सी०पी०/प्राधिकार पत्र/आयात लाइसेंस जारी करने से पूर्व फर्म के उपर्युक्त दावों का सत्यापन रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा किया गया था ;

(ग) क्या सी० सी० पी०/प्राधिकार पत्री आयात लाईसेंस कब दिये गये थे जब आयातित माल की खेप भारतीय तट पर पहुंच चुकी थी, यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(घ) क्या फर्म ने सी० सी० पी० / अधिकार पत्र/आयात लाईसेंस जारी करने के साथ साथ लागू की गई शर्तों को पूरा नहीं किया था, यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) बर्मा से स्वदेश वापिस आए श्री शिवशरन दुर्गादास के पत्र में 13 लाख रु० मूल्य के नायलन यार्न/पालिस्टर फिलमेंट यार्न के आयात के लिए प्राधिकार पत्र सहित राज्य गयपार निगम को एक सीमा-शुल्क निकासी परमिट दिनांक 23–4–1971 जारी किया गया था जिसके बारे में पार्टी से दावा किया था के वह उन्हें एक जापानी फर्म द्वारा देय था ।

(ख) दावा विदेश तथा वित्त (आर्थिक कार्य विभाग) मंत्रालयों से सलाह लेकर मंजूर किया गया था ।

(ग) इस कार्यालय के रिकार्ड में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है । सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने विदेशी एक्सचेंज की अनुमति न दी होती यदि माल का पोतलदान सीमा शुल्क निकासी परमिट जारी होने से पहले किया गया होता ।

(घ) मामले की जांच की जा रही है ।

भारतीय रूई निगम के कार्यालय से फाइलों का गुम होना

9463. **श्री के० लक्कप्पा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारतीय रूई निगम के कार्यालय से विभिन्न फर्मों को भुगतान करने संबंधी कितनी फाइलें गुम हुई ;

(ख) प्रत्येक मामले के तथ्य क्या है और प्रत्येक मामले के अन्तर्गत कितनी धनराशि थी; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) केवल एक ।

(ख) यह मामला राष्ट्रीय वस्त्र निगम के 45,803.01 रुपये की वसूली से संबंधित है जो आन्ध्र प्रदेश सरकार के नियंत्रण से राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन आने से पूर्व में आजम जाही मिल्स को सप्लाई किये गये माल की लागत तथा उसके द्वारा रूई न उठाने पर हुई हानि के रूप में है।

(ग) फाइल पुनः तैयार की गई है और राशि की वसूली के लिए मिलों को कानूनी नोटिस दिया गया है।

विमान टरबाइन ईंधन में कटौती के परिणामस्वरूप इंडियन एयर लाइन्स द्वारा बचाई गई धनराशि

9464. श्री के० लकप्पा : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विमान टरबाइन ईंधन में कटौती के परिणामस्वरूप इंडियन एयर लाइन्स ने कितनी धनराशि की बचत की ; और

(ख) चालू वर्ष में दी गई राहत के परिणामस्वरूप निगम को लाभ पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). विमानन ईंधन की कीमत में 100 रुपये प्रति किलोलीटर की कमी हो जाने के परिणामस्वरूप इण्डियन एयरलाइंस को 18 सितम्बर, 1974 से 31 मार्च, 1975 तक 120 लाख रुपये की बचत हुई। पूरे वर्ष (1975–76) के लिये बचत का अनुमान 300 लाख रुपये लगाया गया है।

पर्यटन के लिये दीव का विकास

9465. श्री डी० पी० जदेजा :
श्री एन० आर० वेकारिया :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दीव का तट विश्व के सबसे अच्छे तटों में से एक है; और

(ख) यदि हां, तो इसका पर्यटन के लिये विकास करने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). सरकार ने दीव समुद्र-तट की क्वालीटी तथा पर्यटक संभाव्यता के मूल्यांकन के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। यह दृष्टि में रखते हुए कि समुद्र-तटीय पर्यटन भारत के लिए एक नयी परिकल्पना है जिसके लिये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक मार्केट अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, केन्द्रीय पर्यटन विभाग के प्रयत्न फ़िलहाल उन समुद्र-तटीय क्षेत्रों के विकास के लिए संकेन्द्रित किए जा रहे हैं जिनके लिए पहले से ही कार्य

प्रारंभ किया जा चुका है जैसे कोवालम, गोवा तथा महाबलिपुरम । इन स्थलों पर समुद्रतटीय पर्यटन को पर्यटकों को आकृष्ट करने में सफलता का मल्यांकन करने के पश्चात ही पर्यटन विभाग समुद्र-तटीय विहारस्थलों के रूप में विकास करने के लिए नए क्षेत्रों को खोलने पर विचार कर सकता है।

दीव और पिरोतन द्वीप समूह का पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकास

9466. **श्री डी० पी० जडेजा :**
श्री एन० आर० वेकारिया :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गुजरात में दीव और पिरातन द्वीप समूह का पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकास करने का कोई विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) :(क) और (ख). सरकार का दीव और पिरोतन द्वीप समूह का पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकास करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Allocation of Foreign Exchange for Persons Going Abroad for Medical Treatment or for Studies

9467. **Shri Shankar Dayal Singh**: Will the **Minister of Finance** be pleased to state:

(a) whether his Ministry has formulated any new policy for sanctioning foreign exchange to persons going abroad for medical treatment or for study;

(b) if so, the salient features thereof; and

(c) the number of persons who have so far availed of the facilities thereunder during the last year?

The Minister of Finance (Shri C. Subramaniam): (a) Government have introduced new policy effective from 1st April, 1975 for sanctioning foreign exchange only for persons going abroad for higher studies and not for those going for medical treatment.

(b) (i) Maintenance allowance has been increased from $210 to $250 per month to students going to the U.S.A. and Canada and from £700 to £900 per annum to students proceeding to the U.K. and other countries. These amounts will be in addition to the tuition fees in respect of which foreign exchange is released on the basis of actuals.

(ii) Foreign exchange will be released only to students who have secured admission for post-graduate degree/diploma courses in foreign universities and

have secured a minimum of 60 per cent marks in the relevant degree/diploma examination in India.

(c) Information is not readily available and is being collected by the Reserve Bank of India.

श्री परमानन्द तुलसीदास पटेल द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन

9468. **श्री मधु लिमये** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री परमानन्द तुलसीदास पटेल को, जो कपड़ा उद्योग से संबंद्ध है, विदेशीमुद्रा विनियमों के उल्लंघन के आरोप में गिरफ़्तार किया गया है;

(ख) क्या उन्होंने औद्योगिक रेयन संबंधी अपने लाइसेंस/रिलीज आर्डर का पौलिस्टर फ़ैब्रिक के आयात के लिए दुरुपयोग किया था ;

(ग) क्या ऐसा या तो आयात नियंत्रण प्राधिकरण वाणिज्य मंत्रालय या सीमा शुल्क प्राधिकरण वित्त मंत्रालय के सरकारी अधिकारियों की सांठ-गांठ से किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो व्यापारी इसके अन्य साथियों तथा संबंद्ध सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, नहीं, लेकिन उन्हें सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अपराधी के संबंध मे गिरफ़्तार किया गया था ।

(ख) से (घ) : अभी जांच चल रही है ।

पर्यटन स्थलों के बारे में वृत्त चित्र

9469. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों के पर्यटन स्थलों के बारे में वृत्त चित्र बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, जैसा कि दार्जीलिंग और काश्मीर के बारे मे पहले ही किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो किन स्थानों के बारे में वृत्त चित्र तैयार किये जाने का प्रस्ताव है, उन पर राज्यवार कितना खर्च आयेगा और उनके कब तक तैयार हो जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). धन उपलब्ध होने की हालत में भारत सरकार के पर्यटन विभाग का, जब कभी आवश्यक होगा, पर्यटक रुचि के विभिन्न स्थानों के बारे में डाक्यूमेंट्री फ़िल्में बनाते रहने का प्रस्ताव है । दार्जिलिंग संबंधी फ़िल्म को, जोकि मूलरूप से पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बनायी गयी, थी, बाद में भारत सरकार के पर्यटन विभाग ने खरीद लिया था । पर्यटक रुचि के स्थानों-क्षेत्रों के बारे में पर्यटन

विभाग द्वारा निर्मित/खरीदी गयी तथा निर्माणाधीन फिल्मों की एक सूची संलग्न है। [ग्रथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०--9745/75].

नयी फ़िल्में फ़िल्म प्रभाग के माध्यम से बनाई जा रही हैं तथा उनमें से प्रत्येक पर होने वाले खर्च का पता उनके निर्माण के पूरा होने के बाद ही लग सकेगा।

नागपुर हवाई अड्डा

9470. **श्री राम हेडाऊ :**

श्री जाम्बुवन्त धोते :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नागपुर हवाई अड्डे को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या नागपुर में या वहां से होकर जाने वाली असैनिक विमान सेवाओं में कमी की गई है और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन्हें फिर से शुरू करने का है ; और

(घ) उनका मुख्य ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) (क). जी, नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

(1) नागपुर के रास्ते बम्बई तथा कलकत्ता के बीच एक दैनिक कार्वेल सेवा का परिचालन हो रहा है।

(2) टर्बो-प्राप विमानबेड़े की तंग स्थिति के कारण दिल्ली-नागपुर-हैदराबाद मार्ग पर दैनिक सेवा को 1—7—1974 से दिल्ली-नागपुर-दिल्ली मार्ग पर प्रति सप्ताह दो बार परिचालित सेवा में बदल दिया गया था। इस सेवा की आवृत्ति को बढ़ा कर अब प्रति सप्ताह चार कर दिया गया है।

(3) विमानन ईंधन में अत्यधिक वृद्धि के कारण वाईकाउंट तथा डकोटा विमानों को इंडियन एयरलाइन्स द्वारा क्रमश : हटा देने के निर्णय के परिणामस्वरूप कलकत्ता/रांची/राउरकेला/रायपुर/नागपुर/भोपाल मार्ग पर डकोटा विमानों से सप्ताह में दो बार परिचालित सेवा 18—3—1974 से बंद कर दी गयी थी।

Grant of Subsidy to backward Districts in Madhya Pradesh

9471. Shri G. C. Dixit: Will the **Minister of Finance** be pleased to state:

(a) whether Government propose to provide subsidy to backward districts in Madhya Pradesh as in the case of districts of other States; and

(b) if so, the time by which it will be implemented.

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee): (a) and (b). Yes, Sir. Six areas comprising of 65 blocks carved out of the Districts of Bilaspur, Raipur, Dewas, Shajapur, Rajgarh, Guna, Dhar. Jhabua, Khargone, Mandsaur, Ratlam, Bhind, Datia, Morena, Shivpuri, Chattarpur, Sagar, Tikamgarh, Vidisha, Rewa, Sarguja and Sidhi in Madhya Pradesh have already been notified as backward and the industrial units set up in these areas are entitled to subsidy under '10/15 per cent Central Outright Grant or Subsidy Scheme 1971' subject to the fulfilment of the prescribed conditions.

चाय वित्तपोषी योजनायें

9472. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वाणिज्य** मंत्री चाय बोर्ड द्वारा चायकम्पनियों को ऋण के बारे में 6 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3469 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में उल्लिखित कौन-कौन सी कम्पनियां (एक) डंकन ब्रदर्स, (दो) शोंवलेंस. तथा (तीन) जार्डन हैन्डरसन और चाय -बागानों के स्वामी अन्य प्रत्येक चाय -गृह के नियंत्रणाधीन है ;

(ख) प्रत्येक चाय-गृह के नियंत्रणाधीन चाय कम्पनियों द्वारा कुल कितनी धनराशी वसूल की गई है ;

(ग) प्रत्येक चाय–गृह की और कुल कितनी राशि बकाया है .

(घ) क्या विभिन्न चाय वित्त योजनाओं का कोई पुनर्विलोकन किया गया है, और

(ड़) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) :

(क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी ?।

(घ) तथा (ड़) चाय उद्योग संबंधी टास्क फ़ोर्स ने अन्य बातों के साथ साथ चाय विकास में आने वाली अड़चनों के सन्दर्भ में चाय बोर्ड की विद्यमान वित्त सहायता योजना का भी अध्ययन किया और निम्नलिखित सिफ़ारिशें की है :––

I चाय मशीनरी किराया-खरीद योजना

10·5 करोड़ रु० की वर्तमान निधि को बदलकर आवर्ती निधि बना दिया जाय और ऋण लेने वालों को मौजूदा मशीनरी आवश्यकताओं के पैकज की बजाय मशीनरी का अलग-अलग मदों के लिए पात्र बनाकर योजना को लचीला बनाया जाय ।

II बागान वित्त योजना

इस योजना को निष्पादन अभिमुख बनाने के लिए इसे आशोधित किया जाये और उसके अधीन ऋणों के लिए संयुक्त समतापूर्ण बन्धक की सिक्योरिटी पर विचार किया जाये ।

III पुनरोपण उपदान योजना

यह योजना दोहरी (टू टायर) प्रणाली पर चलाई जानी चाहिये जिसमें पुनरोपण के लिए समृद्ध बागानों को उपदान की वर्तमान दर से कम उपदान दिया जा सकता और योजना नवीकरण कांट -छांट तथा अन्त : पुरण पद्धतियां पर भी लागु किया जाना चाहिये ।

पश्चिम बंगाल में मिनी बसों की खरीद के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मंजूर तथा वितरित किये गये ऋण

9473. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने पश्चिम बंगाल में बेरोजगार युवकों द्वारा वर्ष 1972–73 से 1974–75 तक मिनी बसों की खरीद के लिये कुल कितनी राशि के ऋण मंजूर किये तथा कुल कितनी राशि वितरित की ;

(ख) इन ऋणों की शर्तें क्या थीं;

(ग) वर्ष 1974–75 में कुल कितनी राशि बकाया थी ;

(घ) क्या ऐसे आरोप लगाये गये हैं कि इन णों का दुरुपयोग हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) से (ङ) आंकड़े एकत्र करने की वर्तमान प्रणाली में "मिनी बसें खरीदने के वास्ते बेकार युवकों को ऋण" जैसे वर्गों सम्बन्धी सूचना अलग से एकत्र करने की व्यवस्था नहीं है । इस प्रकार के अग्रिम 'छोटे परिवहन संचालक' के सम्बन्धित प्राथमिक क्षेत्र के वर्गों के अन्तर्गत दिखायें जाते हैं । 14 राष्ट्रोयकृत बैंकों सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पश्चिम बंगाल में छोटे परिवहन संचालकों को दिये गये अग्रिमों की बकाया राशि मार्च 1973 के अन्त में 4584 एककों से 7.8 करोड़ रुपये और मार्च 1974 के अन्त में 9076 एककों से 9.3 करोड़ रुपये थी ।

परिवहन संचालकों को ऋण देने की शर्तें और निबन्धन ऋणकर्ता के पिछले व्यवहार अग्रिम की किस्म, प्रतिभूति, ऋण देने की लागत आदि के अनुसार प्रत्येक बैंक में भिन्न हैं । फिर भी

सामान्यत: बैंक इस प्रकार के अग्रिमों पर 13.5 प्रतिशत से 17 प्रतिशत के बीच की दर से ब्याज लेते हैं, अधिशेष जमा होने की सम्भावित मात्रा को ध्यान में रखकर वापसी की अवधि निश्चित करते हैं और वाहन को बंधक रख लेते हैं तथा सुरक्षा के लिए गारण्टी लेते हैं। बैंक अग्रिम मंजूर कर समय तथा देते समय उचित सावधानी रखते हैं तथा उनके अंतिम उपयोग पर निगरानी रखते हैं। फिर भी कुछ मामलों में ऋणकर्ता द्वारा निर्धारित सयम पर वापसी न किये जाने के बारे में बैंको ने सूचना दी है। ऐसे मामलों में बैंकों द्वारा उचित कारवाई की जा रही है।

"कैमिकल्स डिकैनलाइज्ड" शीर्षक से समाचार

9474. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान नई दिल्ली से प्रकाशित 'इकनोमिक टाइम्स' के 11 अप्रैल, 1975 के अंक में "कैमिकल्स डिकैनलाइज्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) निम्नोक्त मदों को, जो पहले भारतीय तेल निगम के माध्यम से आयात के लिए मार्गीकृत थीं, 1975–76 वर्ष की आयात व्यापार नियंत्रण नीति के अनुसार मार्गीकृत कर दी गई हैं :—

(क) ग्रीज।

(ख) पैट्रोलियम जेली।

(ग) खनिज तेल, निम्नोक्त :—

(1) कटिंग आयल।

(2) शाक एबजोर्वर आयल।

(3) हीट ट्रांसफर तेल।

(4) इलेक्ट्रिक पेपर तथा बोर्ड इंसुलेटर्स के लिए इम्प्रेगनेटिंग।

(5) नाशिकीटमार बनाने के लिए खनिज तेल।

(6) कांच के सांचों को तेल देने के लिए विशिष्ट ग्रेफाइटेड आयल।

(घ) टर्बाइन आयल।

(ङ) तरल पैराफीन।

इन मदों को इसलिए अमार्गीकृत कर दिया गया क्योंकि इन मदों के सम्बन्ध में विपुल खरीद लाभ जैसे मार्गीकरण के लाभ प्राप्त नहीं होते थे।

लौह अयस्क का निर्यात

9475. **श्री एच० एन० मुखर्जी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने वर्ष 1973–74 तथा 1974–75 के दौरान कुल कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के लौह अयस्क का निर्यात किया ;

(ख) निर्यात की गई इस मात्रा में से राष्ट्रीय खनिज विकास प्राधिकरण (एन० एम० डी० ए०) ने कितनी मात्रा में लोह अयस्क का खनन किया तथा कितनी मात्रा में गैर-सरकारी ठेकेदारों ने खनन किया ; और

(ग) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास प्राधिकरण (एन० डी० ए०) गैर-सरकारी ठेकेदारों से समस्त खनन-कार्य को अपने अधिकार में लेने की किसी योजना पर विचार कर रहा है ?

वाणिज्यमंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) 1973–74 के दौरान भारत ने 146 करोड़ रुपये मूल्य के 244 लाख मेट्रिक टन लौह अयस्क का निर्यात किया। 1974–75 के लिए अनंतिम आंकड़ों के अनुसार 165 करोड़ रुपये मूल्य के 224 लाख मे० टन लौह अयस्क का निर्यात किया गया ।

(ख) 1973–74 तथा 1974–75 के दौरान राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का अंशदान क्रमशः 42 लाख मे० टन तथा 36 लाख मे० टन था। बाकी मात्रा का खनन मुख्यतः गैर-सरकारी पार्टियों द्वारा और कुछ हद तक राज्य स्वामित्व वाले संगठनों, अर्थात् उड़ीसा खनन निगम तथा मैसूर मिरल्स लि० द्वारा किया गया था ।

(ग) फिलहाल ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है ।

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में संकट

9476. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 मार्च, 1975 के नवभारत टाइम्स में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि मांग के अभाव में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में संकट है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस दिशा में क्या प्रयत्न कर रही है जिससे उनमें होने वाले संकट की सम्भावना को टलाया जा सके ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) 29 मार्च, 1975 के नवभारत टाइम्स में प्रकाशित लेखे में अगामी वर्षों में सहकारी क्षेत्र में उत्पादित सामान की मांग को प्रभावित करने वाली बातो के सम्बन्ध में विचार किया गया है। साधनों की कठिन

स्थिति के कारण पूंजी निवेश में की गई कटौती तथा मुद्रास्फीति को रोकने के लिए किए गए उपायों के कारण मांग पर तो प्रभाव पड़ सकता है लेकिन उसके परिणामस्वरूप सामान्य मन्दी आने की सम्भावना नहीं है। वस्तुतः वर्तमान संकेतों के अनुसार केन्द्रीय सरकार की कम्पनियों की कुल बिक्री जो 1971–72 में 3992 करोड़ रुपए थी 1973–74 तक बढ़कर 6810 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है के कुछ वर्षों तक और भी बढ़ते रहने की सम्भावना है। किन्तु कुछ कम्पनियों को अपने उत्पादों की मांग बढ़ाने के उपाय करने की आवश्यकता पड़ सकती है ताकि वे कार्य-निष्पादन के और ऊंचे स्तर प्राप्त कर सकें। यह कार्य विपणन प्रयास बढ़ाकर उत्पादन में विविधता लाकर तथा निर्यात के द्वारा किया जाएगा। सरकार ने भी औद्योगिक विकास में सुधार करने के लिए अधिक मात्रा में बिजली पैदा करने, महत्वपूर्ण कच्चे माल और कल पुर्जों की सप्लाई करने और बहुउद्देश्य प्रभाव रखने वाली महत्वपूर्ण परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने आदि के विभिन्न उपाए किए हैं।

स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार देने सम्बन्धी सूत्र

9477. श्री एच एन० मुखर्जी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की यह नीति है कि 'स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार देने सम्बन्धी सूत्र' केन्द्रीय एककों के लिए नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अपने सभी उपक्रमों को इस आशय के अनुदेश दे दिये हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ उपक्रमों में स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार दिये जाने के लिए आन्दोलन किया जा रहा है। और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति में ऐसे एककों को सरकार ने क्या निदेश दिये हैं और उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (घ) सरकार ने सरकारी उद्यमों को यह अनुदेश जारी किए हुए हैं कि वे स्थानीय रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्तियों के लिए विशेषकर नीचे स्तर पर के पदों पर अधिक से अधिक अवसर सुनिश्चित करें। नीचे स्तर के ऐसे पदों के लिए भर्ती केवल राष्ट्रीय रोजगार सेवा के माध्यम से ही की जानी चाहिए और भर्ती के अन्य साधन तभी अपनाये जायं जब रोजगार कार्यालय 'अनुपलब्धता–प्रमाण-पत्र' जारी कर दें। राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इस नीति के समनुरूप कोई और अनुदेश जारी करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमान्, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति बिना बोलने वाले सदस्यों का भाषण अभिलिखित नहीं किया जायेगा। कोई भी स्थगन प्रस्ताव नियमों के अनुसार नहीं है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): A firm of Calcutta has been allowed to monopolise the export of shellac to the Soviet Union and the State Trading Cor-

poration will be charging 1 per cent as Commission whereas the lac producers are starving. I want to know whether it is not a matter worth to be raised by an adjournment motion.

अध्यक्ष महोदय : इस पर स्थगन प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता।

श्री एस० एम० बनर्जी : श्रीमान, मेरा स्थगन प्रस्ताव स्पष्ट है। केन्द्रीय सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की पांच किस्तों की अदायगी के लिए बजट में पर्याप्त धन की व्यवस्था करने में विफल रही है।

अध्यक्ष महोदय : यदि सरकार बजट में किन्हीं मदों के अन्तर्गत किसी धनराशि की व्यवस्था न कर सके तो उस पर आप स्थगन प्रस्ताव कैसे रख सकते हैं।

श्री समर गुह कंटाई : मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। सभा की राय जाने बिना अध्यक्ष का त्यागपत्र देना असंवैधानिक है। यदि राज्यपाल गृहकार्य मंत्रालय को इसकी सूचना नहीं देता, तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इस पर विधान सभा निर्णय करेगी संसद नहीं। स्थगन प्रस्तावों को देखने का जो दैनिक अभ्यास मुझे करना पड़ता है वह मस्तिष्क और शरीर को थका देने वाला है। **(अन्तर्बाधाएं)**।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : **(बेगुसराय)**: श्रीमान, नियम 222 के अन्तर्गत मैं..... (अन्तर्बाधाएं)।

श्री एस० एम० बनर्जी : श्रीमान, यह 30 लाख केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का मामला है। आप वित्त मंत्री से इस प्रश्न पर वक्तव्य देने के लिए कहें।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसपर बाद में विचार करूंगा।

श्री जनेश्वर मिश्र संसद सदस्य के विरुद्ध सभा में कथित जाली पत्र पढ़कर सुनाने के कारण, जो, हिन्डाल्कों के कर्मचारियों द्वारा लिखा बताया गया है, विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PREVILAGE AGAINST SHRI JANESHWAR MISRA, M.P. FOR HIS HAVING READ OUT IN THE HOUSE AN ALLEGED FORGED LETTER SAID TO HAVE BEEN WRITTEN BY EMPLOYEES OF HINDALCO.

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 222 के अधीन इस सभा के माननीय सदस्य श्री जनेश्वर मिश्र के विरूद्ध विशेषाधिकार भंग का प्रश्न उठाना चाहता हूं। **(अन्तर्बाधाएं)**। उन्होंने 2 मई 1975 को एक पत्र पढ़ा था जिसमें प्रधान मंत्री के सचिवालय के एक अधिकारी को हिन्डालकों द्वारा हिन्डालकों में ट्रेड यूनियन की गतिविधियां दबाने के लिए पांच लाख रुपये

[श्री श्याम नन्दन मिश्र]

देने की बात कही गई थी। प्रधान मंत्री ने इस सम्बन्ध में जो जांच पड़ताल कराई उससे ज्ञात हुआ कि उक्त पत्र एक कूटकृति है। यद्यपि यह आरोप लगाया गया है और सम्बन्धित सदस्य इसका खंडन कर रहे हैं, तो भी इसे विवाद ग्रस्त मामला नहीं समझा जा सकता। इसे विशषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिए।

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad): I want that this matter be referred to the Privileges Committee and the signatures be got verified.

Shri Madhu Limaye (Banka): I gave my notice first of all.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): I have also given a notice.

Mr. Speaker: All these notices are on identical matter. In the first instance Shri Mishra may please seek the leave of the House.

श्री श्याम नन्दन मिश्र : मैं विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश करने के लिए सभा की अनुमति मांगता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या इस पर कोई आपत्ति की गई है ? सर्वसम्मत्ति से अनुमति दी जाती है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैं यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

> "कि इस सभा के सदस्य श्री जानेश्वर मिश्र के विरुद्ध जिन्होंने सभा में 2 मई, 1975 को उस पत्र को पढ़कर सुनाया था जो हिन्डालको के एक कर्मचारी ने कम्पनी के प्रजीडेन्ट को लिखा था, जिसमें यह कहा गया कि श्रमिक संघ गतिविधियों को रोकने के लिए प्रधान मंत्री के निजी सचिव को 5 लाख रुपये दिये गये और जिसे प्रधान मंत्री ने जाली बताया है, विशेषाधिकार के प्रश्न को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये।"

Shri Madhu Limayee: Sir, I have an amendment.

Mr. Speaker: You have not given a notice of the amendment. Please send me a copy of the amendment.

श्री बसन्त साठे (अकोला) : नियम 225 के अन्तर्गत संशोधन का कोई उपबन्ध नहीं है।

श्री एच०एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तरपूर्व): मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि श्री मिश्र ने जो मामला उठाया है उसके द्वारा हम विशेषाधिकार समिति से इस प्रश्न का न्यायनिर्णयन कराना चाहते हैं। अतः इसमें कोई संशोधन अनुचित है।

Shri Atal Bihari Vajpayee: I have no objection to moving the motion. There are two alternatives before the House. This matter either can be discussed in the House or can be referred to the Privileges Committee. A Member can insist on the discussion in the House just now.

श्री बसन्त साठे : श्रीमान, यह मामला सभा के समक्ष रखना सम्भव है।

अध्यक्ष महोदय : मैं व्यवस्था सम्बन्धी आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा।

श्री बसन्त साठे : महोदय, इस बात का निर्णय सभा पर छोड़ दिया जाये कि क्या वह इस मामले पर चर्चा करना चाहती है या इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपना चाहती है।

अध्यक्ष महोदय : नियम 226 में उपबन्ध है कि यदि नियम 225 के अधीन अनुमति मिल जाती है तो सभा उस प्रश्न पर विचार कर सकती है और निर्णय कर सकती हैं या उसे विशेषाधिकार समिति को सौंप सकती है। अब यदि इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है, तो संशोधन का प्रश्न ही नहीं उठता है।

Shri Madhu Limaye: Mr. Speaker, I want your ruling as to whether my amendment is in order. I want to add two sentences at the end of the Motion. My amendment is:

> "यह सभा निदेश देती है कि इस आरोप की, कि उक्त पत्र कूटरचना है, सत्यता या असत्यता का पता लगाने के लिये समिति हस्तलेख विशेषज्ञों को बुलाए और श्री जनेश्वर मिश्र को अनुमति दे कि वह अपने हस्तलेख विशेषज्ञों और साक्षियों को बुलाए और यह भी कि समिति अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के अन्तिम सप्ताह में प्रस्तुत करे।"

मेरा यह संशोधन पूर्णतया नियमानुकूल है।

Shri Atal Bihari Vajpayee: The part amendment relating to time limit is in order and it should be accepted.

Shri Madhu Limaye: The first part of my amendment may be treated as deleted. The remaining part relating to the time-limit should be put to the House

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री वसन्त साठे : कोई समय-सीमा निश्चित नहीं की जा सकती। यहां पर दो ही तरीके हैं। या तो हम स्वयं निर्णय करे या उसे विशेषाधिकार समिति पर छोड़ दें।

श्री सी० ऐम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : नियम 228 के अधीन निदेश दिया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : नियम 227 में यह उपबन्ध है कि जहां सभा ने किसी समिति का प्रतिवेदन, प्रस्तुत करने के लिये कोई समय निश्चित न किया हो, तो उस तारीख से, समिति को सौंपा गया था एक मास के भीतर प्रतिवदन प्रस्तुत करना होता है।

Shri Madhu Limaye: The House has a right to give direction to the Committee.

अध्यक्ष महोदय : अतः जहां कोई समय, निश्चित न किया गया हो, वहां प्रतिवेदन एक मास के भीतर प्रस्तुत करना होता है।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : यदि आप चाहै, तो समय निचिश्त कर सकते हैं। सभा को ऐसा करने का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : एसा करना सभा का कार्य है।

श्री मधु लिमये : सभा के मतदान के लिये रखिये।

श्री बंकटसुब्बया (नन्दयाल) : प्रश्न यह है कि सभा द्वारा स्वीकृत किसी विशेषाधिकार प्रस्ताव में संशोधन किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट संकेत नहीं है। अतः यह संशोधन संगत नहीं है।

Shri Madhu Limaye: In every motion for Select Committee or Joint Committee there is time limit.

Shri Atal Bihari Vajpayee: For the report of every Committee time limit is fixed. What is the objection in accepting it?

निर्माण तथा आवास और संसदे कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपने की अनुमति मांगी गई है। इस में समय सीमा निश्चित करने की कोई बात नहीं है। समिति को इस मामले पर पूर्णतया विचार करने दिया जाये और यदि उसे अधिक समय की आवश्यकता हो, तो वह सभा की अनुमति ले सकती है। उसे समय सीमा में बांधने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री श्यामानन्दन मिश्र : मैं मंत्री महोदय से पूर्णतया सहमत हूं। उस दशा में नियम के अनुसार समिति को अपना प्रतिवेदन एक मास के भीतर प्रस्तुत करना होगा। गुजरात में निर्वाचन भी हो रहे है एक मास का समय बहुत कम होगा। समिति को अधिक समय देने की बात पर विचार किया जाना चाहिये। अतः इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा निदेश देती है कि समिति अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के अन्तिम सप्ताह में प्रस्तुत करे।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य, श्री जनेश्वर मिश्र के विरुद्ध जिन्होंने सभा में 2 मई, 1975 को उस पत्र को पढ़कर सुनाया था जो हिन्डलको के एक कर्मचारी ने कम्पनी के प्रेसीडेन्ट को लिखा था जिसमें यह कहा गया कि श्रमिक संघ गतिविधियों को रोकने के लिये प्रधान मंत्री के निजी सचिव को 5 लाख रुपये दिये गये और जिसे प्रधान मंत्री ने जाली बताया है, विशेषाधिकार के प्रश्न को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन, प्रमाणित लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : मैं निम्नांकित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण अधिनियम, 1971 की धारा 25 की उपधारा (2) के अन्तर्गत भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के वर्ष 1973–74 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण,) की एक प्रति ।

(2) अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण अधिनियम, 1971 की धारा 24 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के 31 मार्च, 1974 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उनपर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। **[ग्रन्थालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी० 9699/75]** ।

गुजरात सहकारी समितियाँ अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना, एक विवरण और राष्ट्रीय औद्योगिक निगम लिमिटेड की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन, 1973–74

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं निम्नोक्त पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) गुजरात राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित गुजरात सहकारी समितियां अधिनियम, 1961 की धारा 168 की उपधारा (4) के अन्तर्गत गुजरात सहकारी, समितियां (संशोधन 1) नियम, 1972 की एक प्रति जो दिनांक 24 अगस्त 1972 के गुजरात सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी एच के एच/5/सी एम आर–4971/21729 बी में प्रकाशित हुए थे ।

(2) उपर्युक्त अधिसूचना का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 9700/75] ।

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति ।
(एक) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1973–74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1973–74 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 9701/75] ।

गुजरात पंचायत (संशोधन) अधिनियम, गुजरात पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत गुजरात अधिसूचनाओं तथा विवरण

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं निम्नोक्त पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) गुजरात राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1974 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत गुजरात पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (1975 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 1) की एक प्रति जो दिनांक 29 मार्च, 1975 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 9702/75]

(2) गुजरात राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 9 फरवरी, 1974, की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित गुजरात पंचायत अधिनियमम 1961 की धारा 323 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित गुजरात अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) गुजरात पंचायत सेवा (नियुक्तिकर्त्ता प्राधिकारी) (संशोधन) नियम, 1973 जो दिनांक 5 अक्टूबर, 1973 को गुजरात सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या के पी/202/पी आर आर/8570 (73)/टी, एच में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण ।

(दो) गुजरात पंचायत सेवा (आचरण) (संशोधन) नियम, 1973 जो दिनांक 6 नवम्बर, 1973 के गुजरात सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या के पी/208/पी एस आर/1071/9295/73-टी एच में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण ।

(तीन) खंड विस्तार शिक्षक (पंचायत सेवा) भर्ती (परीक्षा) नियम, 1974 जो दिनांक 22 मार्च, 1975 के गुजरात सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या के पी/70(74)/जे पी एम/1070/1759/टी एच में प्रकाशित हुए थे तथा उनका शुद्धि पत्र जो दिनांक 4 दिसम्बर, 1974 के गुजरात सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या के पी/251/74/जे पी एम 1070/4036/टी एच में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण ।

(चार) गुजरात ग्राम पंचायत सचिव (भर्ती, प्रशिक्षण तथा सेवा की शर्तें) (संशोधन) नियम, 1974 जो दिनांक 6 मई, 1974 के गुजरात सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या के पी/74/106 टी सी एम/3074 सी एच में प्रकाशित हुए ये तथा उनका शुद्धिपत्र जो दिनांक 23 नवम्बर, 1974 को गुजरात सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या के पी/74/226/टी सी एम 3073/सी एच में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण ।

(3) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले 4 विवरण (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) ।

(4) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित अधिसूचनाओं के हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० 9703/75] ।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रीय औजार लिमिटेड, कलकत्ता की समीक्षा और प्रतिवेदन, 1973-74, भारतीय सीमेंट निगम की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन, 1973-74, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन, 1973-74, राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद्, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन, 1973-74 और आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : मैं निम्नोक्त पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1973–74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1973–74 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणीयां [ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या ए० टी० 705/75] ।

(ख) (एक) राष्ट्रीय औजार लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1973–74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) राष्ट्रीय ओजार लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1973–74 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।
[ग्रन्थालय में रखी गयी/देखिए संख्या एल०टी० 9705/75]

(ग) (एक) भारतीय सीमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1973–74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय सीमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1973–74 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेख और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।
[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी० 9706/75]

(घ) (एक) इस्ट्रूमेंटशन लिमिटेड, कोटा के वर्ष 1973–74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) इस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा का वर्ष 1973–74 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।
[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 9707/75]

(2) राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1973–74 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।
[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 9708/75]

(3) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सां० आ० 195(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 30 अप्रैल, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा सीमेंट (सरक्षण और उपयोग विनियमन) आदेश, 1974 रद्द किया गया है ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 9709/75]

भारतीय रिजर्व बैंक के राज्य सरकारों के साथ हुए समझौते और एक विवरण, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, 1973–74, संघ सरकार (सिविल) राजस्व प्राप्तियाँ ––खण्ड 1 तथा खण्ड 2, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमों के अन्तर्गत अधिसूचना पाँडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र सरकार के विनियोग लेखे, 1971–72 और अतारांकित प्रश्नों के उत्तरों को शुद्ध करने वाले विवरण ।

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मैं निम्नोक्त पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (क) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 21 क की उपधारा (2) के अन्तर्गत उक्त अधिनियम की धारा 21क (1) की शर्तों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के राज्य सरकारों के साथ हुए 9 मुख्य, 8 सहायक तथा 20 अनुपूरक समझौतों (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) की एक-एक प्रति ।

(ख) उपर्युक्त समझौतों के सभा पटल पर रखने में हुए बिलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण), [ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल० टी० 9710/75]

(2) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1973–74 के प्रतिवेदन , संघ सरकार(सिविल) राजस्व प्राप्तियां—खंड 1—अप्रत्यक्ष कर, तथा खण्ड 2—प्रत्यक्ष कर की एक प्रति [ग्रन्थायल में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल० टी० 9711/75]

(3) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सां० सां० नि० 252 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 7 मई, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(4) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम , 1944 के अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 246 (ङ) और 247 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) की एक-एक प्रति जो दिनांक 5 मई, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी० 9712/75]

(5) पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र शासन के वर्ष 1971–72 के विनियोग लेखे (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति (ग्रन्थालय में रखी गयी । [देखिये संख्या एल० टी० 9713/75]

(6) (एक) बर्ड एण्ड कम्पनी, कलकत्ता पर छापों के बारे में श्री इन्द्रजीत गुप्त के अतारांकित प्रश्न संख्या 5365 के 20 दिसम्बर, 1974 को दिए गये उत्तर को शुद्ध करने तथा (दो) उत्तर को शुद्ध करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले विवरण। [ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल० टी० सं 9714/75]

(7) (एक) मध्य प्रदेश की प्रथम 20 फ़र्मों उद्योगों की ओर आयकर की बकाया राशि के बारे में श्री फूल चन्द बर्मा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1652 के 28 फ़रवरी, 1975 को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने तथा (दो) उत्तर को शुद्ध करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले विवरण [ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल० टी० 9714/75]।

गुजरात राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रयोजन) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत राष्ट्रपति के अधिनियम

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदयाल दास पटेल) : मैं गुजरात विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1974 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राष्ट्रपति

के निम्नलिखित अधिनियमों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) सौराष्ट्र घरखेद अभिधृति व्यवस्थापन तथा कृषि भूमि (गुजरात संशोधन) अधिनियम, 1974 (राष्ट्रपति का 1974 का अधिनियम संख्या 13) जो दिनांक 31 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(2) बम्बई इनाम (कच्छ क्षेत्र) उत्पादन (गुजरात दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1974 (राष्ट्रपति का 1974 का अधिनियम संख्या 14) जो दिनांक 31 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(3) बम्बई अभिधृति तथा कृषि भूमि (गुजरात दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1974 (राष्ट्रपति का 1974 का अधिनियम संख्या 15) जो दिनांक 31 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिय** संख्या एल० टी० 9715/75]

वायु निगम नियमोंके अन्तर्गत पत्र

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): मैं वायु निगम नियम, 1954 के नियम 3 के उपनियम (5) के अन्तर्गत निम्नोक्त पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) एयर इंडिया के वर्ष 1975–76 के राजस्व और व्यय के बजट अनुमानों का सारांश ।

(2) एयर इंडिया के वर्ष 1973-74 के वास्तविक व्यय 1974-75 के बजट अनुमानों तथा संशोधित अनुमानों और वर्ष 1975-76 के बजट अनुमानों का सारांश ।

(3) इंडियन एयर लाइन्स के वर्ष 1975-76 के राजस्व और व्यय के बजट अनुमान का सारांश ।

(4) इंडियन एयर लाइन्स के वर्ष 1973-74 के वास्तविक व्यय, वर्ष 1974–75 के बजट अनुमानों तथा संशोधित अनुमानों और वर्ष 1975-76 के बजट अनुमानों का सारांश [**ग्रन्थालय में रखी गयी**] । **देखिये** ये संख्या एल० टी० 9716/75]

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ): मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नोक्त अधिसूचनाओं (हिन्दी संस्करण) की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी (निक्षेप स्वीकार करना) नियम, 1975 जो दिनांक 23 अप्रैल, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 516 में प्रकाशित हुए थे ।

(2) कम्पनी (शेयरों के लाभकारी ब्याज को घोषणा) नियम, 1975 जो दिनांक 26 अप्रैल, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 517 में प्रकाशित हुए थे ।

(3) विदेशी कम्पनियों पर धारा 159 का लागू किया जाना नियम, 1975 को दिनांक 26 अप्रैल, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० 518 में प्रकाशित हुए थे ।

(4) कम्पनी (सोल एजेंटों की नियुक्ति) नियम, 1975, जो दिनांक 26 अप्रैल, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 519 में प्रकाशित हुए थे ।

(5) कम्पनी (सचिव की अर्हताएं) नियम, 1975, जो दिनांक 26 अप्रैल, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 520 में प्रकाशि हुए थे

[**ग्रंथालय में रखो गयो । देखिये** संख्या एल०टी० 9718/75]

इंजीनियर इण्डिया लिमिटेड नई दिल्ली की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी): मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:

(1) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1973-74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1973-74 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(**ग्रंथालय में रखो गयो । देखिये** संख्या एल०टी० 9719/75) ।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन और एक ज्ञापन ।

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : मैं निम्नोक्त पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) केन्द्रीय सतर्कता आयोग के वर्ष 1973-74 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन में उल्लिखित कतिपय मामलों में सरकार द्वारा आयोग की सलाह न मानने के कारण बताने वाला एक ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी 9720/75]

राष्ट्रीय कृषि आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदन

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : मैं राष्ट्रीय कृषि आयोग निम्नोक्त अन्तरिम प्रतिवेदनों (हिन्दी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) उर्वरकों का वितरण ।

(2) छोटे किसानों तथा सीमांत किसानों और कृषि श्रमिक विकास अभिकरणों के कार्यक्रमों का पुनर्नवीकरण ।

(3) छोटे तथा सीमांत किसानों और कृषि श्रमिकों के लिये ऋण सेवाएं ।

(4) कृषि अनुसंधान, विस्तारण तथा प्रशिक्षण के कुछ पहलू ।

(5) अनाज की अधिक उपज देने वाली तथा संकर किस्मों के बीजों के उत्पादन में वृद्धि तथा वितरण ।

(6) रेशम कीट पालन उद्योग ।

(7) छोटे तथा सीमांत किसानों और कृषि श्रमिकों की आय में वृद्धि करने के लिये कुक्कट, भेड़ तथा सुअर पालन ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल०टी० 9721/75]

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड का वर्ष 1973-74 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे

श्री सी० पी० मांझी : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1973-74 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां, सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० 9722/75]

गुजरात नगरीय क्षेत्रों में खाली भूमि (अन्य संक्रामण प्रतिशेध) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत गुजरात सरकार के आदेश

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(क) गुजरात राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित गुजरात नगरीय क्षेत्रों में खाली

भूमि (अन्य संक्रामण प्रतिशेध) अधिनियम, 1972 की धारा 7 की उपधारा (4) के अन्तर्गत गुजरात सरकार के निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति:—

(1) शिवानी कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, वासना सैयद, ताल्लुक बड़ौदा, जिला बड़ौदा के मामले में दिनांक 8-4-1975 का आदेश संख्या वी सी टी/1774/35172–पांच ।

(2) श्रीमती विमला जैन काशीभाई पटेल, कामोड, ताल्लुक दसक्रोई, जिला अहमदाबाद के मामले में दिनांक 16-4-1975 का आदेश संख्या वी सी टी/1475/15878–पांच ।

(3) श्री ईश्वरलाल जोइतराम पटेल, चीफ प्रमोटर, नावदीम अपार्टमेंट कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी (प्रस्तावित), अहमदाबाद के मामले में दिनांक 21-4-1975 का आदेश संख्या वी सी टी/1474/113314–पांच ।

(4) श्रीमती रामवहन श्यामजी, उपलेता, ताल्लुक उपलेता, जिला राजकोट के मामले में दिनांक 21-4-1975 का आदेश संख्या वी सी टी/2874/7591–पांच ।

(5) आनन्द साराभाई चैरिटी ट्रस्ट, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 25-4-1975 का आदेश संख्या वी सी टी–1474/97535–पांच ।

(6) श्री जदाजी जयसिंह जी ठाकुर, विजलपुर ताल्लुक नगर, जिला अहमदाबाद के मामले में दिनांक 25-4-1974 का आदेश संख्या वी सी टी–1474/81972–पांच ।

(7) लिंगाड ग्राम, ताल्लुक पलसाना, जिला सूरत के श्री मोहनभाई भीमभाई नायक तथा अन्यों के मामले में दिनांक 25-4-1975 का आदेश संख्या वी सी टी–3074/29624–पांच ।

(8) हजारीबैग कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 25-4-1975 का आदेश संख्या वी सी टी 1474/1333/65–पांच ।

(9) चन्द्र कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी, लिमिटेड, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 25-4-1975 का आदेश संख्या वी सी टी 1474/133763/पांच ।

(10) श्री गिगासा हासमसाह फकीर, जैतपुर, ताल्लुक जैतपुर, जिला राजकोट के मामले में दिनांक 29-4-1975 का आदेश संख्या वी सी टी 28/75/23908–पांच ।

(11) चालथन विभाग खांड उद्योग सहकारी मण्डली लिमिटेड, चालथन, ताल्लुक पलसाना, जिला सूरत के प्रधान के मामले में दिनांक 21-4-1975 का आदेश संख्या वी सी टी–एस आर/65/74 ।

(12) श्री महाबीर हैल्थ एण्ड मैडीकल रिलीफ सोसायटी, सूरत के सैक्रटरी के मामले में दिनांक 29-4-1975 का आदेश संख्या वी सो टी/एस आर /96/74 ।

(13) कीर्ति सीमेंट पाइप एण्ड कंकरीट प्रोडक्ट्स, अंकलेश्वर, ताल्लुक अंकलेश्वर, जिला बड़ौच के मामले में दिनांक 30-4-1975 का आदेश संख्या एल०एन० डी०/ वी सी टी/एस आर/79/डब्ल्यू एस ।

(14) श्री पी० सी० पटेल, अंकलेश्वर, जिला बड़ौच के मामले में दिनांक 30-4-1975 का आदेश संख्या एल० एन० डी०/वी सी टी/एस आर–73/डब्ल्यू एस ।

(15) श्री मणिशंकर प्रभाशंकर पाण्डेय, निदेशक अमरबोर्ड एण्ड पेपर मिल प्राइवेट लिमिटेड, बड़ौच के मामले में दिनांक 30-4-1975 का आदेश संख्या एल० एन० डी०/वी सी टी/एस आर/डब्ल्यू एस०–574 ।

(16) सेमा प्रोइवेट लिमिटेड, नाडियाड, ताल्लुक नाडियाड, जिला कैरा के मामले में दिनांक 22-4-1975 का आदेश संख्या टी०एन०सी०/वी सी टी/एस आर/217/डब्ल्यू एस–1006 ।

(17) श्री प्रषोत्तम भाई माथुर भाई सपरा, ग्राम उत्तरसंदा, ताल्लुक नाडियाड, जिला कैरा के मामले में दिनांक 22-4-1975 का आदेश संख्या टी एन सी–वी सी टी– एस आर–25 डब्ल्यू एस–1033 ।

(18) नाडियाड, ताल्लुक नाडियाड, जिला कैरा के श्री इन्द्रबदन प्रषोत्तमभाई देसाई तथा अन्यों के मामले में दिनांक 24-4-1975 का आदेश संख्देश टी एन सी/ वी सी टी ।

(19) श्री देवन्द्र धीरेलाल व्यास नाडियाड, ताल्लुक नाडियाड, जिला कैरा के मामले में दिनांक 24-4-1975 का आदेश संख्या टी एन सी/वी सी टी/एस आर/156 ।

(20) श्री कांतिलाल पूंजा लाल सूथर साझीदार जयभारत पाइप एंड इंजीनियरिंग वर्क कंजारी, ताल्लुक नाडियाड, जिला कैरा के मामले में दिनांक 25-4-1975 का आदेश संख्या टी एन सी/वी सी टी/एस आर ।

(21) श्री बेचेरभाई फूलाभाई, बेचेरी, ताल्लुक आनन्द, जिला कैरा के मामले में दिनांक 27-4-1975 का आदेश संख्या टी एन सी/वी सी टी/एस आर/ 108–डब्ल्यू एस–996 ।

(22) श्री चिमनभाई साठी मैनेजिंग डायरेक्टर, साठी कोल्ड स्टोरेज, चकलासी, ताल्लुक नाडियाड, जिला कैरा के मामले में दिनांक 28-4-1975 का आदेश संख्या टी एन सी/वी सी टी/एस आर ।

(23) श्री जशभाई मोती भाई पटेल, पिज, ताल्लुक नाडियाड, जिला कैरा के मामले में दिनांक 29-4-1975 का आदेश संख्या टी एन सी/वी सी टी ।

(24) वाईपुरी धर्मपत्नी अब्राहम जसंग, उन्जा, ताल्लुक सिद्दपुर, जिला महसाना के मामले में दिनांक 23-4-1975 का आदेश संख्या एल एन डी/एन ए/वी सो टी/एस आर -44 ।

(25) मैसर्स डी०डी०एंड कम्पनी, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 21-4-1975 का आदेश संख्या वी सी टी/एस आर/173–7 (3) ।

(26) अनिल स्टार्च प्रोडक्ट्स लिमिटेड, अहमदाबाद के मामले में दिनांक 21–4–1975 का आदेश संख्या वी सी टी/एस आर–187–7 (3) ।

(27) बम्बई के श्री जशभाई वल्लभभाई पटेल भाई तथा अन्यों के मामले में दिनांक 21-4-1975 का आदेश संख्या वी सी टी/एस आर/196/7 (3) ।

(28) श्री विजय आयल इंडस्ट्रीज, बम्बई के मामले में दिनांक 28-4-1975 का आदेश संख्या वी सी टी/एस आर/190/7 (3) ।

(29) तेलाडा, ताल्लुक नवसारी, जिला बुलसर के श्री अहमद मुसाभाई तथा अन्यों के मामले में दिनांक 24-4-1975 का आदेश संख्या सी एच /वी सी टी/आर ई जी/3–1975 ।

[पुस्तकालय म रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 9723/75]

(ख) (एक) उपर्युक्त आदेशों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब तथा (दो) उनके हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[पुस्तकालय मे रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 9723/75]

(ग) (एक) भारत सरकार मुद्रणालय, फ़रीदाबाद की कम्पोजिंग तथा रीडिंग ब्रांच के बारे में श्री हुकम चन्द कछवाय के अतारांकित प्रश्न संख्या 4601 के 24 मार्च 1975 को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने तथा (दो) उत्तर को शुद्ध करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 9724/75]

भारतीय अभ्रक व्यापार निगम लिमिटेड, पटना के वर्ष 1973–74 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन तथा चाय की छीजन केन्द्रीय संशोधन आदेश, 1975

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(क) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(एक) भारतीय अभ्रक व्यापार निगम लिमिटेड, पटना के वर्ष 1973–74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय अभ्रक व्यापार लिमिटेड, पटना का वर्ष 1973–74 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल०टी० 9725 75]

(ख) चाय अधिनियम, 1953 की धारा 49 की उपधारा 3 के अन्तर्गत चाय की छीजन (नियंत्रण) संशोधन आदेश 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 12 अप्रैल, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सं० नि० 457 में प्रकाशित हुआ था । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल०टी० 9726/75]

भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, कानपुर का वर्ष 1973-74 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन, आयोजना तथा वास्तुकला विद्यालय, का वर्ष 1973-74 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा भारतीय खान विद्यालय, धनबाद के वर्ष 1971-72 के प्रमाणित लेखे तथा विवरण ।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 1973–74 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । । [पुस्तकाल में रखा गया देखिये संख्या एल०टी० 9727/75]

(2) आयोजना तथा वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1973–74 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) की एक प्रति। [पुस्तकाल में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 9728/75]

(3) (एक) भारतीय खान विद्यालय, धनबाद के वर्ष 1971–72 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) उपर्युक्त लेखे सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [पुस्तकालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी० 9729/75]

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बंधी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

कार्यवाही सारांश

श्री जी० जी० स्वैल (स्वायतशासी जिले) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की चालू सत्र के दौरान हुइ 50वीं से 57 वीं बैठकों के कार्य-वाही-सारांश सभा पटल पर रखे जाएं ।

प्राकलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

कार्यवाही सारांश

श्री मधु दण्डवते (राजापुर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्राक्लन समिति के निम्नलिखित कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखे जाए:–

(1) शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय (शिक्षा विभाग) युवक कल्याण, युवक शिक्षा, राष्ट्रीय एकता, आदि के बारे में 79 वें प्रतिवेदन के सम्बन्ध में समिति की बैठकों के कार्य-वाही-सारांश ।

(2) प्रक्रिया तथा सामान्य मामलों के सम्बन्ध में समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश ।

अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों में संशोधन

AMENDMENTS TO DIRECTIONS BY THE SPEAKER

महासचिव : मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये निदेश 47 ख के संशोधन की एक प्रति सभा पटल रखता हूं ।

राज्य सभा से संदेश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :–

(1) कि राज्य सभा को लोक सभा से वित्त विधेयक, 1975 के बारे में, जो लोक सभा द्वारा 5 मई 1975 को पास किया गया था, कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

(2) कि राज्य सभा को लोक सभा से तम्बाकू उपकर विधेयक 1975 के बारे में, जो लोक सभा द्वारा 5 मई 1975 को पास किया गया था, कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

दुर्गापुर स्टील प्लांट के महाप्रबन्धक के त्यागपत्र का समाचार

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मुझे इस्पात और खान मत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :–

दुर्गापुर स्टील प्लांट के महाप्रबन्धक के त्यागपत्र तथा स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के निर्णय द्वारा हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के एककों के प्रस्तावित विघटन पर हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के संचालकों में व्याप्त असंतोष के समाचार ।

इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : दुर्गापुर इस्पात कारखाने के महाप्रबन्धक श्री बागाराम तुलपुले को एक करार के अन्तर्गत 1-12-1971 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था। यह करार किसी भी पक्ष द्वारा बिना कारण बताये तीन महीने का नोटिस देने पर समाप्त किया जा सकता है । श्री तुलपुले ने अब अपनी सेवा के करार की शर्तों के अन्तर्गत त्याग पत्र देने की सूचना हिन्दुस्तान स्टील लि० के अध्यक्ष को दे दी है । उन्होंने अनुरोध किया है कि उन्हे 9 मई, 1975 से छुट्टी पर जाने की अनुमति दी जाए ।

स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० के बन जाने से हिन्दुस्तान स्टील लि० के पुनर्गठन का प्रश्न इस समय सरकार के विचारधीन है । इस मामले में अन्तिम रूप से निर्णय अभी लिया जाना है । इस कारण से हिन्दुस्तान स्टील लि० के कार्यकारी अधिकारियों में किसी प्रकार के असंतोष के बारे में सरकार को मालूम नहीं है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : यदि यह मामला किसी व्यक्ति विशेष के त्यागपत्र के सम्बन्ध में होता तो यह अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला न होता । हमारे पास जो तथ्य उपलब्ध हैं उनसे पता चलता है कि श्री तुलपुले के त्यागपत्र के पीछे कुछ गम्भीर बातें हैं जिनसे हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कारखानों के सम्पूर्ण कार्यसंचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है तथा जिसका

प्रस्तावित पुनर्गठन पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। मंत्री महोदय ने संसद् में इस बारे में कोई प्रकाश नहीं डाला है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि ऐसा प्रस्ताव किया जा रहा है कि भिलाई स्टील संयंत्र तथा रूरकेला स्टील संयंत्र नई पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत पृथक् पृथक् संयंत्रों के रूप में कार्य करेंगे तथा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और दुर्गापुर स्थित अलार्य इस्पात संयंत्र एक एकक के रूप में काम करेंगे जिसका नाम हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड होगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह प्रस्तावित पुनर्गठन की रूप रेखा है और यदि हां, तो क्या यह सच है या नहीं कि न केवल श्री तुलपुले अपितु इन तीनों इस्पात संयंत्रों के कार्यकारियों से भी इस बारे में विचार विमर्श किया गया था।

मैं समझता हूं कि जब स्वर्गीय श्री मोहन कुमार मंगलम ने एक एपैक्स होल्डिंग निकाय के रूप में स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड का प्रस्ताव किया था तो उस समय उनके मन में इन विभिन्न इस्पात कारखानों के कार्य का समन्वय करने के लिए एक निकाय बनाने की बात होगी। परन्तु उनकी मृत्यु हो जाने से वह योजना बन नहीं पाई। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है उनके मन में यह बात थी कि विभिन्न इस्पात संयंत्रों के प्रबन्धों को अधिक अधिकार होने चाहिए।

श्री तुलपुले ने इसलिए त्यागपत्र दिया था क्योंकि उस समय ऐसे समाचार आ रहे थे कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के पुनर्गठन से पहले स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अधीन इस्पात संयंत्रों के बीच सम्बन्ध ऐसे हो गए थे कि स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड ने इन इस्पात संयंत्रों के प्रबंधकों के अधिकारों को छीनना शुरु कर दिया था। माननीय मंत्री कृपया इस पर प्रकाश डाले। यह तो एक बात रही तथा दूसरी बात यह थी कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने को अपने किस्म का कोयला सप्लाई करने के सम्बन्ध में भी कुछ मतभेद हो गए थे। ऐसा कहा जाता है कि स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के श्री बादूद खां दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के प्रबन्धकों को काफ़ी समय तक कहते रहे कि वे वर्तमान कोयले के साथ ही इस्पात का उत्पादन बढ़ाए परन्तु श्री तुलपुले तथा अन्य प्रबन्धों ने उन्हे बताया कि इस किस्म के कोयले से उत्पादन नहीं बढ़ सकता।

[श्री जगन्नाथराव जोशी पीठासीन हुए]

Shri Jagannathrao Joshi in the Chair

इससे ऐसा प्रतित होता है कि श्री तुलपुले ने यह बात इस्पात अधिकारियों के ध्यान में कई बार लाई कि स्थिति गम्भीर हो गई है। परन्तु इस पर कुछ नहीं हुआ। इस मामले पर गम्भीरता पूर्वक विचार नही किया गया। कोयले में अधिक राख होने के कारण ही दुर्गापुर में उत्पादन नहीं बढ़ सका।

इस्पात मंत्रियों ने दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पर विभिन्न प्रकार के आरोप लगाए परन्तु किसी ने हमें यह नहीं बताया कि वहां के प्रबन्धक यह मांग करते आ रहे थे कि उन्हें जो कोयला दिया जा रहा है उसमें सुधार किया जाए अन्यथा उत्पादन नहीं बढ़ सकता है। कई समाचार पत्र कहते है कि तुलपुले इतना तंग पड़ गया कि उसने त्यागपत्र दे दिया।

यह एक गम्भीर विषय है क्योंकि यह हमारे मुख्य इस्पात संयंत्रों का सवाल है। अतः मंत्री महोदय बताए कि क्या श्री तुलपुले ने अनायास त्यागपत्र दे दिया था या कि उनको त्यागपत्र के पहले भी

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

संकेत आए थे। मैं जानना चाहता हूं कि उन्होने समय पर कार्यवाही क्यो नहीं की। क्या मंत्री महोदय ने उनसे पूछा था कि वह त्यागपत्र क्यो दे रहे हैं।

सरकार ने तुलपुले को वहां नियुक्त करके एक नया अनुभव प्राप्त किया है क्योकि तुलपुले कार्मिक संघ का नेतृत्व करने के आलावा इंजीनियरी की शिक्षा भी प्राप्त किए हुए हैं। मैं जानना चहता हूं कि क्या सरकार उस अनुभव को पुनः अजमाना चाहती है या कि नहीं क्योकि उनका यह अनुभव तो असफल ही रहा है।

मैं समझता हूं कि यदि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के इस्पात कारखानों को पृथक कर दिया गया तो श्रम संकट तो दुर हो जाएगा। परन्तु केवल इसी बात को देखते हुए ऐसा नही किया जा सकता। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार का इस बारे में क्या विचार है।

यह बात जरूरी नहीं है कि यदि किसी कारखाने का उत्पादन बहुत अच्छा तो वहां का महा प्रबन्धक भी बहुत अच्छा है। भिलाई कारखाना जहां सब से अधिक उत्पादन हूआ है वहा के महा प्रबंधक के आचरण के बारे में जांच की गई है। जिसमें यह बताया गया है कि वह ठेकेदारो से मिला हुआ था। अब उसे जबरन छुट्टी दी गई है।

मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय मेरे सभी प्रश्नो का पूरा-पूरा उत्तर देगे।

श्री चन्द्रजीत यादव : माननीय सदस्य ने बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं परन्तु जहां तक श्री तुलपुले के त्यागपत्र का सम्बन्ध है उन्होने अपने त्यागपत्र में यह नहीं बताया है कि वह त्यागपत्र क्यो दे रहे हैं। इसलिए मेरे लिए यह अनुमान लगाना बहुत कठिन है कि श्री तुलपुले ने क्यो त्याग पत्र दिया है। उन्होने स्टील अथारिटी आफ इण्डिया और हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के बीच सम्बन्धों के बारे में भी प्रश्न उठाया था। उन्होंने यह भी कहा था कि इन दोनों कारखानों तथा अन्य कारणों के बीच सम्बन्ध अच्छे नहीं है जिसका उत्पादन पर प्रभाव पड़ सकता है। जहां तक हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के पुनर्गठन के प्रश्न का सम्बन्ध है उस में दो मत है। एक मत तो यह है कि स्टील अथारिटी, अथारिटीं आफ इण्डियां लिमिटेड होल्डिग कम्पनी तथा हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड स्टील अथारिटी आफ इण्डियां के अधीन सब-होल्डिग कम्पनी होने के नाते इनके कामों में द्विगुणन हो जाएगा। अतः हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को इस प्रकार रहने देने में कोई तुक नही है। दूसरा यह कहना है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को चालू रहने देना चाहिए क्योकि यह कार्यसंचालन भाग का समन्वय कर सकता है तथा दूसरी ओर स्टील अथारिटी आफ इण्डिया दीर्घकालिक योजना और समन्वय कर सकता है तथा नीति सम्बन्धी मामलों की जांच कर सकता है इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के बाद अब हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का ढ़ांचा फिर से तैयार करने का प्रस्ताव किया गया है। हमें आशा है कि इसके कारखानों को अधिक स्वायत्तता मिलेगी तथा उन्हें स्टील अथारिटी आफ इण्डिया के अन्तर्गत एक अलग कम्पनी माना जाएगा। उनका अपना निदेशकमण्डल होगा तथा इसके कार्यकरण में सुधार हो जाएगा। इसका उत्पादन भी बढ़ जाएगा। सरकार अभी इस प्रश्न पर विचार कर रही है। कुछ कठिनाईयों को दूर करना तथा कुछ औपचारिकताओं को पूरा करना अभी शेष है। अभी इस सम्बन्ध में अन्तिम रूप से निर्णय नहीं लिया गया है।

जैसाकि माननीय मंत्री ने स्वयं कहा है कि इस्पात के कई कारखाने हैं। कुछ बहुत मुनाफा कमाते हैं तथा कुछ घाटे पर चल रहे हैं। अतः हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड कम्पनी को कम्पनी के रूप में तो घाटा हो रहा है परन्तु उसे बन्द करने का निर्णय करना उन कारखानों के लिए ठीक नहीं है जो मुनाफे पर चल रहें हैं।

ठीक

हां तक कोयले में राख की अधिक मात्रा का सम्बन्ध है यह कहना गलत है कि स्टील अथारिटी ा लिमिटेड ने इस पर ध्यान नही दिया है। सही बात तो यह है कि हर एक कारखाना यही आफ इण्डिरता आ रहा है कि कोयले में राख की मात्रा बढ़ रही है। इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता शिकायत त अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड ने यह सुनिश्चित करने के लिए हर सम्भव सावधानी बरती हूं कि स्टीा मुहैया करने वाली सभी कम्पनीयों को ये हिदायते दी जाए कि कोयले में राख की मात्रा है कि कोय। मैं ने स्वयं इस मामले में रूचि ली है तथा मैं ने ऊर्जा मंत्री को एक पत्र भी लिखा जिसमें बढ़ न पाए ाया गया है कि हाल में कोयले में राख की मात्रा बढ़ रहीं है और इससे इस्पात के उत्पादन पर उन्हे यह बता है। ऊर्जा मंत्री ने कुछ कदम उठाए हैं तथा कोयला मुहैया करने वाली एजेंसियों को हिदायतें कुप्रभाव पड़ कि वे इस सम्बन्ध में हर सम्भव उपाय करें। मैं यह भी बता देना चहता हूं कि यदि जारी की है सुधार करने या कुछ उपकरण खरीदने की अवश्यकता हूई तो उसे भी पूरा किया जाएगा। मशीनों में

यह सोचना गलत है कि तुलपुले ने स्टील अथारिटी आफ इन्डिया का ध्यान इस ओर दिलाया था उनसे कहा था कि वे इस ओर ध्यान दे। परन्तु उनके अनुरोध की अवेहेलना की गई तथा इसलिए औ आकर उन्होने त्याग पत्र दे दिया।

सदस्यों को इस बात से भयभीत नही हो जाना चाहिए कि स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड कारखानों की प्रबन्ध व्यवस्था पर अति-अधिनायक के रूप में कार्य कर रहा है स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड और विभिन्न प्रधिकरणों के बीच सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण है। कारखानों के महाप्रबन्धक हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के बोर्ड में होते हैं। वे वहा पर अपनी समस्याओं पर चर्चा कर सकते हैं। हम केवल महाप्रबन्धकों को ही विश्वास में नही लेते हैं बल्कि कार्मिक संघ के नेताओं का लक्ष्य निर्धारण में सहयोगग भी मागा जाता है। उनके साथ ही लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। वे महगाई भते के प्रश्न पर भी चर्चा करते हैं। अतः हम इस तरीके से पूर्णतया सहमत हैं।

ऐसी कोई गलतफहमी नहीं हो जानी चाहिए कि इस त्यागपत्र से स्थिति चिन्ताजनक हो गई है। सदस्यों को समाचार पत्रों की रिर्पोटों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। समाचारपत्रों में यह बात बढ़ा चढ़ा कर कर लिख दी गई है कि सभी महाप्रबन्धकों ने त्यागपत्र दे दिए हैं। केवल हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के चेयरमैन ने ही त्यागपत्र दिया है।

श्री आहूजा के खिलाफ कुछ आरोप लगाए गए हैं। हमने एक आन्तरिक तथ्यानुवेषी समिति द्वारा उनकी जांच कराई है। हमारे पास जो तथ्य उपलब्ध है उनको देखते हुए हमने श्री आहूजा को कहा है कि वह छुट्टी पर चले जाए। हमने उनका भिलाई से तबादला कर दिया है। उनका मामला केन्द्रीय सतर्कता आयोग को जांचार्थ भेज दिया है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मंत्री महोदय ने अभी कहा कि स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड की स्थापना इसलिये की गई थी कि इस्पात कारखानों में विशेषज्ञ नियुक्त किये जा सकें और वहां की कार्यप्रणाली को अधिक अच्छा बनाया जा सके। किन्तु खेद है कि श्री वदूद खां, जो स्टील

[श्री एस० एम० बनर्जी]

अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के अध्यक्ष हैं, की छत्रछाया में ये सभी विशेषज्ञों दिल्ली में ऐश्वर्यपूर्ण जीवन बिता रहे हैं । श्री तुलपुले जो हमारे में से ही थे, इस कार्य को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं थे क्योंकि वह जानते थे कि नौकरशाह एक उद्योगतन्त्रवादी को पसंद नही करेंगे । श्री तुलपुले का सम्बन्ध कार्मिक संघ आन्दोलन के साथ रहा है । वह हिन्द मजदूर सभा के सचिव थे । हमें इस बात की प्रसन्नता हुई थी कि उन्हे दुर्गापुर इस्पात कारखाने का महाप्रबन्धक बनाया जा रहा है क्योंकि बडी थी कि इस नियुक्ति से इस सभा में प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्रियों द्वारा दिया जाने वाला हमें आशा मजदूरों को इस्पात कारखानों के प्रबन्धक में सहयोजित किया जाये, पूरा हो जाएगा । परन्तु आरा कि यह नही बताया जा रहा है कि तुलपुले साहब ने त्यागपत्र क्यों दिया । डा० एस० भट्टाचार्य आज हमें अरविन्द राय को नौकरी से अलग करने में भी श्री बदूद खां का हाथ था । श्री बदूद खां त और श्री हुए है हालाकि उन्हे इस उद्योग के बारे में कोई जानकारी नही है । नौकरशाह बने

श्री चन्द्रजीत यादव : माननीय सदस्य सभी प्रकार के व्यक्तिगत आरोप एक ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध लगा रहे है जो यहां उपस्थित नही है । माननीय सदस्य ऐसे आरोप न लगावें ।

श्री एस० एम० बनर्जी : वह स्टील आथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के अध्यक्ष है अ. डा० भट्टाचार्य को कहा कि वह अपना कार्य ठीक से नही कर रहे हैं । मुझे पूरा विश्वास है कि डा० भट्टाचार्य उन्होंने उन्हें पढ़ा सकते हैं । श्री बदूद खां बिलकुल अयोग्य हैं । अब श्री तुलपुले के स्थान पर जिस किसी को भेजा जायेगा, वह वहां पर तब तक नहीं टिक सकेगा जब तक वह श्री बदूद खां की मर्जी के अनुरूप नहीं चलेगा । श्री बदूद खां को भिलाई इस्पात कारखाने के एक महाप्रबन्धक श्री आहूजा जैसे लोग पसद है जो भ्रष्ट हैं । श्री बदूद खां सार्वजनिक उपक्रमों के विरूद्ध टाटा बन्धुओं के हितो की रक्षा कर रहे हैं । यदि इस्पात कारखानों को अधिक स्वायतता प्रदान न की गई, तो इन कारखानों की दशा और बिगड जायेगी ।

श्री चन्द्रजीत यादव : माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं उसका ध्यान प्राकर्षण प्रस्ताव से कोई सम्बन्ध नही है । वह तो केवल एक ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध आरोप लगा रहे हैं जो यहां उपस्थित नहीं है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : स्टील आथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड की स्थापना जिस प्रयोजन के लिये की गई थी वह पूरा नही हुआ दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या स्टील आथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड का जो कार्यालय है उसे दिल्ली से हटा कर कलकता या राची में ले जाया जायेगा । क्या श्री तुलपुले को अपना त्यागपत्र वापिस लेने या सार्वजिनिक रूप से कोई वक्तव्य देने के स्थान पर कहा जायेगा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि श्री तुलपुले के स्थान पर अब किसे भेजा जा रहा है ।

श्री चन्द्रजीत यादव : यह धारणा, कि स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड अपना प्रयोजन पूरा करने में असफल रही है, गलत है क्योंकि उसने नीतियों का निर्धारण करने, विभिन्न कारखानों के बीच समन्वय स्थापित करने और कारखानों में उत्पादन आदि के बारे में दीर्घकालीन योजनायें बनाने का अच्छा कार्य किया है । इसके मुख्यालय को कलकत्ता या रांची में ले जाने की बात तो एक सुझाव है । स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ने श्री तुलपुले के त्यागपत्र को स्वीकार करने का प्रस्ताव किया है । तत्पश्चात हम निर्णय करेंगे कि उन के स्थान पर किन्हें भेजना है ।

श्री समर गुह (कन्टाई): माननीय मंत्री ने जो छोटा सा वक्तव्य दिया है और जिस ढंग से दिया है उससे ऐसा लगता है कि जैसे श्री तुलपुले ने त्यागपत्र व्यक्तिगत कारणों से दिया है। और संविदा की शर्तों के अनुसार उन्हें कोई कारण न देने के लिये कहा गया हो।

श्री चन्द्रजीत यादव : ऐसी कोई बात नहीं थी। उन्हें कारण न देने के लिये नहीं कहा गया था।

श्री समर गुह : यह समाचार कलकत्ता और दिल्ली के सभी समाचारपत्रों में छपा है। क्या यह सच नहीं है कि तुलपुले साहब श्री वदूद खां और मंत्री महोदय से मिलना चाहते थे और इस प्रयोजन के लिये वह 30 अप्रैल, को यहां आये थे, लेकिन उनको मिलने ही नहीं दिया गया ? हालांकि पहले उनके इस निवेदन को स्वीकार कर लिया गया था। वह मंत्री महोदय से शायद इसलिये मिलना चाहते थे कि उनको कुछ कठिनाईयां और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। जब उन्होंने मंत्री महोदय और श्री वदूद खां का यह रवैया देखा, तो एक सम्माननीय व्यक्ति के नाते, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं था। इसी प्रकार श्री वदूद खां ने डा० भट्टाचार्य, श्री राय जैसे अन्य विशेषज्ञों को भी निकाल बाहर किया था हालांकि वे बड़े योग्य व्यक्ति थे।

मजदूरों को प्रबन्ध में सहयोजित करने के प्रधान मंत्री और सरकार के स्वप्न को साकार बनाने के लिये यह एक नया प्रयोग जो श्री कुमारमगंलम ने श्री तुलपुले को नियुक्त करके किया था। क्योंकि श्री तुलपुले एक मजदूर नेता, एक इंजीनियर और एक देशभक्त की हैसियत में सेवारत रह चुके थे। उन्होंने इस्पात कारखाने के प्रबन्धकार के रूप में वहां पर उत्पादन बढ़ाने मजदूरों के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने और प्रबन्ध को एक नई दिशा देने का प्रयत्न किया। इस बात को सब ने स्वीकार किया है।

समाचार पत्रों के अनुसार उनके त्यागपत्र के कारण ये हैं। घटिया कोयले और चूने का पत्थर दिया जाना; स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के अध्यक्ष, श्री वदूद खां द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप कोयला शोधनशाला को ऊर्जा मंत्रालय के अधीन लाया जाना; और कार्मिक संघों के कार्यकरण में राज्य सरकार द्वारा पक्षपूर्ण हस्तक्षेप।

कोयला शोधनशाला के किसी अन्य मंत्रालय के अधीन होने से धुला हुआ कोयला शीघ्र नहीं मिल सकेगा। धुले हुए कोयले को कोककर कोयले में परिवर्तित करना होता है। यदि कोककर कोयला बढ़िया नहीं होगा तो उत्पादन की मात्रा कम हो जाएगी। इसी प्रकार यदि चूने का पत्थर समय पर नहीं मिलेगा या वह घटिया होगा तब भी कठिनाईया उत्पन्न होगी। बोकारों, भिलाई और रुरकेला को तो बढ़िया कोयला और चूने का पत्थर दिया जा सकता है परन्तु दुर्गापुर को क्यो नहीं दिया जा सकता? श्री तुलपुले की ये सब कठिनाईया थी, जिनमें श्री वदूद खां का हाथ था। जिनको वह दूर कराने की मांग कर रहे थे।

अध्यक्ष महोदय कृपया प्रश्न पूछिये।

श्री समर गुह : भिलाई, रूरकेला और बोकारों इस्पात कारखानों को गत पांच मास में जितना कोयला दिया गया उसमें प्रयकतः राख की कितनी मात्रा थी।

कोयले में राख की मात्रा के अधिक होने से और घटिया चूने का पत्थर होने से लोहे के उत्पादन मे कितनी कमी हो जाती है। दुर्गापुर इस्पात कारखाने को कोयला की सप्लाई में देर न होने देने के लिये

[श्री समर गुह]

कोयला की सप्लाई में देर न होने देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ? मजदूरों सहित त्रिटियर सलाहकार समिति को नियुक्त करने की श्री तुलपुले के प्रस्ताव को क्यों समाप्त कर दिया गया ? इन समस्याओं को हल करने के लिये श्री तुलपुले ने जो निवेदन किया था, उसको क्यों ठुकरा दिया गया ?

3. दुर्गापुर इस्पात कारखाने की इन समस्याओं पर विचार करने के लिये क्या कोई संसदीय समिति या विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी ।

श्री चन्द्रजीत यादव : अधिकांश प्रश्न असंगत है । मैं केवल उन प्रश्नों का उत्तर दूंगा जो संगत है । अब यह कहना कि महाप्रबन्धक ने इसलिये त्याग पत्र दिया है क्योंकि वह मंत्रालय के पुनर्गठन से असन्तुष्ट थे .....

श्री समर गुह : मैंने पुनर्गठन के बारे में कुछ नहीं कहा है ।

श्री चन्द्रजीत यादव : कौन विभाग किस मंत्रालय के अधीन रखा जाता है, यह देखना महाप्रबन्धक का कार्य नहीं है जहां तक इस बात का सम्बन्ध है, कि श्री तुलपुले कुछ समस्याओं के बारे में मुझे मिलना चाहते थे, वास्तविकता यह है कि न ही उन्होंने मुझे मिलने के लिए कहा था और न ही मैं उन्हें मिला । हालांकि बाद में जब दुर्गापुर कारखाने में गया तो उनसे बातचीत हुई थी, यह तो एक संतोषजनक बात थी कि वे एक मजदूर नेता और एक इंजीनियर होने की हैसियत से उस कारखाने की दशा सुधारने के लिये काफी प्रयत्न कर रहे थे । यद्यपि संविदा पांच वर्ष की थी, तथापि उन्होंने पहले ही क्यों त्याग पत्र दे दिया ।

श्री समर गुह : क्या यह सच नहीं है कि श्री तुलपुले ने 30 अप्रेल को माननीय मंत्री से मिलने का प्रयत्न किया था ?

श्री चन्द्रजीत यादव : यह बिल्कुल गलत है । मुझे यह मालूम नहीं है कि क्या उन्होंने श्री बदूद खां को मिलने के लिये इच्छा व्यक्त की थी या नहीं

यह भी गलत है कि दुर्गापुर में जो त्रिटीयर सलाहकार समिति कार्य कर रही थी, उसको स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के अध्यक्ष ने हटाया था । क्योंकि समिति ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही थी इसलिये उसका विघटन श्री तुलपुले ने स्वयं किया था । इस्पात कारखानों के मजदूरों को प्रबन्ध मे सहयोजित करने के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है । ऐसे उपाय किये गये हैं जिनसे कारखाने और केन्द्रीय स्तर पर कार्मिक संघों के नेताओं से परामर्श किया जा सके । कोयला की सप्लाई के बारे में यह बता दूं कि सभी इस्पात करखानों को कोयला एक जैसा ही मिलता है । राख की मात्रा को वृद्धि हो जाने के बारे में सभी कारखानों ने शिकायत की है और इस पर विचार किया जा रहा है । राख की मात्रा के कम या अधिक होने से उत्पादन की अधिकता से कोई सम्बन्ध नहीं है । चूंकि दुर्गापुर में अधिक अच्छा प्रबन्ध है इसलिये वहां उत्पादन अधिक होता है ।

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad): The hon. Minister has stated very innocently that Shri Julpule has submitted his resignation under the terms of the contract of his service to the Chairman of Hindustan Steel Limited. But it has

been reported in the 'Financial Express' that he was asked to resign. It has also been reported that Shri Tulpule has stated in a press conference that the quality of coal and the limestone being supplied to the Durgapur Steel Plant was inferior and the Government had opposed his price policy. Will the hon. Minister kindly throw some light on this aspect also?

There is duplication of work and the relations between the Hindustan Steel Ltd. and the Steel Authority of India Ltd. are not cordial. Both these authorities are indulging in bossism. The experts working there are leading a very luxurious life. They have got aeroplanes for their exclusive use. They are indulging in corrupt practices also and they have nothing to do in regard to increase in the production. In order to do away with this duplication of work and also to affect economy, the Hindustan Steel Ltd. should be dissolved.

Is the hon. Minister aware of the news item which appeared in the "Hindustan" of to-day that a superior officer of Bokaro Steel Plant has been removed from service on the change of embezzlement of one crore of rupees? This is how corrupt practices are being indulged in in these public undertakings.

The Chairman of the Steel Authority of India Ltd., Shri Wadud Khan, who was previously in the employment of Tatas, is safeguarding the interests of Tatas against the public undertakings. It is not known as to how a person who has no knowledge of engineering has been made all powerful by the Government,

श्री वयालार रवि (चिरयिंकिल) : वह तो योग्य अधिकारी है। ये सब नौकरशाह करते हैं।

Shri Janeshwar Mishra: Is the hon. Minister aware of the fact that how a labour leader, Shri Chandrakant Desai was proceeded against under sections 151 and 152 of Cr.P.C. and how he was again arrested under MISA when he got himself released on bail in spite of the assurance given by the Government that MISA would not be used against political workers? The General Manager of Rourkela Steel Plant is collecting funds for Gujarat elections as all the Chief Ministers have been asked to collect Rs. 5 lakhs each for this fund.

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra): It is totally wrong. He is an embodiment of lies.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): What is wrong? Is the figure of 50 lakh wrong or more sum has been asked?

Shri Chandrajit Yadav: Mr. Speaker, Sir, Shri Janeshwar Mishra is in the habit of bringing in politics everywhere. He wants to bring politics in the Ministry of Steel also; whereas I do not want to involve my Ministry into any politics. It is wrong to say that Shri Tulpule was asked to resign. I have myself seen press reports which are exaggerated and the Members should not go by them. The fact is that he has simply submitted his resignation without assigning any reason therefor.

Shri Samar Guha: And you accepted it promptly.

Shri Chanlrajit Yadav: When a person does not want to do the job and feels that he should go, then how can he be forced to undertake that job.

As regards duplication of work, the Government has decided to reorganise the Hindustan Steel Ltd. in such a manner as to achieve better results. A decision in this regard will be taken soon.

The charge that the General Managers of Steel Plants and the Chief Ministers have been asked to collect Rs. 50 lakhs each for Gujarat elections is totally wrong and baseless and I repudiate it strongly.

So far as use of aeroplanes is concerned, these have been provided to increase the capacity of the work and they are not meant for enjoyment.

It is correct that some cases of embezzlement have been brought to our notice in respect of Bokaro Steel Plants. These cases are being enquired into by CBI. In fact, action has already been taken against certain officers. I assure the House that action will be taken against any person, against whom charges of corruption are proved.

As regards Shri Ahuja against whom certain allegations have been made, he has been asked to proceed on leave. He has been transferred from Bhilai Steel Plant and his case has been submitted to the Central Vigilance Commission for enquiry.

Shri Chandrakant Desai was indulging in illegal activities in connivance with the contractors and trying to incite the workers to go on strike. That is why action has been taken against him.

It does not behove the Members to say that Shri Wadud Khan was an oil man and now he has become iron-smith. Since it has become a part of the Parliamentary record, I may point out that he is known for his administrative capacity. He was made Chairman of the SAIL and Secretary in the Steel Department on merit. He is a competent officer. I think it is wrong to say such baseless things against him.

विशेषाधिकार समिति

COMMITTEE OF PRIVILEGES.

पन्द्रहवां प्रतिवेदन

डा० हेनरी आस्टिन (एरणाकुलम) श्री मान मैं विशेषाधिकार समिति का पन्द्रहवा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

याचिका समिति

COMMITTEE ON PETITIONS

बत्तीसवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री एस० एन० सिंह (झुंझुनु) : श्री मान याचिका समिति का निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं :–

(1) समिति का बाइसवां प्रतिवेदन, और

(2) समिति की बावनवी से सत्तावनी बैठकों के कार्यवाह सारांश ।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION

सोलहवां प्रतिवेदन

श्री एम० एस० संजीवी राव (काकीनाडा): श्रीमान मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का का सोलहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

रेल अभिसमय समिति

RAILWAY CONVENTION COMMITTEE

सातवां प्रतिवेदन

श्री वीरभद्र सिंह (मंडी) : श्रीमान मैं माल डिब्बों की आवश्यकता तथा उपलब्धता के बारे में रेल अभिसमय समिति के पांचवें प्रतिवेदन (1971) में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में इस समिति का सातवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

सिख समुदाय की धार्मिक तथा धर्मार्थ संस्थाओं के बारे में वक्तव्य

STATEMENT REGARDING RELIGIOUS AND CHARITABLE INSTITUTIONS OF SIKH COMMUNITY

गृह मंत्रालय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : महोदय, मैं आपकी अनुमति से सिख समुदाय धार्मिक मामलों के बारे में कथित सरकारी हस्तक्षेप सम्बन्धी वक्तव्य सभापटल पर रखता हूं ।

वक्तव्य

महोदय,

सरकार को अत्यधिक खेद है कि सिख समुदाय के धर्मिक मामलों में कथित सरकारी हस्तक्षेप के आधार पर आन्दोलनात्मक वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है । सरकार ने सिख समुदाय के अथवा किसी और धार्मिक समुदाय के मामलों में भी हस्तक्षेप नही किया है और न ही हस्तक्षेप करने का उसका इरादा है । दूसरी ओर सभी धर्मों को सुनिचित संवैधानिक सुरक्षा और संरक्षणों का सरकार द्वारा पूरी तरह समर्थन किया गया है ।

अभी हाल में, अनेक संसद सदस्यों और सिख मत के अन्य नेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ भेंट की थी और कुछ मामलों के बारे में अपने सन्देह प्रकट किये थे । उनकी प्रथम मांग है कि सिख धार्मिक तथा धर्मार्थ ट्रस्टों तथा गुरूद्वारों को आय-कर के प्राधिकारियों को निर्धारिती रिटर्न दायर करने के दायित्व से मुक्त किया जाय । प्रधान मंत्री ने स्पष्ट किया कि कुछ शर्तों के अधीन सभी धार्मिक तथा धर्मार्थ ट्रस्टों को आय-कर के दायित्व से पहले ही मुक्त किया गया है । जो रिटर्न आय-कर अधिकारियों की प्रस्तुत करना अपेक्षित है, वह केवल यह सुनिचित करने के लिये है कि जिन शर्तों के अन्तर्गत कर दायित्वों से छूट दी गई है वे विधिवत पूरी हुई है । यहां तक कि ऐसे

[श्री ओम मेहता]

ट्रस्टों तथा गुरूद्वारों को आय-कर प्राधिकारियों को निर्धारित रिर्टन दायर करने के वर्तमान दायित्व से छूट देने से संबंधित सुझाव को भी, संबंधित कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, जो संसद के समक्ष है, पर विचार के समय ध्यान दिया जा सकता है ।

दूसरा मुद्दा जो प्रधान मंत्री के ध्यान लाया गया वह यह था कि हरियाणा अधिकतम भूमि सीमा अधिनियम में गुरूद्वारा को भूमि को कानून के क्षेत्र से छूट नहीं दी गई है । मैं यह कहना चाहूंगा कि गुरूद्वारा ह केवल ऐसे धार्मिक संस्थान नहीं है जो कि हरियाणा अधिकतम भूमि सीमा अधिनियम के क्षेत्र में आते हैं । अन्य धर्मों के समान संस्थानों की भी यही स्थिति है । भूमि सीमा के लिये राष्ट्रीय निर्देशनों में व्यवस्था है कि राज्य विधान मण्डल धार्मिक तथा धर्मार्थ संस्थाओं को स्थानीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए कानून के उपबन्धों से छूट दे सकते हैं । गुरूद्वारा तथा अन्य समान संस्थानों की ओर से भेजे गए तथा अन्य ऐसे संस्थाओं के अभ्यावेदन हरियाणा सरकार के ध्यान में लाये गये हैं जो उन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने के लिये तैयार हैं ।

प्रधान मंत्री से विचार-विमर्श का तीसरा मुद्दा एस० जी० पी० सी० की भावी संरचना से संबंधित था । पंजाब के पुनर्गठन के परिणाम-स्वरूप सरकार के सामने एस० जी पी० सी० की संरचना सम्बन्धित तथा स्थानीय सिखों में स्थान य गुरूद्वारों के प्रबन्ध में भाग ले सकने की आकांक्षा सम्बन्धित जटिल प्रश्न आए । हाल में चुनी हूई सिख मत की किसी निर्वाचित प्रतिनिधि संस्था के न होने के कारण इन प्रश्नों पर कोई सार्थक विचार विनिमय होना संभव नहीं हुआ। अतः सरकार का मत है कि एस० जी० पी० सी० के चुनाव कराने के लिये प्रबन्ध किया जाये । इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही आरम्भ की जा रही है और संबधित राज्य सरकारों को तदनुसार निदेश दिया जा रहा है । नई एस० जी० पी० सी० के बनने के बाद अन्य प्रश्नों पर विचार किया जा सकता है ।

जैसा कि मैं ने पहले कहा, किसी समुदाय के धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ है और न ही होगा । मैं, आपके तथा इस सदन द्वारा, हार्दिक अपील करना चाहूंगा कि जिस समय देश के सामने अधिक महत्वपूर्ण समस्यायें हैं तो, विशेष कर ऐसे मामलों में जो विभिन्न समुदायों के वर्गों की भावनाओं को प्रिय हैं, कोई आन्दोलनात्मक वातावरण पैदा करना राष्ट्रीय हित में नहीं होगा । हस्तक्षेप अथवा भेदभाव के बारे में सन्देह बिल्कुल निराधार है ।

विशेषाधिकार समिति
COMMITTEE OF PRIVILEGES

प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने का समय बढ़ाये जाने के बारे में प्रस्ताव

डा० हेनरी आस्टिन (एरणाकुलम) :श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं :–

"कि यह सभा श्री ईश्वर चौधरी संसद सदस्य को हथकड़ी लगाने सम्बन्धी विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में जो 30 अगस्त, 1974 को विशेषाधिकार समिति को सौपा गया था, समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय अगले सत्र के अन्तिम दिन तक और बढ़ाती है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा श्री ईश्वर चौधारी संसद सदस्य को हथकड़ी लगाने सम्बन्धी विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में, जो 30 अगस्त, 1974 को विशेषाधिकार समिति को सौंपा गया था, समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने का समय अगले सत्र के अन्तिम दिन तक और बढ़ाती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव

MOTION OF NO-CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS.

अध्यक्ष महोदय : अब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी ।

श्री ज्योतिर्मय वसु : (डायमंड हार्बर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, अपना प्रस्ताव पेश करने के लिए सभा की अनुमति मांगता हूं :

"कि यह सभा मंत्रिपरिषद् में अपना अविश्वास व्यक्त करती है ।"

अध्यक्ष महोदय : जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे अपने स्थान पर खडे हो जाएं । संख्या अपेक्षित है । उनकी संख्या पचास से अधिक है इसलिये अनुमति दे दी जाती है ।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्यमंत्री (श्री के० रघुरामैया) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि लोक सभा आज की कार्य सूची में गैर सरकारी सदस्यों को कार्य के सम्बन्ध में लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्ध नियमों के नियम 26 का लागू होना स्थगित किया जाए ।"

कुछ माननीय सदस्य : नहीं नही. (**अन्तर्बाधाएं**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : अस्पृश्यता विधेयक पर चर्चा होनी चाहिए । यह बहुत महत्वपूर्ण है गैर सरकारी सदस्यों का कार्य भी चलना चाहिए ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): Sir, we oppose this motion. This motion should not be put to vote. It should be decided on the basis on merits. I would request you to intervene in the matter.

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra): Sir, we are not in favour of extension of the session even for a day. Please put the motion to the vote of the House.

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : आप कृपया नियम 29 का परन्तुक देखिये । माननीय सदस्य, श्री समरगुह का संकल्प अन्तिम दिन चर्चाधीन था और इस परन्तुक के अनुसार उसे आज के लिये रखे गये अन्य सब कार्यों पर पूर्ववर्तिता होगी। यहां तक कि अविश्वास प्रस्ताव पर भी पूर्ववर्तिता होगी ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने दो प्रस्ताव रखे हैं, संख्या 388 का. . . . . .

श्री ज्योतिर्मय बस्सु : नियम का निलम्बन करने में सर्वप्रथम आपकी अनुमति की आवश्यकता होती है । क्या आपने अनुमति दे दी है ?

श्री के० रघुरामैया : आमतौर पर, ऐसा नहीं किया जाता है किन्तु प्रतिपक्षी सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। इसलिये इसका फैसला अब उन्हें करना है कि वे अविश्वास प्रस्ताव पर बहस चाहते हैं या गैर सरकारी सदस्यों के कार्यों पर मैंने कहा है चूंकि आज सभा स्थगित हो रही है और क्योंकि हमारे पास सीमित समय है इसलिये गैर सरकारी सदस्यों का कार्य स्थगित कर दिया जाये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा सुझाव यह है कि हम कल बैठें और सुबह 11 बजे से सायं 6 बजे तक अविश्वास प्रस्ताव पर बहस करें।

श्री श्याम नंदन मिश्र : ऐसा बहुमत से कभी नहीं किया गया है। ऐसा सर्वसम्मति से ही किया जा सकता है। नियम 29 के कारण यह प्रस्ताव नियम विरुद्ध है। गैर-सरकारी सदस्य के संकल्प को पूर्विकता मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि इस नियम के निलबंन के बाद अन्य प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं। यह प्रस्ताव नियम विरुद्ध कैसे हो सकता है।

Shri Atal Bihari Vajpayee: Mr. Speaker, are you suspend rule 26, the entire non-official business goes. I feel that the Bill on untouchability can be taken up as well as the non-official business and at 6 p.m. the no confidence motion may be taken up. The session may end to-day.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : हम 6 बजे तक अस्पृश्यता संशोधन विधेयक और गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार कर सकते हैं।

Shri Madhu Limaye (Banka): Mr. Speaker, I feel that in view of Rule 198(3) which says:

> "If leave is granted under sub-rule (2), the Speaker may, after considering the state of Business in the House, allot a day or days or part of a day for the discussion or the motion."

first time should be allotted for the no confidence motion. Thus at this stage the motion of Shri Raghu Ramaiah is out of order.

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली) : श्री मधु लिमये का तर्क मेरे विचार में मान्य नहीं है। इस सभा को अपना कार्य निलंबित करने की पूर्ण शक्ति प्राप्त है। अविश्वास प्रस्ताव एक गंभीर प्रस्ताव है और इसे तुरन्त लिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : समय मुझे नियत करना है। मैं समझता हूं कि इसके लिये 6 घंटे पर्याप्त होंगें। इसके बाद $2\frac{1}{2}$ घंटे के लिये गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लिया जायेगा।

Shri Madhu Limaye: It has never been less than 12 hours, so at least 10 hours should be allotted.

श्री श्याम नंदन मिश्र : आप परम्परा को देखिये। दस घंटे से कम समय नहीं दिया जाना चाहिए।

श्री मधु दण्डवते (राजापुर) : रेलवे हड़ताल के समय काफ़ी लम्बी चर्चा हुई थी।

Mr. Speaker: It is impossible to allot 12 hours. The House has decided that it will adjourn today and I cannot change the decision of the House.

Shri Atal Bihari Vajpayee: Sir, while deciding to have a break for ten days it was your opinion and we had also requested that extension of the session would be considered.

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप चार दिन कम कर रहे हैं। आपने कहा था कि दस दिन की छुट्टी हो और उसके बाद कार्य की प्रगति को देख कर सत्र बढ़ाने पर विचार किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : आप हर बात अध्यक्ष पर नहीं डाल सकते हैं। यह अनुचित है। मंत्री महोदय उपस्थित हैं। मैं इसके बीच में नहीं आता।

श्री के० रघु रामैया : जब विरोधी पक्ष के नेताओं ने कार्य मंत्रणा समिति में छुट्टी का सुझाव रखा था तो मैंने स्पष्ट कह दिया था कि सत्र नहीं बढ़ाया जायेगा; बाद में कार्य मंत्रणा समिति की पिछली बैठक में इस बात पर चर्चा हुई थी। सत्र को बढ़ाया नहीं जा सकता है क्योंकि हम और कामकाज तय कर चुके हैं।

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : ये लोग अस्पृश्यता अपराध विधेयक को रुकवाना चाहते हैं।

श्री वयालार रवि (चिरायिकील) : सभा में प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि जब हमने घर जाने का निर्णय किया तो सभा का सत्र बढ़ाने की कोई बात नहीं की। विरोधी पक्ष अविश्वास प्रस्ताव पहले ला सकता था। सभा को नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।

Shri Madhu Limaye: Why a motion for break in the sitting was not brought before the House by Shri Raghu Ramaiah. I insist that time should be allotted for the no confidence motion according to the convention.

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव पहले ही है कि हमें 12 बजे रात्रि तक कार्य समाप्त करना है। इसके बाद तारीख बदल जायेगी।

Shri Atal Bihari Vajpayee: Please do not go by the English Calendar. Here the day changes in the morning.

श्री के० रघु रामैया : अविश्वास प्रस्ताव के लिये छः घंटे और गैर-सरकारी कार्य के लिये दो घंटे दे दिये जायें।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मेरे प्रस्ताव को तीन बजे लेने के मेरे अधिकार को कोई नहीं छीन सकता है। मैं इसके लिये बिल्कुल तैयार नहीं हूं और मैं नेताजी के सम्मान की रक्षा के लिये जो भी ठीक समझूंगा करने के लिये तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपका अधिकार कोई नहीं छीनना चाहता है। हमें कुल नौ घंटे उपलब्ध हैं।

प्रो० मधु दंडवते : 6 बजे तक गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य चलने दीजिए और उसके बाद 6 बजे सायं से 6 बजे प्रातः तक अविश्वास प्रस्ताव चलने दीजिए । समस्त विरोधी पक्ष इस बारे में एक मत हैं ।

Shri Sankar Dey (Bidar): If all the member give an assurance to maintain decency in the House, it may be extended for a day.

Shri Bhola Raut (Bagha): Mr. Speaker, it can be verified from the record of Lok Sabha for the last 25 years there whenever no confidence motion was admitted, all business was suspended. Therefore, it should be taken first spspending all other items of work.

अध्यक्ष महोदय : जब तक सभा के सत्र के आज समाप्त करने का निर्णय बदला नहीं जाता सभा का सत्र आज समाप्त होगा ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या 11 दिन की छुट्टी का प्रस्ताव सभा ने स्वीकार किया था ?

प्रो० मधु दंडवते : आप रिकार्ड से पता लगा सकते हैं । सभा के सामने कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया था ।

अध्यक्ष महोदय : यह सभा के समक्ष लाया गया था । मंत्री महोदय की रिपोर्ट थी । मैं समझता हूं कि छुट्टी नहीं होनी चाहिये । इनके कारण बहुत सा महत्वपूर्ण कार्य रह गया ।

श्री सी० एम० स्टीफ़न (भुवन्तुपुजा) : दूसरी ओर से ऐसे वक्तव्य दिये जा रहे हैं जैसे यह अध्यक्ष और विरोधी पक्ष के बीच का मामला और इस ओर के सदस्यों का कोई महत्व ही नहीं है । हमारे संसद् सदस्यों के भी कुछ दायित्व और अधिकार हैं । हमें सूचना दी गई कि सभा अमुक समय तक बैठेगी । यह सभा का निर्णय है और उसे स्वीकार किया जाना चाहिये ।

श्री सी० एम० स्टीफ़न : सभा की सारी कार्यवाही नियत कार्य सूची के अनुसार चलानी है । यदि वे अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते थे तो वह काफ़ी पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए था । यदि सरकार चाहती है तो वह उस पर सीधे चर्चा के लिए जोर डालें (अन्तर्वाधाएं) ।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप कार्यवाही का वहिष्कार करना चाहते हैं तो करें ।

श्री सी० एम० स्टीफ़न : 6 बजे के बाद बैठ जाने के लिए जो हम कह देते हैं वह समझौते की बात है, परन्तु आपके द्वारा निश्चित समय के बाद बैठने के लिए कहना उचित नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि सभा नियत समय के बाद बैठना चाहती है, तो उसे एक संकल्प पारित करना चाहिए ।

श्री सी० एम० स्टीफ़न : यदि वह इस पर चर्चा करना नहीं चाहते, तो वह नेताजी सम्बन्धी संकल्प को लें । दिन के समय को रबड़ की तरह नहीं बढ़ाया जा सकते ।

अध्यक्ष महोदय : कोई रास्ता निकालिए ।

प्रो० मधु दंडवते : यदि आप नियम को निलम्बित कर अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के लिए लेंगे, तो यह अच्छी परिपाटी नहीं होगी ।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : अविश्वास प्रस्ताव गृहीत किया जा चुका है और उसे शीघ्र से शीघ्र निपटाना है । ऐसी स्थिति में आपको रात्रि 12 बजे तक या कुछ और अधिक समय तक कार्य-वाही चलानी होगी । इतनी देर तक हम पहली बार ही नहीं बैठ रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे ऐसा करने का प्राधिकार नहीं है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee: Then you please allow non-official business and take up the no-confidence motion at 6 O'clock. (*Interruptions*).

प्रो० मधु दंडवते : रेल हड़ताल के समय भी प्रस्ताव पर सुबह तक चर्चा चलायी गई थी ।

श्री के० रघुरमैया : यह वैसी स्थिति नहीं है । निबाह करने के लिए 6 बजे के बाद थोड़ी देर तक और बैठा जा सकता है । इस प्रस्ताव को अन्तिम दिन पेश नहीं किया जाना चाहिए था ।

Shri Atal Bihari Vajpayee: If the ruling party wants to dispose it in a less time its members may not participate in the debate. This motion cannot be taken up just now, as the non-official business is to be disposed of first. (*Interruptions*).

Shri Madhu Limaye: Sir, you have to fix up the time for which the no-confidence motion is to be discussed.

अध्यक्ष महोदय : आज रात्रि 12 बजे तक समय उपलब्ध है । उसके बाद समय नियत करना मेरे अधिकार के बाहर है जबतक कि यह सभा अपने पहले निर्णय को वापस न ले और इस प्रस्ताव पर बहस करने के लिए कल का दिन नियत न करे । मैं पहले गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लूंगा ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : पिछली बार हम 12 बजे के बाद तक बैठे थे ।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु वह सत्र का अन्तिम दिन नहीं था ।

———

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 56वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

(MOTION *RE*: FIFTY-SIXTH REPORT OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTION

श्री सी के चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : मैं यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं ।

"कि यह सभा गैर सरकार सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 56 वें प्रतिवेदन से जो कि इस सभा में 7 मई, 1975 को प्रस्तुत किया गया था, सहमत हो,

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पो सम्बन्धी समिति के 56 वे प्रतिवेदन से जो इस सभा में 7 मई 1975 को प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

प्रताव स्वीकृ हुआ

The motion was adopted

श्री के एस चावड़ा (पाटन) क्या अस्पृश्यता की समस्या के बारे में सरकार की रूची नहीं है ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) निवेदन है कि अस्पश्यता अपराध विधेयक चर्चा बिना पास कर दिया जाये ।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के रघुरामैया): मेरे प्रस्ताव का क्या हुआ

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): Sir, the Private Members' business has been taken up. Hence the motion by the Minister of Parliamentary Affairs cannot be brought in now.

श्री के० रघुरामैया । मेरे प्रस्ताव के बारे में क्या निर्णय लिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने गैर सरकारी सदस्यों का कार्य आरम्भ करने की अनुमति दे दी है, इसके पश्चात अविश्वास प्रस्ताव लिया जायेगा और सभा 12 बजे के बाद नहीं बठेगी सभा के निर्णय के अनुसार वह 12 बजे बाद अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो जाएगी ।

श्री के० रघुरमैया यदि 6 बजे के बाद बैठना है तो सभा का मत लिया जाना चाहिए । सर्व सहमति के बाद बिना हम 6 बजे के बाद बैठने के लिए तैयार नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : संसद कार्य मंत्री ने यह प्रस्ताव पेश किया है, कि प्रक्रिया सम्बन्धी नियनों का नियम 26 निलम्बित किया जाय । इस पर व्यवस्था के प्रश्न उठाये गये कि वह नियम अभी तक हमेशा सर्वसम्पति से ही निलम्बित किया गया है । अतः यह चलेगा ।

श्री के० रघुरामैया : 6 बजे के बाद बैठने के लिये भी सर्वसहमति की अपेक्षा होती है (अन्तर्बाधाएं) ।

नताजी सुभाष चन्द्र बोस के लापता संबंधी जांच आयोग के प्रतिवेदन के बारे में संकल्प जारी

RESOLUTION RE. REPORT OF COMMISSION OF INQUIRY INTO DISAPPEARANCE OF NETAJI SUBASH CHANDRA BOSE— CONTD.

श्री समर गुहा (कन्टाई) : आज मैं एक पवित्र विषय पर अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूं । अपने विचार व्यक्त करने से पहले मैं इस सदन से पूछना चाहता हू कि क्या सुभाष चन्द्र जापान के हाथों मैं खेल रहे थे । मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति इस सदन में और इस देश में नेताजी को जापान की शक्तियों की कठपुतली या देशद्रोही कहने का साहस नही करेगा । उनके बारे में कोई यह भी नहीं कह सकता कि वह जापान के हाथों में खेलते रहे । परन्तु एक व्यक्ति ऐसा है जिसने यह कहने का साहस किया वह व्यक्ति एक आई० सी एस० अधिकारी तथा भूतपूर्व न्यायाधीश है जिसने खोसला आयोग के प्रतिवेदन में ऐसी बात कही । उस प्रतिवेदन में एक स्थान पर यह लिखा है कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस को इस बात का पता था कि यद्यपि जापानी लोग उनका बाहर से सम्मान करते है परन्तु जब वे समझेंगे कि उनकी कम उपयोगिता नही रही है तो उनको अवहेलना करने लग जाएंगे ।

खोंसला आयोग के निर्देश पद में यह लिखा हुआ था कि आयोग उन तथ्यों और परिस्थितियों को जिनमें कि 1945 में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस लापता हुए थे तथा इन से सम्बन्धित अनुवर्ती की घटनाओं की जांच करेगा तथा केन्द्रीय सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा । श्री खोसला को नेताजी द्वारा निभाई गई भूमिका निर्धारित करने की कही थी शक्ति प्रदान नहीं की गई थी । उसे सरकार ने आजाद हिन्दी क्रान्ति द्वारा निभाई गई भूमिका का निर्धारण करने या अपमानजनक टिप्पणी करने की भी शक्ति नही दी गई थी । निर्देश पद का अतिक्रमण करते हूए श्री खोसला ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के विरूद्ध अनेक अपमानजनक टिप्पणियां की हैं । जनता ने अभी तक खोसला आयोग का प्रतिवेदन नही देखा है पता नही अग्रेजों के जमाने के इस आई सी० एस अधिकारी का क्या होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*]

नेताजी ने यह कल्पना की थी कि उनपर, ये आरोप लगाए जाएंगे । हम सभी महात्मा गांधी को राष्ट्र पिता कहते हैं । सब से पहले नेताजी ने ही महात्मा गांधी को राष्ट्र पति कहा था । उस ऐतिहासिक भाषण में जिसमें उन्होने महात्मा गांधी को राष्ट्र पिता कह कर सम्बोन्धित किया था उन्होने यह कल्पना की थी कि बहुत से लोग मुझे देशद्रोही या जापान की कठपुतली कहने का प्रयास कर सकते हैं । यह कल्पना करते हुए उन्होने आजाद हिन्द रेडियों पर महात्मा गांधी को कहा था कि महात्मा जी कि इस जोखिम भरे मिशन से पहले मैं ने सभी पहलुओं पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया है तथा न तो मैं देशद्रोही होना चाहता हूं और नही किसी को ऐसा अवसर देना चाहता हूं कि वह मुझे देशद्रोही कह सके । मैं ने अंग्रेजों के साथ काम किया है जो बात ही होशियार राजनीतिज्ञ हैं अतः मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता । मैं कभी ऐसे समझौते को नहीं मानूगां जो देश के हित के विरुद्ध हो । हमारा उद्देश्य दे श को स्वतंत्र कराना है तथा देश स्वतंत्र होने के पश्चात् हम में से बहुत लोग राजनीति से अलग हो जाएंगे । अजाद हिन्द फौज बहादुरी से लड़ रही है तथा कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ रही है । यह युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक अन्तिम अंग्रेजी भारत की भूमि से बाहर नहीं खदेड़ दिया जाता तथा तिरंगा झंडा वाइसराय हाऊस के ऊपर फैराने नहीं लग जाता हमें आपका आर्शीवाद

[श्री सत्तर गुहा]

चाहिए। तथा श्री खोसला आयोग ने नेताजी को जापान की कठपुतली बताया है। महात्माजी ने स्वयं सुभाष चन्द्र बोस के बारे में कहा है कि वह ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी देशभक्ति किसी अन्य व्यक्ति से कम नहीं हो सकती। उनकी बहादुरी उनके सभी कारनामों से चमकती है। नेताजी के सभी जवानों ने मुझे कहा है कि नेताजी की लड़ाई का उद्देश्य भारत को स्वतंत्र कराना ही था। डा० राधाकृष्णन ने सुभाष चन्द्र बोस का जिकर करते हुए उनके बारे में कहा है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में नेताजी के हौंसले, त्याग तथा कुर्बानी की कहानी अवश्य लिखी जाएगी। आने वाली संतान उसे बड़े गर्व से पढ़ेगी। अहमदनगर जेल के बाहर आने के बाद पंडित नेहरू ने कहा कि मुझे सूचना मिली है कि नेताजी तथा आजाद हिन्द फौज आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे मन में कोई सन्देह नहीं कि उनके मन में देश को स्वतंत्र कराने की अटूट इच्छा है। पंडित पंत ने उनके बारे में कहा है कि वह एक महान् देशभक्त तथा क्रान्तिकारी नेता थे। डा० पट्टाभी सीतारामैया, जो नेताजी से त्रिपुरी कांग्रेस में किसी समय पराजित हो गए थे, ने उनके बारे में कहा है कि सुभाष चन्द्र ने संसार को यह दिखा दिया है कि हिन्दुस्तान में अभी भी बहादुर लोग रहते हैं तथा हिन्दुस्तान में राष्ट्रीय सम्मान के लिए अभी भी वही भावना है जिसकी रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने रक्त की नदियां बहा दी थीं। यह तो पता नहीं कि वह जीवित हैं या नहीं परन्तु उनका नाम हमेंशा अमर रहेगा। श्री लाल बहादुर शास्त्री ने कलकत्ता में नेताजी की मूर्ति का अनावरण करते हुए कहा था कि नेताजी को अपने जीवन की तो कोई चिन्ता न थी परन्तु उनको देश स्वतंत्र कराने की चिन्ता थी उनके व्यक्तित्वने हमारे देशमें एक नई चमक ला दी थी। सम्पूर्ण देश नेताजी को अपना नेता मानता था। आज भी हम उन्हें अपना नेता मानते हैं। सभी नेताओं ने उन्हें अपनी-अपनी श्रद्धाजली अर्पित की है। मैं नहीं जानता कि किसी ने कहा हो कि वह जापान की कठपुतली थे। नेताजी तो हिटलर की कठपुतली नहीं बने। उन्होंने हिटलर को मुंह पर कह दिया था कि मैं किसी भी अपमानजनक बात को सहन नहीं कर सकता। जापान के विदेश मंत्री श्री शिगेमित्सु ने एक पुस्तक लिखी है जिसमें उसने यह स्वीकार किया है कि नेताजी अपने समय में एशिया के महान् नायक थे। श्री खोसला ने इस पुस्तक का उल्लेख किया है परन्तु उन्होंने यह नहीं बताया कि इस पुस्तक में हमारे नेताजी के बारे में क्या लिखा हुआ है।

मेजर ताकाशी ने, जो 1944 के युद्ध की जांच यात्रा के दौरान उनके साथ रहे थे सुभाष बोस का उल्लेख करते हुए कहा कि वह भारतीय नेता अतिमानव प्रतीत होता है। वह बिना आराम किए चौबीस घंटे काम करता है। जनरल फुजियाल ने जिनका उनके साथ इम्फाल आक्रमण से सम्बन्ध था कहा है कि सेनानायक के रूप में श्री बोस अध्यात्मिक शक्ति की आधारशिला थे तथा आजाद हिन्द फौज संगठन की धुरी थे।

इन्डोनेशिया के डाक्टर हाट्टा और डा० शहरियर ने बताया है कि नेताजी ने नियमित रूप से प्रतिनिधि बनने से इन्कार कर दिया था उन्होंने कहा था कि मैं सम्मेलन का प्रतिनिधि नहीं बनूंगा मैं तो प्रेक्षक या दर्शक ही बनना पसद करूंगा। उस सम्मेलन में डा० बाऊ बाऊ ने कहा था कि श्री बोस के भाषण देने से पहले मैं यह समझता था कि आजाद हिन्द फौज पर जापान का प्रभाव है परन्तु श्री बोस का भाषण सुनने के बाद मुझे पता चला कि एशियाई क्रान्ति के लिए संघर्ष की एक नई क्रान्तिकारी शक्ति पनप रही है।

डा० जोस ला वरेल, जिन्हें फिलिपीन का पिता कहा जाता है ने कहा है कि मैंने जितने नेता देखे हैं उनमें सुभाष चन्द्र बोस सबसे महान् हैं। लेकिन ब्रिटिश काल के इस आई० सी० एस० श्री खोसला ने

इस महान् क्रान्तिकारी की प्रतिष्ठा को कुलषित करने का प्रयास किया है। मैं उससे पूछना चाहता हूं कि क्या वह ऐसा एक भी उदाहरण बताएंगे क्या वह ऐसा एक भी प्रलेख दिखायेंगे जहां यह बताया गया हो कि नेताजो के साथ कठपुतली जैसा व्यवहार किया गया था। श्री खोसला ने बहुत से गलत वक्तव्य दिए हैं। उन्होंने नेताजी के प्रति अनादर व्यक्त किया है। उन्होने यह भी कहा है कि आजाद हिन्द फौज आन्दोलन असफल रहा। ब्रिटिश लेखकों ने कहा है कि नेताजी ने 60,000 सैनिक एकत्र किए थे परन्तु श्री खोसला का कहना है कि उनके पास केवल 3,000 लोग थे। मैं समझता हूं कि ऐसा कहना नेताजी की महान् भूमिका की निन्दा करना है। यह कहना उनका अपमान करना है कि नेताजी ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान नहीं दिया।

नेताजी को जब कुछ पीछे भी हटना पड़ा तो उन्होंने एक प्रसारण किया कि जापान की पराज्य आजाद हिन्द फौज की पराजय नहीं है

आजाद हिन्द फौज के मुकदमें की सुनवाई के समय नौसैनिक नाविकों में बगावत फैल गई। उस समय रायल इण्डियन एयर फोर्स में जो हुआ उसे सब जानते हैं।

बहुत से लोगों को यह भी पता नहीं है कि जादवपुर विश्वविद्यालय के एक प्राध्यापक को आजाद हिन्द फौज पर पुस्तक लिखने पर डाक्टोरेट की डिग्री मिली है। उस पुस्तक नाम "इण्डियन नैशनल आर्मी" " आजाद हिन्द फौज" है। उस प्राध्यापक क कुछ दुर्लभ कागजात औचिनलेक के गुप्त पत्र मिल गए थे जिनका विश्व को ज्ञान नहीं हैं तथा जिनसे पता चलता है कि अंग्रेज सरकार ने भारत छोड़ने का निर्णय क्यों किया? इसमें जनरल टकेट की टिप्पणी हैं जो औचिनलेक की ओर बढ़ रही पूर्वी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। उसमें उन्होने कहा है कि आजाद हिन्द फौज की गतिविधियां भारतीय सेना के गढ़ को तोड़ने के लिए खतरा बन गई हैं। एटली को गुप्त पत्र में कमाण्डर इन चीफ ने लिखा था कि मैं समझता हूं कि किसी वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारी को यह मालूम नहीं कि आजाद हिन्द फौज के बारे में भारतीय सैनिकों की सही भावना क्या है? आगे यह भी लिखा हुआ है कि यदि सुनवाई जारी रही तो सारे देश में भगदड़ मच जाएगी। तथा हो सकता है कि इससे सेना में बगावत हो जाए।

एटली को गुप्त पत्र मिलने के तीन दिन के भीतर एक मंत्रिमंडल मिशन भारत भेजा गया जिसमें लार्ड पेथविक-लारेंस, क्रिप्स, तथा एलेंग्जेंडर थे। भारतीय स्वतंत्र विधेयक पर जब हाउस आफ कामन्स में चर्चा हो रही थी तो श्री चर्चिल क्रोधित हो गए तथा उन्होंने एटली से पूछा तुमने भारत छोड़ने का शीघ्रता से निर्णय क्यों किया। कुछ समय के बाद एटली ने उत्तर दिया क्योंकि हम ज्वालामुखी के मुंह पर बैठे हैं। नेताजी ने ही यह ज्वालामखी बनाया था जिसने लावा उगलना शुरु कर दिया और सारे देश को अपनी लपेट में ले लिया।

ब्रिटिश लेखक हगतोय ने अपनी पुस्तक "दि स्प्रिंगिग टाइगर" में नेताजी के बारे में लिखा है "इस विचारधारा के महत्व से, आकर्षक एवं तीव्र उत्साह, ,दृढ़ता एवं वैयक्तिक शक्ति,

[श्री समर गुह]

बलिदानमय देशभक्ति से सुभाष चन्द्र बोस की गरिमा का पता चलता है । भारतीय इतिहास में उनके स्थान को मिटाया नहीं जा सकता है ।"

माइकेल एडवर्ड ने अपनी पुस्तक "दि लास्ट ईयर्स आफ ब्रिटिश इण्डिया" में सुभाष चन्द्र बोस के बारे में कहा है कि सुभाष चन्द्र बोस ही एक ऐसे महान् नेता थे जिन्हें "क्षत्री" कहा जा सकता है ।

महात्मा गांधी ने ब्रिटिश समाजवाद का शांतिपूर्ण ढंग से विद्रोह करने के लिए भारतीय लोगों को जागृत किया अभी कुछ करना शेष था और वह था भारतीय सेना की स्वामिभक्ति । देश-भक्त नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने ही ब्रिटिश भारतीय सेना की अंग्रेजों की सरकार के प्रति वफा-दारी को समाप्त किया । देश को आजाद कराने में एतिहासिक नेता महात्मा गांधी तथा सुभाष चन्द्र बोस ने ही निर्णायक भूमिका निभाई थी ।

अन्त में मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि नेताजी का सम्मान देश का सम्मान है तथा हम इस सम्मान की रक्षा करने वाले हैं । हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए ही इस संकल्प पर विचार करना होगा । यह विवादास्पद संकल्प नहीं है । इसमें कहा गया है कि प्रतिवेदन प्रकाशित किया जाए तथा अशिष्ट टिप्पणियों को हटा कर प्रतिवेदन को प्रचालित किया ।

श्री प्रिय रंजन दास मुशी : (कलकत्ता-दक्षिण) : श्रीमन्, मैं श्री समर गुह द्वारा पेश किये गये संकल्प का समर्थन करता हूं क्योंकि इसमें मुझे इस देश के लोगों को इच्छा और अन्तः-करण की झलक मिलती है । मैं उसको इसके लिए बधाई देता हूं, यद्यपि कई मामलों में उनकी विचारधारायें मेरी विचारधारा से मेल नहीं खाती है । हमारी भावी पीढ़ियां स्वतंत्रता संग्राम में अपने बुजुर्गों के योगदान का स्मरण करती रहेंगी । परन्तु कमी इस बात की है कि भारत का अपना कोई इतिहास नहीं है । इसके अभाव में हमारी भावी संतानें देश का गलत नेतृत्व करेंगी क्योंकि आज भी हम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी एक दूसरे को आलोचना करने में नहीं झिझकते हैं । पहले क्या समय था जब माहात्मा गांधी ने टैगोर को गुरु कहा था और टैगोर ने गांधी को महात्मा और सुभाष को नेताजी कहा था । महान् नेताजी ने लोगों में स्वतंत्रता संग्राम में बढ़-चढ़ कर भाग लेने के लिए जोश भरा था ।

यह बात समझ में नहीं आती है कि न्यायमूर्ति जी० डी० खोसला को, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में शायद कोई भाग नहीं लिया था और जिन्होंने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था, जांच आयोग का अध्यक्ष क्यों और कैसे बनाया गया ? यदि भविष्य में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले महान् नेताओं के बारे में कोई जांच आयोग बनाया जाये तो उसका अध्यक्ष कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो पहले लोगों की सेवा करने की बजाय ब्रिटिश सरकार की सेवा करता रहा हो ।

वर्ष 1938 में जब कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था उस समय "भारत छोड़ो" आन्दोलन का नेतृत्व करने के लिए श्री सुभाष चन्द्र बोस को ही कहा गया था और उनकी इच्छा थी कि हम सब भारतीयों को मिल कर इस आन्दोलन में भाग लेना चाहिए । यह अलग बात है कि 9 अगस्त, 1942 को जब इस आन्दोलन का शुभारम्भ हुआ था, नेताजी एक वर्ष पहले ही भारत से बाहर जा चुके थे । समाचार पत्रों में नेताजी के चरित्र के बारे में कई प्रकार की आलोचना

को जा रही है । उस समय समाचारपत्रों के जिन मालिकों ने नेताजी और अन्य क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कराने के लिए ब्रिटिश सरकार की सहायता की थी, वे अब बड़े देशभक्त बन गये हैं । नेताजी और क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारियों को इनाम दिये जा रहे हैं ।

यद्ध काल में मलाया और सिंगापुर क्षेत्र के लोगों को जापानी लोग दबा रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि जब तक इसे बन्द न किया जाये वह कोई सहायता लेने के लिए तैयार नहीं हैं । वे केवल भारत के लिए ही नहीं परन्तु उन सब लोगों के लिए सेनानी थे जो स्वतंत्र होने का स्वप्न ले रहे थे । परन्तु इस प्रतिवेदन मे अप्रत्यक्ष रूप से इस महान नेता के विरुद्ध टिप्पणियां की गई हैं । उन्हें कठपुतली का रूप देने का प्रयास किया गया है । इस देश के स्वतंत्रता संग्राम के प्रति भावना रखने वाला कोई भी व्यक्ति इसका न केवल खण्डन ही करेगा परन्तु इस प्रतिवेदन को जला कर राख कर देगा ।

इस तथ्य को झुठलाया नहीं जा सकता कि नेताजी अपने साथियों से अत्यन्त प्यार करते थे । चाहे वह हबीबुर्रहमान हों या शाहनवाजखां, सभी उन्हें कहा करते थे कि आप हमारे अपने शरीर के अंग हैं । खेद है, कि खोसलाजी कहते हैं कि वे मंत्रिमण्डल में अपने साथियों से भी अधिक विश्वास जापानियों पर किया करते थे । क्या यह बात इतिहास के पन्नों पर जानी चाहिए ।

टैगोर ने "ताशर देश" नामक अपने नाकट में नेताजी को देश में युवा वर्ग और स्वतंत्रता का प्रतीक बताया है । आजाद हिन्द फौज की वर्षगांठ पर जाकिर हुसैन ने कहा था : आजाद हिन्द फौज द्वारा भारत भूमि पर अन्डमान में स्वतंत्रता का जो झंडा फहराया गया था वह बाद में 15 अगस्त, 1947 को लाल किले पर फहराये गए तिरंगे झंडे का प्रतीकात्मक रूप था । हमें "दिल्ली चलो" आन्दोलन में भाग लेने वाले सभी सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए ।

न्यायमूर्ति खोसला के प्रतिवेदन में जो आरोप लगाये गये हैं, वे न केवल वर्तमान पीढ़ी को ही परन्तु भावी पीढ़ियों को भी गुमराह करते रहेंगे । अतः राष्ट्रहित इसी में है कि हम इस प्रतिवेदन में जो विवादास्पद बातें हैं, उन्हें निकाल दें और लोगों के समक्ष वास्तविक तथ्य रखें । इस सबके बावजूद यदि सरकार अपनी बात पर अड़ी रही तो मुझे विश्वास है कि भावी पीढ़ियां इन बातों को स्वीकार नहीं करेंगी और इन्हें जला कर राख कर देंगी । इन शब्दों के साथ मैं संकल्प का समर्थन करता हूं ।

श्री एस० पी० भट्टाचार्य (उलबेरिया) : मैं संकल्प का समर्थन करता हूं । मेरे दल का नेताजी से चाहे मतभेद रहा हो, फिर भी इसमें कोई सन्देह नहीं है कि वे हमारे स्वतंत्रता संग्राम, जिसका सभी भारतीयों ने समर्थन किया था, के काल में राष्ट्र के एक महानतम सपूत थे

[श्री एस० पी० भट्टाचार्य]

जिनका नाम हमारे इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा । उनके नाम पर कोई धब्बा नहीं लगाया जा सकता ।

खोसला आयोग का प्रतिवेदन हमारे देश की भावनाओं के सर्वथा प्रतिकूल है । उन्होंने कुछ तथ्य और साक्ष्य तो एकत्र किये, परन्तु उनका सही मूल्यांकन नहीं किया गया है । यह प्रतिवेदन बिल्कुल ही गलत निष्कर्षों पर आधारित है । इसलिए इसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए । इन शब्दों के साथ, मैं संकल्प का समर्थन करता हूं ।

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj): Netaji Subhas Chandra Bose was an outstanding personality. He was one of our great leaders like Tilak, Gandhi and Nehru. He faced unprecedented hazardous conditions while fighting valiantly for attainment of independence for his country. He became President of the Congress, even when all other national leaders like Gandhi and Nehru had opposed him. Even now he is revered by every Indian. It does not, therefore, behove anybody to say that he was not a patriot and that he was simply a puppet of Japanese.

Justice Khosla has been asked to enquire into the disappearance of Netaji with specific terms of reference. It appears that Justice Khosla has gone beyond the scope of his terms of reference. He has made certain slanderous remarks against Netaji which cannot be tolerated. Netaji played a very important role in the freedom struggle at the cost of his life. He was such a giant that justice Khosla has failed to measure his greatness.

In the circumstances, Government should remove those portions from the report of the Inquiry Commission which are outside the scope of the terms of reference.

Shri Jharkhande Rai (Ghosi): Certain observation made by Justice Khosla in his Report are very derogatory and deserve severe condemnation.

In order to attain independence for his country, Netaji undoubtedly took help from Japanese Imperialists like a number of other leaders and people who took help from various imperialist countries. It may be true that Japanese might have tried to use his as a stooge. But from the historical facts it can be observed that he never played the role of a stooge. He was on the other hand a staunch patriot and a great revolutionary as is clear from a number of accounts of his heroic deeds.

Though he was not a military man, yet he commanded his troops and he was always found on the forefronts facing all sorts of old situations and hazardous conditions. He used to love his men who fought along with him valiantly. He used to be more careful about the safety of his men. So much so that even he treated his own life as secondary to that of his troops. He did not want any fame. When General Tojo described him as a first citizen of India in the first meeting of the South-East Asia Co-operative Commonwealth, Netaji had opposed him saying that he could not decide as to who was the first citizen of India, because that was the Indian people who could say as to who was the first citizen of India. He had opposed Japanese when they had desired that they would like

to land on Indian soil first of all in case they won the war. Ultimately it was decided that both the armies would land in the Indian soil simultaneously. He was, therefore, not afraid of Japanese. He did not even accept money and free weapons from Japanese and he settled accounts with them to the last pie because he did not want anybody to say that he had left any debt for his country. He refused to see a representative of Japan without credential papers from the Emperor of Japan. Such a great man was Subhash.

It is also a fact that he had some differences with other national leaders in regard to political strategy which should be employed to attain independence for the country. But he named various brigades of his army after the name of Gandhi, Nehru. Patel, Bhagat Singh, Chandar Sheikhar Azad and Rani Jhansi. This also shows his greatness.

Keeping in view the facts cited above, it is beyond any doubt that Justice Khosla's disparaging remarks about such a great man deserve severe condemnation. He had been asked to enquire into the disappearance of Netaji and he had no business to go into his political strategy. Thus Justice Khosla has gone beyond the terms of reference.

The Govt. should therefore expunge the disparaging and unwarranted observations made by Justice Khosla in his report because these are outside the scope of the terms of reference.

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon): Mr. Deputy Speaker, Sir, I rise to support the resolution of Shri Samar Guha urging for expunction of derogatory remarks against Netaji Subhash Chandra Bose from the Khosla Commission's report. It is not a slur on Netaji but a slur on the dignity and pride of India and a concoction of history to call Netaji a puppet of Japanese or an agent of imperialist powers.

He had only one goal before him, *i.e.* to attain independence for the country. He organised the I.N.A. for the purpose and named his brigades after Gandhi, Nehru and Azad and tricolour was the flag of his army enough his means differed from those adopted by them. In very difficult and trying circumstances he crossed in disguise the borders of his country and unfortunately he was killed in an accident on his way to Soviet Union to seek help for his second round of revolution for the independence of India. He sacrificed his life for the cause of his motherland and he was a great inspiring force for the youth of the country. In fact he was one of the top six leaders of India of pre-independence era. He belonged to that class of valiant freedom fighters to which Gandhi, Motilal Nehru, Lajpat Rai and Jawaharlal Nehru belonged. Their Goal was one, *i.e.*, to achieve freedom for their country. He choose revolution as his means while Gandhiji and others took to non-violent means.

With these words I support the sentiments of Shri Samar Guha.

Shri Jagannath Rao Joshi (Shajapur): Mr. Deputy Speaker, Prof. Samar Guha deserves to be compliment for thoroughly going through the report of Khosla Commission and for drawing the attention of the House to the derogatory remarks contained therein about Netaji Subhash Chandra Bose. When the freedom struggle is over the people of this country come to this firm conclusion that the

[Shri Jagannath Rao Josi]

last and crushing below was struck in the freedom struggle by the Indian National Army.

It was his contribution and call to the nation to fight for freedom that won him the popular name of Netaji. Khosla Commission failed to discharge its responsibilities and committed sins both of ommission and commission. It was the responsibility of the commission to give its findings about death of Netaji and if he was dead, the place, time and circumstances of his death after making a thorough enquiry. But it failed to come to a definite conclusion in the matter. It did not visit the places it should have. It did not interview the people who ought to have been interviewed. Government is no less responsible for it since it did not make available to the commission all the relevant things. It was the sin of omission.

The sin of commission was to comment on extraneous matter, *i.e.* the feelings and views of Japanese about Subhash Chandra Bose. He was a living symbol of sacrifice and set an ideal by not joining the Indian Civil Service after qualifying it and plunging himself into the freedom struggle. While in Congress he all along talked emphatically of possibility of war which was not believed by the Congress. This differences within the Congress lead to his exist from the Congress. He then left the country and organised the Indian National Army and contributed considerably in attaining freedom. The credit for suggesting to people that armed struggle could also be a means for attaining independence, goes to Subhash Chandra Bose. When after the 1945 elections from the opposition benches Churchill wanted to know the reasons for granting independence to India, Lord Atlee said that one of the reasons was that the Indian was no longer loyal to them. Therefore, Indian people will always remain indebted to Netaji for intensifying the freedom struggle.

We cannot tolerate, in these circumstaces, that any derogatory expression is used against Netaji. We are all one in this matter. Let Khosla Commission know our sentiments and feelings.

श्री बी० आर० शुक्ल : (**बहराइच**) : हमें पहले रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि क्या श्री खोसला ने स्वयं कोई अपमानजनक टिप्पणी की है या उन्होंने उनके सामने दिये साक्ष्य का जांच के दौरान हवाला दिया है। यदि हम रिपोर्ट के पृष्ठ 5 पर पैराग्राफ 2.24 देखें तो पता चलेगा कि श्री खोसला नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की महानता, देशभक्ति और प्रतिष्ठा की सराहना करने में किसी से पीछे नहीं रहे हैं। श्री खोसला ने रिपोर्ट में कहा है कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का भारत के इतिहास में इतना विशिष्ट और अद्वितीय स्थान है कि रिपोर्ट में उनके नाम से पहले कोई सम्मानसूचक शब्द लगाने की आवश्यकता नहीं है और बोस कहने मात्र से उनके नाम का बोध होता है जैसा कि सीजर, अशोक, अकबर, नेहरू और गांधी के मामले में हुआ है।

आजाद हिन्द फौज की स्थापना के बाद जापान और आजाद हिन्द फौज के बीच सहयोग हुआ और दोनों का लक्ष्य भारत से अंग्रेजों को खदेड़ना था। जापानी वास्तव में भारत भूमि पर अपना कब्जा करना चाहते थे जबकि नेताजी मातृभूमि को मुक्त कराकर पूर्णतः भारतीय सरकार स्थापित करना चाहते थे। इसलिए उन्हें आजाद हिन्द फौज के इरादों के बारे में सन्देह हो गया जब

नेताजी ने कहा कि भारत भूमि की मुक्ति सेना में आजाद हिन्द फौज के सैनिक सबसे आगे होंगे और इस संग्राम में रक्त की पहली बूंद उनकी होगी। इस संदर्भ में रिपोर्ट के पृष्ठ 7 पर कुछ हवाला दिया गया है जिसे निकालने के लिये यह प्रस्ताव लाया गया है। इसमें आजाद हिन्द फौज के बारे में जापानियों के विचारों का उल्लेख मात्र है। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि ये उनकी टिप्पणी है या विचार हैं।

इसी प्रकार पृष्ठ 30 पर साक्ष्य का हवाला देते हुए उन्होंने भारतीयों के 'पपेट' कहे जाने का उल्लेख किया गया है। यह संदर्भ साक्ष्य पर आधारित हैं और ये श्री खोसला की टिप्पणी नहीं है। यह उनका मन्तव्य नहीं है। सभा के समक्ष संकल्प यह है कि कुछ अपमानजनक टिप्पणी की गई है परन्तु इस संकल्प से असम्बद्ध अनेक बातें कही गई हैं। कोई इंकार नहीं करता है कि नेताजी एक महान् देशभक्त और क्रांतिकारी थे। श्री खोसला को उनके गायब हो जाने के कारणों की जांच करने का काम सौंपा गया था। उन्हें अपने निष्कर्ष देने के और अपने निष्कर्ष देते समय यदि वे साक्ष्य के किसी अंश का उल्लेख करते हैं तो इसका यह अर्थ नहीं कि वह इस महान् देशभक्त की महानता को कम करना चाहते हैं या उन्होंने अपनी सीमा का उल्लंघन किया है। उनकी टिप्पणी को सही संदर्भ में देखना चाहिए।

श्री पी० जी० नावलंकर (अहमदाबाद) : मैं संकल्प के प्रस्तुतकर्ता श्री समर-गुहा की भावनाओं तथा विचारों की सराहना करता हूं। माननीय सदस्य ने इस बात पर रोष व्यक्त किया है कि न्यायाधीश खोसला ने अपने प्रतिवेदन में ऐसी बहुत सी बातें लिखी हैं जिनका आयोग के जांच के निर्देश पदों से कोई सम्बन्ध नहीं है।

आपने कहा था कि हमारा लोकतंत्रीय समाज है और यदि कोई आलोचना करता है तो उसे हमें सद्भावना से ग्रहण करना चाहिए। परन्तु किसी को, जिसे जांच का कोई विशिष्ट शासकीय काम सौंपा गया हो, उस जांच से असम्बद्ध अनेक बातें कहने देना, एक अन्य बात है। इस प्रतिवेदन में नेताजी को अनावश्यक तथा अनुचित रूप से बदनाम किया गया है, परन्तु इससे उनकी स्मृति तथा कीर्तिमय स्थान समाप्त नहीं हो सकता। अतः मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि श्री खोसला ने जांच के निर्देश पदोंके बाहर की बात इस प्रतिवेदन में शामिल नहीं की हैं, इसलिए इसे सभा-पटल पर रख सार्वजनिक न बनाया जाये। ऐसा करते समय हमें सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि लोगोंकी भावनाओं को छेड़ा गया है।

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ ०एच० मोहसिन) : स्वयं बहुत से सदस्यों ने सभामें यह मांग की थी कि प्रतिवेदन सार्वजनिक किया जाये और सभा पटल पर रखा जाये।

श्री ए० एम० बनर्जी : मान लिया प्रतिवेदन सभा पटल पर रख दिया गया परन्तु तो भी सरकार को यह सावधानी रखनी चाहिए थी कि उसमें नेताजी के लिए 'जापानियों के साथ की कठपुतली' कहे गये शब्द हटा दिये जायें।

उपाध्यक्ष महोदय : हमने इस संकल्प के लिये दो घण्टे नियत किये थे जो पूरे हो चुके हैं। अब मैं सभा से जानना चाहता हूं कि अब आगे क्या किया जाये ?

संसदकार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : मेरे विचार से विपक्षी दलों के नेता और हम अविश्वास प्रस्ताव पर 6 बजे चर्चा के लिए उत्सुक हैं। यदि आधे घण्टे की चर्चा स्थगित कर दी जाये तो इस संकल्प पर और चर्चा की जा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्योंकि गैर सदस्यों के कार्य के लिए नियत ढाई घण्टे पूरे हो चुके हैं, इसलिए श्री समर गुह के संकल्प पर अगले सत्र में चर्चा जारी रहेगी। अब इस समय से लेकर 6 बजे तक क्या किया जाये। उचित यह है कि कार्य सूची में दी गई श्री मावलंकर की आधे घण्टे की चर्चा कर ली जाये। परन्तु अब हमारे पास केवल 20 मिनट रह गये हैं और आधे घण्टे की चर्चा अधूरी नहीं रखी जा सकती।

श्री पी०जी० मावलंकर : यदि आप अनुमति दें तो यह चर्चा इस समय स्थगित कर अगले सत्र के लिए नियत कर दी जाये।

कुछ माननीय सदस्य : अस्पृश्यता विधेयक ले लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

Shri S. M. Banerjee: We have requested to pass the untouchability Bill, as reported by the Joint Committee, without discussion. Now you are to decide.

श्री के० रघुरमैया। अस्पृश्यता एक महत्वपूर्ण विषय है, अतः यह विधेयक दस मिनट में नहीं निपटाया जा सकता। आधे घण्टे की चर्चा स्थगित करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा 6 बजे ही आरम्भ की जाये।

Shri Madhu Limaye: When I gave an adjournment motion yesterday on atrocities on Harijan and tribals, it was stated that the untouchability Bill is going to be taken up. We are prepared to pass the Bill, as reported by the Joint Committee, in a few minutes.

Mr. Speaker: We cannot go back now to official business. How the untouchability Bill can be passed. You do not want to speak but the other side may like to speak on it.

श्री एस०एम० बनर्जी : हम इस विधेयक को पास करना चाहते हैं.... (**अन्तर्बाधाएं**)

श्री नटवरलाल पटेल (महसाना) : आपने आंसुका पर दो दिन लगा दिये। उस समय आपने इस विधेयक की कोई चिन्ता नहीं की।

Mr. Speaker: It is the House who has to decide whether an item can be taken up again. I cannot go back to any item. (*Interruptions*).

श्री मधु लिमये तत्पश्चात श्री के० एस० चावडा, श्री एस० एम० बनर्जी तथा कुछ अन्य सदस्य सभा से उठ कर चले गये

(Shri K. S. Chavda, Shri S. M. Banerjee, Shri Madhu Limaye and some other Members then left the House.)

गृह कार्य मन्त्रालय, कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग और संसद कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता) : मैंने यह विधेयक प्रस्तुत किया था और तीन दिन से कार्य-सूची में लिखा चला आ रहा है। उस समय इस पर चर्चा के लिए किसी ने पहल नहीं की।

रल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बूटा सिंह) : यह और कछ नहीं बल्कि विपक्षी दलों की महत्वहीन चालें हैं।

मन्त्रि परिषद में अविश्वास का प्रस्तव—जारी

MOTION OF NO-CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS—*contd.*

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमण्ड हार्बर) : श्रीमान् मैं यह प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा मन्त्रि-परिषद में अपना अविश्वास व्यक्त करती है।"

सरकार की असफलताओं और बढ़ते हुये भ्रष्टाचार और अनधिकृत कार्यों के बारे में सावधान करने के लिए हमें यह अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा है। सम्भवत: इससे पहले कोई भी सरकार इतनी भ्रष्ट, सिद्धान्तहीन तथा धोखे बाज नहीं रही जितनी वर्तमान सरकार है।

हम जो कुछ बोल रहे हैं वह श्रीमती गांधी अथवा कांग्रेसजनों के लिए हो नहीं बोल रहे बल्कि सारे देशवासियों के लिए बोल रहे हैं । वह स मय कभी न कभी अवश्य आयेगा, जब हम इस सरकार को हटा देंगे। कुछ थोड़े से व्यक्तियों ने मिलकर 28 साल से सत्ता अपने हाथ में की हुई है जिसका उदाहरण किसी भी अन्य बुर्जुआ लोकतन्त्र में देखने को नहीं मिलेगा। यही कारण कि वह प्रधान मन्त्री उन पर पूर्णत: आश्रित हैं और लोगों का शोषण हो रहा है। पिछले तीन वर्षों में एकाधिकारी गृहों की कुल सम्पत्ति में 860 करोड़ रुपये की वद्धि हुई है। देशी और विदेशी कम्पनियों के लाभ में भी वृद्धि हुई है।

कांग्रेसजन अब हताश हो चुके हैं और गद्दी पर बने रहने के लिए लाखों लोगों के हितों को कुछ थोड़े से लोगों के हाथ बेचने से भी नहीं डर रहे हैं।

अभी हाल में एथिल अल्कोहल का आयात किया गया। 1972–73 के दौरान सोमा शुल्क से 857 करोड़ रुपये की आय हुई। एक वर्ष के अन्दर ही दो फार्मों को 232.19 करोड़ रुपये के सोमा-शुल्क की छूट दी गई। मुझे यह कहते हुये खेद है कि इस सारे षडयन्त्र से प्रधान मन्त्री को भी सम्बध किया गया। प्रधान मन्त्री के सचिवालय ने पैट्रोलियम मन्त्रालय तथा पश्चिमी बंगाल के नेताओं की साठगांठ से पश्चिम बंगाल में 80 लाख लिटर की कमी दिखाई। मुझे विश्वास है कि कमी कोई नहीं

[श्री ज्योतिर्मय बसु]

है। क्योंकि रजिस्टरों में आगामी वर्ष के लिए गत वर्ष का शेष 84 लाख लिटर दिखाया गया है कीलाचन्द की फर्म ने सरकार से एथिल अल्कोहल का पुनः आयात करने के लिए दो बार आग्रह किया। यह बड़े आश्चर्य की बात है कीलाचन्द फर्म ने सरकार से एथिल अल्कोहाल का पुनः निर्यात करने के लिए दो बार आग्रह किया। सम्बन्धित पक्षों ने अधिक राशि की बीजक दिखाकर खूब लाभ उठाये इंगलैण्ड और अमरीका में विक्रेताओं को एथिल अल्कोहाल के लिए जो राशि दी गई बीजकों में उससे कहीं अधिक राशि दिखाई गई और इस प्रकार जो काली विदेशी मुद्रा अर्जित की गई उसे वहीं रखा गया और यह राशि कर-मुक्त थी।

कीलाचन्द फर्म के लिए 10,000 टन तथा 82.2 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा विमोचित की गई और आई०सी०आई० के लिए कुल 2 करोड़ 50 लाख बल्क लीटर में से 1 करोड़ 80 लाख बल्क लीटर की अनुमति दी गई। विदेशी मुद्रा कितनी दी गई इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। यह सारा कांड देश को लूटने तथा चन्द लोगों की जेबें भरने के लिए किया गया। आई०सी०ई० के प्रतिनिधि 25-2-1972 को पेट्रोलियम मंत्री से मिले और 26-2-1972 को आदेश जारी कर दिया गया। इस मुलाकात का कोई रिकार्ड या कार्यवाही सारांश नहीं रखा गया। यह एक बहुत दिलचस्प बात है।

कीलाचन्द के मामले में सारा सौदा प्रधान मंत्री के सचिवालय में तय हुआ। इस बारे में बैठक प्रधान मंत्री के संयुक्त सचिव श्री टंडन के कमरे में 14-8-1972 को 11 बजे दिन को हुई। परिचालन के लिए किसी कार्यसूची या रिकार्ड का प्रारूप तैयार नहीं किया गया। हर बात गुप्त रखी गई। हालांकि यह कार्य पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय का था। किन्तु बड़े सौदों में प्रधान मंत्री शायद अन्य मंत्रियों पर विश्वास नहीं करतीं। कुछ भी हो, इस देश में मंत्रियों की कदर आज रबड़ की मुहर से अधिक नहीं है। निस्सन्देह, कीलाचन्द भी इस बैठक में उपस्थित था। मेरी जानकारी के अनुसार इस मामले में केवल आई०सी०आई० से ही 3 करोड़ रुपये की राशि खरी की गई।

श्री बिक्रम महाजन (कांगड़ा): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मंत्रियों एवं प्रधान मंत्री के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं जिसकी आपको पूर्व सूचना दिये बिना वह ऐसा नहीं कर सकते। नियम 353 में स्पष्ट है कि--

> "किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधारोपक स्वरूप आरोप नहीं लगाया जायेगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा सम्बन्धित मंत्री को भी पूर्व सूचना न दे दी हो जिससे कि मंत्री उत्तर के प्रयोजन के लिए विषय की जांच कर सके :"

श्री ज्योतिर्मय बसु: विवाद में न पड़ने के प्रयोजनार्थ मैं नाम नहीं लूंगा केवल पदनाम लूंगा।

एक और घोटाला हुआ चिथड़ों का। अच्छे ऊनी कपड़ों का चिथड़ों के रूप में आयात किया गया जिससे करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा की, सीमाशुल्क की तथा आय कर की हानि हुई। सत्तारूढ़ दल के लोगों के साथ साठ-गांठ करके आर्थिक अपराधियों ने खूब पैसा बनाया।

[डा० हेनरी आस्टिन पीठासीन हुए।]

[DR. HENRY AUSTIN *in the Chair*]

सबसे अधिक कदाचार के मामले चुनाव वर्ष के आस-पास होते हैं। उदाहरणार्थ इन बने-बनाये कपड़ों का आयात 1969–70 में 34 लाख रुपये का, 1970–71 में 31 लाख रुपये का और 1971–72 में 428 लाख रुपये का हुआ। शोदि (ऊन की रद्दी) उद्योग का एक पारी के आधार पर कुल क्षमता 44.25 लाख कि०ग्रा० है किन्तु 1972 में उसे 1972 में 1 करोड़ 50 लाख कि०ग्रा० और अगले वर्ष 1 करोड़ 75 लाख किलोग्राम आयात करने की अनुमति दी गई। किन्तु यह सारी कार्यवाही अवैध थी क्योंकि कानून के अन्तर्गत बने बनाये कपड़ों का आयात नहीं किया जा सकता। इससे 280 प्रतिशत सीमाशुल्क प्राप्त होता है। इसके आयात पर एक वर्ष में लगभग 54 करोड़ रुपये लगते हैं। इन तस्करों के खिलाफ मुकदमे दायर नहीं किये गये और उनका माल अथवा पोत ही जब्त किये गये। बल्कि इस प्रकार की 1500 गांठें प्रधान मंत्री के व्यक्तिगत आदेश पर बिना शुल्क तथा दण्ड के छोड़ दी गईं। इससे देश को भारी हानि हुई। वर्ष 1971-72 में देश को सीमा शुल्क तथा आर्थिक दण्ड के रूप में मिलने वाली राशि का नुकसान हुआ जो लगभग 125 करोड़ रुपये होती थी। इस प्रकार चिथड़ों के नाम पर अच्छे कपड़ों का आयात करके और देश को नुकसान पहुंचाकर करोड़ों रुपये बनाये गये। बीजकों में कम पैसा दिखा कर एक वर्ष में 50 करोड़ रुपये बनाये गये। यह सारा कुछ प्रधान मंत्री के आदेश पर हुआ जिससे कई आर्थिक बुराइयां उत्पन्न हुई हैं।

चीनी रिबेट योजना—जो वास्तव में उत्पादकों के लाभ के लिए बनी थी—के अन्तर्गत भी चीनी कारखानों के मालिकों के साथ की गई सांठ गांठ के फलस्वरूप भी एक घोटाला हुआ। अक्तूबर, 1974 में टैरीफ जिस पर उत्पादन शुल्क का हिसाब लगाया जाता है, 320 रुपये प्रति क्विंटल निश्चित किया गया जबकि उस महीने खुले बाजार की चीनी का भाव 585 रुपये प्रति क्विंटल था। इस प्रकार लगभग 265 रुपये प्रति क्विंटल उत्पादन शुल्क का घाटा हो रहा है। ऐसा लगता है इस बारे में भी कुछ सौदा चल रहा है अन्यथा कांग्रेस चुनाव कैसे जीत सकती है।

भ्रष्टाचार ये के सब मामले वास्तव में देश को लूटने के उद्देश्य से होते हैं। एक अन्य प्रकार का भ्रष्टाचार पनप गया है जो श्रीमती इन्दिरा गांधी के राज्य में जीवन का एक अंग बन चुका है। दक्षिण के कांग्रेस मुख्य मंत्री को अपना सिंहासन बचाने के लिए कांग्रेसी विधायकों को 75 लाख रुपये देने पड़े। यह राशि मुख्यत: एक केन्द्रीय मंत्री द्वारा बड़े-बड़े जमींदारों से एकत्रित की गई और इसके बदले उनसे क्या वायदा किया गया? यही कि भूमि सुधार को प्रभावशाली नहीं बनाया जायेगा।

अब मैं हरियाणा के मुख्य मंत्री श्री बंशीलाल की ओर आपका ध्यान दिलाता हूं। नियंत्रक तथा महा लेखा परीक्षक द्वारा राज्य बिजली बोर्ड के बारे में दी गई रिपोर्ट से पता लगता है वह 12 करोड़ रुपये हजम कर गये हैं। पुलिस के रिकार्ड में उन्हें सन्देहात्मक व्यक्ति बताया गया है और पुलिस उन्हें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ काडर में भी दिखाती है।

[श्री ज्योतिर्मय बसु]

अब कर्नाटक के श्री देवराज उर्स के बारे में सुनिये। विधायकों ने उनके विरुद्ध कई शिकायतें की हैं लेकिन प्रधान मंत्री उन्हें दबाये पड़ी हैं। पता चला है कि पंजाब के राजस्व मंत्री ने 1,50,000 रुपये की विदेशी मुद्रा का घुटाला किया है और इन्फोर्समेंट ब्रांच ने रिपोर्ट दी है लेकिन कुछ नहीं होता।

अब मैं प्रधान मंत्री से पूछता हूं कि लोकपाल विधेयक क्या हुआ है?

श्री सी० एम० स्टीफन : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। भारत सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर बहस चल रही है। लेकिन माननीय सदस्य राज्यों के मुख्य मंत्रियों के खिलाफ आरोप पर आरोप लगाते चले जा रहे हैं जो इस बहस की सीमा के बाहर की चीज है और दूसरी उन लोगों के नाम लेकर आरोप लगाना जो इस सभा में उनका जवाब नहीं दे सकते। इस बारे में नियम 353 का हवाला देकर भी आपत्ति उठाई जा चुकी है। इसलिए इन आरोपों को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल देना चाहिए और माननीय सदस्य को ऐसे आरोप लगाने से रोका जाना चाहिए।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : इस सदन में राज्य बिजली बोर्ड के बारे में मामला उठाया गया था जिसका जवाब वित्त मंत्री ने दिया था। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि वह $12\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये हजम कर गये हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन : श्री देवराज उर्स के बारे में भी आरोप लगाया गया है।

सभापति महोदय : मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य, श्री ज्योतिर्मय बसु को इस सभा द्वारा मान्य कतिपय आदर्शों का पालन करना चाहिए। कम से कम हमें ऐसे व्यक्तियों के बारे में आरोप लगाने में सावधान रहना चाहिए जो इस सभा में उनका उत्तर नहीं दे सकते। और जब वह किसी व्यक्ति के विरुद्ध नये आरोप लगाते हैं तो वह इस सभा में अपनाये गये पूर्वोदाहरणों के अनुकूल नहीं होगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : लोकपाल विधेयक की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और उसमें प्रधान मंत्री को शामिल नहीं किया गया है। उसके पश्चात् मंत्रियों की आस्तियों का प्रश्न उठता है। 26 मार्च को प्रधान मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि मंत्रियों द्वारा अपनी आस्तियों की घोषणा किये जाने की बात पर सरकार विचार कर रही है। परन्तु जब तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं हो जाता तब तक सत्ता ग्रहण के पश्चात् मंत्रियों की सम्पत्ति में कितनी वृद्धि हुई है तत्सम्बन्धी विवरण के बारे में कुछ कहना उचित नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि यह मामला कब से विचाराधीन है इसके बारे में किसी को सही तारीख का पता नहीं है। पहली बार प्रधान मंत्री पर कदाचार का आरोप लगाया गया है। यह बात हिन्दालु फर्म के पांच लाख रुपये के चैक से स्पष्ट हो जाती है। चूंकि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया गया है इसलिये मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा।

इसके पश्चात् प्रधान मंत्री के पुत्र संजय की बात आती है। कुछ वर्ष पूर्व इस लड़के के पास कोई सम्पत्ति न थी। परन्तु आज वह लखपति है। वह आज मारुति प्राइवेट लिमिटेड, मारुति

टैकनिकल सर्विसिज लिमिटड, मारुति हैवी वीहिकल्स लिमिटेड, ड्रिलिंग इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड आदि फर्मों का मालिक बन गया है। मुझे अभी ये जानकारी प्राप्त नहीं हुई है कि इनकी प्राधिकृत अथवा प्रदत पूंजी कितनी है। बिड़ला आदि ने इनमें काफी धन लगाया हुआ है। यह लड़का आज 24,000 या 25,000 रुपए महीना कमा रहा है जितना किसी समय ब्रिटिश वाइसराय का यहां वेतन हुआ करता था। ये कम्पनियां आर्थिक अपराधियों के अड्डे हैं। आर्थिक अपराधियों को इन कम्पनियों के शेयर खरीदने के लिये बाध्य किया गया था। अतारांकित प्रश्न संख्या 1431, जो 1 अगस्त, 1973 को पूछा गया था तथा जिसका उत्तर 20 अक्तूबर, 1974 को दिया गया था, में यह बताया गया था कि इनके विरुद्ध आठ अभियोग चल रहे हैं जो तस्करी तथा काले धन आदि के बारे में हैं।

हाल में सब से खराब घोटाला भूमि अधिग्रहण के बारे में था। कोई 300 एकड़ उपजाऊ भूमि गैर-कानूनी तौर से लोगों से छीन ली गई। उन्हें प्रति एकड़ 9000 रुपए दिये गए जब कि उसका वास्तव में भाव 75,000 रुपए प्रति एकड़ था। इस प्रकार से 1500 किसानों को क्षति पहुंची। सक्वैडर्न लीडर महेन्द्र सिंह, दो एयर मार्शलों तथा अन्य अधिकारियों ने भी इस पर आपत्ति उठाई परन्तु किसी की बात का असर न हुआ।

प्रधान मंत्री ने लखनऊ की एक सार्वजनिक सभा में कहा था कि मुझे जांच की कोई चिन्ता नहीं है परन्तु जब मैं उन्हें लिखता ही रहा तो मुझे उत्तर मिला कि जांच नहीं की जा सकती। ये लोग सदन में भी इसकी चर्चा नहीं करना चाहते। मैं मांग करता हूं कि इस मामले की संसद द्वारा जांच की जाए।

इन मामलों के अलावा इस्पात, सीमेंट आदि के मामले भी हैं। आशयपत्र केबिनेट उप-समिति ने दिया था जिसकी अध्यक्ष प्रधान मंत्री स्वयं ही थी। निस्संदेह श्री सुब्रह्मण्यम ने कार पर उत्पादन शुल्क कम कर दिया है। देखें इसका क्या प्रभाव पड़ता है। आयकर अधिनियम में भी परिवर्तन किये गये हैं ताकि टैकनिकल सर्विसेज लिमिटेड को कुछ राहत दी जा सके।

एक और घोटाला जो उन्होंने किया है वह यह है कि उन्होंने कहा है कि हमने किन्हीं मशीनों का आयात नहीं किया है। यह बिल्कुल गलत बात है। मेरे पास एक पत्र की सही प्रतिलिपि है जिससे पता चलता है कि ऐसा किया गया है। परन्तु फिर भी वे कहते हैं कि मशीनों का आयात नहीं किया जा रहा है तथा हमें यह स्वीकार करना होता है।

तुलमोहन राम को कहानी बताती है कि लाइसेंस का भी घोटाला हुआ है। वर्षाकालीन अधिवेशन में यह बताया गया था कि इस मामले की जांच कराई जाएगी तथा न्यायालय जाने से पहले सभा के समक्ष तत्सम्बन्धी रिपोर्ट रखी जाएगी परन्तु अगले अधिवेशन में पहले दिन ही न्यायालय चले गए। मेरे पास और जानकारी है परन्तु मैं इस सम्बन्ध में अधिक नहीं कहना चाहता।

मेरा अगला प्रश्न चुनाव में देरी किये जाने के बारे में है। आपको पता ही है कि त्रिवेन्द्रम उप-चुनाव 4 जनवरी को होना था। यह स्थान श्री कृष्ण मेनन का निधन हो जाने से खाली हुआ था। परन्तु जब उन्हें यह पता चला कि वे चुनाव में जीत नहीं सकते तो तुरन्त आदेश जारी कर दिया गया कि यह चुनाव नहीं होगा।

[श्री ज्योतिर्मय बसु]

श्रीमती गांधी आपातकालीन स्थिति की बात करती हैं । श्री तिरु करुणानिधि ने ठीक ही कहा है कि यदि हमें समुद्री तट से खतरा है तो जब तक हिन्द महासागर है तब तक यह खतरा रहेगा ही इसलिए आपात की कोई बात नहीं । इसी तरह से कहा जाता है कि पाकिस्तान से खतरा है। यह बात बहुत ही विचित्र है क्योंकि एक ओर तो आक्रमण की बात की जाती है और दूसरी ओर वहां के व्यापार प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया जाता है । आन्तरिक सुरक्षा कानून यह सिद्ध करने के लिए बनाया जाता है कि चीन की ओर से मिजोरम तथा नागालैंड में खतरा है तथा यह कहा जाता है कि आपातकालीन स्थिति अभी रहनी चाहिए । मैं समझता हूं कि लोग संभवत: नियंत्रित लोकतन्त्र के लिए ही संकटकालीन स्थिति बनाए रखना चाहते हैं । यह ब्रिटिश राज से अधिक सख्त राज तथा नाजियों के शासन से अधिक बुरा है ।

मैं समझता हूं कि हमारे नागरिक अधिकार छीने जा रहे हैं । आप आन्ध्र प्रदेश न्यायालय के निर्णय को पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश में आज किस प्रकार का लोकतन्त्र कार्य कर रहा है । छः महीने बीत चुके हैं परन्तु सरकार ने उस निर्णय पर कोई कार्यवाही नहीं की है । इस पर अभी विचार किया जा रहा है क्योंकि यह फासिस्ट मानसिक दृष्टिकोण के लिए सुविधाजनक नहीं है । विरोधी दलों की बैठकों के लिए अनुमति नहीं दी जाती है बल्कि उन बैठकों में बाधा डाली जाती है । वे कहते हैं कि कलकत्ता में स्टेडियम जय प्रकाश नारायण को नहीं दिया जा सकता तथा प्रधान मंत्री के लिए वह बुक किया गया है । कलकत्ता में जय प्रकाश नारायण के साथ जो व्यवहार किया गया है वह हमारे लिए शर्म की बात है । उन पर पत्थर फेंके गए । लोगों को सुनवाई का मौका दिए बिना गिरफ्तार किया जाता है । अल्पसंख्यकों, हरिजनों तथा जनजातियों का शमन किया जाता है । वचन दिए जाने के बावजूद भी विधान सभा के सदस्यों को गिरफ्तार किया जाता है । सामुदायिक दंगों की घटनायें बढ़ रही हैं ।

वे दक्षिणपन्थी प्रतिक्रिया की बात करते हैं परन्तु फासिस्ट इनके मित्र हैं । कांग्रेस ने शिव सेना के सुधीर जोशी का इस शर्त पर समर्थन किया कि शिव सेना लोक सभा के उप-चुनाव में कांग्रेस के श्री राम राव अदिक के लिए समर्थन देगी । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सच है अथवा नहीं ।

कांग्रेस कहती कुछ और है और करती कुछ और है । इस तरह कब तक बात चलेगी । अच्छी बात तो यह है कि वह चली जाए ।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (कलकत्ता दक्षिण) : मैंने श्री ज्योतिर्मय बसु, जिन्होंने यह प्रस्ताव सभा के सामने रखा है, के भाषण को सुना है । उनकी अविश्वास प्रस्ताव लाने की आदत सी बन गई है । इससे कोई विशेष उद्देश्य तो पूरा ही नहीं होता परन्तु उन्हें अपनी सन्तुष्टि के लिए कुछ कहने का अवसर मिल जाता है । सभा के सदस्य उनके भाषण को कभी गम्भीरता से नहीं सुनते हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु ने सरकार के खिलाफ कई आरोप लगाए हैं । उनका उत्तर तो सरकार ही देगी परन्तु उनके बारे में मैं भी कुछ कहना चाहता हूं । अपने भाषण में श्री बसु ने जयपुरिया की महारानी, इण्डियन एक्सप्रैस के प्रबन्धकों तथा श्री जय प्रकाश नारायण का नाम बड़ी होशियारी से जोड़ दिया है । उन्होंने गुजरात में चुनाव का उल्लेख भी नहीं किया है क्योंकि वह समझते हैं

कि उनको इससे विशेष लाभ नहीं होने वाला है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि हम उस तरह से शासन चलाना चाहते हैं जिस तरह से जनता चाहती है। क्योंकि लोग ही हमें चुनकर यहां भेजते हैं तथा भेजते रहेंगे। परन्तु विरोधी दलों की बात ही कुछ और है वे चुनाव जीतने पर प्रसन्न हो जाते हैं तथा हारने पर निराश तथा निराश हो कर वे अविश्वास प्रस्ताव ले आते हैं। हमने गत 28 वर्षों में जो कुछ किया है उस पर किसी को सन्देह नहीं। यदि उन्हें नहीं तो उनके दल को तो पता ही है कि हमने लोकतन्त्र की सुरक्षा के लिए क्या किया है। उनके दल की संख्या 2 से बढकर 15 हो गई, 15 से 20 तथा इस बार 20 से 25 जिससे पता चलता है कि हमारे देश में लोकतन्त्र बिल्कुल कायम है।

श्री ज्योतिर्मय बसु ने कहा कि 1967 के पश्चात् कांग्रेस का विरोध करने वाले दलों ने कुछ राज्यों में सरकार बनाई तथा वे जो काम कराना चाहते थे वह नहीं कर सके। मैं पूछता हूं कि यह किस का कसूर था। इतिहास बतायेगा कि इसके लिए कौन उत्तरदायी था।

श्री ज्योतिर्मय बसु ने हमारी प्रधान मंत्री पर फिडरेशन आफ इण्डियन चैम्बर्स आफ कामर्स में भाषण देने का आरोप लगाया है क्योंकि इसकी अध्यक्षता श्री के० के० बिरला ने की। हम सब को पता है कि दल की नेता होने के साथ-साथ प्रधान मंत्री सरकार की प्रमुख भी हैं। उस हैसियत से उन्हें कुछ काम भी करने होते हैं तथा कुछ जिम्मेदारियां भी निभानी होती हैं। प्रधान मंत्री ने जो भाषण दिया था वह गुप्त रूप से तो दिया नहीं था। वह भाषण तो सार्वजनिक रूप से दिया गया था। उसमें उन्होंने जो कुछ कहा था वह समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ था। इसके साथ ही साथ मैं उन्हें यह भी बताना चाहता हूं कि शायद वह इस बात को भूल गये हैं कि 1969 में जब वह पश्चिम बंगाल के गृह मंत्री थे तो उन्होंने एडवोकेट जेनरल के कमरे में श्री के० के० बिरला से भेंट की थी। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि इस भेंट में क्या हुआ था तो उन्होंने न केवल गालियां ही दीं बल्कि धमकियां भी दीं। हमें यह नहीं मालूम कि श्री ज्योतिर्मय बसु और श्री बिरला के बीच क्या बातचीत हुई। परन्तु इतना अवश्य हुआ कि उन्होंने अपनी कम्पनी के कर्मचारियों को कुछ बोनस दिलवा दिया तथा पश्चिम बंगाल के अन्य कार्मिक संघों के कर्मचारियों को आन्दोलन करने से वंचित कर दिया।

उन्होंने केन्द्रीय सरकार पर यह आरोप भी लगाया है कि कांग्रेस के राज में एकाधिकार बड़ा है। हो सकता है कि हमारे प्रशासन ने प्रत्येक कारखाने को सरकारी क्षेत्र में लेने के लिए कुशलतापूर्वक और संतोषजनक कार्यवाही की हो किन्तु हम एकाधिकार गृहों के अधिक से अधिक एकक अपने नियंत्रण में ले रहे हैं। हम ने कोयला खानों, बैंकों, सामान्य बीमा कम्पनियों तथा भारतीय लौह और इस्पात कम्पनी से शुरुआत कर दी है। इसके साथ ही साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि जब केरल में मार्क्सवादी दल का शासन था तब श्री नम्बुदरीपाद ने अपने राज्य में कागज उद्योग स्थापित करने के लिए श्री जी० डी० बिरला को आमंत्रित किया था तथा उन्होंने बसों तथा अन्य वस्तुओं में रियायत दी थी। टेक्समाको, हिन्द मोटर्स तथा केसोराम मिल्स में, जो बहुत बड़े-बड़े एकक हैं, उनके दल का कार्य बहुत गलत था। उनमें श्रमजीवी वर्ग को तो केवल 4 से 6 प्रतिशत ही बोनस दिया गया जबकि अन्य वर्गों को 20 प्रतिशत बोनस मिला। प्रस्तावक महोदय तथा उनके दल को श्रीमती इन्दिरा गांधी के खिलाफ कोई बात कहने से पहले उन सभी कार्यों को देख लेना चाहिए जो उन्होंने एकाधिकार की साठ-गांठ से किये हैं।

[श्री प्रिय रंजन दास मुंशी]

इस आधुनिक युग में लोग विभिन्न विषयों में विशेषता प्राप्त कर रहे हैं। कोई आणविक विज्ञान में विशेषता प्राप्त कर रहा है तथा कोई साहित्य में विशेषता प्राप्त कर रहा है परन्तु श्री ज्योतिर्मय बसु ने घोटालों में विशेषता प्राप्त की है। वह इस सदन में तथा सम्पूण महाद्वीप में घोटाला विशेषज्ञ हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु तुल मोहन राम तथा अन्य घोटालों की बात करते हैं। परन्तु मैं यह बात बताना चाहता हूं कि एक तुलमोहन राम तथा एक घोटाले से सभी प्रगति पर धब्बा नहीं लग सकता। विरोधी दल सरकार की सफलताओं पर तो ध्यान नहीं देते परन्तु उनकी असफलताओं की बात ही करते हैं। जिम्मेदार विरोधी दलों को सफलताओं और असफलताओं दोनों को ध्यान में रखना चाहिए। मैं यह बताना चाहता हूं कि भारत ही ऐसा देश है जहां पर प्रतिपक्ष और दक्षिण पंथियों की शरारतों के बावजूद सरकार मूल्य रेखा स्थिर रखने में सफल रही है।

अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए विपक्षी दल प्रधान मंत्री और हम सभी की निन्दा करते हैं। परन्तु विश्व में अपने राष्ट्र की प्रतिष्ठा बढ़ाने की दृष्टि से क्या विपक्षी दलों का यह रवैया उचित है ? जापान और बंगला देश ने अपनी संवैधानिक व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया है। भारत ही एक ऐसा देश है जो न केवल बढ़ती हुई कीमतों को रोकने में वरन् विपक्षी दलों के षड्यंत्र के बावजूद भी देश में एकता कायम रखने में सफल हुआ है। जनता ने हमें सहयोग दिया है। हम ने जमाखोरों और तस्करों के विरुद्ध अभियान चलाया है और इस दृष्टि से कानूनों में संशोधन और आंतरिक सुरक्षा कानून की उद्घोषणा की है। देश की अर्थ-व्यवस्था में आपके नेताओं ने क्या योग-दान किया है ?

निजी तथा सरकारी कारखानों के कर्मचारी इस समय कुछ सीमा तक औद्योगिक मन्दी के शिकार हैं, परन्तु उनके वेतन तथा मजदूरी में अधिकांशत: वृद्धि ही हुई है। सरकार चाहती है कि लोग समृद्ध बनें और सभी क्षेत्रों में प्रगति हो, परन्तु इसके लिए राजनीतिक शक्तियों के सहयोग की आवश्यकता है। जब दो वर्ष पहले सरकार ने गेहूं व्यापार अपने हाथ में लिया तो क्या उस समय श्री ज्योतिर्मय बसु तथा उनके दल के लोग गांवों में गये और किसानों को इस कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए कहा ? उन्होंने ऐसा नहीं किया, वरन् लोगों से कहा कि इसे असफल बनायें ताकि वे अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकें। लगातार तोड़-फोड़ करने वाले, घोटाला विशेषज्ञ लोकतंत्र या लोकतंत्रीय संस्थाओं का निर्माण नहीं कर सकते जिससे जनता की आकांक्षाएं और मांगें पूरी हों।

श्री ज्योतिर्मय बसु ने हमारी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि वह स्वयं और उनका दल जनता का विश्वास 1967 से खोये हुए हैं। दुर्भाग्यवश, श्री बसु ने गैर-जिम्मेदार विपक्षियों की ओर से सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। उन्होंने निर्वाचन पद्धति में सुधार के बारे में भी कहा है और प्रत्येक राज्य में तानाशाही शासन कायम करने का भी आरोप लगाया है।

हम ने देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से या सार्वजनिक सभाएं आदि करने से किसी को भी वंचित नहीं किया है, बल्कि लोगों में चेतना आयी है और यदि कोई जनता के हितों के विरुद्ध कोई गड़बड़ करता है तो लोग उसे सहन नहीं करते। सरकार का काम कानून तथा व्यवस्था

बनाये रखना है, जनता की भावनाएं दबाना नहीं। अतः सरकार इस दिशा में कोई निर्णय लेती है तो वह तानाशाही नहीं है।

जहां तक औद्योगिक विकास का सम्बन्ध है, उसमें सफलता मिली है; कोयले का उत्पादन बढ़ा है और निर्यात बढ़ा है। मैं इस बात से सहमत हूं कि यह सफलताएं उतनी बड़ी नहीं हैं जो जनता सराहना करे। परन्तु हमें कठिनाइयां भी देखनी चाहिए। 1971 से 1975 के बीच सरकार की सबसे बड़ी सफलता यह रही है कि सारा देश एकता के सूत्र में बंधा हुआ है और हर स्थान पर लोकतंत्र है।

यदि संसदीय लोकतंत्र के नाम पर कोई ऐसा काम किया जाता है जो लोकतांत्रिक प्रणालियों के हित में न हो, तो उसे रोकना जनता का कार्य है।

श्री ज्योतिमय बसु घोर मार्क्सवादी हैं, परन्तु आश्चर्य है कि अब वह जयप्रकाश नारायण के साथ हैं। स्वाधीनता के पश्चात् पहली बार सरकार ने सभी स्तरों से भ्रष्टाचार हटाने का निर्णय लिया है परन्तु श्री ज्योतिर्मय बसु तथा उनके अनुयायी राजनैतिक दलों तथा कुछ बड़े-बड़े नेताओं को बदनाम करने की दृष्टि से भ्रष्टाचार की बात करते हैं, न कि सामाजिक दृष्टि से। मारुति के बारे में पिछले दो वर्षों से उद्योग मंत्री तथा रक्षा मंत्री उनके सभी प्रश्नों का उत्तर देते रहे हैं परन्तु वे उसके बारे में गांव-गांव प्रचार करना चाहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने बुद्धिबल से कुछ करता है तो उस पर केवल इसलिए रोक लगाना कि वह किसी विशेष व्यक्ति का रिश्तेदार है, सही नहीं है इससे प्रधान मंत्री तथा किसी विशिष्ट राजनैतिक दल को बदनाम करने में मदद मिल सकती है।

क्योंकि नेताओं के पुत्र पुत्रियों के नाम श्री ज्योतिर्मय बसु को ज्ञात हैं, इसलिए वे उनका नाम ले सकते हैं। हमें उनके नाम ज्ञात तक नहीं हैं। श्री ज्योतिर्मय बसु की घोटाले में रुचि बढ़ गई है। इस रवैये से यह होगा कि जनता को यह पता लग जायेगा कि विपक्षी दल लोकतंत्र में कितनी कम निष्ठा रखते हैं।

इस सभा को ज्ञात है कि लोक लेखा समिति के सभापति के रूप में उन्होंने कितनी राजभक्ति और संसदीय प्रतिष्ठा बनाये रखी। दुःख की बात यह नहीं है कि देश में कांग्रेस दल सत्तारूढ़ है, परन्तु यह है कि गैर-जिम्मेदार व्यक्ति गर-जिम्मेदारी वाले वक्तव्य देकर लोकतंत्र के उन्नायक होने का दावा करते हैं (**अन्तर्बाधाएं**)।

मैं जबलपुर से आये अपने युवक मित्र को, जिसने हम सभी को बिजली के खंभे कहा है, यह बताना चाहता हूं कि इनमें विद्युत् धारा है और इन्हें छूने पर उन्हें धक्का पहुंचेगा। सरकार जबलपुर महल में छिपे खजाने का पता लगाने का उत्तरदायित्व लेती है परन्तु वह ग्वालियर में छिपे खजाने का पता लगाने का उत्तरदायित्व संभालें।

श्री ज्योतिर्मय बसु को अविश्वास प्रस्ताव लाने की आदत सी बन गई है। इससे उन्हें कुछ कहने का अवसर मिल जाता है।

Shri Bhogendra Jha (Jainagar): The Minister of External Affairs has said that our expectations in regard to developments in Indo-China have proved right. The Minister has given expression to the pride of Asian Countries so far as happenings in Indo-China are concerned. The steps taken by the Government in regard to Sikkim, Kashmir and Arunachal Pradesh have strengthened democratic forces in the country.

During the last four five months the Government have taken certain steps to tackle the economic crisis faced by the country. Some anti-smuggling measures have been taken. Also the rate of interest on loans by public institutions to wholesalers has been increased. Even these small measures have arrested the price increase. If proper measures are taken, the prices can be brought down. The Government should take over wholesale trade in essential commodities. But the hold of capitalists on the Government is so strong that it will not take any step which goes against their interests. The Government should atleast impose a ban on lending of public money by banks to wholesalers. The wholesalers should be allowed to invest their own money. In this manner, black money with wholesalers will come out. The prices will also come down.

The number of monopoly houses has gone up and their assets have also increased. It shows that the Government do not have the courage to curb monopoly.

Multi-national companies are growing in our country. What these companies have done in Chile is well known. In the matter of oil in Bombay some bargain is being struck with these companies. It will pose a danger to our independence.

Shri T. A. Pai has said that purchase of shares in the public sector will be allowed this year. The public sector cannot be bartered away by a Minister. The country will not tolerate that.

The people have been waiting for the small car for the last so many years, but the Government of India cannot do any thing. Monopolists have succeeded even to have Maruti under their control. The time has come when car factories manufacturing ambassador, fiat, Standard and Maruti should be nationalised.

It is an established fact that corruption cannot be eradicated so long as monopoly prospered. Capitalism and monopoly cannot flowish without corruption. But our Government bowing before monopolists, profiteers and big land lords.

It was said in 1973 that land reforms would be implemented. But nothing tangible has been done in this regard. Harijanas and poor people are being evicted and when they demand implementation of land laws they are being suppressed. The Government should give all help in the implementation of land laws.

The partyless democracy is coming to an end in Gujarat. In the face of growing fascist tendencies democratic forces come together, consolidate the position and go forward.

श्री सी० एम० स्टीफन : दुःख की बात है कि इस सभा का बजट सत्र दयनीय और सनसनीदार तरीके से समाप्त हो रहा है। और जनता के लिए कोई संदेश छोड़कर उसका अवसान नहीं हो रहा है। इस प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्ता श्री ज्योतिर्मय बसु का लम्बा

भाषण कल्पनाओं पर आधारित है। उनके भाषण को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहले भाग में उन्होंने विदेशी फर्मों की कहानियां सुनाई हैं। उन्होंने पढ़कर जो सुनाया है वह संसद् में पेश करने से पूर्व किसी से लिखवाया गया है जो उन्होंने ज्यों का त्यों पढ़कर सुना दिया है। भाषाण के दूसरे हिस्से में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किये ह। भाषण के पहले हिस्से में उन्होंने कम्पनियों के नाम गिनाकर उन पर आरोप लगाये हैं।

स्वतन्त्रता संघर्ष के दौरान, जब श्री बसु एक युवक थे, कहां चले गये थे। उस समय षड्यंत्रों के मामले सुनने में आते हैं। अंग्रेजों ने देश के क्रांतिकारी आंदोलन क्षेत्रों में अपने एजेंट छोड़ रखे थे। अविश्वास प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्ता श्री बसु साम्यवादी आंदोलन में विदेशी फ़र्मों के एजेंट रहे हैं। और उन विदेशी फ़र्मों ने इनको इस सभा में पढ़कर सुनाने के लिए सामग्री दी है। श्री बसु का कलकत्ते में एक परिवारिक घर है जो रात्रि में असाधारण कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है। इनके पूरे भाषण में कोई भी बात उत्तर देने योग्य नहीं है। उससे केवल उनका दुर्भावनापूर्ण व्यक्तित्व स्पष्ट हो जाता है।

आज के भ्रष्टाचार की बात करते हैं। मुझे वह समय याद आता है जब केरल में संयुक्त मोर्चे की सरकार थी और श्री ई० एम० एस० नम्बूदरिपाद मुख्य मंत्री थे। मतभेद होने पर उन्होंने सी० पी० आई० को मंत्रिमण्डल से निकाल दिया और श्री टी० वी० थामस और श्री एम० एन० गोविंदन नायर पर कुछ आरोप लगाकर अपनी पसन्द के एक न्यायाधीश को जांच सौंप दी। बाद में मार्क्सवादी साम्यवादी दल के मंत्रियों, श्री इम्बीची बावा, के० टी० पी० के श्री विलंगडन, और श्री कृष्णन के विरुद्ध जांच के लिये विधान सभा में संकल्प पारित हुआ; जांच करने वाले न्यायाधीशों ने श्री गोविंदन नायर और श्री टी० वी० थामस को निर्दोष ठहराया और अन्य तीन मंत्रियों को भ्रष्टाचार, दुर्विनियोग, भाई भतीजावाद और सरकारी पद के दुरुपयोग का दोषी पाया। अब हम देखते हैं कि मार्क्सवादी साम्यवादी दल भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाने वाले दल के रूप में आया है जहां कहीं भी भ्रष्टाचार के मनगढ़न्त और कल्पित आरोप होंगे, वहां पर आप श्री ज्योतिर्मय बसु को अवश्य पायेंगे क्योंकि वे इसके उपासक हैं, वे भ्रष्टाचार के छलयोजन में सिद्धहस्त हैं और इससे लाभ उठाते हैं। मैं एक बात और याद दिलाना चाहता हूं कि श्री नम्बूदरिपाद के मुख्य मन्त्री काल में उनके पुत्र को केरल परिवहन निगम में एक उच्च पद पर नियुक्त कर दिया गया था, जिसकी नियुक्ति को न्यायालय ने पूर्णतः भ्रष्ट ठहराया और उसे पद से हटाना पड़ा। इस तथ्य के सत्यापन के लिये मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं।

मैं इस अविश्ववास प्रस्ताव का प्रयोजन समझने में असमर्थ हूं। राष्ट्रपति के अभि-भाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव और बजट पर चर्चा के दौरान किसी भी विषय को उठाने की पूर्ण स्वतन्त्रता होती है। उस समय इन सब बातों पर चर्चा हुई थी। अनुदानों की मांगों पर चर्चा के समय भी इसी प्रकार की चर्चा हुई थी। यह संसदीय परम्परा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यावाद प्रस्ताव और बजट की स्वीकृति को सरकार में विश्वास प्रकट करना माना जाता है। जब सत्र समाप्त होने जा रहा था तो यह प्रस्ताव लाया गया और वही पुरानी बातें दोहरायी जा रही हैं। 1952 में प्रधान मंत्री जब कांग्रेस अध्यक्ष थी तो अमुक बात हुई इसलिए 1975 में उन्हें त्याग-पत्र देना चाहिए। 1971 में कुछ बात हुई, तो 1975 में प्रधान मंत्री त्यागपत्र दें। ये बातें है श्री बसु के मस्तिष्क की उपज

[श्री सी० एम० स्टीफन]

कोई नई बात नहीं हुई है। मेरा आरोप है कि अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक को रोकने के लिये तीन दिन से कोई न कोई बात उठाई जा रही है। आज अन्तिम दिन इस सभा में भ्रष्टाचार के प्रतीक और विदेशी फ़र्मों के एजेंट श्री बसु यह अविश्वास प्रस्ताव ले आये हैं ताकि यह विधेयक पास न हो सके।

वे हम पर श्री के० के० बिड़ला के साथ मिले होने का आरोप लगाते हैं परन्तु अपने चारों ओर नहीं देखते कि वे किन लोगों से घिरे हुए हैं। वे जनसंघ, संगठन कांग्रेस और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जैसे प्रतिक्रियावादियों तत्वों के साथ मिल गये हैं। लाल झंडा जो श्रमिकों के क्रांतिकारी संघर्षों का प्रतीक रहा है, आज प्रतिक्रियावादियों तत्वों और दक्षिण-पंथी शक्तियों के पापों को छिपाने के लिये प्रयोग किया जा रहा है।

संसद् सरकार की नीतियों की आलोचना के लिये हैं। मैं श्री भोगेन्द्र झा के भाषण की सराहना करता हूं यद्यपि मैं उनसे सहमत नहीं हूं क्योंकि उन्होंने सरकार की नीतियों की आलोचना की। प्रश्न यह कि क्या सरकार ने आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मोर्चों पर राष्ट्र के समस्त विभिन्न समस्याओं और खतरों से निपटने का प्रयास किया या नहीं। विरोधी पक्ष में प्रत्येक जिम्मेदार व्यक्ति यह स्वीकार करेगा कि सरकार ने ऐसा प्रयास किया। हो सकता है कि उन्हें पूर्ण सफ़लता न मिली हो परन्तु उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप स्थिति पर काबू तो पा लिया गया। मुझे कोई संदेह नहीं है कि सभा इस प्रस्ताव को अस्वीकार करेगी, जो सारे देश द्वारा इसके अस्वीकार किये जाने का प्रतीक होगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): Mr. Chairman, Sir, the clock has taken full round and the country has again come on the crossroads. The question is whether there should be fundamental changes in the country through peaceful means or the country may go towards total anarchy?

By nationalising banks and abolishing privy purses of princes, the Prime Minister had raised rays of hope among the common people that she was sincere in improving their lot. But now her party is thinking of seeking help of Gaekwad of Baroda to save its sinking boat in Gujarat. As regards nationalisation of banks, government admitted in the House that the big houses were the main recipients of the loans by nationalised banks. Five big banks are running in loss. In case of United Commercial Bank as on 31-12-73, there were bad debts amounting to Rs. 1,69,51,674.32 but still its Chairman got an extension of service for three years. Who is the Union Minister behind this extension? For which service has he been rewarded?

The state of affairs in the Central Bank of India are still worse. I will like to give two cases. The Kurneel Branch of the Bank advanced a sum of Rs. 20 lakhs for agriculture, out of which it is not possible to realise a sum of Rs. 10 lakhs. The cashier of the Bank was guilty of exaggerating the financial position of borrowers but instead of being punished he was granted promotion simply because he enjoyed the confidence of employees association controlled by the C.P.I. In case of Warangal Branch an amount of Rs. 10 lakhs out of a loan of Rs. 25 lakhs turned out to be bad debts. An enquiry was conducted against the Agent and Agricultural Finance Officer but no action was taken against them under the pressure of the Employees Association. Then, the appointments in

the Bank are not made by the management but by the Employees Association. When some vacancies fell vacant in Hyderabad, the applications were sent to Madras and 300 persons—all connected with the C.P.I. in one way or the other—were appointed. If Government orders an enquiry I will be prepared to provide the evidence.

The poverty in the country has increased. A demand has been made for the ouster of U.P. Chief Minister, Shri Bahuguna. To-day the Congress Party is riddled with internal conflicts and dissensions and somehow trying to keep itself in power. The malig ning of the movement launched by Shri Jaya Prakash Narayan cannot serve as a cover for their failures.

The dignity and utility of Parliament has been degraded. The pillar of democracy, the highest representative forum of the people has become a centre of uproar. Although Prime Minister is the leader of the House, she is not taking interest in the proceedings of Parliament. What sort of democracy is it where opposition has to gherao the Speaker in the House for debate on licence scandal? Is it democracy where Morarji Desai has to stake his life for elections in Gujarat before monsoon? Government gave up its proposal to amend MISA only after uproarious scenes in the House. If there is national emergency in any part of the country can the media of consultation with the opposition not be adopted? When it is the question of curbing the personal freedom, it is not considered necessary to consult the opposition though they may be invited by the Prime Minister to put their seal on decision on Sikkim. In fact she has demolished all bridges of dialogue with the opposition. Government is not prepared to tolerate the opposition, what to talk of reciprocating the respect shown by them. Difference of opinion is treated as enmity. Dissent is bound to be there in democracy. But an attempt is being made to suppress all dissent.

If anything untoward happened in the country, whether it be the Samastipur Bomb incident, or entry of a youngman, armed with a pistol, into the Allahabad High Court or throwing of hand grenade into the car of Chief Justice of India, the opposition is blamed. Why have the culprits in the Samastipur bomb blast not been apprehended so far? If fascist powers or people connected with J.P. movement, or Anand Marg are responsible for murder of Shri L. N. Mishra, why don't you put them in the dock. Does it not mean that the C.B.I. is trying to hide the facts. The people appearing in the 44-45 photographs of the inauguration ceremony at Samastipur have not been interrogated! What happened to the "Baba" who was with Shri Mishra in his compartment? How could Govinda Mishra, who claims to be a Congressman and who got advertisements for his paper from Centre as well as States, reach the point where metal detector was installed when there were strict security arrangements?

The third incident took place in New Delhi when hand granade were thrown on the Chief Justice of India in broad day light. What is the use of Government spending Rs. 100 crores on its research and analysing wing in addition to expenditure on intelligence, when they cannot apprehend the culprit? An attempt was made by the Delhi Police to exhort testimony from the servants at the residence of a former M.P. near the place of the incident that they saw the culprit running from the scene of the crime though they had not seen anybody.

An attempt is being made to create an impression in the country that democracy is being threatened by the opposition. Concentration of unlimited powers in the hands of the Prime Minister is sought to be justified on this ground. Re-

[Shri Atal Bihari Vajpayee]

venue intelligence, defence intelligence and internal intelligence are all under the control of the Prime Minister and not under the charge of respective Ministers. Prime Minister's Secretariat has become a parallel government and still Prime Minister feels insafe and accuses people that they want to remove her. Is it a sin or a crime or conspiracy to remove the Prime Minister in a democratic country? I fail to understand why the Government led by the Pirme Minister is not able to bring about radical charges in the life of the country inspite of the massive majority, extraordinary powers, unlimited powers in emergency.

What is the justification in continuing the emergency. Peace has returned after the Pakistan attack in December, 1971. The conquered territory has been given back, P.O.Ws. repatriated, Simla agreement reached and exchange of correspondence started. Where is the emergency? Now it is said there is threat of aggression from sea. After all U.S.S.R. is not going to attack us. We are grateful to that country for its friendship and help during the hour of need. But it cannot be allowed to interfere in our internal affairs. Then the Chinese Naval Power cannot be a threat to us because it is not so strong. And how can U.S.A. who had to retreat from Vietnam and Cambodia dare challenge a big country like ours? If there be a danger in future, emergency can be declared again. It is being said that Government wanted extraordinary powers to check smuggling. But in fact 323 persons charged with smuggling have not been apprehended so far. Government has failed even to attack their property.

Althouh donations to political parties by the companies are not allowed, crores of rupees are being collected from them by the Congress in different ways. There is a firm, M|s Jayaram Private Limited, which supplies cotton waste to the Railways. Cotton waste worth Rs. 5,93,77,442 has been purchased from this firm ignoring the rule that tenders would be invited every four months and small companies would be given a chance. It is the same notorious company which obtained a licence for polyster and synthetic fibre by showing foreign exchange in Afghanistan.

Second case relates to grant of licences to Paramount Engineering Works, Lucknow, amounting to Rs. 2 lakhs in 1969-70 and worth Rs. 65 lakhs in 1970-71. It turned out to be a bogus company. It is doubtful if any worthwhile enquiry would be held into this case since it leads to a person in power.

In a letter dated 27th November, 1972 to an M.P. the Prime Minister said that there was a very well settled procedure to examine memoranda against a Chief Minister. And the procedure is that he should furnish his comments to her in confidence in order to enable her to determine whether or not there is a need for a commission of enquiry. It is not enough to do justice but justice should also appear to have been done. If the Chief Minister belongs to the party to which the Prime Minister belongs how could she inquire into the charges? The procedure should be such as may not be challenged by anybody. If the practice of making allegations and counter charges is to be stopped, proper enquiry into the accusations should be made.

It is not an attack on the ruling party by the opposition but the very edifice or democracy is crumbling. The greatest failure of the Government is the creation of crisis of confidence in the country and that is the reason for bringing this no confidence motion.

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली) : श्री वाजपेयी और विपक्षी दलों के अन्य नेता देश में समाज को पूर्णतया बदलना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में श्री जयप्रकाश ने यह कहा है कि जनसंघ के लिये पूर्ण क्रांति का केवल यह अर्थ हैं कि श्री अडवानी प्रधान मन्त्री बनें। केवल जनसंघ ही नहीं परन्तु सभी विपक्षी दल यह चाहते हैं कि उनके नेता प्रधान मंत्री बने। इसलिये आज क्रांति और समाज को पूर्णतया बदलने की रट लगा रहे हैं। श्री जय प्रकाश नारायण ने, जो इस क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं, सभी विपक्षी दलों में अविश्वास प्रकट किया है। देश में अविश्वास की भावना फैलाने के लिये विपक्षी दल ही जिम्मेवार हैं। देश में राजनीतिक अस्थिरता और कांग्रेस दल के अन्दरूनी मतभेदों के संबंध में मैं वाजपेयी जी से पूछना चाहता हूं कि उनके दल की जो दिल्ली नगर निगम में सत्ता में था, अब क्या स्थिति है? आपके दल के एक नेता ने जनसंघ भवन से ही आत्म हत्या क्यों कर ली। क्या इसका कारण अन्दरूनी मतभेद नहीं है। जनसंघ की तुलना में कांग्रेस कई राज्यों में सत्ताधारी है और कांग्रस दल बहुत बड़ा दल है। अन्दरूनी मतभेदों का होना तो एक स्वाभाविक बात है। जहां तक राजनीतिक अस्थिरता का सम्बन्ध है, यह तो विपक्षी दल वाले लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब चूंकि उन्हें अपने प्रयत्नों में सफलता नहीं मिल रही है, इसलिये इस असफ़लता के कारण ही विपक्षी दलों ने सत्र के अन्तिम दिन यह अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। विपक्षी दल असंसदीय और असंवैधानिक उपायों द्वारा लोकतन्त्र को समाप्त करना चाहते थे। परन्तु लोगों ने उनका समर्थन नहीं किया है। अब प्रधान मन्त्री के विरुद्ध तरह-तरह के आरोप लगा कर उनका अपमान किया जा रहा है। इतने बड़े-बड़े भाषण दिये जाते हैं परन्त उनमें सार कुछ नहीं होता क्योंकि जो आरोप लगाये जाते हैं उनके पक्ष में कोई सबूत नहीं होता है। श्री ज्योतिर्मय बसु ने किलाचन्द को आयात लाइसेंस देने में दो करोड़ रूपया की लेनदेन की बात कही और यह भी कहा कि यह सौदेबाजी प्रधान मन्त्री के कार्यालय में हुई। उस समय श्री टंडन भी वहां पर उपस्थित थे। इस सम्बन्ध में मैं यह स्पष्ट कर दूं कि मैं श्री टंडन को बहुत अधिक समय से जानता हूं। प्रधान मन्त्री के सचिवालय में जाने से पूर्व वे दिल्ली के जिला मजिस्ट्रट रह चुके हैं और बहुत ही ईमानदार और सक्षम अधिकारी हैं। माननीय सदस्य को यह शोभा नहीं देता कि वे ऐसे अधिकारी के विरुद्ध ऐसा आरोप लगायें।

श्री ज्योतिर्मय वसु: यदि आप अभिलेख को देखें तो आप पायेंगे कि मैंने श्री टंडन के विरुद्ध बेईमानी और भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगाया है। मैंने रकम के लेन देन के बारे में कुछ नहीं कहा है। मैंने तो केवल इतना कहा था कि श्री टंडन के कमरे में एक बैठक 14 अगस्त को 11 बजे हुई थी औ यह मैं सिद्ध करने के लिये तैयार हूं।

श्री एच० के० एल० भगत : यह आरोप तो है ही कि यह सौदेबाजी उनकी उपस्थिति में हुई। वास्तव में बात यह है कि बसुजी इतने निराश हो गये हैं कि वे अगली बार संसद् में आना ही नहीं चाहते हैं।

भारत इतना बड़ा देश है जिसका शासन केवल प्रधान मन्त्री ही नहीं चला सकता है। विभिन्न प्रकार की विषमताओं वाले इस देश की बागडोर कोई नेता ही कर सकता है जिसका सभी सम्मान करते हैं। खेद है कि इतने बड़े देश के प्रधान मन्त्री के विरुद्ध ऐसे निराधार

[श्री एच०के०एल० भगत]

और गलत आरोप लगाये जाते हैं जिनसे देश के इस विशिष्ट नेता का अपमान किया जाता है। ये सब हमारे राष्ट्र के हित में नहीं है। अतः मैं अपील करता हूं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिये।

श्री वाजपेयी का यह कहना कि देश में लोकतन्त्र समाप्त हो गया है, बिल्कुल गलत है। गुजरात में शीघ्र चुनाव कराने के लिए श्री मोरारजी देसाई द्वारा किये गये अनशन को ध्यान में रख कर उनकी बात को स्वीकार कर लेना इस बात का परिचायक है कि देश में लोकतन्त्र है। यद्यपि विपक्षी दल वाले केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट देखने के हकदार नहीं थे तथापि यह रिपोर्ट उन्हें दिखाई गई। जगह-जगह बैठकें करना और वहां पर कभी कभी ऐसी ऐसी बातें करना, जिनका कोई अर्थ नहीं है, ये सब बातें लोकतन्त्र की ही परिचायक है।

श्री ज्योतिमय बसु ने लोक लेखा समिति का हवाला दिया है। लोक लेखा समिति के जो निष्कर्ष हैं उनके लिये केवल बसुजी ही जिम्मेदार नहीं हैं। यह काम तो सामूहिक रूप से होता है और इसके अतिरिक्त इस समिति में बहुसंख्या तो कांग्रेस के सदस्यों की होती है। लोक लेखा समिति ने जो कार्य किया है उसका श्रेय केवल बसुजी को नही दिया जा सकता। कुछ भी हो मार्क्सवादी वामपंथी संसदीय लोकतन्त्र में विश्वास ही नहीं रखते है इसलिये ये लोग लोकतन्त्र को समाप्त करने पर तुले हुए हैं। कई तरह के आरोप लगाये जाते हैं। कभी मारुति को ले कर और कभी किसी एकाधिकारी उद्योग गृहों को ले कर। क्या यह एक मामूली बात है कि हमारा एक युवक, जो प्रधान मन्त्री का सपुत्र है, एक देशी कार का निर्माण कर रहा है और कार तैयार भी हो गई है। कठिनाई यह है कि बसु साहब यह नहीं जानना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है? बंगाल में मार्क्सवादियों ने जो कुछ किया है, हम अभी उसे नहीं भूले हैं। वहां पर हजारों लोगों को जान से मार दिया गया और उन पर न जाने क्या-क्या अत्याचार किये गये। वाजपेयी जी कहते हैं कि कांग्रेस की भ्रष्ट और पक्षपात करने वाली सरकार को हटाने के लिये कोई विकल्प क्यों नही है। इसका कारण यह है कि विपक्षी दलों ने देश के सामने जो समस्याओं हैं उनको हल करने के लिये कुछ नहीं किया है। उन्हें केवल आरोप लगाना और लम्बे-लम्बे भाषाण देने आते हैं। दूसरी ओर कांग्रेस सरकार ने पिछले छः मास में बहुत ही सराहनीय कार्य कर दिखाया है।

पिछले ७: मास में मूल्य-वृद्धि को रोका गया है; मुद्रास्फीति पर नियंत्रण कर लिया गया है; सिक्किम भारत के और अधिक समीप आ गया है; हमने अन्तरिक्ष में अपना उप-ग्रह छोड़ा है; तेल का पता लगाने में प्रगति हुई है; और बिजली और ऊर्जा की स्थिति में सुधार हुआ है; आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता में भी वृद्धि हुई है। सरकार की ये उपलब्धियां प्रशंसनीय हैं। इसके विपरीत विपक्षी दलों का काम गालियां देना, प्रदर्शन कराना, धरना देना, डराना धमकाना और हड़तालें कराना ही रहा है। यही कारण है कि लोग आपका समर्थन नहीं कर रहे हैं। जनता का विपक्षी दलों में कोई विश्वास नहीं है। अतः वे कैसे सरकार बना सकते हैं।

*श्री ए० दुराईरासु (पैरम्बलूर) : मैं डी० एम० के० की ओर से अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

गत 27 वर्ष में कांग्रेस सरकार ने जनता को जो भी आश्वासन दिये थे, उन्हें क्रियान्वित नहीं किया है। आर्थिक विकास की आधार पंचवर्षीय योजनायें असफल रही हैं। केन्द्रीय सरकार ने लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं पर पानी फेर दिया है। केन्द्रीय सरकार अपना कर्त्तव्य करने में पूर्णतः असफल रही है। ये सब बातें केन्द्रीय सरकार के भूतपूर्व मंत्री, श्री मोहन धारिया ने लोक सभा में कहीं हैं। इन परिस्थितियों से जनता को अवगत कराने के लिये विपक्षी दलों ने सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव सभा में पेश किया है।

भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक देश है और विश्व के कई भागों में श्रीमति इन्दिरा गांधी की प्रगतिशील नीतियों की सरहाना की गई है। परन्तु वास्तविकता यह है कि सत्तारुढ़ दल देश में निरंतर रूप से सत्ताधारी बना रहने की दृष्टि से संविधान के उपबन्धों का प्रयोग कर रहा है। 3 दिसम्बर, 1971 को देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी क्योंकि पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया था। यह युद्ध केवल पन्द्रह दिन चला था। देश में तुरन्त सामान्य स्थिति स्थापित होने के पश्चात् अब 40 मास होने के बाद भी अभी तक आपातकाल की घोषणा को वापस नहीं लिया गया। लोगों के मूल अधिकारों को समाप्त किया जा रहा है। गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को न्याय पाने का कोई अधिकार नहीं है। विपक्षी दलों के लोगों को जेलों में भरा जा रहा है और इस प्रकार सत्तारूढ़ दल हर तरह से अपना उल्लू सीधा करने में लगा हुआ है। इस संवैधानिक अनौचित्य को कब समाप्त किया जायेगा ?

गत 27 वर्षों में गरीबी और अधिक बढ़ गई है। देश में 25 प्रतिशत ग्रामों में भी बिजली की व्यवस्था नहीं की जा सकती है। 80 प्रतिशत गांवों में पीने के जल की व्यवस्था नहीं है। मद्रास नगर में गुलाटी आयोग की सिफारिशों के आधार पर पीने के जल की व्यवस्था करने की योजना को क्रियान्वित नहीं किया जा सका है क्योंकि केन्द्रीय सरकार इसमें रोड़ा अटका रही है। मद्रास नगर में जल की कमी को दूर करने के बारे में गुलाटी आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने तथा विरानम परियोजना के लिये वित्तीय सहायता देने में देरी की जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकार पर है।

डी०एम०के० सरकार ने गत 7 वर्षों में समस्याओं के प्रति व्यावहारिक रवैया अपना कर ऐसा महत्वपूर्ण कार्य कर दिखाया है, जो कांग्रेस सरकार 17 वर्षों में नहीं कर सकी थी। तमिलनाडु में हरित क्रान्ति हुई और वहां पर आवश्यकता से अधिक अनाज होने लगा। जब वहां के मुख्य मंत्री ने देश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में अनाज भेजने के लिये तत्परता दिखाई तो केन्द्रीय सरकार ने उन्हें ऐसा नही करने दिया। इस समय स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई है। वर्षा के न होने से समूचा तमिलनाडु सूखाग्रस्त है। राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनाज मांगा जिससे भूख से मरने वाले लोगों को बचाया जा सके। राज्य सरकार ने यह भी कहा कि यदि केन्द्रीय सरकार अनाज नहीं दे सकती तो वह उन्हें फालतू अनाज वाले राज्यों से खरीदने की अनुमति दे दें या उनके लिये चावल

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

[श्री ए० दुराईरासु]

का आयात किया जाये । परन्तु केन्द्रीय सरकार ने एक न सुनी । अन्य सूखाग्रस्त राज्यों की तुलना में 7.50 करोड़ रुपये की बहुत कम सहायता दी गई । खेद है कि सत्तारूढ़ दल प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित लोगों को यह अनुभव कराना चाहती है कि उनको तमिलनाडु सरकार नहीं बल्कि केन्द्रीय सरकार ही बचा सकती है । यह ऐसा राजनीतिक लाभों के लिये किया जा रहा है । यदि सरकार वहां के लोगों को बचाना चाहती है, तो उसे चाहिये कि वह तमिलनाडु को पर्याप्त अनाज विशेषकर चावल भेजे ।

जब केन्द्रीय सरकार ने मुख्य वाणिज्यिक बैंकों और सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण तथा प्रिवी पर्सों को समाप्त करने जैसे प्रगतिशील कदम उठाये थे, तो डी०एम०के० ने उनका पूरा समर्थन किया था । परन्तु अब जब हमारी सरकार तमिलनाडु में प्रगतिशील कदम उठा रही है, तो केन्द्रीय सरकार हमारा समर्थन नहीं कर रही है । केन्द्रीय सरकार द्वारा किये गये प्रगतिशील उपायों से लोगों को कोई लाभ नहीं हुआ है, अब कांग्रेस दल ने विपक्षी दलों पर प्रहार करना आरम्भ कर दिया है । सत्तारूढ़ कांग्रेस दल का यह रवैया लोकतंत्रात्मक पद्धति के लिये अच्छा नहीं है ।

आज 15 करोड़ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की दशा बहुत ही खराब है । सरकार अस्पृश्यता अपराध विधेयक को पेश करने में देर कर रही है । यदि सरकार अस्पृश्यता को समाप्त करना चाहती है तो उसे सम्पत्ति रखने के मूल अधिकार को बदलना होगा क्योंकि इस अधिकार की आड़ में बहुत शोषण हो रहा है । जब सरकार सिख धर्म से आये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को सभी प्रकार की सुविधायें देती है तो वह यही सुविधाएं और रियायतें ईसाई धर्म से आये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को क्यों नहीं देती । ये रियायतें केवल पिछड़ेपन के आधार पर ही दी जानी चाहिये ।

देश में दो ही राज्यों अर्थात् गुजरात और तमिलनाडु में मद्यनिषेध लागू है । परन्तु केन्द्रीय सरकार इन राज्यों को होने वाली हानि को पूरा नहीं कर रही है । इस प्रकार सत्तारूढ़ कांग्रेस दल संवैधानिक उपबन्धों की अवहेलना कर रहा है ।

Shri Madhu Limaye (Banka): On a point of order, Sir, the Central Hall is a lobby of this House, but M.L.As. of Uttar Pradesh are washing their dirty linen there.

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad): The Central Hall is not an office of the Congress Party. If M.L.As use it like this, a privillege motion should be brought.

Mr. Chairman: I will ask the Secretariat to look into the matter.

Shri Hari Kishore Singh (Pupri): It is surprising that Shri Basu has brought forward a No-confidence motion on the last day of the session. The purpose for which this motion has been brought forward is not clear.

Recently we have made a significant advance in the scientific field. We have successfully launched Aryabhata in space. This achievement has been hailed all over the world. Secondly, our Prime Minister has very creditably represented our country in the Commonwealth Prime Ministers' Conference. Perhaps the opposition parties have been annoyed by these two achievements.

The Government have been accused of ushering in an authoritarian rule in the country by continuing emergency. Those who accuse the Government of dictatorial tendency should remember that the freedom which they are enjoying in this country is not available in countries where there is authoritarian rule. These may be misuse of certain powers by an Official here or there, but it is wrong to say that the country is drifting towards dictatorship.

So far as economic crises is concerned, I do agree with Shri Vajpayee that our economy is in the doldrums and there is a crisis of confidence. The position of our parliamentary system is also critical. This system has failed to solve our problems. In order to rectify the situation, the opposition parties should come forward to play their due role. They should not adopt such measures as are opposed to the Parliamentary System. Because Government alone may not be able to safeguard it. As regards our economy, ours is a mixed economy. I think, mixed economy is not going on well and as such we should change it. We should, however, do so through democratic methods.

Shri Jyotirmoy Bosu has said that there is collusion between the Congress and Birla Brothers. When there was Namboodiripad Ministry in Kerala, they gave a number of concessions to Birlas. These concessions were alright in the eyes of Shri Bosu, but if a concession is given by a Congress Government, it is bad.

I think there was no justification for bringing forward this no confidence motion as such it should be rejected.

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : संसदीय व्यवस्था में लोकतंत्र अथवा प्रधान मंत्री को यदि कोई सब से बड़ी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकता है तो वह यह कि वह अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत कर दे। तथा जो प्रधान मंत्री इसे बुरा माने उसके बारे में यह समझा जाना चाहिए कि उसे लोकतंत्र में विश्वास नहीं है । हमारे देश में यही हो रहा है । प्रधान मंत्री देश का दौरा करते हुए लोगों को यही बता रही है कि वे मुझे वर्तमान स्थिति से निकालना चाहते हैं। प्रधान मंत्री द्वारा इस प्रकार की शिकायत करने की बात संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में नहीं मिलती ।

यदि उन सब प्रश्नों को इकट्ठा किया जाए जो हमने विगत काल में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान उठाए थे तथा जिनका उत्तर नहीं दिया गया है तो आप कहेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव का आना ठीक है। आप श्री मोहन धारिया के आरोपों को ही ले लीजिए । कि ही आरोपों का खण्डन नहीं किया गया है । सरकार उन वायदों को भी पूरा नहीं कर सकी है जो इसने 1971-72 के चुनावों में लोगों से किए थे। ये सब बातें मैं नहीं कह रहा हूं। ये बाते कांग्रेस के सदस्य द्वारा कही जा रही हैं। अतः ऐसी स्थिति में सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है ।

सरकार ने देश के नैतिक स्तर को गिरा दिया है । दल बदल विधेयक के विचाराधीन होते हुए भी सत्तारुढ़ दल दल बदलुओं को अपने दल में शामिल कर रहा है। इस तथ्य से कि विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दिया गया है यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि आप उसके विभिन्न सिद्धान्तों से सहमत हैं परन्तु फिर भी आप अन्य दलों के लोगों को अपने दल में ले रहे हैं । इससे स्पष्ट है कि आप इस देश में कैसा स्तर कायम करना चाहते हैं ।

[श्री श्यामनन्दन मिश्र]

यहां पर बहुत से सदस्य प्रधान मंत्री की प्रशंसा में ही बोलने वाले हैं परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि गोआ में 1968 में जो वायदे किए गए थे उनका क्या हुआ है । यह भी कहा गया था कि मद्य-निषेध सात वर्ष में पूरी हो जाएगी । गुजरात के चुनाव से पता लगेगा कि वहां के लोगों का रवैया मद्यनिषेध नीति के बारे में क्या है ।

यह सरकार देश के साथ शत्रु जैसा व्यवहार कर रही है । प्रधान मंत्री तथा देशवासियों के बीच खाई बढ़ती जा रही है । मैं जानना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री का विश्वास तथा आशाएं अब कहां चली गई हैं ? उनका 1971, 1972 तथा 1973 का नाम कहां चला गया है ।

इस देश के सभी बड़े बड़े आदर्श प्रधान मंत्री के नेतृत्व में समाप्त होते जा रहे हैं । आप गुट निरपेक्षता को ही ले लीजिए । यह भी अपना महत्व खोती जा रही है । इसका कारण यह है कि सरकार एक बड़ी ताकत पर निर्भर कर रही है । इसके बाद धर्म निरपेक्षता आती है हाल में जामा मस्जिद क्षेत्र में क्या हुआ था । पुलिस की गोली के निशान अब भी जामा मस्जिद के दर-वाजों पर दिखाई देते हैं । सरकार को अल्पसंख्यकों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का क्या हक है । हम सब को पता है कि गुरुद्वारों के मामले में भी हस्तक्षेप हुआ है । कुछ समय पहले जब श्री गफ्फूर बिहार के मुख्य मंत्री थे तो बिहार आंदोलन की बात कही जाती थी । अब बिहार के लोग जानना चाहते हैं कि श्री गफ्फूर को, जिसका सम्बन्ध अल्पसंख्या समुदाय से था, किस ने सरकार से बाहर किया है । ऐसा सरकार द्वारा ही किया गया है । अतः सरकार अपने कृत्यों द्वारा धर्मनिर्पेक्षता को भी समाप्त करने जा रही है । इसी तरह से सरकार के समाजवादी उद्देश्यों पर भी कोई विश्वास नहीं करेगा। उच्चतम और निम्नतम के बीच विषमता 40 प्रतिशत प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ रही है । मूल्य प्रति वर्ष 30 प्रतिशत बढ़ते जा रहे हैं । मूल्य कम होने की बजाए बढ़ने शुरू हो गए हैं ।

योजना आयोग जैसे बड़ी बड़ी संस्थाओं को प्रधान मंत्री समाप्त करती जा रही है । योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में योजना कार्यों के लिए वह पांच मिनट तक का समय भी नहीं दे सकतीं । आयोजना के नाम पर योजना आयोग के भवन के अतिरिक्त और कुछ नहीं रह गया है । अतः मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हम स्थिरता अथवा कमी के लिए आयोजन कर रहे हैं ? क्या आप इसी को आर्थिक विकास कहते हैं ।

हमारा राष्ट्रीय उत्पादन हमेशा गिरता ही जा रहा है । उद्योगों का उत्पादन भी कम होता जा रहा है । वर्ष 1965–66 की तुलना में उपकरणों तथा मशीनों पर भी कम पूंजी लगी है । आज देश की अर्थ व्यवस्था वह नहीं है जो 1965–66 में थी ।

वैयक्तिक शासन जोर पकड़ रहा है । मैं समझता हूं कि तानाशाह के पास भी इतनी शक्तियां नहीं होती जितनी कि यहां के राजतंत्र के पास हैं । अतः मेरा प्रधान मंत्री से निवेदन है कि आप बड़ी तो बन गई हो परन्तु आपको महान् बनना चाहिए ।

रिचर्ड निक्सन तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी के बीच बहुत समानता है । यदि दोनों की तुलना की जाए तो यह कहना बहुत कठिन होगा कि इन दो में से बढ़चढ़ कर कौन है ?

भ्रष्टाचार के बारे में भी कुछ कहा गया है । सारा देश प्रशासन में भ्रष्टाचार से पीड़ित है । इस शासन में "भ्रष्टाचार और राज" का बोलबाला है । भ्रष्टाचार के आरोपों को दूर करने का इनका तरीका भी विचित्र है । जब हरियाणा के मुख्य मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गये तो प्रधान मंत्री ने इस मामले को अपने मंत्रिमंडल की समिति को सौंप दिया । मैं जानना चाहता हूं कि क्या भ्रष्टाचार के आरोपों को दूर करने का यह तरीका है । उसी तरह से केन्द्रीय सरकार के उप-मंत्री के मामले को महा-न्यायवादी को सौंप दिया गया था वे लोग भ्रष्टाचार के मामलों को हंसते हुए सहते हैं ।

इन बातों के अलावा लाइसेंस कांड अभी शेष है । संसदीय समिति द्वारा ऐसे मामलों की जांच नहीं कराई गई है ।

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि यह सरकार देश की समस्याओं को हल नहीं कर सकी है । यह सरकार आर्थिक समस्याओं का समाधान करने में भी असमर्थ रही है । अतः यह हमारा स्पष्ट मत है कि यदि हम चाहते हैं कि हमारे देश में उन्नति हो तो इस सरकार को जाना चाहिए । हमने ये आरोप बिना सोचे समझे नहीं लगाए हैं । हम सरकार की नीतियों से सहमत नहीं हैं । अतः इस सरकार को अब बस चलना चाहिए ।

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Jagjivan Ram): An hon. Member of the D.M.K. said that in a democracy it is the right of the opposition to bring in a no-confidence motion. While I do not want to interfere with this right, I would, certainly like to ask as to what was the need at the present moment to exercise this right. This being the Budget Session, Members have not only had a general discussion on the budget but had also discussed the Ministries separately. In those discussions Members had ample opportunity to express themselves and say against the Government whatever they wanted to. And to bring in such a motion at the fag end of the session only shows that they have not attached much importance to it.

Much has been said about the grievances of the people and it was said that the Government had lost their credibility. The Government are also aware of the difficulties of the people and are trying to mitigate them in their own way. So far as the question of credibility is concerned, the people still have faith in our Party and that is why they have voted us to power.

The mover of the Motion, Shri Bosu had not made any point. He has repeated, as he is in the habit of doing so, the old charges which we have heard many times. But what is more disappointing is that even Shri Vajpayee who is considered to be a matured statesman failed to rise to the occasion and said things of the type of which Shri Bosu is accustomed. This is most unfortunate both for Shri Vajpayee as well as for this House.

No doubt, the opposition have an important role in a democracy and that role is to criticise the Government. But the criticism should be constructive and it should not be destructive. After all it has to be admitted that the ultimate aim of all of us whether in the ruling party or in the opposition is to lead the country to prosperity. So we should adopt a course which might help in the attainment of this objective.

[Shri Jagjivan Ram]

Again and again, it is said .that the ruling party is weakening the democratic structure. Those who said so should remember that the Congress has been doing its best to uphold this structure and perhaps no other party could match with it in this regard.

Shri Vajpayee raised the question of Gujarat elections. The difficulties of holding these elections at this time of the year that is during June will be realised only when they will go there perspiring from head to toe. So far as the question of Shri Gaekwad is concerned, Shri Vajpayee seems to have forgotten that he (Gaekwad) had joined the Congress long back and had also been a Minister for some time.

As regards drought in Tamil Nadu, no doubt, the failure of rains there has caused great hardships for the people. But the Centre is doing its best to help them and it will be our effort to make available adequate funds so that the relief works do not suffer. So far as supply of foodgrains is concerned, even the State Government has admitted that the Centre had taken prompt action. We may perhaps be in a position to give them all rice but we will certainly try to meet their needs by giving adequate wheat. We have never discriminated with that State on the basis that it is ruled by the D.M.K.

Let it be realised that in a democracy, the aim of the Government and opposition should be common that is to unify and strengthen the nation and lead the people to progress and prosperity. In the heart of their hearts the opposition realises the futility of this exercise of bringing this no-confidence motion and they will do well to withdraw it.

श्री फ्रैंक एंथनी (नामनिर्देशित–आंग्ल–भारतीय) : ऐसे बहुत से कारण विद्यमान हैं जिससे सरकार के प्रति असन्तोष व्याप्त है और उसकी आलोचना हो सकती है। कोई भी सरकार जो इतने लम्बे समय से चली आ रही है उसके साथ ऐसा होना स्वाभाविक है। आलोचना का सब से बड़ा कारण मुद्रास्फीति है जिसके हम सब शिकार हैं। यदि यह स्थिति आगे चलती रही तो वह प्रजातन्त्र के लिए अत्यन्त खतरनाक साबित होगी। किन्तु सरकार इस पर कुछ नियंत्रण करके उसे 32 प्रतिशत से घटा कर 6 प्रतिशत तक लाने में सफल हो गई है जो वस्तुतः बहुत सराहनीय कार्य है।

इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला बहुत है और देश और लोकतन्त्र दोनों के लिए बहुत खतरनाक है। किन्तु किसी दल विशेष को ही हम इसके लिए पूरी तरह दोषी नहीं ठहरा सकते क्योंकि इसका बोलबाला वहां भी है जहां गैर-कांग्रेसी राज्य सरकारें हैं।

आपात स्थिति के जारी रखे जाने के कारण अत्यधिक महत्वपूर्ण मूलभूत स्वतन्त्रता का अधिकार प्रायः समाप्त-सा है। प्रधान मंत्री का यह कहना कि मूलभूत अधिकार स्थगित नहीं किए गए हैं, गलत है। आपात स्थिति की घोषणा करते ही अनुच्छेद 19 स्वतः स्थगित हो जाता है जिसका मतलब है पारी स्वतन्त्रता समाप्त। इन मूलभूत अधिकारों को हम हमेशा स्थगित नहीं रख सकते। इसी कारण मेरी उक्ति यह है कि कुछ अशान्त क्षेत्रों में आपात स्थिति जारी रखी जा सकती है और इसके लिए संविधान में व्यवस्था भी है।

लोकतन्त्र में सत्तारूढ़ दल का कोई विकल्प मिलना चाहिए । किन्तु दुर्भाग्यवश, हमारे यहां इसके कोई आसार नहीं हैं । कोई भी विपक्षी दल इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपनी स्थिति को समाप्त नहीं करना चाहता । यही है भारत की राजनीति का भाग्य । जे० पी० के आन्दोलन ने भारतीय राजनीति की इस समस्या को उजागर किया है । दलविहीन लोकतन्त्र की बात करना केवल असफलता को ही स्वीकार करना नहीं है बल्कि वह राजनैतिक अरुचि का द्योतक भी है । आज देश की सब से बड़ी आवश्यकता है राजनैतिक स्थिरता की । हमारा देश टुकड़ों में विभाजित होने से केवल इस कारण बच पाया है कि हमारे यहां एक काफी संसक्तिशील एवं सुसंगठित राजनैतिक दल है ।

मैं न तो कांग्रेसी हूं और न ही कांग्रेस में शामिल होऊंगा । मैं कांग्रेस की बड़ी आलोचना कर रहा हूं और करता रहूंगा । परन्तु कांग्रेस ने राजनैतिक अस्थिरता और राजनैतिक कुव्यवस्था के आने को रोका है । साथ ही मैं कांग्रेसियों को चेतावनी भी देना चाहता हूं कि यदि आपकी गुटबन्दी से सत्तारूढ़ दल समाप्त हो जाता है तो देश भी बरबाद हो जायेगा ।

मैंने अकेले ही आन्ध्र प्रदेश के बनाये जाने का विरोध किया था क्योंकि हमारे उपमहाद्वीपीय देश में केन्द्र का शक्तिशाली होना अत्यावश्यक है । जिस दिन केन्द्र निर्बल हो जायेगा भारत के इतिहास की पुनरावृत्ति होगी, जो विघटन का इतिहास है और इस से हमें बचना चाहिए ।

अब मैं अपने अल्पसंख्यक वर्ग की ओर से कुछ कहना चाहूंगा हम हिन्दू धर्म के पुनर्जीवन में आस्था रखने वाले दल के उम्मीदवारों को अपना मत नहीं देंगे । हम निरीश्वर धर्महीन दल के उम्मीदवार को अपना मत नहीं दे सकते हैं । जनता उम्मीदवार का ठप्पा लगाने से मत नहीं मिल सकते हैं । लोकतन्त्र में लोग पहले जानना चाहते हैं कि उम्मीदवार किस दल का है । आप मार्क्सवादी साम्यवादी दल के हैं या जन संघ के हैं । श्री मुरारजी देसाई को जनता पार्टी की लोकतन्त्र से अधिक घनिष्ठता नहीं है इसलिए वे संगठन कांग्रेस को मजबूत बनाने में लगे हैं । यदि जयप्रकाश नारायण एक वैकल्पिक लोकतंत्रीय दल का नैतृत्व करते तो मैं उनकी सराहना करता ।

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad): I heard the speech of Shri Jagjivan Ram very attentively. He sent us bursting in laughter. I am thankful to him for it. But it pained me very much to find a man of his stature to make politics a subject of humour.

I was amazed to find that this no confidence motion of Shri Jyotirmoy Bosu caused a stir, a sensation in the ruling party which could not be expected in view of the massive majority it enjoyed in the House. They saw the cracks in the party with the success of some J. P. supporters in the ruling party elections. I wish that this success bears print.

It is quite often objected that we always talked about the Prime Minister. Why should I make allegations against others when the Prime Minister is the repository of all power and everything is dictated by her. Whenever she likes, ministers are shifted from one ministry to another. Not only that she can remove Chief Minister of a State and install anybody as Chief Minister of a State. She has assumed unlimited power. Why should we then talk about others? While refuting the charge of her becoming a dictator, the Prime Minister said that if she was a dictator, she would have not bowed before Shri Morarji

[Shri Janeshwar Mishra]

Desai's demand for early elections in Gujarat. In fact by saving the life of Morarji Desai she saved the life of her Government, which would not have survived even for two days had Mr. Desai lost his life.

I will like to refer to part (e) of Question No. 7627 of 25th April, 1975 regarding smugglers, which was as under:

> "(e) whether the Prime Minister spoke in a meeting called in support of the Daman MLA, who is brother-in-law of Sukar Naran Bakhia in the 1972 elections".

The reply by Shri P. K. Mukherji was:

> "(e) During pre-election period in 1972, the Prime Minister had visited Daman as part of her schedule for election campaign and had addressed a public meeting at Daman".

Who has the connections with the relatives of the smugglers? I would like to know this point.

Mr. Frank Anthony raised the question of minority. In reply to a question on 7th May, 1975 Shri Om Mehta stated categorically that he had no figures about the employment of minorities. They claim to be champions of Muslims but they are being killed to-day. About Harijans I will only say that during Jawaharlal Nehru's tenure when our army suffered defeat at the hands of the Chinese, Defence Minister Shri Menon was asked to resign. But now when our army was victorious in Bangladesh daughter of a Brahmin, the Prime Minister was decorated with 'Bharat Ratna' and not the Defence Minister Shri Jagjivan Ram. So long as caste discrimination continues at the centre, the prosecution of Harijans by caste Hindus—burning of a Harijan at Ghazipur is an example—will continue.

The ruling party is making a mockery of democracy. In Haryana a legislator was unseated from the House for none of his fault. Later the High Court directed not to hold election in his constituency. After this, Government should learn to respect democratic values. Seeing the dramatic movements of Shri Raghuramaiah I am afraid the incidents in Kerala, where the Speaker is so much under the pressure of majority that the entire democratic machinery has failed, may not be repeated here. I have in my possession a letter by the wife of Dr. Dharam Teja of Jayanti Shipping Co., in which it has been said that Shri K. K. Shah and Shri Uma Shankar Dixit had gone to ask for Rs. 20 lakhs for National Herald on behalf of the Prime Minister. I only want to stress that Government should give up the path of deceit, manipulation and political manouvring with these words I request the hon. Members to vote for the no confidence motion.

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra): When Shri Janeshwar Mishtra rose to speak, it appeared as if he was going to deliver an important speech but his exercise may be compared to that of a joker.

Congress won with thumping majority 5 of the 6 assembly by-elections held in M.P., Maharashtra and Karnataka. Therefore, this drama of no confidence

has been staged here with an eye on elections in Gujarat so as to mislead the people there. But I am sure that their hopes are short lived.

For the last 3-4 days an attempt is being made to block, two important items of business *i.e.*, the Untouchability Bill and the appointment of a committee on progress of Hindi.

If we examine the conduct of the exponents of non-violence, we will find much difference in their profession and practice. They are in fact encouraging violence in the country. The attack on Shri Shankar Deo in the premises of Sarvodaya Ashram, Vardha, is the most recent example of it.

Politics is not everything. After all country should be above politics. Prestige of India has been enhanced by the launching of 'Aryabhatta'. The opposition continues to repeat the allegations made by it time and again, which are far from truth. I can only say that at the present juncture country needs confidence and the persons trying to create an atmosphere of mistrust do not enjoy the confidence of the people.

श्री मधु दण्डवते (राजापुर) : यह एक बड़ी चिन्ता का विषय है कि देश में लोकतन्त्र समाप्त हो गया है और हमारी अर्थव्यवस्था पूर्णतया अस्तव्यस्त हो गई है। चाहे यह प्रभुत्व-सम्पन्न संसद की बात हो अथवा स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र तथा निर्भीक प्रैस और टेलीविजन और रेडियो जैसे जनसम्पर्क के माध्यम तथा निर्बाध रूप से मूल अधिकारों का उपयोग की बात हो, सभी क्षेत्रों में लोकतन्त्र पूर्णतया समाप्त हो गया है। मुख्य न्यायाधिपति पर बम का फैंका जाना और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में प्रधान मंत्री का वध करने की तथाकथित वारदात का होना, मुझे हिटलर के समय जर्मनी में जो स्थिति थी उसका स्मरण हो आता है, जब हिटलर ने लोकतन्त्र खतरे में है का नारा लगा कर जर्मनी में संसद को समाप्त कर दिया था। इस देश में भी लोकतन्त्र को समाप्त करने का प्रयास हो रहा है। हमारे देश में प्रभुत्व-सम्पन्न संसद है परन्तु इसमें विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू के समय की और बात थी अब तो सम्पूर्ण संसद् को घृणा की दृष्टि से देखा जा रहा है ।

न्यायपालिका की स्वतन्त्रता भी खतरे में पड़ गई है। न्यायाधिपतियों को उनकी वरिष्ठता से वंचित करने की नीति इस बात की द्योतक है। उच्चतम न्यायालय में श्री ए० एन० राय की नियुक्ति के पश्चात् अब यही प्रक्रिया राज्यों में भी अपनाई जा रही हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति पंडित को, जो सबसे वरिष्ठ और बहुत ही अधिक योग्य व्यक्ति थे, उनकी वरिष्ठता से इसलिये वंचित कर दिया गया क्योंकि उनका मुख्य मंत्री, श्री बंशीलाल के साथ कुछ झगड़ा था। इसके विरुद्ध वहां पर हड़ताल भी हुई परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई। अतः, हमारी न्यायपालिका की स्वतन्त्रता भी समाप्त कर दी गई है ।

सरकार की वर्तमान नीतियों के कारण हमारी आर्थिक व्यवस्था भी अस्तव्यस्त हो गई है। देश में अपेक्षित मात्रा में उत्पादन नहीं हो रहा है। प्रति व्यक्ति आय भी कम होती जा रही है। प्रगति की रफ्तार में वृद्धि न होने के कारण देश में मुद्रास्फीति का बोलबाला हैं। वित्त मंत्री ने आज ही सभा में बताया कि मुद्रास्फीति तो सभी देशों में है। जब वे यह बात कहते है तो वे भूल जाते हैं कि यदि उन देशों में कीमतें बढ़ी हैं, तो उन्होंने उनके साथ-साथ वेतन और मजदूरी में भी वृद्धि की है। परन्तु यहां पर 1949 की तुलना में रुपये का 25.3 प्रतिशत अवमूल्यन हुआ है किन्तु

[श्री मधु दण्डवते]

दूसरी ओर वेतन में उतनी वृद्धि नहीं की जा रही है । वेतन के ढांचे के बारे में कोई समान नीति भी नहीं है । एक ओर तो कहा जा रहा है कि लोक उपक्रमों के मुनाफे और उत्पादन में वृद्धि होती जा रही है, दूसरी ओर मज़दूरों की मज़दूरी बढ़ाने के लिए धन नहीं है। सरकार की नीति में विरोधाभास है । रेलवे की हड़ताल रेलवे कर्मचारियों बल्कि समस्त मज़दूर-वर्ग की भावनाओं, आकांक्षाओं और मांगों की प्रतीक थी परन्तु उसे कुचल दिया गया । प्रधान मंत्री को इस पर सर्वप्रथम 'दि टाइम्स" ने और तत्पश्चात "दि ईस्टर्न इकानामिस्ट ने बधाई दी थी । एफ०आई०पी०सी०आई० के अध्यक्ष ने भी प्रधान मंत्री को बधाई दी थी ।

हम इस अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से केवल किसी एक, दो अधिकारियों को नहीं अपितु सम्पूर्ण सरकार की निन्दा करते हैं और मांग करते हैं कि वह त्यागपत्र दे दें ।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) इस अविश्वास प्रस्ताव का उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है । प्रधान मंत्री जी इस पद पर 9 वर्ष पूर्व आसीन हुई थीं । 1966 से 1971 तक का समय एक संघर्ष का समय था । परन्तु 1971 से 1975 तक की कालावधि में प्रधान मंत्री ने देश में पिछड़े हुए करोड़ों लोगों के कल्याण के लिये कुछ नहीं किया है । प्रधान मंत्री केवल अपनी स्थिति को मजबूत बनाने में व्यस्त रही हैं ।

हमारे माननीय नेता, श्री जगजीवन राम ने गुजरात में निर्वाचनों की बात कही । मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि सत्तारूढ़ दल काले धन और सरकारी व्यवस्था का सहारा न लें, तो वह गुजरात में जीतना तो एक तरफ रहा, सब से बड़ा अल्पसंख्यक दल भी शायद न बन सके । गत वर्ष 182 में से 140 सदस्य थे । अब वे सोच रहे हैं कि शायद 90 सीटें आ जायें । स्पष्ट है कि उनकी साख कम होती जा रही है । देश में भ्रष्टाचार, घूसखोरी, अकुशलता, भाई भतीजावाद, विधि और व्यवस्था की बिगड़ी हुई दशा से देश की हालत चिन्ताजनक हो गई है । कांग्रेस दल काले धन से और अलोकतंत्रीय ढंग अपना कर देश में चुनाव जीतता रही है ।

प्रधान मंत्री के नेतृत्व में सरकार ने चुनाव सम्बन्धी सुधारों को क्रियान्वित करने के लिए विपक्षी दलों के नेताओं और निर्दलीय सदस्यों को आमंत्रित किया था । सरकार इतना तक तो मानने के लिये तैयार नहीं है कि गुजरात में जो चुनाव होने जा रहे हैं उनमें मंत्रीगण नहीं जायेंगे और सरकारी व्यवस्था का भी उपयोग नहीं किया जायेगा । गुजरात विधान सभा में संगठन कांग्रेस के 16 सदस्य थे । उम्मीदवारों की सूची निकलने से पहले ही सत्ताधारी दल ने एक सदस्य को घूस देकर अपने साथ मिला लिया । इसके बावजूद वह दल परिवर्तन निषेध निधेयक की बात करता है ।

लोकतन्त्र को कायम रखने के लिये कांग्रेस सरकार को देश में उचित और निर्बाध रूप से चुनाव कराने चाहिये क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग ही हर बार जीतें और सरकार की बागडोर सदा आपके हाथ में ही रहे । यदि लोकतन्त्र को जीवित रखना है तो विपक्ष को काले धन और सिद्धान्तहीन साधनों से नहीं दबाया जाना चाहिये ।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : अन्तिम वक्ता ने सत्ताधारी दल में व्याप्त भ्रष्टाचार और गुजरात में दल परिवर्तन की बात का उल्लेख किया है । सम्भवतः उन्हें पता होगा कि जब

गुजरात में आन्दोलन आरम्भ हुआ था, उस समय सभी विपक्षी दलों ने एक व्यक्ति विशेष पर कई आरोप लगाये थे। हम इन आरोपों पर विचार करने के लिये तत्पर थे, यदि हमें पूरी जानकारी दी जाये। विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर इस मामले की जांच की गई और हमने उस व्यक्ति को मुख्य मंत्री पद से त्यागपत्र देने के लिए कहा था क्योंकि उसके विरुद्ध ये सभी आरोप थे। अब जब उस व्यक्ति ने त्याग पत्र देकर एक नया दल बना लिया है, तो अब वही लोग उसके साथ मिल कर चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं।

यह देखा गया है कि जब भी मैंने अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में, चाहे वह पश्चिमी एशिया था या वियतनाम था, जो भी मूल्यांकन किया उसका उपहास किया गया और उसकी आलोचना की गई। विपक्षी दल के लोग चाहे कुछ भी कहें, भारत की आवाज़ संसार के हर भाग में आदर से सुनी जाती है। उनके केवल कहने मात्र से सचाई बदल नहीं जायेगी। मैंने इस सभा में सभी प्रकार के आरोपों को सहन किया है परन्तु विपक्षी दलों के लोग तो कोई बात सुनने के लिये तैयार ही नहीं हैं। मैंने न कभी शोर मचाया है और न ही किसी वक्ता को अनावश्यक रूप से कभी टोका है।

यह समय केवल भारत के लिये ही नहीं परन्तु विश्व भर में प्रत्येक देश के लिये बहुत अधिक कठिन रहा है। यह कहना गलत है कि पूंजीवादी देशों में कठिनाईयां नहीं हैं। वहां भी मुद्रास्फीत है। लेकिन वहां के समाचारपत्रों और लोगों ने उन पूंजीवादी देशों को बदनाम कभी नहीं किया है। इसके विपरीत उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि यूरोप में किसी प्रकार की अस्थिरता और यूरोपीय अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार की अस्तव्यस्तता का प्रभाव उनके देशों की अर्थ व्यवस्था पर पड़ेगा क्योंकि संसार अब अलग-थलग और छोटे-छोटे द्वीपों में नहीं बटा हुआ है। यद्यपि प्रत्येक देश की नीतियां, कठिनाइयां, समस्यायें और दृष्टिकोण अलग-अलग हैं तथापि दूसरे देशों में होने वाली घटनाओं का प्रत्येक देश पर प्रभाव पड़ता है। यह ठीक है कि यूरोपीय देशों में जहां मुद्रास्फीति थी वहां पर वे बेरोजगारों की सहायता करने और वेतन में वृद्धि करने में सफल हुए हैं। मैं नहीं कहता कि हमने कभी गलतियां नहीं की हैं। यह भी दावा कभी नहीं किया गया है कि भारत में गरीबी को दूर करने या भारत के आर्थिक स्तरों को ऊंचा उठाने या विषमताओं को दूर करने के लिये कोई आश्चर्यजनक परिवर्तन लाया जायेगा। ये हमारे उद्देश्य जरूर हैं जिन्हें हम पूरा करने के लिये संघर्ष कर रहे हैं।

हमें कई बार आक्रमणों का सामना करना पड़ा। ऐसे बहुत कम देश हैं, जिन्होंने इतने अधिक जटिल समस्याओं और चुनौतियों का सामना किया है। यह ठीक है कि हमारी कुछ समस्यायें हमारी भूलों और अदूरदर्शिता के कारण पैदा हुई हैं, परन्तु कुछ समस्यायें ऐसी घटनाओं के कारण उत्पन्न हो गई हैं, जिन पर हमारा कोई नियन्त्रण नहीं है। बंगला देश का संकट और सूखे से उत्पन्न स्थिति का सामना करना कोई मामूली बात नहीं थी। यह हमारी सफलतायें नहीं हैं तो क्या हैं ?

हमें अपने देश की तुलना अपने आसपास के देशों के साथ करनी चाहिये। हमारे देश में गरीबी है। यह कोई अचानक नहीं फैली है। लेकिन मैं इतना कह सकती हूं कि यह वह गरीबी नहीं है जो 10 या 15 वर्ष पहले थी। इसका यह अर्थ नहीं है कि अब गरीबी और कठिनाइयों का अन्त हो गया है। चन्द ही वर्षों में इस स्थिति को सुधारा नहीं जा सकता था। एक राष्ट्र के जीवन में चन्द वर्ष कोई इतना अधिक समय नहीं होता है। हमारा देश काफी समय उपनिवेशवाद का शिकार रहा। स्वतन्त्रता प्राप्त करने के

[श्रीमती इन्दिरा गांधी]

पश्चात् बटवारा हुआ और कई विपदाओं का सामना करना पड़ा । तत्पश्चात् आक्रमण हुए । यदि हम बड़े बड़े देशों में जायें और घूमें तो हमें पता चलेगा कि वहां भी गरीब लोग हैं ।

बार बार यह आरोप लगाये जाते हैं कि लोकतन्त्र में प्रधान मन्त्री अपने मन्त्रिमण्डल में इस प्रकार कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है । क्या में अपनी इच्छानुसार कोई परिवर्तन करती हूं? जैसाकि अब हुआ है, मैंने अपने साथियों के साथ परामर्श किया था । ऐसा करने के लिये क्या मुझे लोगों से परामर्श करना चाहिये ? क्या ब्रिटेन में ऐसा होता है और क्या वहां पर कभी कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है ?

मूल अधिकारों के बारे में मैं पूछना चाहती हूं कि अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का इससे अधिक क्या प्रमाण हो सकता है । यहां बैठकें होती हैं, भाषण दिये जाते हैं और समाचारपत्रों और प्रकाशनों पर किसी प्रकार का कोई नियन्त्रण नहीं है । हां कुछ ऐसे लोगों के विरुद्ध अवश्य कार्यवाही की गई है, जो हिंसा पर उतारू हो गये थे । यद्यपि देश को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तथापि हमने किसी आन्दोलन को नहीं दबाया है ।

गुजरात में निर्वाचन पद्धति में सुधार का उल्लेख किया गया । मुझे प्रसन्नता है कि इस पर परस्पर बातचीत आरम्भ हो चुकी है और मुझे आशा है कि इससे हम कोई सर्वसम्मत मार्ग निकाल लेंगे । ऐसे बहुत सी समस्याएं हैं जिनके सम्बन्ध में परस्पर बातचीत तथा सहयोग से कोई हल निकल सकता है । इस दिशा में हम प्रयत्नशील रहेंगे ।

सरकार के सामने अनेकों कार्य हैं परन्तु विषमताओं को बढ़ने से रोकना और स्थायित्व लाना प्रमुख काम है जिसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं । एक माननीय सदस्य ने कहा है कि हम गड़बड़ फैला रहे हैं । भारत में हो रही घटनाओं को ध्यान से देखने वाला कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि हम ऐसा कर रहे हैं ।

अनन्य कठिनाइयां होते हुए भी लोगों ने मुद्रास्फीति को रोकने में हमारे प्रयत्नों का पूरा समर्थन किया है । हम जानते हैं हमारे ये उपाय लोकप्रिय नहीं हैं क्योंकि इनसे मजदूरों, किसानों, वेतनभोगियों गृहणियों तथा प्रत्येक पर कठिनाइयों का बोझा आ पड़ा है । परन्तु इसके बावजूद भी लोगों ने यह समझने की कोशिश की है कि मुद्रास्फीति बढ़ने से भविष्य में कठिनाइयां और बढ़ेंगी । यही कारण है कि वे वर्तमान कठिनाइयों को सहने के लिए तैयार हैं । हम भी सन्तुष्ट होकर तथा हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठे हैं । हमें ज्ञात है कि मुद्रास्फीति का दबाव पूरी तरह कम नहीं हुआ है; परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि विपक्षी दल ये कदम पीछे हटा लेने के लिए हम पर दबाव डाल रहे हैं । हम अपने प्रयत्नों में बिल्कुल ढिलाई नहीं कर सकते ।

इससे हम इंकार नहीं करते कि देश में बेरोजगारी है । परन्तु हमारी संशोधित योजना से उद्योगों में पुनः जीवन का संचार होगा और समग्र रूप में उत्पादन बढ़ेगा । इस प्रकार लोगों को विशेषकर दक्ष लोगों को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे । यदि राष्ट्र में रोजगार के नये नये अवसर निकालने हैं तो जो लोग पहले ही रोजगार में लगे हुए हैं उनको मजदूरी की बढ़ती हुई मांग को रोकना होगा । विपक्षी दल कार्मिकों को अधिक मजदूरी मांगने के लिए उकसाते हैं और साथ ही बेरोजगार लोगों के प्रति दिखावटी सहानुभूति प्रकट करते हैं ।

तस्करी और अन्य आर्थिक अपराध रोकने की दिशा में हमारे प्रयत्नों में किसी प्रकार की ढिलाई आने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

हम पर यह आरोप लगाया गया है कि हम विदेशी तथा भारतीय एकाधिकारियों के हितों को पूरा कर रहे हैं । लेकिन इस सदन में ही भारतीय पूंजीपतियों तथा एकाधिकारियों की वकालत करने वाले मौजूद हैं और वे अधिकांशत: विपक्षी दलों में ही बैठे हैं । उनका सतत प्रयत्न यह रहता है कि हमारे सरकारी उद्यमों की आलोचना और पूंजीवादी व्यवस्था की कार्य कुशलता की सराहना की जाये । हमारा उद्देश्य स्पष्ट है और हमारा इतिहास सीधा सादा है । हम अर्थ-व्यवस्था को उस तरीके से चलाना चाहते हैं जिससे कि जनता के हितों की रक्षा हो और एकाधिकारियों की शक्ति घटे ।

आपात स्थिति के बारे में बहुत कुछ कहा गया है । जो भी व्यक्ति विश्व की घटनाओं तथा उनके पीछे प्रवृत्तियों को समझ रहे हैं वे जानते हैं कि विश्व में आज स्थिति ही ऐसी है । हमारे प्रदेश में ही शस्त्रास्त्र इकट्ठे किये जा रहे हैं । हमारे समुद्री क्षेत्र में नया दबाव बढ़ रहा है । अत: ऐसे समय पर सरकार को कमजोर नहीं कया जाना चाहिए ।

हम सभी को विदित है कि हमारी सीमाओं पर अभी भी घुसपैठ तथा तोड़फोड़ की कार्यवाही चल रही है । अत: हम इसे भाग्य पर नहीं छोड़ सकते । आपात की स्थिति बनाये रखने का हमारा एक-मात्र उद्देश्य देश की सुरक्षा को सुदृढ़ रखना है । यह कहना एक पूर्वानुमान है कि इस स्थिति से हम लाभ उठा रहे हैं या उसके सहारे विपक्षी दलों की वैध राजनीतिक गतिविधियों पर अंकुश लगा रहे हैं ।

इस सभा को विदित है कि नागालैण्ड में भ्रांत तत्वों के एक छोटे से समुदाय द्वारा विदेशी सहायता प्राप्त करने और विदेशी शस्त्रास्त्र लाने का प्रयास किया गया है और हमारे आन्तरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप किया गया है । कोई भी सरकार देश की एकता कायम रखने और नागालैण्ड के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए संविधान के अन्तर्गत अपना दायित्व निभाने से पीछे नहीं हट सकती है ।

पश्चिम बंगाल में अर्ध-फासिस्टवादी आतंक की आश्चर्यजनक बातें कही गई हैं । आज पश्चिम बंगाल में अर्ध या पूर्ण किसी प्रकार का आतंक नहीं है । लेकिन पश्चिमी बंगाल में मार्क्सवादियों के शासन-काल में अवश्य आतंक छाया हुआ था । उस समय लोग वहां पर बाहर निकलते हुए भी डरते थे । वहां की जनता के आन्दोलन से उनका शासन समाप्त हुआ है ।

आदिवासियों और हरिजनों पर अत्याचार की भी बात आई है । हमारी सरकार ने इन लोगों के उत्थान के लिए इतना अधिक कार्य किया है जितना कि अन्य कोई दल या सरकार नहीं कर सकती है । यह सच है कि इनके लिए जो कुछ किया गया है वह पर्याप्त नहीं है । सरकारी स्तर पर सर्तकता बनाये रखने की अधिक आवश्यकता है, लेकिन यह कहना सच नहीं है कि सरकार ने उन पर अत्याचार किया है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे आशा थी कि प्रधान मन्त्री मेरे उन विशेष आरोपों का उत्तर देंगी जिनमें मैंने यह स्पष्ट कहा था कि दो कम्पनियों द्वारा दल को सहायता देने के लिए उनको सीमा–शुल्क में 344.08 करोड़, रूपये की छूट दी गई है । इस सम्बन्ध में एक शब्द भी नहीं कहा गया है । इसके अतिरिक्त उन्होंने बहुत से उपदेश दिये हैं । उन्होंने दल बदल

[श्री ज्योतिर्मय बसु]

के बारे में बात तक ही नहीं की है। अभी दो दिन पहले ही पटना में जनसंघ के विधायकों को खरीदा गया है। उन्हें किसने कितनी कीमत पर खरीदा है? क्या वे सत्ताधारी कांग्रेस दल के पास नहीं आये थे? क्या पद और धन के लालच में विपक्ष से दलबदल नहीं हो रहा है।

प्रधान मन्त्री ने गरीबी के बारे में भी बात की है। उन्होंने कहा है कि ब्रिटिश काल में गरीबी आज से कहीं अधिक थी। लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा है कि आज समाज के निर्बल वर्गों में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक गरीबी है। 10 वर्ष या 20 वर्ष पहले की तुलना में आज अधिक जनता निर्धनता स्तर से भी नीचे जीवन यापन कर रही है?

राज्यपालों के सम्मेलन में प्रधान मन्त्री ने कहा है कि सरकार के शत्रु देश के शत्रु हैं। इस देश में लोकतन्त्र के बारे में इनकी ऐसी संकल्पना है।

उन्होंने आपात स्थिति और खतरे की बात कही है। समाचार-पत्रों में समाचार प्रकाशित हुए हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सम्बन्धों में सुधार हो रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता है लेकिन जब व्यापार सम्बन्धी वार्ता चल रही है तो फिर आपात स्थिति तथा खतरे की बात क्यों की जा रही है। आपात स्थिति ऐसा हथियार है जिसे वह अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग में लाना चाहती हैं।

प्रधान मन्त्री ने कहा है कि पश्चिमी बंगाल में कोई आतंक नहीं है। यह बात नितांत गलत है। मैं इस बात को सिद्ध करने के लिए अनेक दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता हूं कि पश्चिमी बंगाल में आतंक का शासन फैल रहा है। हजारों लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए विवश हो गये हैं।

कृषि मन्त्री ने समृद्धि की बात क है। ऐसी बातों का लाभ क्या है, जब हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है। कुछ जिलों में प्रतिव्यक्ति आय 20 रुपये से भी कम है। लोग गोबर में से अनाज के दाने निकाल लेते हैं और उन्हें उबाल कर खाते हैं।

श्री स्टीफन राजा की अपेक्षा अधिक वफादार हैं मेरे ऊपर विदेशी फर्मों का एजेंट होने का आरोप पहली बार ही नहीं लगाया है। पिछले सत्र के दौरान श्री गोपाल रेड्डी ने कहा था कि मैं प्रति प्रश्न 4,500 रुपये लेता हूं और फिर उन्हें मुझसे क्षमा याचना करनी पड़ी। फिर श्री ललित नारायण मिश्र ने कहा था कि मैं व्यापार गृहों से 10,000 रुपये लेता हूं। मुझे बदनाम करने के लिए ही ऐसे आरोप लगाये जाते हैं क्योंकि प्रधान मन्त्री मुझे नहीं खरीद सकी हैं।

जहां तक श्री स्टीफन का सम्बन्ध है, क्या उन्हें काजू के व्यापारियों के साथ अपने संबंधों का पता नहीं है? क्विलोन स्थित जर्नादन पिलई जैसे अन्य काजू व्यापारियों के साथ उनके क्या सम्बन्ध हैं। अलवाये में अलुमीनियम के व्यापारियों के साथ मित्रता के कारण वहां अलुमीनियम कर्मचारियों के हाथ कितनी मार खानी पड़ी है? क्या वे सब बातें भूल गये हैं।

उन्होंने श्री ज्योतिर्मय बसु और श्री एस० के० आचार्य पर भी जो सदन में उपस्थित नहीं हैं और न ही मंत्री रहे हैं, आक्रमण किये हैं। यदि इन जैसा एक व्यक्ति भी

विपक्ष में होता, तो दल में और देश में स्थिति ही दूसरी होती । उन्होंने सामान्य बीमा के राष्ट्रीयकरण की बात उठायी है। 1971 के चुनावों के लिए श्री वी० के० शाह ने कितनी जीप गाड़ियां दी थीं। कम से कम 600 जीपें दी थीं। क्या यह सच नहीं है कि उन्हें 15 महीने के लिए मैनेजमेंट कमीशन के रूप में 32 लाख रुपये दिये थे।

अधजल गगरी छलकत जाये। यदि वे सही होते तो उन्होंने मेरे विशिष्ट आरोपों का उत्तर दिया होता। ऐसा करने के बजाये वे लोगों को निराधार और दुर्भावनापूर्ण ढंग से बदनाम करने पर उतर आये हैं। इसीलिए मैंने यह प्रस्ताव पेश किया है।

मैं यह प्रस्ताव सभा के समक्ष मतदान के लिए रखने की मांग करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा मंत्रि-परिषद् में अपना अविश्वास व्यक्त करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

(The motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय : सभा 9 मई को अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई समझी जायेगी।

लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई ।

(The Lok Sabha then adjourned *sine die.*)

GMGIPND—PMR—1244 LS—20-9-75—200.

P. L.S. 48, L II 49.75(N)
200

© 1975 प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और महा व्यावस्थापक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली-110001 द्वारा मुद्रित ।

© 1975 BY THE LOK SABHA SECRETARIAT

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and conduct of business in Lok Sabha (Fifth Edition) and Printed by the General Manager, Government of India Press, Minto Road, New Delhi-110001.